खण्ड–504, अंक–5
मंगलवार, 06 चैत्र शक संवत् 1940
(27 मार्च, 2018 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2018)

(खण्ड 504 में 05 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2018

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय				पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	...	...	...	1-5
प्रश्नोत्तर	...	...	...	6-59
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्‌गार		...	...	59-61
आज की कार्य-सूची की मद संख्या-50 को पहले लिये जाने का अनुरोध			...	61-62
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	...	...	...	62
जनपद लखनऊ के पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर, सरसवां, पोस्ट-अर्जुनगंज के आश्रम रोड का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	63
जनपद जालौन के वि0स0 क्षेत्र उरई के ग्राम मोहम्मदाबाद से ग्राम सिमरिया तक सम्पर्क मार्ग को आर0सी0सी0 कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	63
जनपद लखनऊ के कानपुर रोड स्थित मानस नगर क्षेत्र में विद्युत पोल लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना		...	...	63-64
जनपद एटा के वि0स0 क्षेत्र अलीगंज में आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना		...	...	64
जनपद सिद्धार्थनगर के वि0स0 क्षेत्र कपिलवस्तु के कतिपय नदियों पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना			...	64
जनपद गोण्डा के जरवल मार्ग फोर लेन का निर्माण कार्य शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना		...	...	64
जनपद बुलन्दशहर के वि0स0 क्षेत्र बुलन्दशहर के ग्राम अच्छेजाघाट-भटवारा मार्ग से ग्राम फतेहपुर बुजुर्ग तक के मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना		...	...	65
जनपद फतेहपुर के वि0स0 क्षेत्र खागा में सुजानपुर रजबहा के पक्की रिटेनिंग वाल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...			...	65
जनपद आगरा के वि0स0 क्षेत्र खागा में सुजानपुर रजबहा के पक्की रिटेनिंग वाल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...			...	65
जनपद बलरामपुर में खनन निरीक्षक के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना		...	...	66

विषय	पृष्ठ-संख्या
बरेली शहर के सनैयारानी मेवा कुंआ एवं बाल्मीकि बस्ती के प्यारे लाल कालोनी के राजेन्द्र नगर में प्राइमरी स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	66
जनपद अलीगढ़ के वि0स0 क्षेत्र बरौली में सिंचाई विभाग की कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	66-67
जनपद गोण्डा के वि0स0 क्षेत्र तरबगंज में मण्डी समिति बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	67
जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड कलान के ग्राम पचदेवरिया व वैगनीखेड़ा के मध्य रपटुआ नाला पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	67
जनपद सहारनपुर में स्थित बजाज शुगर मिल, गांगनौली में किसानों का गन्ना का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	67-68
जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड गुलावठी में काली नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	68
जनपद फैजाबाद के वि0स0 क्षेत्र रूदौली की ड्रेनों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	68
जनपद अमरोहा के अन्तर्गत गजरौला रेलवे स्टेशन के पास रेलवे पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	68-69
जनपद बरेली के वि0स0 क्षेत्र फरीदपुर में नदी पर कतिपय पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	69
जनपद मेरठ के लौटी (साफियाबाद) के पास काली नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	69
जनपद सहारनपुर के गंगोह ब्लाक के ग्राम चाउपुरा में बिजली घर बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	70
जनपद उन्नाव के ब्लाक औरास में अग्निशमन बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	70
जनपद वाराणसी के वि0स0 क्षेत्र रोहनियां के कतिपय ग्रामों में नाला बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	70
जनपद मथुरा के नोएडा-आगरा एक्सप्रेस-वे से बल्देव में उतरने एवं चढ़ने के लिये कट बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	71
जनपद मथुरा के तहसील बीसलपुर मुख्यालय में आई0टी0आई0 अथवा जी0टी0आई0 बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	71

विषय				पृष्ठ-संख्या
जनपद गोण्डा के विकास खण्ड बभनजोत के टू-लेन को मनकापुर के टू-लेन मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...			71-72
झांसी के भगवन्तपुरा क्षेत्र में नियम विरुद्ध स्थापित स्लाटर हाउस के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	72
वाराणसी-मिर्जापुर मार्ग पड़री से छीतमपुर वाया गोल्हनपुर होते हुए मार्ग को चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...			72
जनपद पीलीभीत के मझोला में बन्द पड़े सहकारी चीनी मिल को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...		72-73
जनपद जौनपुर के वि0स0 क्षेत्र केराकत के विकास खण्ड मुफ्तीगंज में सड़क के चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...			73
जनपद लखीमपुर खीरी के वि0स0 क्षेत्र धौरहरा के सिंचाई खण्ड शारदानगर में अधिशासी अभियन्ता की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	73
जनपद गोरखपुर के वि0स0 क्षेत्र बांसगांव के ब्लाक कौड़िराम के अन्तर्गत कुशवासी क्षेत्र में बिजली सब-स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	73-74
जनपद बदायूं के वि0स0 क्षेत्र दातागंज के विकास खण्ड म्याऊं के कतिपय गांवों का रामगंगा से कटान रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	74
जनपद कानपुर देहात के वि0स0 क्षेत्र सिकन्दरा के अन्तर्गत सिलहरा के प्राचीन तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	74
जनपद चन्दौली के मुगलसराय, भुपौली और चहनिया सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	74-75
जनपद जौनपुर के वि0स0 क्षेत्र शाहगंज के अन्तर्गत ग्राम गैरवाह में बिजली सब-स्टेशन शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	75
जनपद अमेठी के कोतवाली मुसाफिर खाना में मु0आ0सं0-36/18 के अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...			75-76
जनपद आजमगढ़ के तहसील सदर के ग्राम करनपुर में फर्जी बिल को वसूलने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	76

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सीतापुर के वि0स0 क्षेत्र महमूदाबाद के अन्तर्गत स्वीकृत सड़क धरमपुर से धोबियनपुरवा व गुलामपुर से बनिगवां मार्गों का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	76
जनपद मैनपुरी के वि0स0 क्षेत्र किशनी में स्थित बस स्टैण्ड का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	76-77
जनपद लखनऊ के अन्तर्गत संयुक्त चिकित्सालय, ठाकुरगंज में कतिपय भ्रष्टाचार होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	77
जनपद लखनऊ के वि0स0 क्षेत्र मोहनलालगंज के अन्तर्गत कुबहरा गांव में समेसी मार्ग से कुबहरा तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	77
जनपद लखनऊ के वि0स0 क्षेत्र मलिहाबाद के विकास खण्ड माल में एक बारात घर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	78
जनपद बांदा के राजकीय चिकित्सालय में कतिपय चिकित्सकों की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	78
जनपद शामली के वि0स0 क्षेत्र कैराना के कतिपय गांवों से लगे यमुना नदी पर बांधों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	78-79
जनपद श्रावस्ती के अन्तर्गत नगर क्षेत्र इकौना और कस्बा गिलौला में बन्द पड़े बस-स्टेशन का जीर्णोद्धार और चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	79
जनपद झांसी के वि0स0 क्षेत्र गरौठा में नवीन स्थापित विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	79
जनपद गाजीपुर के वि0स0 क्षेत्र गाजीपुर सदर के ब्लाक देवकली के कपितय गांवों में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	79
जनपद जालौन के वि0स0 क्षेत्र कालपी के अन्तर्गत ग्राम करनपुरा को सिहारी उरगांव मार्ग को पक्के मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	80
जनपद प्रतापगढ़ के वि0स0 क्षेत्र रामपुर खास में प्राथ0 स्वा0 केन्द्र रानीगंज, कैथौला का उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	80

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बिजनौर के वि0स0 क्षेत्र नगीना के अन्तर्गत कतिपय गांवों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	80-81
जनपद आजमगढ़ के वि0स0 क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत सिंचाई हेतु शारदा सहायक खण्ड 23 से लिंक अर्धनिर्मित कुड़िहर माइनर शाखा को सक्रिय कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	81
जनपद फिरोजाबाद के यमुना नदी पर रामदास पुरा से भोलपुरा तक सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	81-82
जनपद इटावा के वि0स0 क्षेत्र भरथना के कतिपय ग्राम पंचायतों का विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	82
मेरठ शहर में मोहल्ला अहमद नगर के कांच के पुल से समर गार्डन तक डैन्स रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	82
जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी के अन्तर्गत ऐनवां भड़सारी मार्ग से कमनापुर-अशरफपुर-बरवां तक मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	83
जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत रसूलपुर से रेउरा तक मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	83
जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड पल्हनी से सटे कोमल कालोनी को जलभराव व प्रदूषण से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	83
जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड प्रतापपुर एवं सैदाबाद में कतिपय पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	84
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में स्थित बेरमांव बाजार में घूरीपुर होते हुये सुजानगंज-वेलवार तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	84
जनपद गाजियाबाद की तहसील सदर के कस्बा डासना में भू-माफियाओं से साठ-गांठ कर सरकारी जमीन पर कब्जा कराने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	85
जनपद बहराइच के विकास खण्ड विशेसरगंज के कतिपय ग्रामों को हटा कर विकास खण्ड इकौना में सम्मिलित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	85

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के अन्तर्गत ग्राम सभा उमरी में प्राथमिक विद्यालय एवं पंचायत भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	86
जनपद सीतापुर के वन परिक्षेत्र की भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	86
जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज स्थिति ग्राम चैनपट्टी व जवहीगयाल में बढ़ी गंडक नदी पर पीपे का पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	86-87
नगर निगम सहारनपुर के कतिपय मार्गों पर पक्का नाला बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	87
जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत ग्राम शाहपुर से मलकपुर स्थित शाकुम्बरी नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	87-88
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	88
जनपद उन्नाव के नगर पालिका बांगरमऊ में पार्क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	88
जनपद आजमगढ़ की तहसील मार्टिनगंज में भू-माफियाओं द्वारा भूमि का अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	89
लखनऊ-बलिया राजमार्ग के अन्तर्गत पुरा (गुड़िया) स्थित रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	89
प्रदेश के सड़कों के रख-रखाव हेतु मियाद निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	89-90
जनपद आगरा स्थित संजय प्लेस मार्केट में पार्किंग की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	9
जनपद लखनऊ के मोहल्ला प्रेम नगर में सीवर लाइन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	91
जनपद लखनऊ के इन्दिरानगर क्षेत्र के सी-ब्लाक में सफाई की समुचित व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	91
प्रदेश के आयुष विभाग में शिक्षकों के अभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	91-92

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड में विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	92
मुजफ्फरनगर सदर में ओम पेराटाइल्स से सॉवली तक नाले का निर्माण एवं जल निकासी के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	92
जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड चरथावल में पालीटेक्निक कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	92-93
हैदरगढ़ से रायबरेली जाने वाले मार्ग पर लाही बार्डर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	93
जनपद बलिया के ग्राम भरसर (अलमचक) से ग्राम भरसौता तक एवं ग्राम हैबतपुर को कटान से बचाने के लिये बन्धे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	94
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के कतिपय ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	94
एटा-आगरा स्टेट हाई-वे को फोर लेन बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	94
जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा राऊ में प्रस्तावित आश्रम पद्धति विद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	95
जनपद महोबा के विधान सभा क्षेत्र चरखारी में राजकीय बालिका इण्टर कालेज में स्टाफ की कमी को पूरा किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	95
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	95-96
जनपद औरैया में एन0टी0पी0सी0 एवं गेल इण्डिया लि0 दो बड़े उद्योगों को एक में जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	96
जनपद शामली के वि0स0 क्षेत्र शामली सदर का बाईपास पानीपत-खटीमा मार्ग करनाल रोड को दिल्ली यमुनोत्री बाईपास से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	96
जनपद सहारनपुर के तहसील नुकुड़ के ग्राम टाबर, परगना-सरसवा में दो तालाबों पर अनाधिकृत कब्जे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	97

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सुल्तानपुर के इण्टर कालेज में तैनात कार्यवाहक प्रधानाचार्या के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	97
जनपद सिद्धार्थनगर के ब्लाक उस्का बाजार के कतिपय ग्रामों में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	97-98
जनपद रायबरेली के सदर वि0स0 क्षेत्र के ग्रामों में कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	98
जनपद सिद्धार्थनगर के ब्लाक उस्का बाजार के स्वा0 केन्द्रों पर पहुंचने हेतु कतिपय ग्रामों में सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	98-99
मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अपेक्षित सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	99
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	99
विधायक विकास निधि बढ़ाये जाने एवं विधायकों को कम से कम 500 हैण्डपम्प दिये जाने हेतु एवं नियम-301 एवं नियम-51 की सूचनाओं पर समुचित कार्रवाई हेतु विधायक निवारण समिति गठित करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	100-102
उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2017 (पुनः पारित)	102-118
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1458/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (56)-2017, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 (सदन के पटल पर रखी गयी)	118
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1696/ग्यारह-9(42)/17-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश(71)-2017, दिनांक 16 नवम्बर, 2017 (सदन के पटल पर रखी गयी)	118
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0-2-1821/ग्यारह-9 (47)/17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (87)-2017, दिनांक 4 दिसम्बर, 2017 (सदन के पटल पर रखी गयी)... ...	118
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0 -2-1822/ग्यारह-9 (47)/17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(88)-2017, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 (सदन के पटल पर रखी गयी)... ...	119
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0-2-1825/ग्यारह-9(47)/17-उ0 प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(91)-2017, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 (सदन के पटल पर रखी गयी)	119

विषय	पृष्ठ-संख्या
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0-2-1827/ग्यारह-9(47)/17-उ0 प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(93)-2017, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 (सदन के पटल पर रखी गयी)	119
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0-2-1845/ग्यारह-9(52)/17-उ0 प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(94)-2017, दिनांक 06 दिसम्बर, 2017 (सदन के पटल पर रखी गयी)	119
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0-2-1936/ग्यारह-9(42)/17-उ0 प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(95)-2017, दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 (सदन के पटल पर रखी गयी)	120
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0-2-139/ग्यारह-9(42)/17-उ0 प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश(102)-2018, दिनांक 30 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (बारहवां संशोधन) (सदन के पटल पर रखी गयी)	120
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0-2-155/ग्यारह-9(42)/17-उ0 प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश(103)-2018, दिनांक 31 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तेरहवां संशोधन) (सदन के पटल पर रखी गयी)	120
उत्तर प्रदेश सरकार, शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2005 (सदन के पटल पर रखी गयी)	120
उत्तर प्रदेश सरकार, शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2006 (सदन के पटल पर रखा गया)	121
उत्तर प्रदेश सरकार, शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2007 (सदन के पटल पर रखा गया)	121
उत्तर प्रदेश सरकार, शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2008 (सदन के पटल पर रखा गया)	121
उत्तर प्रदेश सरकार, शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2009 (सदन के पटल पर रखा गया)	121
उत्तर प्रदेश सरकार, शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2010 (सदन के पटल पर रखा गया)	122

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश सरकार, शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2011 (सदन के पटल पर रखा गया)	122
उत्तर प्रदेश सरकार, शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2012 (सदन के पटल पर रखा गया)	122
उत्तर प्रदेश सरकार, पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2013 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	122
उत्तर प्रदेश सरकार, पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2014 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	122
उत्तर प्रदेश सरकार, पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (प्रतिवेदन संख्या-02-वर्ष 2016), वर्ष 2015 (सदन के पटल पर रखा गया)	122
उत्तर प्रदेश सरकार, शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2016 (सदन के पटल पर रखा गया)	123
उत्तर प्रदेश सरकार, पंचायती राज संस्थाओं पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2016 (सदन के पटल पर रखा गया)	123
जिला शाहजहांपुर के ब्लाक-निगोही के अन्तर्गत ग्राम पंचायत परसौना खलीपुर से भवानीपुर होते हुए दियुरिया रोड तक कच्चे ऊबड़-खाबड़ मार्ग का डामरीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री सुखलाल आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	123
जिला शाहजहांपुर के ब्लाक-निगोही के अन्तर्गत ग्राम जेवा मुकुन्दपुर से चक्रमली होते हुए विकास खण्ड तिलहर के ग्राम चकुलिया तक ऊबड़-खाबड़ क्षतिग्रस्त मार्ग का डामरीकरण/मरम्मत कराए जाने के सम्बन्ध में श्री राम लड़ैते आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	123
जिला शाहजहांपुर के ब्लाक-निगोही के अन्तर्गत ग्राम छतेनी से ग्राम सहतेपुर मोड़ तक ऊबड़-खाबड़ क्षतिग्रस्त मार्ग का डामरीकरण/मरम्मत कराए जाने के सम्बन्ध में श्री रामशंकर आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	124
जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक-निगोही के अन्तर्गत ग्राम चकुलिया से ग्राम पकड़िया मोड़ तक ऊबड़-खाबड़ क्षतिग्रस्त मार्ग का डामरीकरण/मरम्मत कराए जाने के सम्बन्ध में श्री श्रीपाल आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	124

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक-निगोही के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बरौरा से ग्राम चमरूआ तक पक्के जर्जर ऊबड़-खाबड़ क्षतिग्रस्त मार्ग का डामरीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री सोमेन्द्र सिंह आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	124
जनपद झांसी के ग्राम पंचायत नौटा, ब्लाक-बंगरा में पानी की टंकी एवं गहरे रीबोर कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती किरन मिश्रा आदि निवासीगण जनपद झांसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)... ...	124
जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर के विकास खण्ड हरपालपुर में मण्डी परिषद् की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री अभिराम सिंह आदि निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	125
जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर में आयुर्वेदिक महाविद्यालय का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री अमन प्रताप सिंह आदि निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)... ...	125
जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर में राजकीय पालीटेक्निक कालेज का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश दीक्षित आदि निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)... ...	125
जिला शाहजहांपुर के ब्लाक-मदनापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुनिया मुसेला व ग्राम चचोरा रोड पर पुलिया बनवाए जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र सिंह आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	126
मा0 सदस्यों की विधायक निधि राशि को बढ़ाये जाने का प्रस्ताव	126-133
मा0 मुख्य मंत्री द्वारा विधान सभा सचिवालय कर्मचारियों हेतु मानदेय की घोषणा...	133-135
लंच हेतु सदन के स्थगन की सूचना	135-154
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	154-158
उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2018 (पारित)	158-160
उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2018 (पारित)	160-164
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2018 (पारित) ...	164-166

विषय				पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2018 (पारित)	...	...		166-168
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2018 (पारित)		...		168-182
अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 (पारित)	...	...	...	182-187
उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2018 (पारित)...		...		187-196
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 (पारित)	...	...		196-209
जनपद गोरखपुर में तहसील गोला मुख्यालय पर बस स्टेशन की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनय शंकर तिवारी द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा (जारी)	...	...	...	209
वर्ष 2004 के बाद से नियुक्त उ0प्र0 के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर एवं श्री अजय कुमार लल्लू द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा (जारी)	...	...	...	209
जनपद कुशीनगर की बांसी नदी के तट पर स्थित गौरी घाट, गोला घाट, धोकरहा घाट तथा खैरवा घाट पर जनहित में पुलों का निर्माण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार लल्लू द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा (जारी)	...	...	...	209
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	...	...	209-214
जनपद बुलन्दशहर के आवास विकास कालोनी में लिंक मार्ग पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नियोजन मंत्री का वक्तव्य	...	...		214-215
जनपद आगरा में आर0बी0एस0 कालेज के सामने गली व नाली की जर्जर हालत की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगन प्रसाद गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य...				215-216
जनपद लखनऊ में पेयजल समस्या का समाधान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	...	...	...	216-218
जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र हरचन्द्रपुर में लोन नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य...		...	...	218
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ में लोक निर्माण विभाग को बांगरमऊ-बिल्हौर मार्ग से जगतनगर से दबौली मार्ग तक सड़क की मरम्मत तक के सम्बन्ध में श्री कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	...	..		218-219

विषय		पृष्ठ-संख्या
जनपद	लखनऊ भाजपा कार्यालय के सामने धरना दे रहे बी0टी0सी0 अभ्यर्थियों पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	219-220
जनपद	बस्ती के हर्रैया विधान सभा क्षेत्र के 12 वर्ष पूर्व बजाज ग्रुप द्वारा खरीदी गयी 125 एकड़ जमीन पर शुगर मिल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री का वक्तव्य	221-222
जनपद	मिर्जापुर में मैगमा फाइनेंस कम्पनी द्वारा किसानों एवं व्यापारियों को फर्जी तरीके से ऋण देने एवं मनमाना ब्याज वसूले जाने के सम्बन्ध में श्री रमाशंकर पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	222-223
जनपद	इलाहाबाद के थाना करछना में दर्ज मु0आ0 संख्याः 17/18, दिनांक 08 जनवरी, 2018 के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उज्जवल रमण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	223-225
जनपद	प्रतापगढ़ के जिला पंचायत द्वारा सड़कों का निर्माण शासनादेशों का उल्लंघन करते हुये न बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री संगम लाल गुप्ता द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)	225
जनपद	शाहजहांपुर के थाना निगोही में श्री सचिन को भूमि पर किये गये कब्जे के सम्बन्ध में दोषियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	225
जनपद	गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार के अन्तर्गत राप्ती नदी पर बैरियां सरयां बन्धे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनय शंकर तिवारी द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2018 दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य	226-227
जनपद	मथुरा के अन्तर्गत गोवर्धन में श्राइन बोर्ड में मन्दिरों का अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम सुन्दर शर्मा द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2018 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत धर्मार्थ मंत्री का केवल वक्तव्य	227

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद शाहजहांपुर के मो0 कटिया टोला, थाना सदर बाजार में दर्ज कराये गये मुकदमें की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अभिजीत सिंह सांगा द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2018 दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	228-229
जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार में अड्डा से कल्याणी तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2018 दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	229
जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में कतिपय सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (स्थगित)	229
जनपद सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र खैराबाद में जंगली व आवारा कुत्तों की रोकथाम किये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश राठौर द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	230
लखनऊ के पश्चिमी विधान सभा क्षेत्र पारा क्षेत्र में पी0डब्लू0डी0 विभाग की लापरवाही से दिनांक 20 मार्च, 2018 को ट्रैक्टर ट्राली पलट जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	230-231
सदन संचालन में सहयोग हेतु सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रदर्शन... ...	231-234
सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित करने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	234-237
राष्ट्रगान	238

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 27 मार्च, 2018 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-343

---

1. अक्षयवर लाल गोंड, श्री — बहराइच
2. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
3. अजय कुमार, डॉ0 — इलाहाबाद
4. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
5. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री — बस्ती
6. अजय प्रताप सिंह ''लल्ला भइया'', कुंवर — गोण्डा
7. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
8. अजीत पाल सिंह, श्री — कानपुर देहात
9. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
10. अदिति सिंह, सुश्री — रायबरेली
11. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
12. अनिल कुमार मौर्य, डा0 — सोनभद्र
13. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
14. अनिल सिंह, श्री — उन्नाव
15. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकर नगर
16. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
17. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
18. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
19. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
20. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
21. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
22. अमन मणि त्रिपाठी, श्री — महाराजगंज
23. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
24. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
25. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
26. अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
27. अरूण कुमार, डॉ0 — बरेली
28. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
29. अवधेश सिंह, प्रो0 (डा0) — वाराणसी
30. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
31. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
32. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
33. असलम अली, श्री — हापुड़
34. आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
35. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
36. आर0 के0 सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
37. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
38. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
39. आशीष कुमार सिंह ''आशू'', श्री — हरदोई
40. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री — लखनऊ
41. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल

42. इकराम कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
43. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री फैजाबाद
44. उज्जवल रमण सिंह, श्री इलाहाबाद
45. उदयभान सिंह, चौ0 आगरा
46. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
47. उपेन्द्र सिंह, श्री बाराबंकी
48. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
49. उमेश मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
50. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
51. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
52. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
53. कमल रानी, श्रीमती कानपुर नगर
54. कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
55. कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
56. कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
57. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
58. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
59. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
60. काली प्रसाद, श्री देवरिया
61. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
62. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
63. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
64. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
65. केसर सिंह, श्री बरेली
66. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
67. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
68. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
69. गंगा, श्री कुशीनगर
70. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
71. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
72. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
73. गौरी शंकर, श्री जालौन
74. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
75. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
76. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
77. चेतन चौहान, श्री अमरोहा
78. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
79. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
80. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
81. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
82. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
83. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
84. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
85. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
86. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
87. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
88. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
89. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
90. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
91. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
92. डेनजिल जे0 गोडिन, डा0 नाम-निर्देशित
93. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
94. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
95. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
96. दल बहादुर, श्री रायबरेली
97. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
98. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
99. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
100. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
101. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
102. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
103. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर

104. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
105. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
106. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
107. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
108. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
109. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
110. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
111. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
112. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
113. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
114. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
115. नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
116. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
117. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
118. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
119. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
120. नसीर अहमद खाँ, श्री रामपुर
121. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
122. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
123. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
124. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
125. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
126. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
127. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
128. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
129. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
130. पवन कुमार, श्री कुशीनगर
131. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
132. पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
133. पिंकी सिंह यादव, श्रीमती सम्भल
134. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
135. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
136. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
137. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
138. प्रदीप कुमार, श्री सहारनपुर
139. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
140. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
141. प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
142. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
143. प्रवीण कुमार सिंह, श्री इलाहाबाद
144. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
145. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
146. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
147. फागू चौहान, श्री मऊ
148. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
149. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
150. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
151. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
152. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
153. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
154. बावन सिंह, श्री गोण्डा
155. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
156. बिहारी लाल आर्य, श्री झांसी
157. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
158. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
159. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
160. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
161. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
162. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी

163. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
164. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
165. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
166. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
167. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
168. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
169. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
170. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
171. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
172. मन्जू शिवाज, डॉ0 गाजियाबाद
173. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
174. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
175. मसूद अखतर, श्री सहारनपुर
176. महबूब अली, श्री अमरोहा
177. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
178. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
179. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
180. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
181. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
182. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
183. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
184. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
185. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
186. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
187. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
188. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
189. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
190. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
191. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
192. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
193. योगेश वर्मा, श्री खीरी
194. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
195. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
196. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
197. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
198. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
199. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
200. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
201. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
202. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
203. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
204. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
205. रवि शर्मा, श्री झांसी
206. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
207. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
208. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 प्रतापगढ़
209. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
210. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
211. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
212. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
213. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
214. राज करन कबीर, श्री बांदा
215. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
216. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
217. राजबाला, श्रीमती रामपुर
218. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
219. राजवीर दिलेर, श्री अलीगढ़
220. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
221. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
222. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
223. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़

224. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
225. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
226. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
227. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
228. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
229. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर
230. रामकुमार वर्मा, पटेल, श्री खीरी
231. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
232. रामगोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद
233. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
234. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
235. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
236. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
237. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
238. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
239. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
240. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
241. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
242. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
243. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
244. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
245. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
246. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
247. लाखन सिंह, श्री औरैया
248. लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
249. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
250. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
251. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
252. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
253. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
254. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
255. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
256. विजय पाल (आढ़ती), श्री हापुड़
257. विजय मिश्र, श्री भदोही
258. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
259. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
260. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
261. विनय शाक्य, श्री औरैया
262. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
263. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
264. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
265. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
266. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
267. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
268. वीरेन्द्र, श्री एटा
269. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
270. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
271. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
272. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
273. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
274. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
275. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
276. शीतला प्रसाद, श्री कौशाम्बी
277. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
278. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
279. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
280. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
281. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
282. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
283. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
284. श्रीराम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
285. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
286. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
287. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ

288. संगीता बलवन्त, डा0 गाजीपुर
289. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
290. संजय, श्री बुलन्दशहर
291. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
292. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
293. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
294. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
295. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
296. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकरनगर
297. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
298. सतीश चन्द्र शर्मा, श्री बाराबंकी
299. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
300. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
301. सत्यपाल सिंह बघेल, श्री फिरोजाबाद
302. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
303. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
304. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
305. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
306. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
307. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
308. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
309. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
310. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
311. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
312. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
313. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
314. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
315. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
316. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
317. सुभाष त्रिपाठी ऐडवोकेट, श्री बहराइच
318. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
319. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
320. सुरेश कुमार, श्री शामली
321. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
322. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
323. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
324. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
325. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
326. सुशान्त कुमार सिंह, कुँ0 बिजनौर
327. सुशील सिंह, कुँ0 चन्दौली
328. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
329. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
330. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
331. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
332. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
333. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
334. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
335. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0 सीतापुर
336. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
337. हरिशंकर माहौर, श्री हाथरस
338. हरीराम, श्री सोनभद्र
339. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 जौनपुर
340. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री इलाहाबाद
341. हाकिम लाल बिन्द, श्री इलाहाबाद
342. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती आगरा
343. हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्नाव

नोटः- मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ), उप मुख्य मंत्री, लोक निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य), परिवहन, ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री स्वतंत्र देव सिंह) तथा पंचायती राज, लोक निर्माण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष-

मा0 मनोज कुमार पाण्डेय जी हैं ?

(सदस्य श्री मनोज कुमार पाण्डेय जी के अनुपस्थित रहने पर)

प्रदेश के थानों में तैनात चौकीदारों को मानदेय एवं उनके आवागमन के लिए मोटर साइकिल दिये जाने की मांग

***01-श्री मनोज कुमार पाण्डेय (अनुपस्थित)-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के थानों में तैनात चौकीदारों को अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन हेतु उन्हें मानदेय दिये जाने व उनके आवागमन को सुगम बनाये जाने हेतु मोटर साइकिल दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

प्रदेश के थानों में नियुक्त समस्त चौकीदार को शासनादेश संख्या-1393पी/छ-पु0-6-12-1 सी0एम0/12, दिनांक 24-09-2012 द्वारा मानदेय रु0 1500/- प्रतिमाह प्रदान किया जा रहा है। ग्राम चौकीदारों को टार्च परिचय-पत्र के साथ-साथ साइकिल की सुविधा उपलब्ध है। अतएव उन्हें आवागमन हेतु मोटर साइकिल दिये जाने की नियमों में व्यवस्था नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

***02-श्री संजय गर्ग-**

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

***03-श्री नितिन अग्रवाल-**

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में अधूरे लोहिया आवासों को पूरा कराने की मांग

***04-श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गत सरकार द्वारा चयनित लोहिया आवासों की किश्तें रोक दी गयी हैं ? यदि हां, तो रोकने का कारण क्या है ? क्या सरकार अधूरे लोहिया आवासों को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा0 महेन्द्र सिंह)-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

जी हां।

राज्य स्तर से सभी जनपदों द्वारा स्वीकृत आवासों के सापेक्ष द्वितीय किश्त अवमुक्त कर दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

[11.00 बजे]

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 अध्यक्ष जी, चाहें जो भी सरकार रही हो, या जो भी योजनाएं रही हों। सरकारी आवास जो लोगों को दिये जाते हैं, वे बहुत ही गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को ही चयनित करके दिये जाते हैं। पिछली सरकार में लोहिया आवास योजना में जिन लोगों का चयन हुआ, उसमें पहली किस्त अवमुक्त हुई और चयन हुए लोगों को पहली किस्त मिल गयी पर आज लगभग डेढ़ साल बीत जाने तक अभी दूसरी किस्त उन लोगों को नहीं मिली। इस पर मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन में बताया, जवाब भी मुझे मिला कि दूसरी किस्त अवमुक्त हो चुकी है पर मेरा सवाल सीधा सा है कि एक-डेढ़ साल के बाद यह दूसरी किस्त अवमुक्त हुई है, इस विलम्ब की क्या वजह थी ? इस विलम्ब के लिए जो लोग जिम्मेदार थे क्या उन पर कोई कार्यवाही की जायेगी, पहला सवाल ? दूसरा सवाल यह है कि डेढ़ साल में आवास निर्माण की जो कास्ट/लागत बढ़ गयी है, चाहे वह बालू हो, सीमेण्ट हो, ईंट हो, उनकी जो डेढ़ साल में कास्ट बढ़ी है, और हम सब लोग, जितने भी सदस्य यहां मौजूद हैं इस सदन में, सबके सामने यह समस्या है और सबसे बड़ी बात यह है कि जी0एस0टी0 वैट लग गया है तो क्या इन आवासों के लिए जो शेष किस्त अब अवमुक्त हुई है, इसके अतिरिक्त इस कास्ट पर, बढ़ी कास्ट (जी0एस0टी0 को देखते हुए) पर कुछ अतिरिक्त धन का प्रावधान करने के लिए सरकार केंद्र सरकार से या अपने मद से इनको देने का प्रयास करेगी।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं तो सोचता था, कि मा0 सदस्य इस बात के लिए हमको धन्यवाद देंगी कि हमने उनके आवासों को पूरा करा दिया। जो उस सरकार में दिये गये थे। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे पास फीगर है, हमने 98-99 प्रतिशत लोगों को द्वितीय किश्त अवमुक्त कर दी है। इसमें यह व्यवस्था है कि जो पहली किश्त की धनराशि दी गयी उसके खर्चे का सत्यापन जब करा लेते हैं उसके बाद ही दूसरी किश्त दी जाती है। इसी वजह से यह देरी हुई है इसके अलावा और कोई कारण नहीं था और जहां तक अतिरिक्त देने का सवाल है तो मान्यवर, बजाय धन्यवाद देने के हमको यही सुनने को मिल रहा है। मेरा यह कहना है कि इसमें और कुछ शेष नहीं है इसमें पूरी तरीके से हमने इस बात का प्रयास किया कि सभी जनपदों में जितने भी लोहिया आवास हैं उनको पूर्ण करा दिया जाये। इसमें सत्यापन की वजह से देरी हुई है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्रत्येक लोहिया आवास में सौर ऊर्जा लगाये जाने की व्यवस्था थी। क्या माननीय मंत्री जी, जिन आवासों में सौर ऊर्जा नहीं लगाया गया है उनमें सौर ऊर्जा लगाये जाने के लिए धन देंगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, लोहिया आवास में यह सौर ऊर्जा लगाने वाली बात हमको आज पता चली क्योंकि हमने भी जो लोहिया आवास बनवाये थे, उसमें जितने भी गांव लोहिया आवास में चयनित किये गये थे, उसमें तो सौर ऊर्जा की व्यवस्था थी, लेकिन लोहिया आवासों में सौर ऊर्जा की व्यवस्था थी, यह हमको आज ही पता चला।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय मंत्री जी, लोहिया गांवों में सौर ऊर्जा आबादी के अनुपात में कहीं 8, 10 कहीं 12 लगते थे। लेकिन जो इंडिविजुवल लोहिया आवास स्वीकृत हुये थे उनमें भी 15 हजार रुपये का अलग से प्राविधान सौर ऊर्जा के लिए किया गया था। (एक सदस्य ने कहा कि 21 हजार रुपये था।) हो सकता है 21 हजार हो। दो-तीन वर्षों में कुछ लोहिया आवास में सौर ऊर्जा लग भी गये थे, अतिंम वाले में लोहिया आवास में सौर ऊर्जा का पैसा नहीं गया है। हमारा आग्रह है कि चूंकि इंडिविजुवल अलग-अलग लोग कहीं खेत में, कहीं खलिहान में आवास बना लेते हैं, वहां बिजली नहीं है तो कृपा करके आप वहां पर लोहिया आवास में सौर ऊर्जा दे दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसको जरूर दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि दूसरी किश्त जारी हो गयी है, तो धन्यवाद तो हम और किसी बात का देना चाहते हैं, हमने तो यह भी कहा था, कि मा0 विधायकों की भी कुछ सोच लें उनकी भी निधि बढ़वा दें तो एक साथ हम सब लोग मिल करके इनको धन्यवाद दे देंगे। (प्रतिपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायीं।)

प्रदेश के शहरी क्षेत्र के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के रिक्त पदों को भरने की कार्य योजना

***05-सुश्री अदिति सिंह-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शहरी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान में अध्यापकों की भारी कमी हैं ? यदि हाँ, तो निकाय परिवर्तन हेतु विगत वर्ष में शासनादेश के बाद भी सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में अध्यापकों का स्थानान्तरण रोका गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार शिक्षण हित में ग्रामीण निकाय से शहरी निकाय में अध्यापकों का स्थानान्तरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती अनुपमा जायसवाल)-

प्रदेश के शहरी क्षेत्र के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप अध्यापकों के पद रिक्त हुए हैं।

शासनादेश संख्या-3002/79-5-16, दिनांक 20-12-2016 द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों का ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में समायोजन की प्रक्रिया दिनांक 31-03-2017 तक पूर्ण की जानी थी किन्तु चुनाव आचार संहिता के कारण पूर्ण नहीं हो सकी।

उक्तवत्।

सम्प्रति कोई नीति विचाराधीन नहीं है।

उक्तवत्।

सुश्री अदिति सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि जो शासनादेश 2016 में जारी हुआ था और आप बता रही हैं कि आचार संहिता लग जाने के कारण मार्च, 2017 के बाद इसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तकरीबन एक साल हो गया है तो क्या मा0 मंत्री जी अभी तक आचार संहिता लगी हुई है ? एक साल में कितने पद रिक्त हुये हैं और इनको क्यों नहीं भरा गया, शासनादेश का एक साल में क्यों नहीं फॉलो किया गया है ? आपने उत्तर के प्रथम भाग में कहा कि रिटायरमेंट के कारण सारे पद रिक्त हुये हैं तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि कितने लोग रिटायर हुए हैं और कितने पद रिक्त हुये हैं इसका डिफरेंस क्या है ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

आदरणीय अध्यक्ष जी, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदोन्नति के माध्यम से भर्ती की जाती है। चूंकि अभी मा0 सदस्य ने जानना चाहा है कि आचार संहिता लगने के कारण नहीं हुआ था, काफी समय हो गया इसे होना चाहिए। हम भी इस बात से सहमत हैं। परिषदीय अध्यापकों की अर्न्तजनपदीय स्थानान्तरण की प्रक्रिया गतिमान है। इसके साथ इसी बीच तमाम तरह की समस्याएं आईं। शिक्षा मित्रों का मसला आया, उपर्युक्त अन्तार्जनपदीय स्थानान्तरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र के शिक्षकों का विकल्प के आधार पर समायोजन की कार्यवाही की जायेगी।

सुश्री अदिति सिंह-

मैं माननीय मंत्री जी से बस यह पूछना चाहती हूँ कि क्या इसमें कोई समय-सीमा तय की गई है। जिस टाईम-लाईन में यह ट्रांसफर होंगे। अगले तीन महीने में, 6 महीने में।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

अध्यक्ष जी, एक सवाल मेरा भी ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

पूछिये।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि शासनादेश की कापी तो मेरे पास है। जनपद श्रावस्ती में आपकी बी0एस0ए0 ने 94 लोगों का एक ब्लाक से दूसरे ब्लाक में ट्रांसफर कर दिया। जब शासनादेश है कि एक टीचर दूसरे जगह पर नहीं जा

सकता तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसे बी0एस0ए0 के ऊपर कोई कार्यवाही करेंगी ? या विजिलेंस से इसकी जांच करायेंगी। अगर आप चाहें तो मैं सदन में उन अध्यापकों का नाम भी पढ़ कर सुना सकता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न चूंकि एक जिले विशेष का नहीं है।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

आप एक ब्लाक से दूसरे ब्लाक में भी नहीं कर सकती हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप हमारी बात सुनिये। आप यह जो विषय है माननीय मंत्री जी को उपलब्ध करा दीजिये वह जांच करा लेंगी।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

इसकी जांच क्या माननीय मंत्री जी करायेंगी।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

आदरणीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि एक ब्लाक से दूसरे ब्लाक में ट्रांसफर किये गये हैं। जो ट्रांसफर की ऑन लाइन व्यवस्था है वह न तो एक ब्लाक से दूसरे ब्लाक में ट्रांसफर किया जा सकता है न एक जनपद से दूसरे जनपद को किया जा सकता है। अगर कहीं भी इस तरह की अनियमितता की कोई शिकायत है तो माननीय सदस्य मुझे रिटेन में देंगे, उसकी जांच कराई जायेगी और जांच कराने के बाद कोई दोषी पाया जायेगा तो उसको बख्शा नहीं जायेगा। दूसरी बात यह है कि जो मूल प्रश्नकर्ता सदस्य ने पूछा है कि कोई समय-सीमा निर्धारित है ? तो मैंने बताया कि चूंकि अध्यापकों की अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण की प्रक्रिया गतिमान है और हमें लगता है कि लगभग एक महीने के भीतर जिस तरीके से तैयारियां हैं और काम चल रहा है एक महीने के भीतर यह ऑन लाइन की प्रक्रिया जो ट्रांसफर की है वह पूर्ण हो जायेगी। इसके बाद हम ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र से शिक्षकों से विकल्प मांगेंगे। शिक्षक अगर आना चाहते हैं तो अतिशीघ्र उसको भी पूरा करके कार्यवाही इसके ऊपर बहुत ही शीघ्र की जायेगी।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय मंत्री जी थोड़ा इसका स्पष्ट उत्तर दे दें। प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति कितने छात्र संख्या पर एक अध्यापक की नियुक्ति का मानक है और उस मानक के आधार पर अध्यापकों की नियुक्ति है ? अगर नहीं है या जहां छात्र संख्या बहुत कम है वहां पर भी मानक के आधार पर नहीं बल्कि उनकी इच्छा के अनुसार अध्यापकों की संख्या है तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगीं कि जो नगरीय क्षेत्र में नगर पालिकाओं में प्राथमिक विद्यालय हैं जो टूटने की कगार पर हैं जहां पर छात्रों की संख्या बहुत कम है लेकिन उस मानक जो आप बतायेंगीं उस मानक के आधार पर वहां पर अध्यापकों की संख्या उतनी नहीं रहनी चाहिए। क्या इसकी जांच करायेंगी कि नगरीय क्षेत्रों में जो नगर पालिका के विद्यालय हैं जहां पर प्राइमरी पाठशाला

में एक भी विद्यार्थी कहीं नहीं है, लेकिन अध्यापक अपने बच्चे को पढ़ाने-लिखाने के लिये शहरों में ही रहना चाहते हैं और शहरों में ही अपना ट्रांसफर लेते हैं। क्या इसकी जांच करवायेंगे कि नगरीय क्षेत्र में जहां पर नगर पालिका, नगर पालिका परिषद् के विद्यालय हैं और जो आपका मानक है कि कितने छात्र पर एक अध्यापक होना चाहिए अगर वह छात्र संख्या पूर्ण नहीं है नगरीय विद्यालयों में तो क्या उन अध्यापकों को वहां से हटाने का काम करेंगी।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार बनने के बाद जो यह विसंगति आपने बताई है कि छात्र और शिक्षक अनुपात सही करने के लिये ही सरकार ने यह तय किया था कि सबसे पहले वह समायोजन की प्रक्रिया निर्धारित करेंगी। जहां पर छात्र ज्यादा हैं शिक्षक कम हैं और कहीं-कहीं ऐसा है कि शिक्षक अधिक है और छात्र कम हैं ऐसी जगहों को समायोजन के माध्यम से, अनुपात को ठीक करने का काम किया जाएगा, उसके बाद अन्तर्जनपदीय ट्रांसफर होंगे, एक ब्लाक से दूसरे ब्लाक को इसी तरह से व्यवस्थित किया जाएगा तदोपरान्त फिर एक जनपद से दूसरे जनपद को अन्तर्जनपदीय ट्रांसफर करके शिक्षक छात्र के अनुपात को सही करने का काम किया जाएगा लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, इस समायोजन पर और अन्तर्जनपदीय ट्रांसफर दोनों पर रोक लग जाने के कारण अब अन्तार्जनपदीय ट्रांसफर में देरी हो रही थी इसलिए सोचा गया कि पहले इसको पूरा कर लिया जाए और बाद में जैसे ही रोक हटेगी चाहे नगरीय क्षेत्र के विद्यालय हों चाहे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय हों यहां पर जरूर छात्र शिक्षक अनुपात सही करके सुचारु रूप से पठन-पाठन की व्यवस्था की व्यवस्था हो ऐसा सुनिश्चित किया जाएगा।

***06-श्री रितेश पाण्डेय-**

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

प्रदेश के इण्टर कालेजों में विज्ञान, कृषि विज्ञान या वाणिज्य की पढ़ाई हेतु उचित व्यवस्था की मांग

***07-श्री देवमणि द्विवेदी**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ज्यादातर राजकीय व प्राइवेट इण्टर कालेज में विज्ञान, कृषि विज्ञान या वाणिज्य की पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है ? क्या इस कमी एवं असन्तुलन को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्य मंत्री, माध्यमिक शिक्षा विभाग (डा0 दिनेश शर्मा)-

प्रदेश के समस्त राजकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त एवं अशासकीय गैर सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में हाई स्कूल (कक्षा 9 व 10) स्तर पर विज्ञान विषय अनिवार्य के रूप में लागू है जिसका अध्ययन-अध्यापन प्रत्येक विद्यालय द्वारा कराया जा रहा है।

हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट स्तर पर कृषि विज्ञान एवं वाणिज्य विषय वैकल्पिक विषय के रूप में निर्धारित हैं। जिन विद्यालयों को कृषि एवं वाणिज्य वर्ग के विषयों की मान्यता प्राप्त है उनमें इनका अध्ययन-अध्यापन सुचारु रूप से हो रहा है।

प्रदेश के 361 राजकीय बालिका इण्टर कालेज एवं 226 राजकीय इण्टर कालेजों में से अधिकांश विद्यालयों में इण्टर स्तर तक विज्ञान एवं वाणिज्य की पढ़ाई करायी जा रही है।

जिन विद्यालयों में विज्ञान, कृषि विज्ञान एवं वाणिज्य विषय की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, वहां विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग के प्रवक्ता पदों के सृजन पर विचार किया जाएगा।

तदैव।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री देवमणि द्विवेदी-

मा0 मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट हूँ।

***08-श्री अजय कुमार 'लल्लू'**

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं को बीमारी से बचाने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सालय खोलने की कार्य योजना

***09-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-**

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं को बीमारी से बचाने हेतु सरकार ने कोई प्रभावी कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार पशुओं के समुचित इलाज हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सालय खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई पशुधन मंत्री (श्री एस0 पी0 सिंह बघेल)-

जी हां।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं को बीमारी से बचाने हेतु विभाग द्वारा पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य अन्तर्गत पशुओं में एफ0एम0डी0, एच0एस0, पी0पी0आर0 टीकाकरण एवं एण्टी रैबीज टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश मे संचालित 2202 पशु चिकित्सालय, 267 'द' श्रेणी पशु औषधालयों एवं 2575 पशु सेवा केन्द्रों के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है तथा 821 विकास खण्ड स्तरीय पशु चिकित्सालयों के माध्यम से बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवायें अन्तर्गत पशुपालकों को अपेक्षित सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

1-प्रतिवर्ष लगभग चार करोड़ पशुओं में एच0एस0 टीकाकरण का कार्य मानसून से पूर्व एवं पश्चात किया जाता है।

2-एफ0एम0डी0 टीकाकरण का कार्य भारत सरकार के सहयोग से प्रतिवर्ष दो चरणों में किया जाता है एवं प्रति चरण 4.76 करोड़ पशु आच्छादित किये जाने का लक्ष्य है। 21वें चरण में 4.76 करोड़ पशुओं का टीकाकरण माह सितम्बर-नवम्बर, 2017 में किया गया है।

3-प्रतिवर्ष लगभग एक करोड़ साठ लाख भेड़ एवं बकरियों में पी0पी0आर0 टीकाकरण का कार्य किया जाता है साथ ही वर्ष 2017-18 में पांच लाख रैबीज टीकाकरण किया जाना लक्षित है।

पशु चिकित्सालय की स्थापना वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में प्राविधानित बजट के अनुसार विभाग द्वारा प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए 15000 पशुओं की संख्या एवं एक संस्था से दूसरी संस्था की दूरी 09 किलोमीटर पर एक पशु चिकित्सालय खोलने का मानक निर्धारित किया गया है। पशु चिकित्सालय खोलने की सतत् प्रक्रिया जारी है।

प्रश्न नहीं उठता।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के जवाब से मैं संतुष्ट हूँ इसके बावजूद भी एक जिज्ञासा मन में है, यह बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवायें, जो लिखा है इसके संबंध में मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी इसको स्पष्ट कर दें माननीय मंत्री जी, जिस तरीके से एम्बुलेंस सेवा है क्या इसी तरीके से पशु की चिकित्सा के लिए कोई इमरजेन्सी की सुविधा डाक्टरों की टीम के साथ दवाइयों के साथ, पशुओं की चिकित्सा के लिए उपलब्ध है ? माननीय अध्यक्ष जी, पशुओं के साथ-साथ जो पशु चिकित्सालय और पशु सेवा केन्द्र हैं, यह दोनों भी बीमार हैं, इनकी बिल्डिंगें जर्जर हैं, कहीं किराये पर हैं, कहीं ध्वस्त हो गयी हैं तो क्या इनका भी इलाज होगा ?

श्री एस0 पी0 सिंह बघेल-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा माननीय सदस्य ने सचल चिकित्सा के बारे में पूछा है। हमारे पास 667 के आस-पास एम्बुलेंस हैं, जिसमें 830 ब्लाकों में से लगभग 667 ब्लाकों को आच्छादित किया गया है। शेष जो बचे हैं, उनकी गाड़ियां खरीद ली गयी हैं। अगले महीने तक उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ब्लाक पर और पूर्व सरकार ने भी 600 के आस-पास किया था। शेष जो बचे हुए ब्लाक हैं, गाड़ियां खरीद ली गयी हैं, उसमें टीकाकरण के लिए, इलाज के लिए, बीमा के लिए और पशु संबंधित कोई भी समस्या होगी तो अगले महीने 10-15 दिन के अंदर हम उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ब्लाक को सचल वाहन उपलब्ध करा देंगे। जो पशु सेवा केन्द्र और डिस्पेन्सरी के बारे में आपने चिन्ता जाहिर की है। कोई नया अस्पताल उत्तर प्रदेश में इसलिए नहीं बन पा रहा है, क्योंकि डॉक्टरों के पद स्वीकृत नहीं हो पा रहे हैं। लगभग डेढ़ सौ-दो सौ चिकित्सकों के पद रिक्त हैं, हम लोगों ने लोक सेवा आयोग को पत्र लिखा है, लेकिन जहां पर पद स्वीकृत होंगे, वहीं पर अस्पताल खुल सकता है, फिर भी जो भवन जर्जर थे अथवा किराये पर थे और जहां पर पी0डब्ल्यू0डी0 के द्वारा यह लिख कर दिया गया है कि भवन किसी समय भी गिर सकता है, ऐसे 160 भवनों को चिन्हित किया है जो निर्माणाधीन हैं और 92 भवन छोटी-मोटी मरम्मत के लिए हम लोगों ने चिन्हित किये हैं और इसी प्रकार से जो पशु सेवा केन्द्र हैं, वहां पर भी 92 जगह पर मरम्मत का कार्य जारी है।

***10-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-**

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में लोक सभा, विधान सभा निर्वाचन नियमावली को स्थानीय निकाय चुनाव/पंचायत चुनाव में भी लागू करने की मांग

***11-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लोक सभा, विधान सभा निर्वाचन नामावलियां और नगर पालिका, ग्राम सभा की निर्वाचन नामावलियां अलग होने के कारण सरकारी धन

का दुरुपयोग हो रहा है व अलग-अलग निर्वाचन नामावली में अलग-अलग नाम दर्ज होने के कारण विवाद होता है ? यदि हां, तो क्या जनहित में सरकार लोक सभा, विधान सभा निर्वाचन नामावली को स्थानीय निकाय चुनाव/पंचायत चुनाव में भी लागू करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायतीराज राज्य मंत्री (श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी)-

जी नहीं।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि गोपन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-4/4/2/2018-सी0एक्स0 (1), दिनांक 13 मार्च, 2018 राज्य में समय-समय पर होने वाले विभिन्न निर्वाचनों के सम्बन्ध में वर्तमान में प्रभावी व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किए जाने तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार कराई जाने वाली मतदाता सूची का प्रदेश के ग्रामीण/नगरीय निकायों के निर्वाचनों में उपयोग किए जाने हेतु मा0 मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0 प्र0 की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। समिति की संस्तुतियों के अनुसार विचारोपरान्त अग्रिम कार्रवाई की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि प्रश्न का जवाब आपने दिया है जी नहीं और उसके बाद आपने कहा है कि कमेटी बना दी गयी, उसकी संस्तुतियों पर हम निर्वाचन नामावली 1 हो या 2 हो या न हो, इस पर विचार करेंगे। मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि लोक सभा निर्वाचक नामावली जो छपती है, उसका भुगतान दिया जाता है, आपने जवाब दिया है कि जी नहीं, वह पंचायत राज, नगर पालिका या नगर निगमों की मतदाता सूची छपती है, क्या उसका भुगतान सरकार नहीं करती है ? यह आप स्पष्ट जवाब देख लीजिए कि अधिकारियों ने आपको क्या लिख कर भेजा है? अगर स्थानीय निकाय या ग्राम समाज की सूचियों का भुगतान राज्य सरकार न दे रही हो, फ्री में किया जा रहा हो, तब तो अलग बात है नहीं तो धन का दुरुपयोग हो रहा है और कई जगह एक मतदाता ग्रामीण क्षेत्र में वोटर अलग है और नगर पालिका का अलग है। कई चुनावों के बाद याचिका आ जाती है कि इनका नगर में वोट है और ग्राम पंचायत चुनाव का चुनाव लड़ गये किसी का गांव में वोट है और नगर पालिका का चुनाव लड़ गये। यह कई याचिकायें मा0 न्यायालय में पेंडिंग पड़ी हुई हैं। मा0 अध्यक्ष जी, प्रश्न का उत्तर सही नहीं है, इसमें लिखा है जी नहीं, भुगतान तो दो बार होता ही है और वोटर एक है तो कृपा करके ऐसे गलत उत्तर न आयें, ऐसी व्यवस्था आप कर दें।

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी विद्वान माननीय सदस्य का जो प्रश्न है उस प्रश्न में जो उन्होंने पूछा है कि क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लोक सभा, विधान सभा निर्वाचन नामावलियों और नगर पालिका ग्राम सभा की निर्वाचन नामावलियां अलग-अलग होने के कारण सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। मैं यह मानता हूँ कि यह निर्वाचन नामावलियां अलग-अलग हैं लेकिन सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है और अलग-अलग निर्वाचन नामावलियों में अलग अलग नाम दर्ज होने के कारण विवाद होता है सरकार इससे सहमत नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या नगर पालिका और ग्राम सभा की जो मतदाता सूची होती है इसका भुगतान राज्य सरकार नहीं देती है। दुरुपयोग यानी बंदरबांट की बात नहीं है दुरुपयोग से मेरा आशय बंदरबांट से नहीं है। दुरुपयोग का आशय यह है कि वही मतदाता और वही सूची दो जगह बन रही है तो क्या स्थानीय निकाय की जो सूची बनती है नगर पालिका की और ग्राम सभा की उसका भुगतान राज्य सरकार नहीं करती है। दुरुपयोग में बंदरबांट का आशय नहीं है। एक काम का दो बार भुगतान हो रहा है। वोटर एक है।

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी लम्बे कालखण्ड से यह स्थिति चली आ रही है। माननीय सदस्य का जो प्रश्न है उसका मैंने सीधा स्पष्ट जवाब दिया है कि नामावली अलग-अलग है उस पर धनराशि भी बियर होती है ऐसा नहीं है। लेकिन सरकारी धन का दुरुपयोग और अलग-अलग निर्वाचन नामावली में अलग-अलग नाम दर्ज होने के कारण विवाद होता है तो सरकार की ओर से उत्तर आया कि जी नहीं।

श्री मोहम्मद असलम "राइनी" (एडवोकेट)-

माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक सूक्ष्म प्रश्न करना चाहता हूँ। अक्सर कोई भी बी0एल0ओ0 या कोई भी कर्मचारी गांव में जाता है तो एक सम्बंधित प्रधान या पुराने प्रधान या ग्राम प्रधान के दरवाजे पर बैठ कर उनके द्वारा लिस्ट तैयार कर ली जाती है और बहुत से नाम छूट जाते हैं ऐसी स्थिति में क्या माननीय मंत्री जी जिसके नाम छूट जाते हैं और जानबूझ कर छोड़ते हैं क्या माननीय मंत्री जी ऐसी कोई कार्यवाही करेंगे जिसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने खड़ा माननीय सदस्य है जब चुनाव जीतता है तो चुनाव आयोग उसको सर्टीफिकेट देता है और 6 महीने बाद जब नगर पालिका का चुनाव होता है तो मेरा ही नाम और मेरे परिवार का नाम काट दिया जाता है। क्या ऐसे लोगों को पनिशमेंट करेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी माननीय मंत्री जी के उत्तर में जो एनेक्सर है वह देख लें अगर हम वर्तमान व्यवस्था से संतुष्ट होते तो हम समिति क्यों बनाते इसी सरकार ने अभी 13 मार्च को हमारे एक कैबिनेट मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है उस समिति को जो कार्य सौंपा है वह तीन कार्य हैं। विभिन्न निर्वाचनों की वर्तमान व्यवस्था में सुधार किए जाने पर विचार। विभिन्न निर्वाचनों को कराए जाने की समय सारिणी पर विचार और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार कराई जाने वाली मतदाता सूची का प्रदेश के ग्रामीण नगरीय स्थानीय निकायों के निर्वाचनों में उपयोग किए जाने पर विचार। यह माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है जिस कमेटी में सिद्धार्थ नाथ सिंह जी को मिला कर सात सदस्य हैं। अगर आप कहें तो नाम पढ़ दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

श्री विजय शर्मा, पूर्व सचिव एवं मुख्य सूचना आयुक्त भारत सरकार श्री अनुज कुमार विश्नोई पूर्व सचिव भारत सरकार एवं पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी, प्रो0 बलराज चौहान पूर्व उप कुलपति डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ, श्री विजय वर्मा सेवानिवृत्त जिला जज, श्री मनोहर लाल, सेवानिवृत्त विशेष सचिव, न्याय उत्तर प्रदेश शासन डा0 ए0 के0 तिवारी एसोसिएट प्रो0 डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ यह सात सदस्यीय समिति निर्वाचन से सम्बंधित जितने भी पहलू हैं उनका परीक्षण करके उस सम्बंध में अपनी रिपोर्ट देगी और उस पर सरकार विचार करके कार्यवाही करेगी। अगर हम वर्तमान व्यवस्था से संतुष्ट होते तो यह समिति क्यों बनाते यह समिति अपने आप में इस बात की द्योतक है कि जो व्यवस्था चल रही है उसमें सुधार की आवश्यकता है और सुधार के लिए ही इस समिति का गठन किया गया।

मा0 राइनी साहब ने अभी जो सवाल उठाया है मैं समझता हूँ कि इस समिति की रिपोर्ट में वोटर लिस्ट से संबंधित जितने भी मामले हैं वह सारे के सारे उसमें आ जायेंगे और यह सुविधा सभी लोगों को मिलनी चाहिये। इसीलिये इस समिति का गठन किया गया है।

प्रदेश में जीरो एफ0आई0आर0 दर्ज करवाने की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

***12-श्री नाहिद हसन-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के थानों में जीरो एफ0आई0आर0 दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि जीरो एफ0आई0आर0 दर्ज होने के कितने समय बाद सम्बन्धित थाने को एफ0आई0आर0 प्रेषित कर दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में प्रदेश के थानों पर सभी एफ0आई0आर0 क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (सी0सी0टी0एन0एस0) के कोर अप्लीकेशन साफ्टवेयर (सी0ए0एस0) के माध्यम से पंजीकृत की जा रही हैं, जिसमें एफ0आई0आर0 संख्या अनिवार्य रूप से साफ्टवेयर द्वारा व्युत्पन्न (साफ्टवेयर जेनरेटेड) होती हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नाहिद हसन जी हैं ? वह उपस्थित नहीं हैं।

(सदस्य श्री नाहिद हसन के अनुपस्थित रहने पर)

प्रदेश में एण्टी भू-माफिया अभियान के अन्तर्गत बड़े भू-माफियाओं पर कार्रवाई किये जाने की मांग

***13-श्री लालजी वर्मा-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में एन्टी भू-माफिया अभियान के अन्तर्गत बड़े भू-माफियाओं पर कार्यवाही न करके उसके आड़ में गरीबों के मड़इयों एवं मकानों को गिराकर आवास

विहीन कर दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे गरीबों के हित को देखते हुये उन्हें राहत देने पर विचार करेगी ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं। एण्टी भू-माफिया अभियान का मूल उद्देश्य सरकारी भूमि/सम्पत्ति पर भू-माफियाओं एवं दबंगों द्वारा किये गये अतिक्रमण को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई किया जाना है, न कि गरीब एवं निराश्रित व्यक्ति का उत्पीड़न। शासनादेश संख्या-491/एक-2-1(सामान्य)/2017 टी0सी0, दिनांक 16-05-2017 द्वारा स्पष्ट निर्देश प्रसारित किये हैं कि ''अतिक्रमित भूमि का चिन्हीकरण की कार्यवाही करते समय किसी गरीब, असहाय, एवं कमजोर व्यक्ति का उत्पीड़न न होने पाये। साथ ही अवैध अतिक्रमणमुक्त की कार्रवाई में विधिक प्रक्रियाओं का प्रत्येक दशा में अनुपालन सुनिश्चित किया जाय''।

गरीब एवं निराश्रित व्यक्तियों के उत्पीड़न को रोकने एवं अतिक्रमणमुक्त की कार्रवाई में विधिक प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने तथा ऐसी शिकायतों की जांच कर दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-2/2018/242/एक-2-2018-1(सामान्य)/2017 टी0सी0, दिनांक 19-02-2018 पुनः आदेश प्रसारित किये गये।

उपर्युक्तानुसार।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इस समय यह एक बहुत बड़ी समस्या है। निश्चित रूप से मा0 मंत्री जी ने जवाब दिया कि जी नहीं, लेकिन व्यावहारिक रूप से स्थिति उससे भिन्न है। हमारे क्षेत्र में एक गांव भुवालपुर है, वहां पर 100-120 वर्ष से भी ज्यादा समय से लोग बसे हुये हैं। वह अनुसूचित जाति के लोग हैं और उनके खिलाफ 122 बी का मुकदमा करके एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी गयी। अभी उनको हटाया तो नहीं गया है, उजाड़ा तो नहीं गया है, लेकिन 122 बी का मुकदमा करके और साथ ही साथ थाने में एफ0आई0आर0 भी करा दी गयी है। यह उनका उत्पीड़न है कि नहीं ? इसी तरह से फैजाबाद जिले में गेल्हापुर गांव है और हताड़ीपुर ग्राम सभा है, उसके अन्तर्गत गेल्हापुर पुरवा है। उस मजरे में करीब 120 वर्ष से राजभर समाज के पूर्वज रहते चले आ रहे हैं, लेकिन फर्जीवाड़ा करके अभिलेखों में उसको तालाब दर्ज करके एन्टी भू-माफिया के नाम पर उनको भी हटाया जा रहा है। इस तरह से किसी एक जगह नहीं है, बल्कि प्रदेश की विभिन्न जगहों पर, विभिन्न अंचलों में उनके खिलाफ या तो एफ0आई0आर0 दर्ज हो रही है या उनको हटाया जा रहा है। इसलिये मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस तरह के जो प्रकरण हैं उनको संज्ञान में लेते हुये कोई स्पष्ट निर्देश देने की कृपा करेंगे कि 40 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष से जिनकी आबादियां बसी हुई हैं उनको हटाने की कार्यवाही न की जाए या उनके उत्पीड़न की कार्यवाही न की जाए ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, यह व्यवस्था पूर्व से ही है कि धारा-63 में निर्दिष्ट किसी भूमि पर 29 नवम्बर, 2012 को अगर कोई गृह विद्यमान हो और साथ ही धारा-64 की उपधारा-1 में ही है कि अगर ऐसा कोई गृह 29 नवम्बर, 2000 तक विद्यमान हो तो वह गृह के स्वामी के साथ किया गया

ही समझा जायेगा। लेकिन इसके अलावा भी समय-समय पर विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से शासनादेश संख्या-491/1-2-1 (सामान्य) 2017 पी0सी0, दिनांक 16-05-2017 द्वारा भी स्पष्ट निर्देश प्रसारित किए गये कि अतिक्रमित भूमि की चिन्हीकरण की कार्यवाही करते समय किसी गरीब, असहाय और कमजोर व्यक्ति का उत्पीड़न न होने पाये। साथ ही अवैध अतिक्रमण मुक्ति की कार्यवाही में विभिन्न प्रक्रियाओं का प्रत्येक दशा में अनुपालन सुनिश्चित किया जाये, उसको और भी मजबूत करते हुए पुनः 19-02-2018 को भी आदेश प्रसारित किया गया कि ऐसी शिकायतों की जांच कर दोषी पाये गये अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्व कठोर कार्यवाही की जाये। जैसा उदाहरण आपने दिया अगर ऐसे किसी उत्पीड़न का कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो निश्चित रूप से जांचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी और ऐसे लोगों को जो गरीब लोग हैं जिनको इस तरह से बेदखल किया जाता है तो उन्हें छोड़ा नहीं जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सुषमा पटेल जी।

श्रीमती सुषमा पटेल-

धन्यवाद मा0 अध्यक्ष जी। मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी द्वारा जवाब आया कि जी नहीं, एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स के पास किसी गरीब, कमजोर व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं हो रहा है, तो मैं मा0 मंत्री जी को बताना चाहूँगी कि जनपद जौनपुर में हमारी विधान सभा मुंगरा बादशाहपुर में ग्रामसभा रामपुर में तीन गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास मिला था और एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स के तहत एस0डी0एम0 मछलीशहर ने जाकर उन तीनों गरीब परिवारों का जो प्रधानमंत्री आवास था उसे जे0सी0बी0 से गिरवा दिया, यह कहकर कि उन्होंने मकान परती पर बनवाया है जबकि वह 40 साल से वहां पर काबिज थे और रह रहे थे। उनकी अपनी खुद की जमीन नहीं है और प्रधानमंत्री आवास योजना की गाइडलाइन है कि अगर उस व्यक्ति के पास अपनी खुद की जमीन न हो तो उसे तहसील से पट्टा दिला कर उसका मकान पूर्ण कराया जाये। इसका समाधान निकालने के बजाये एस0डी0एम0 ने जाकर इन तीनों गरीब परिवारों का आवास गिरा दिया और आये दिन इनको धमकाया जा रहा है कि अगर तुमने किसी से शिकायत की तो तुम्हारे खिलाफ एफ0आई0आर कराकर तुम्हें जेल में डाल दिया जायेगा। मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहूँगी कि क्या मा0 मंत्री जी उसकी जांच कराकर उस एस0डी0एम0 के खिलाफ कार्यवाही करेंगी ? और जो सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है क्या उस अधिकारी के वेतन से उन तीनों गरीब परिवारों का पुनः आवास का निर्माण कराया जायेगा ?

मा0 अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी आप इनके मामले पर जांच करा लीजिए।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी सर।

मा0 अध्यक्ष-

मा0 नेता प्रतिपक्ष।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, गांवों में एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गयी है। जो गरीब लोग हैं, उनको कहीं पर भी रहने के लिए जगह नहीं मिली है। गांव के लोगों ने उन लोगों से कह दिया कि जाकर वहां बस जाओ तो वह बस गये। अब जो सूचना लेखपालों के यहां गयी है, हर गांव में लेखपाल हैं जो सर्वे कर रहे हैं कि कौन घर गढ़ही में है, कौन घर पोखरे में है, कौन घर परती में है, कौन घर गांव समाज की भूमि में है। श्रीमन् ऐसे प्रकरण उभर कर आ रहे हैं कि जो बीस गांव कहलाते हैं, जो पुराने बाशीन्दे हैं उनमें भी कईं ऐसे घर है जिनको लेखपाल ने कह दिया है कि गढ़ही में है जबकि 50 वर्ष से, 100 वर्ष से, 200 वर्ष से गांव वहीं पर है। रोज उन गरीब लोगों पर दबाव बनाया जाता है कि तुम्हारा मकान गिरा दिया जायेगा। ये सबके क्षेत्र में हो रहा है ये नहीं कि सिर्फ हम ही लोग कह रहे हैं। आज हर तहसील से घर गिराने वाली जे0सी0बी0 मशीन चली गयी है। कैसे चली गयी? हम लोगों ने हाथ-पैर जोड़े कि साहब इसे बचाइये, हम लोग सरकार से बात करेंगे। कोई ठीक अधिकारी रहा तो मान भी गया, जो नहीं ठीक रहा उसने घर गिरा भी दिया। तो ये आतंक का वातावरण, भय का वातावरण उत्पन्न हो गया है और एक दोहन भी शुरू हो गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से जरूर निवेदन करूँगा कि ऐसे मामले पर गंभीरता से विचार करें। जैसे इन्होंने एक बार कहा था कि हमको सूचना दीजिएगा कि यदि कोई किसान अपने खेत से मिट्टी घर लेकर आ रहा है, और यदि उसको कोई पुलिस प्रताड़ित करती है तो उस पर कार्यवाही की जायेगी, लेकिन गरीब लोगो को प्रताड़ित तो लगातार किया ही जा रहा है। इतने लोग हैं कितनी सूचना हम लोग दें। यह हो रहा है तो इस पर थोड़ा गंभीरता से आप सोच विचार करें। जब जमींदार लोग थे जमींदारी के जमाने में, राजा हुआ करते थे, तो उन्होंने गरीब लोगो से कहा कि हमारी जमीन पर जाकर बस लो। मेरे ही क्षेत्र में ऐसे कई गांव हैं जो झोपड़ी में बसे हुये हैं, 100-100 बरस से लेकिन वह जमीन अभी भी इस वक्त जमींदार के नाम पर है। यह गरीब लोग हैं, यह छप्पर में रहते हैं। उदाहरण के लिए बताना चाहता हूँ कि हमारे यहां एक डीह गांव है उसमें गढ़ई और पोखरे की बात आ रही है। तो कई ऐसी परिस्थितियां हैं गांवों में इस समय वहां पर दहशत का माहौल फैल गया है। कृपया इसको बढ़िया से आप दिखवा लें और वास्तव में जो उत्पीड़न हो रहा है वह न हो। आप एण्टी भू-माफिया की बात करते हैं, भू-माफिया तो वह लोग हैं जिन्होंने जबरिया जमीनों पर कब्जा कर लिया हो। इसका मतलब हम लोग यह लगाते हैं कि किसी ने सरकारी जमीन को हड़प लिया हो या गांव समाज की जमीन का कोई बहुत बड़ा रकबा हो उसको किसी ने हड़प लिया हो। तो इस पर तो कार्यवाही ठीक है, लेकिन जो लोग पचास वर्ष से बसे हैं, बीस बरस से बसे हैं, तीस बरस से, सौ बरस से, दौ सौ बरस से, तीन सौ बरस से बसे हैं लेकिन कागज पर उनका नाम नहीं है उनको किसी प्रकार की जानकारी नहीं है तो उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस पर तत्काल रोक लगाने की कार्यवाही करेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार का किसी गरीब व्यक्ति को किसी निरीह व्यक्ति को, किसी कमजोर व्यक्ति को सताने की और परेशान करने की कोई नियत नहीं है और ना यह प्रक्रिया में

है। मान्यवर, यह बिल्कुल सही है कि वर्षों से दूसरे के नाम जमीन है, बड़े-बड़े लोगो के नाम जमीन थी और लोग अपने अहलकारों को, अपने अधीनस्थ काम करने वालों को किसी न किसी रूप में सेवा करने वाले को दे देते थे। लेकिन इसके साथ यह भी सही है कि बहुत लोगो ने नाजायज तरीके से गांव समाज की जमीन पर कब्जा कर रखा है, जोत लिया है और उनको परवाह नहीं है कि उनके ऊपर 122-बी का मुकदमा चलेगा। मान्यवर, नाजायज तरीके से तालाब के ऊपर कब्जा कर लिया ऐसे भी लोग हैं, लेकिन जहां तक माननीय नेता विरोधी दल का यह कहना है कि गरीब आदमी जो पचास, साठ साल, सौ साल से रह रहा है उनको परेशान न किया जाये। हम सौ परसेण्ट इस बात से सहमत हैं। हमारा अनुरोध है कि ऐसे लोग परेशान न किये जायें और उन्हें उत्पीड़ित न किया जाये। अब यह विवेचना की बात है और जांच का बिन्दु है लेकिन हम यह जरूर चाहेंगे कि ऐसे लोगो को परेशान न किया जाये। यह हम सुनिश्चित भी करेंगे लेकिन जिन्होंने इन्टेन्सली लोगों को परेशान करने की नीयत से या किसी न किसी रूप से लाभ कमाने की नीयत से अगर नाजायज तरीके से सरकारी जमीन के ऊपर, किसी तालाब की जमीन के ऊपर कब्जा किया है तो मैं समझता हूँ कि अगर उसके ऊपर कार्यवाही हो तो उसका भी आपको समर्थन करना चाहिये।

(विपक्ष के कई सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब तो माननीय मंत्री जी का उत्तर आ गया है। श्री लालजी वर्मा जी, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के प्रस्ताव से हम लोग पूरी तरह सहमत हैं जो भू-माफिया टाइप के लोग हैं जो जमीनों पर कब्जा किये हैं उसको पूरी तरह से खाली कराया जाना चाहिये इससे हम भी सहमत हैं। लेकिन हो रहा है इसके बिल्कुल विपरीत हमने इसी सदन में एक प्रश्न किया था कि जनपद अम्बेडकरनगर की भीटी तहसील में एक गांव है टेमा। तालाब की जमीन को एक भू-माफिया ने अपने नाम से खतौनी में दर्ज करा लिया। मान्यवर, हमने पूछा कि क्या उसको खाली कराकर उसको उससे बेदखल किया जायेगा तो उसका जवाब आया कि कमिश्नर के यहां इसकी अपील किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। यानी कि जो बड़े लोग हैं उनके लिए तमाम तरह की बातें हैं। मान्यवर, स्पष्ट सूचना के तहत मा0 सुषमा पटेल जी ने कहा कि जो प्रधानमंत्री आवास बना था अपनी निश्चित जानकारी के आधार पर सुनिश्चित कहा कि क्या उस पर कार्यवाही होगी। उसी तरह से मैंने दो उदाहरण दिये। एक टण्डा तहसील जिला अम्बेडकरनगर ग्राम भुवालपुर अनुसूचित जाति के लोग लगभग सौ बरस के ऊपर से बसे हुए हैं। मान्यवर, उन लोगों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज हो रही है। दूसरा गेढ़ापुर राजस्व गांव अटारीपुर का तहसील फैजाबाद जिला फैजाबाद वहां पर 120 बरस से राजभर समाज के लोगों की पूरी आबादी बसी हुई है। उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 हो रही है और उनको वहां से उजाड़ा जा रहा है। यह जो सुनिश्चित जानकारी है क्या इसके आधार पर मा0 मंत्री जी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे लोगों को जो लगभग 60 वर्ष, 70 वर्ष, 100 वर्ष से बसे हैं ऐसे लोगों को जो उजाड़ने की कार्यवाही हो रही है या जो उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज हो रही है उसको रोकने के लिए क्या प्रभावी दिशा-निर्देश देने का काम करेंगे ?

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 अध्यक्ष जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

चर्चा तो हो नहीं रही है, लेकिन मा0 नेता विरोधी दल और मा0 वर्मा जी के प्रश्न में सारी बातें आ गई हैं। इस सवाल में क्या रह गया है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मा0 नेता सपा ने जो बात कही थी वर्मा जी की बात उसी बात से मिलती-जुलती है और हम पहले भी इस बात का उत्तर दे चुके हैं कि हम किसी भी गरीब आदमी को, किसी निरीह को, किसी कमजोर वर्ग के व्यक्ति को न परेशान करने की हमारी कोई मंशा है और न ऐसा कोई निर्देश है और हमारी यही कोशिश होगी कि केवल वह लोग जिन्होंने नाजायज तरीके से लाभ कमाने की दृष्टि से सरकारी जमीनों पर कब्जे किये। केवल उन्हीं लोगों को कार्यवाही की श्रेणी में लाया जायेगा और उन लोगों को परेशान न किया जाये जो 50 बरस 100 बरस से गरीब लोग, कमजोर लोग रह रहे हैं। मान्यवर, इस संबंध में हम लोग बातचीत करके कोई रास्ता निकाल लेंगे। यह बात मैं पहले भी कह चुका हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आप कोई नई बात कह रहे थे कि कोई जान नहीं पाया है।

श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस सवाल में यह लिखा है कि प्रदेश में एन्टी भू-माफिया अभियान के अन्तर्गत बड़े भू-माफियाओं पर कार्यवाही न करके उसकी आड़ में गरीबों के मड़ईयों एवं मकानों को गिराकर आवास विहीन कर दिया जाता है। मान्यवर, मेरा सवाल केवल इतना है कि क्या सरकार पूरे सदन को अवगत करायेगी कि कितने भू-माफिया जिनको हम प्रापर्टी-डीलर कहते हैं। जैसा कि हमारे एक साथी बाराबंकी से कुर्सी क्षेत्र से विधायक हैं तो उन्होंने कहा था कि बाराबंकी नोएडा है। मेरी बाराबंकी में कितने प्रापर्टी-डीलरों पर कार्यवाही हुई ? इस पर सवाल बनता है।

श्री अध्यक्ष-

ऐसी सूची नहीं है। इतने प्रश्न हो गये हैं। मेरी समझ में नहीं आता है। आप बैठिए। नहीं आप बैठिए। आपका प्रश्न आ गया है। हम यह नहीं जान पा रहे है कि इसमें और प्रश्न कहां से उत्पन्न हो गये हैं। या तो फिर एक साथ सबका बोलने का मन है।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

क्या एक साथ सभी लोग सवाल पूछेंगे। पारसनाथ यादव जी आप बोलिए।

श्री पारसनाथ यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं सरकार की नीयत पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ। और सरकार की नीयत की प्रशंसा करता हूँ।

(इस बीच श्री उमाशंकर सिंह, श्री अजय कुमार 'लल्लू' सहित विपक्ष के कई सदस्यों के अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर।)

श्री अध्यक्ष-

क्या सब लोग बोलना चाहते हैं। यह प्रश्नोत्तर क्या जब सब लोग खड़े रहते हैं उस तरह होता है ? हमने मा0 पारसनाथ यादव जी को अनुमति दी है।

श्री पारसनाथ यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो हमारी अदालतों में राजस्व विभाग द्वारा जो 122 बी के जो मुकदमें चल रहे हैं उसमें यह जांच करा लें कि ऐसे कितने मुकदमे हैं जिनमें गरीबों के खिलाफ यह 122 बी का मुकदमा किया गया है और बड़े लोगों के खिलाफ नहीं किया गया है। तो उनकी जांच कराने के बाद यह क्लीयर होगा कि 122 बी के कितने मुकदमें चल रहे हैं और ऐसे कितने मुकदमें हैं जो नाजायज रिपोर्ट की गयी है। क्या इसकी जांच करायेंगे और क्या ऐसे मुकदमों को समाप्त करेंगे जो गरीबों के खिलाफ हैं ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी ने कहा है कि जितने भी गरीबों के मामले हैं उन सारे मामलों को कोई कठिनाई न हो, वह दिखवा लेंगे, बीच का रास्ता निकालेंगे। यह तमाम बातें उन्होंने कही हैं।

(इस बीच नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री उमाशंकर सिंह, श्री अजय कुमार 'लल्लू' सहित विपक्ष के कई सदस्यों के अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बोलेंगे जरूर। एक सवाल पर कितना समय लेंगे। नरेन्द्र सिंह वर्मा जी आप बोलिये।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में आरक्षित जमीन पर सरकारी और अर्ध सरकारी जो भवन बन गये हैं, नम्बर-दो, तमाम जगहों पर जहां पर जो परिवार मिल करके एक हुये थे, उन पर ग्राम, तहसील के लोगों ने पटटे दिये जो जमीन आरक्षित थी, नम्बर-तीन, बी0पी0एल0 या गरीब लोग जो किन्हीं कारणों से सैकड़ों वर्षों से आरक्षित जमीन पर बस गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न हमारी समझ में नहीं आया।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, पूरे उत्तर प्रदेश में आरक्षित जमीन जैसे खलिहान, खेल का मैदान, घूर गढढा और तालाब। जिस पर तमाम सरकारी और गैर सरकारी बिल्डिंग भी बनी हुयी हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न हमारी समझ में नहीं आया।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, आरक्षित जमीनों पर पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी एवं अर्धसरकारी भवन जैसे स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी केंद्र जो बन गये हैं इनके अलावा जो पट्टे गरीबों को दिये गये थे परिवार नियोजन के बाद आरक्षित जमीनों पर, और नम्बर-3 जो गरीब बी0पी0एल0 कमजोर लोग हैं जो आरक्षित जमीनों पर बसे हैं क्या सरकार उनका लैण्ड यूज चेंज करके उनके नाम दर्ज करने पर विचार करेगी ?

(श्री उमाशंकर सिंह के अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर।)

श्री अध्यक्ष-

क्या आप भी बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष-

एक वरिष्ठ मा0 सदस्य सवाल कर रहे हैं। मैं उस सवाल को समझने की कोशिश कर रहा था आप बीच में फिर खड़े हो गये। वर्मा जी का प्रश्न है कि जहां कहीं ग्राम समाज की जमीन है और वहां पर गरीबों ने लम्बे समय से कब्जा कर रखा है तो क्या उसके विनियमितीकरण पर सरकार कोई विचार करेगी ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसका जवाब तो हम दो बार दे चुके हैं। आप चाहें तो इसको देख लीजिए। मान्यवर, हमारी मंशा नहीं है किसी गरीब आदमी को परेशान करने की, लेकिन बहुत से ऐसे मामले हैं जिन्होंने पुरानी राजस्व संहिता में वर्ग लोग का कब्जा दिखा कर पूरी जमीन के मालिक बन गये हैं और हम दो बार इस बात का जवाब दे चुके हैं कि किसी गरीब और किसी कमजोर वर्ग के व्यक्ति को तथा ऐसे व्यक्ति को जो निरीह है तथा जो बहुत कमजोर है उसको परेशान करने की हमारी कोई मंशा या नीयत नहीं है। न ही उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहेंगे, लेकिन दोनों को डिफरेंसिएट करने में समय लगेगा। मान्यवर, हर प्रापर्टी डीलर को कौन भू-माफिया बता रहा है? ऐसा मत कहिए। आप जिम्मेदार हैं और विधायक चुनकर आये हैं। प्रापर्टी डीलर और भू-माफिया को एक श्रेणीं में मत रखिए।

***14-श्री मनोज कुमार पारस-**

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

***15-श्री सुखदेव राजभर-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों में हो रही वृद्धि के दृष्टिगत क्या सरकार इसकी रोकथाम हेतु कोई प्रभावी कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

1-प्रारम्भ में प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र (मेरठ, सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़ एवं आगरा परिक्षेत्र) के जनपदों के साइबर अपराध की विवेचनाएं आगरा साइबर इकाई द्वारा तथा शेष (इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी, आजमगढ़, चित्रकूट, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, एवं झांसी परिक्षेत्र) के जनपदों की विवेचना लखनऊ साइबर यूनिट द्वारा की जा रही थी, जो वर्तमान में अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले जनपदों को तकनीकी सहायता प्रदान करने का कार्य कर रही हैं।

2-साइबर अपराधों में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण प्रत्येक जनपद में क्राइम ब्रांच की स्थापना की गयी है एवं क्राइम ब्रांच के अन्तर्गत साइबर क्राइम यूनिट की स्थापना की गयी है, आई0टी0 एक्ट की विवेचनाएं इस सेल द्वारा की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त जिन थानों पर निरीक्षक नियुक्त हैं उन थानों पर सामान्य प्रकृति की साइबर अपराधों से सम्बन्धित विवेचनाएं सम्पादित करायी जा रही हैं।

3-प्रदेश के जनपद लखनऊ तथा गौतमबुद्धनगर में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्थापित किये गये हैं। जनपद लखनऊ में स्थापित थाने के अधीन लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी एवं गोरखपुर जोन के अन्तर्गत आने वाले समस्त जनपद तथा जनपद गौतमबुद्धनगर में स्थापित थाने के अधीन मेरठ, बरेली तथा आगरा जोन के अन्तर्गत आने वाले समस्त जनपद हैं।

4-ऐसे साइबर अपराध जिनकी धनराशि 25 लाख अथवा उससे अधिक है एवं जटिल प्रकृति के हैं तथा जिनकी विवेचना करने में जनपद इकाई को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा हो, की विवेचना उक्त दोनों थानों द्वारा की जा रही है, उक्त दोनों थाने एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश के अधीन कार्य कर रहे हैं।

5-प्रदेश में सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे-फेसबुक, ट्विटर, वाट्सएप, यू-ट्यूब, गूगल प्लस आदि साइट्स के पेज/प्रोफाइल को ब्लॉक कराने एवं उनके दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से परिक्षेत्र मेरठ में सोशल मीडिया कमाण्ड एण्ड रिसर्च सेंटर (एस0एम0सी0आर0सी0) की स्थापना की गयी है। समस्त परिक्षेत्रों एवं मेरठ परिक्षेत्र के समस्त जनपदों को उसके उपयोग हेतु यूजर आई0डी0 व पासवर्ड प्रदान किये गये हैं।

6-प्रत्येक थाना स्तर पर नियुक्त कर्मचारियों को साइबर क्राइम से सम्बन्धित प्रकरणों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण कराया जा रहा है।

7-प्रदेश के विभिन्न बैंकों के खाताधारकों से जालसाजों द्वारा दूरभाष व इण्टरनेट के माध्यम से उनके एटीएम कार्ड का नम्बर व पिन कोड पूछकर धोखाधड़ी करके खातों से पैसा निकालने सम्बन्धी घटित घटनाओं के अनावरण हेतु समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 को निर्देश निर्गत किये गये हैं।

8-इस प्रकार के घटित अपराधों के रोकथाम के लिए अन्य प्रान्तों से भी समन्वय स्थापित कर घटनाओं के अनावराण किये जाने के प्रयास किये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने भी स्वीकार किया है कि साइबर क्राइम में अत्याधिक वृद्धि हुई है। मान्यवर, यह सत्य है कि आज पूरे प्रदेश में और देश में इसका प्रभाव इतना अधिक हो गया है कि तमाम लोगों के खातों से पैसा निकाल लिया जा रहा है। तमाम लोगों का फर्जी आधार कार्ड बनाकर उनके खातों का पैसा निकाला जा रहा है। ऐसी दो-चार घटनाएं रोजाना हर जिले में, हर गांव में हो रही हैं। उसके लिए माननीय मंत्री जी ने एक सिस्टम बताया है कि इसकी जांच-विवेचना के लिए जिला स्तर एवं जोन स्तर पर तमाम अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है और उनकी सूचना दर्ज हो रही है। आज साइबर क्राइम करने वालों ने पूरा एक सिस्टम बना दिया है और जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वह पूरा नेट से जोड़ा गया है, जिसे गूगल कंट्रोल करता है। मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूँ कि आज हमारे बैंक के खाताधारकों का बैंक का खाता नंबर, एटीएम नंबर और बैंक का नाम यह सब बहुत आसानी से मिल जा रहा है, क्योंकि आपने जो योजना चलाई है कि सभी खाताधारकों के खाता नंबरों एवं एटीएम नंबर जो खाते से कनेक्ट रहता है, को आधार कार्ड से जोड़ दिया जाए। जब आप इसे आधार कार्ड से जोड़ दे रहे हैं तो यह पूरा लीकेज हो ही गया। इससे साइबर क्राइम करने वालों के लिए यह सब बहुत आसान हो गया है। जिन जनसेवा केंद्रों पर आधार कार्ड बन रहा है वहां से भी फर्जी आधार कार्ड बन जा रहे हैं। आपने एक बैंक मित्र बना दिया, जो दस हजार रूपए निकालकर दे देगा, उस बैंक मित्र से लोगों को सुविधा हो गयी कि उन्हें बैंक नहीं जाना पड़ रहा, घर बैठे ही पैसा मिल जा रहा है। लेकिन माननीय मंत्री जी आपने जो बैंक खातों, एटीएम नंबर आदि को आधार कार्ड से लिंक करवा दिया है इससे साइबर क्राइम करने वालों को बहुत सुविधा हो गयी है। दूसरा, जो बैंकिंग सिस्टम, नेट द्वारा हो गया है, इससे भी साइबर क्राइम करने वालों को बहुत आसानी हो रही है। इससे भी उन्हें हैंक करने में बहुत आसानी हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से दो प्रश्न करना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से दो प्रश्न करना चाहता हूं कि जो आज साइबर क्राइम करने वालों की संख्या बढ़ रही है चाहे वह बेरोजागारी की वजह से बढ़ रही हो या फिर जिस भी कारण से बढ़ रही हो, कम उम्र के लड़के भी इसमें लिप्त होते जा रहे हैं। यह एक बहुत दुःख का विषय है, एक संकट का विषय है कि आप बैठे हैं और आपके खाते से पैसा निकल जा रहा है और आप उसे रोक भी नहीं पा रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से पचासों बैंक खाताधारकों का पैसा निकाल लिया गया। आज भी अखबारों में निकलता है कि तमाम अधिकारियों से खातों से पैसा निकाल लिया गया, गरीब जनता का पैसा निकाल लिया गया। अतः मैं पहला प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री जी इस आधार कार्ड से जो बैंक खाता नंबर, एटीएम नंबर आदि जोड़ दिए गए हैं जिससे साइबर क्राइम करने वालों को बहुत सुविधा हो गई है, क्या आप आधार कार्ड से बैंक खाता नंबर, एटीएम नंबर आदि से जुड़ी सूचनाओं को विमुक्त करने का काम करेंगे या इसे हटाने का काम करेंगे? कि इसे आधार कार्ड से न जोड़ा जाए, शेष चीजें आप जोड़िए। इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था कि कुछ तो सीकरेसी होनी चाहिए। आप आधार कार्ड से जोड़कर पूरी सीकरेसी को आउट कर दे रहे हैं। सबकुछ पता चल जा रहा है। मैंने माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न किया है कि क्या आप बैंकों के खातों या एटीएम की सूचनाओं को, जिन्हें आप आधार कार्ड के माध्यम से दर्ज करवा रहे हैं, इन्हें आधार कार्ड से न जोड़ा जाए, इसके

लिए कोई निर्देश देंगे या कोई कार्य-योजना बनाएंगे? दूसरा, जो गूगल सिस्टम है, जो आपके फेसबुक आदि को कंट्रोल करता है और अगर वह जांच कर लेता है तो उसमें कुछ भी नहीं है, केवल हल्की-सी पेनाल्टी दे दी जाती है। वह पेनाल्टी जमा करके फिर से शुरू कर देता है, जो आज गूगल कंट्रोल कर रहा है। उसमें किसी बड़ी सजा की व्यवस्था नहीं है। अगर नेटवर्किंग को हैक किया, उस पर आप कार्यवाई करते हैं तो वह दूसरा खाता खोल लेगा। अब तो सबसे बड़ी प्राब्लम है कि आपके पास यूनियन बैंक में, एस0बी0आई0 में, कोआपरेटिव में अगर खाते खुले हैं तो पहले कभी-कभी एक खाते की सेक्रेसी हो जाती थी लेकिन अब तो आपके जितने भी खाते हैं, उन सबको आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है तो मैं फिर जोर देकर पूछ रहा हूं, आप सब कुछ आधार कार्ड से जोड़िए, जर-जमीन, बाग, बाल-बच्चा, औलाद, घर-द्वार सब जोड़ दीजिए, लेकिन क्या आज जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए एक ठोस कदम उठायेंगे कि मैं इसको गुप्त रखूँगा, हमारे बैंक के खाते और ए0टी0एम0, आधार कार्ड से नहीं जोड़े जायेंगे और दूसरा जो गूगल में एक व्यवस्था है कि थोड़ा पेनॉल्टी जमा करने के बाद उनको माफ कर दिया जायेगा, क्या इसमें ऐसे लोगों को कड़ी सजा देने की कोई व्यवस्था करायेंगे? आपने जो बैंक मित्र बनाये हैं, वहां से भी लीकेज हो रहा है। जनसेवा केन्द्रों से फर्जी आधार-कार्ड बन रहे हैं, अभी मैं खुद एक उदाहरण दे रहा हूँ। मेरे क्षेत्र में एक सुघरपुर गांव है, फर्जी आधार-कार्ड बना करके 65 हजार रूपया निकाल लिया गया, आजमगढ़ की बैंक से। मैं उसके आफिस तक गया हूं, बैंक आज तक जांच कर रहा है लेकिन कुछ नहीं हो पाया है। इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि इस साइबर क्राइम को रोकने के लिए क्या कोई स्टेप लेंगे कि जो हमारे बैंक के खाताधारकों को आधार-कार्ड से जोड़ दिए हैं, उनको आप कहीं न कहीं से मुक्त करायेंगे?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, बैंकों के एकाउण्ट को आधार से जोड़ने का फैसला क्या हमारा है? यह भारत सरकार है। इसलिए जो भारत सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विषय आता हो, क्या हम उसके बारे में इस सदन में कोई आश्वासन देने की स्थिति में हैं?

श्री अध्यक्ष-

नहीं।

श्री सुखदेव राजभर-

आपने साइबर क्राइम को रोकने के लिए बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है, मण्डल से लेकर जोन तक और इसमें तमाम अधिकारियों की नियुक्ति की है। साइबर क्राइम बढ़ने का एक कारण मैंने यह भी बताया है और अगर सदन के संज्ञान में लाया जा रहा है कि इसके कारण हमारे खातों का पैसा निकाला जा रहा है और दूसरा कारण यह भी है कि जो नेट बैंकिंग सिस्टम हो गया है, हैक करने वाला उस पूरे नेट सिस्टम को हैक कर लेता है और पैसा निकाल लेता है। माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि यह भारत सरकार की योजना है, मैं मान रहा हूं, आधार-कार्ड की योजना भारत सरकार ने बनायी है, साइबर क्राइम रोकने का एक कारण मैंने आपको बताया, माननीय मंत्री जी, मैं इसके बारे में केवल इतना ही कहना चाहता हूँ और गारण्टी के साथ कहना चाहता हूँ कि आज जनसेवा

केन्द्र और बैंक मित्र जो आपने बनाये हैं और जो आधार-कार्ड बनाये हैं, इन्हीं के कारण आज साइबर क्राइम करने वालों को बहुत मदद मिल रही है। सबसे बड़ा आधार यही बना है और जो विषय आया है, उसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश की जनता के हित में, यहां पर बहुत से ऐसे लोग हैं, जिनके परिचितों के खातों का पैसा निकाला गया है और रोजाना निकल रहा है तो क्या आप इस पर सदन में विचार करेंगे, चर्चा करेंगे कि अगर यह बात संज्ञान में आयी है कि फर्जी आधार-कार्ड बनाकर उनके द्वारा जो लीकेज हो रहा है, हमारे खाताधारकों का, क्या आप इस तरह का एक प्रस्ताव बनायेंगे या संज्ञान में लेंगे कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा में प्रश्नों के माध्यम से यह संज्ञान में आया है कि साइबर क्राइम करने के लिए आधार-कार्ड एक बहुत बड़ा आधार बन गया है, क्या इसके लिए भारत सरकार को कोई प्रस्ताव भेजेंगे?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य की पीड़ा है, वह बिल्कुल सही है। लेकिन मान्यवर, इसके उपचार के लिए हमारे जितने भी विकल्प हैं, हम उन सारे विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे, यह मैं आपसे कह सकता हूँ। लेकिन मान्यवर, अभी सुप्रीम कोर्ट में निजता के अधिकार के ऊपर एक लिटिगेशन में काफी कुछ इस पर बहस हुई थी और इसीलिए आधार-कार्ड को कम्पलसरी नहीं किया गया है। माननीय सदस्य, श्री राजभर जी को यह मालूम भी होगा और मान्यवर, सबसे ज्यादा आवश्यकता जागरूकता की है। जो बैंक से पैसा निकलता है, उसमें अधिकांश लोग किसी न किसी रूप में बैंक के कर्मी बनकर फोन करते हैं और कहते हैं आपका कोई मामला हम सुधार दें, कोई ऐसी समस्या बताते हैं और इन्नोसेन्ट लोग अपना नम्बर बता देते हैं इस चक्कर में बैंक के ज्यादा से ज्यादा एकाउण्ट निकलते हैं जहां तक मेरी भी जानकारी है। मान्यवर, उसके लिए लोगों में स्कूलों में प्रशिक्षण, जागरूकता अभियान और बैंक के बाहर यह बोर्ड लगते हैं कि डू और डोन्ट यानी ये करो और ये मत करो इस प्रकार से सबसे ज्यादा आवश्यकता जागरूकता अभियान की है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सम्बन्ध में अवेयर करने की, जागरूक करने की आवश्यकता है कि आप अपना किसी भी प्रकार से नम्बर न दें और बैंक में जब ए0टी0एम0 इस्तेमाल करें तो ए0टी0एम0 इस्तेमाल करने के बाद उसको कैन्सिल अवश्य कर दें। मान्यवर, बैंकों के बाहर बोर्ड भी लगे हैं और जितने भी विकल्प हमारे पास हैं हम आपकी बात का संज्ञान लेते हैं कि इस प्रकार से विधानसभा में इस बात को उठाया गया और जितने विकल्प हैं हम सब विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ।

श्री मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

माननीय अध्यक्ष जी, बच्चों से जुड़ा हुआ एक साइबर क्राइम के अन्तर्गत मेरा सवाल है।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, साइबर क्राइम के अन्तर्गत माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय अध्यक्ष जी, यह मोबाइल बहुत खतरनाक है और अपने बच्चों को लोग कीमती से कीमती मोबाइल दिलाते हैं। क्या माननीय संसदीय कार्य मंत्री

जी पूरे उत्तर प्रदेश में नाबालिग बच्चों ने जो गलत पोस्ट किया है, उनको यह नहीं पता है कि माननीय योगी जी प्रधानमंत्री हैं कि मुख्यमंत्री हैं, ऐसे गलत पोस्ट करने वाले नाबालिग बच्चों के केस क्या माननीय संसदीय कार्य मंत्री वापस लेंगे जिनकी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। अगर वे नौकरी करना चाहें तो एक एन0सी0आर0 पर उनको नौकरी नहीं मिल सकती है। क्या नाबालिग बच्चों जो 12 से 17 साल के बच्चों ने पोस्ट किया और उनको पनिश्मेन्ट मिला और उनको जमानत करानी पड़ी। ऐसे लोगों के मुकदमें क्या माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी वापस लेंगे। माननीय अध्यक्ष जी बहुत ही हीनियस क्राइम है, बच्चों के साथ और बच्चों से गल्तियां हो जाती हैं और बच्चों ने अगर गलती की तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी जहां सबके मुकदमें वापस ले रहे हैं तो क्या नाबालिग बच्चें जो जानते ही नहीं है कि माननीय योगी जी प्रधानमंत्री हैं कि मुख्यमंत्री हैं गलत पोस्ट कर दिया और उस पर उनको धारा के अन्तर्गत उनको जेल भेज दिया गया, क्या ऐसे लोगों के बच्चों को जो सभी के बच्चें हैं और उसमें माननीय अध्यक्ष जी क्या उनके केस को माननीय मुख्यमंत्री जी वापस लेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न इस मूल प्रश्न से जुड़ा नहीं है।

श्री मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

माननीय अध्यक्ष जी, साइबर क्राइम के अन्तर्गत है और नाबालिग बच्चों के भविष्य का सवाल है, उनका भविष्य बर्बाद हो जायेगा, क्या ऐसे नाबालिग बच्चों के केस को माननीय मुख्यमंत्री जी वापस लेंगे जो 12 साल से लेकर 17 साल के बीच के बच्चें हैं, जिनके ऊपर केस लग चुका है और उनको जमानत करानी पड़ी है। ग्रुप पोस्ट होता है जिसमें एक ग्रुप में डालते हैं और सारे ग्रुप में चला जाता है और फिर वहां के थानाध्यक्ष और वहां के एस0एस0पी0 इनको क्राइम में डाल देते हैं। क्या ऐसे लोगों के केस वापस लेंगे?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे लोगों के सम्बन्ध में जो बच्चों के खिलाफ अपराध है उसके लिए कोर्ट्स भी अलग हैं और उसके लिए विवेचना भी बहुत गहराई से होती है और यह विवेचना का प्रश्न है कि हमने इन्टेन्शनली किसी बात को किया या धोखे से कोई बटन दब गया इसलिए ऐसा हो गया। यह है विवेचना की बात और यह पता भी चल जाता है विवेचक को। मान्यवर, जनरल कोई बात कहना कि केस वापस लेंगे यह ठीक नहीं है लेकिन यह सही है कि केस टू केस यह वैरी करता है कि हमारी इन्टेन्शन क्या थी और इन्टेन्शन के ऊपर लॉ आलवेज पनिशेस इन्टेन्शन। अगर इन्टेन्शन है तभी उस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए तभी विवेचक को उसके खिलाफ चार्जशीट लगानी चाहिए और नही तो इन्नोसेन्टली कोई बटन दब गया मोबाइल का या किसी प्रकार से हो गया तो उसमें बहुतों का दर्जनों केस एक्सझंमट भी हो गये। केस एक्सझंमट होता है तब जब किसी प्रकार की कोई एविडेन्स नहीं होती है या उसकी इन्टेन्शन नहीं होती। इसलिए इस सम्बन्ध में हम अलग से निर्देश भी जारी करवा देंगे कि उनको विशेष रूप से देख लिया जाये।

प्रदेश में सोलर पावर बढ़ाने हेतु कार्य योजना

***16-श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-**

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सोलर पावर बढ़ाने के लिये सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री ब्रजेश पाठक)-

जी हां।

प्रदेश में सोलर पावर बढ़ाने हेतु सौर ऊर्जा नीति-2017 निर्गत की गयी है। उक्त नीति के अन्तर्गत वर्ष 2022 तक सोलर से विद्युत उत्पादन परियोजना का 10700 मेगावाट क्षमता की स्थापना लक्षित है, जिसमें से 4300 मेगावाट क्षमता रूफटॉप सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना से प्राप्त की जायेगी।

उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2017 के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं :-

राज्य के बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल क्षेत्र में स्टेण्ड अलोन सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना पर सोलर पावर परियोजनाओं का ग्रिड संयोजन हेतु निर्माण लागत का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन निम्नानुसार किया जाये :-

05 मेगावाट से 10 मेगावाट क्षमता के लिए 10 किलोमीटर

>10 मेगावाट से 50 मेगावाट क्षमता के लिए 15 किलोमीटर

>50 मेगावाट के लिए 20 किलोमीटर

परियोजना विकासकर्ताओं को सौर पावर परियोजना की स्थापना करते हुए उक्त से उत्पादित विद्युत को 100% कैप्टिव उपयोगार्थ/सामूहिक कैप्टिव उपयोगार्थ अथवा आंशिक उत्पादन को विद्युत वितरण कम्पनी को अथवा तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) को विद्युत विक्रय किया जाना अनुमन्य तथा अन्तर्राज्यीय सौर पावर के विक्रय पर राज्यान्तरिक ट्रांसमिशन तंत्र के लिए क्रास सब्सिडी सरचार्ज एवं व्हीलिंग चार्ज/ट्रांसमिशन चार्ज पर 100 प्रतिशत की छूट होगी।

राज्य में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने एवं निवेश आकर्षित करने हेतु नीति में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में सोलर पार्क की स्थापना को प्राविधानित किया गया है। सोलर पार्कों की स्थापना के लिए विशेष प्रोत्साहन दिये जायेंगे।

राज्य सरकार द्वारा निजी आवासों पर ग्रिड संयोजित रूफटॉप पावर प्लाण्ट संयंत्र की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु रु0 15000/- प्रति किलोवाट अधिकतम रु0 30000/- अनुदान प्रति विद्युत उपभोक्ता को उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। यह अनुदान भारत सरकार द्वारा दिये जा रहे अनुदान के अतिरिक्त होगा।

इस नीति से राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्रथम 100 मेगावाट क्षमता की स्थापना पर दिया जायेगा जिससे अनुमानतः 50000 विद्युत उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।

प्रदेश का बुन्देलखण्ड क्षेत्र सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए अत्यन्त उपयुक्त होने के दृष्टिव्य अधिकांशतः सौर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना इस क्षेत्र में होने की सम्भावना के दृष्टिव्य उत्पादित

सौर ऊर्जा का उपयोग बुन्देलखण्ड क्षेत्र में ही हो सके। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रोजगार सृजन हेतु इस क्षेत्र में उद्योग की स्थापना किये जाने पर उक्त उद्योग को आपूर्ति की जाने वाली विद्युत पावर उचित रूप से अनुदानित टैरिफ पर उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

माननीय मंत्री जी बहुत-बहुत धन्यवाद उत्तर के लिए। मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से दो सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि सरकार की दोनों बातों की क्या नीति है? एक तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो मेन पॉवर कन्जयूमर्स होते हैं वो बड़े उद्योग होते हैं और या मीडियम स्केल के उद्योग होते हैं और छोटे जो उपभोक्ता होते हैं वो क्वानटिटी में बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन उनका टोटल पॉवर कन्जमशन कम होता है। तो मैं यह पूछना चाह रहा था कि जैसे कि हमारे यहां बुन्देलखण्ड जैसे क्षेत्र हैं हमारे प्रदेश में जहां पर भारी मात्रा में सनलाईट की बहुत अच्छी उपलब्धता है टिपिकल एरिया है और दूसरी बात वहां पर ओपन लाईन भी काफी उपलब्ध है चित्रकूट जैसे बांदा जैसे जिलों में काफी लैंड उपलब्ध है। तो जैसे बड़े उद्योग हैं रूफ ऑफ पॉवर एक बात हो गई, कैम्पस एक बात हो गई। लेकिन कभी कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम लोग कनेक्टेड हैं तो बड़े उद्योग चाहे वो हो सकता है हिण्डालको सोनभद्र में हो, लेकिन अगर वो लैंड उनको ऐसी स्कीम दी जाए कि लैंड वो सोनभद्र में बुंदेलखण्ड में ले सके और वो जहां से उनका पॉवर जनरेशन नेट बिलिंग की जाए। जो कनेक्शन हैं और जो वहां पर प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी नेट बिलिंग की जाए। इसकी कोई योजना सरकार की है। हो सकता है कि वो हो सकता हो कि गोण्डा में हो या रायबरेली में हो फैक्ट्री, लैंड क्योंकि इन जगहों पर हो सकता है कि उतनी उपलब्ध न हो। तो ये जो अण्डर डेवलप एरिया हमें आज भी बीघे के रेट पर लैंड मिल सकती है। वहां पर लैंड एक है जो है नेट बिलिंग की जाएगी। क्या इसकी सरकार की कोई स्कीम है? दूसरा जो सवाल है मेरा माननीय मंत्री जी से वो ये था कि जो गुजरात में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ट्राई किया। क्या हमारे उत्तर प्रदेश में उसको ट्राई करने की कोई योजना है कि जैसे कि जो सरकार की तरफ से या अन्य लोग जो पॉवर प्लान्ट लगा रहे हैं वो लैंड जो खरीदते हैं तो उसमें काफी पैसा लगता है जो नहरें हैं नहरों के ऊपर गुजरात में जब सोलर पॉवर प्लान्ट लगाए गए फाइनेंस लगाए गए तो उसका एक लाभ यह मिला कि लैंड एक्वायर नहीं करना पड़ा और दूसरा जो फायदा मिला वो ये मिला कि बिकॉज ऑफ जो नहर की वजह से जो पूलिंग होती है कि फाइनेंस। तो फाइनेंस की इफीशियन्सी इम्प्रूव हो जाती है। तीसरा नहरों में जो पानी है उनका भी वाइब्रेशन कम हो जाता है।

मा0 मंत्री जी से मेरे ये दो सवाल हैं।

श्री ब्रजेश पाठक-

मा0 सदस्य ने उद्योगों के बारे में जो सवाल किया है तो उत्तर प्रदेश सरकार की नई सौर ऊर्जा नीति में स्पष्ट है कि अगर कोई उद्योगपति या अन्य थर्ड पार्टी किसी प्राइवेट विद्युत उत्पादनकर्ता से सोलर एनर्जी के माध्यम से विद्युत परचेज करता है तो उसको ट्रांसमिशन चार्जेज के रूप में हम 50 प्रतिशत की छूट विद इन स्टेट देंगे और अगर स्टेट के बाहर ले जाते हैं तो हम 100 प्रतिशत की

छूट देंगे। मा0 सदस्य का दूसरा सवाल नहर के किनारे सोलर एनर्जी के उत्पादन के सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में हमारी सिंचाई विभाग से बात चल रही है। शीघ्र ही हम लोग इस सम्बन्ध में सदन को अवगत कराऍंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ। †

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में गिरते जलस्तर को दूर करने हेतु तालाबों एवं जलाशयों को पुनर्जीवित करने की कार्य योजना

1-श्री रितेश पाण्डेय-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भू-जल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार की गिरते जलस्तर के संरक्षण, संवर्धन एवं सम्भावित जलसंकट को दूर करने हेतु जीर्ण-शीर्ण तालाबों, पोखरों एवं जलाशयों को पुनर्जीवित करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एस0पी0 सिंह बघेल-

जी हां।

''राज्य भूजल संरक्षण मिशन'' के अन्तर्गत प्रदेश के कुल 271 विकास खण्डों (217 अतिदोहित, क्रिटिकल एवं सेमी क्रिटिकल तथा बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्यन क्षेत्र के समस्त 54 विकास खण्ड) एवं 22 शहरों में क्षेत्रवार माइक्रो प्लानिंग के आधार पर भूजल संसाधनों के समग्र अध्ययन एवं जल संचयन व प्रबन्धन के विविध उपायों को समेकित रूप से कन्वर्जेन्स में माध्यम से क्रियान्वित का भूजल स्तर/भण्डारण में सुधार किये जाने का लक्ष्य है। प्रदेश में गिरते हुए जल स्तर की समस्या के निदान हेतु बहुआयामी रणनीति अपनायी जा रही है। इसके अन्तर्गत विभिन्न सम्बन्धित विभागों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं के अधीन वर्षा जल संचयन एवं भूगर्भ जल रिचार्ज के विभिन्न कार्य कराये जाते हैं, जिनमें चेकडैम का निर्माण, तालाबों का जीर्णोद्धार, आन-फार्म हार्वेस्टिंग, यथा-मेड़बन्धी, रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग आदि संरचनाओं के कार्य सम्मिलित हैं।

राज्य भूजल संरक्षण मिशन योजना के अन्तर्गत 05 वर्षों हेतु चिन्हित क्षेत्र निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	विकास खण्ड	नगरीय क्षेत्र
प्रथम	25	-
द्वितीय	40	3
तृतीय	70	6
चतुर्थ	70	7
पंचम	66	6
योग	271	22

† तारांकित प्रश्न संख्या-16 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस मिशन हेतु कुल 25 विकास खण्डों का चयन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन हेतु गैस कनेक्शन की उपलब्धता की जानकारी

2-श्री सुखदेव राजभर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी राजकीय परिषदीय एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना हेतु स्कूलों में गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कुल कितने विद्यालयों को गैस कनेक्शन दिये जाने हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि कब तक उक्त गैस कनेक्शन विद्यालयों को उपलब्ध करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

वित्तीय वर्ष 2017-18 के पूर्व 1,18,517 राजकीय परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एल0पी0जी0 कनेक्शन दिया जा चुका है अवशेष 42,442 विद्यालयों में एल0पी0जी0 कनेक्शन हेतु दिनांक 05-12-2017 धनराशि निर्गत की जा चुकी है।

सहायता प्राप्त विद्यालयों में एल0पी0जी0 कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने की कोई कार्य योजना नहीं है।

समस्त राजकीय परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एल0पी0जी0 कनेक्शन दिया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में भुखमरी से हो रही मौतों को रोकने हेतु प्रभावी कार्य योजना

3-श्री सुखेदव राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भुखमरी से हो रही मौतों को रोकने हेतु कोई प्रभावी कार्य योजना सरकार द्वारा बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद देवरिया की तहसील सलेमपुर के गयागीर वार्ड में दो बच्चों की मृत्यु भुखमरी के कारण हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस परिवार को राहत उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां। प्रदेश में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न न हो, यह सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा समय-समय पर आवश्यक दिशानिर्देश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में पंचायती राज विभाग द्वारा शासनादेश सं0-3318/33-1-2006 दिनांक 04-12-2006 तथा शासनादेश सं0-01/2018/3003/33-1-2017-3003/17 दिनांक 02-01-2018 निर्गत किये गये हैं तथा राजस्व विभाग द्वारा

शासनादेश सं0-2465/1-11-2006-78जी/2006 दिनांक 30-10-2006 एवं दिनांक 13-09-2006 निर्गत किये गये हैं।

शासनादेश दिनांक 22-11-2016 द्वारा ग्राम प्रधानों को भूख एवं कुपोषण के उत्पन्न होने पर आकस्मिक खर्च के रूप में रु0 1,000 (रुपया एक हजार मात्र) के स्थान पर रु0 5,000 (रुपया पांच हजार मात्र) अपने पास रखने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद देवरिया की तहसील सलेमपुर के नगर पंचायत लार गयागीर वार्ड में श्री पशुपति राजभर के बच्चों अजय कुमार तथा खुशबू की मृत्यु माह नवम्बर, 2017 में भुखमरी के कारण न होकर पीलिया रोग से गंभीर रूप से ग्रसित होने के कारण हुई है। श्री पशुपति राजभर के नाम अंत्योदय योजना के अन्तर्गत निर्गत राशन कार्ड सं0-219020067438 पर प्रत्येक माह आवश्यक वस्तुओं का वितरण हो रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश के मेडिकल कालेजों में आक्सीजन की कमी से हुई मृत्यु का प्रकरण

4-श्री सुखेदव राजभर-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मेडिकल कालेज में 15 वर्ष तक कुल कितने मरीज माह मार्च, 2017 से दिनांक 13-11-2017 तक प्राण वायु (आक्सीजन) की अनुपलब्धता के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण उपलब्ध कराते हुए मेडिकल कालेजों में आक्सीजन गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी')-

जी नहीं। किसी भी रोगी की मृत्यु आक्सीजन की कमी से नहीं हुई है।

राजकीय मेडिकल कालेजों में आक्सीजन गैस की उपलब्धता पूर्व से ही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

5-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में कितने ग्रामों में सरकार द्वारा सोलर लाइटें लगाई गयी हैं और कितने ग्राम ऐसे हैं जिनमें सोलर लाइटें नहीं लगाई गई हैं ? क्या सरकार बचे हुए गांवों में सोलर लाइटें लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जनपद बागपत के विधान सभा बड़ौत के अन्तर्गत 80 ग्राम पंचायतों में से यूपीनेडा द्वारा वर्तमान तक 39 ग्राम पंचायतों में विभिन्न योजनाओं में 814 अदद सोलर स्ट्रीट लाइट स्थापित करायी गयी हैं।

वर्ष 2017-18 में तीन विकास खण्डों के 06 ग्रामों के चयनित मुख्य बाजारों में पं0 दीन दयाल उपाध्याय योजनान्तर्गत 60 अदद सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना कराया जाना प्रस्तावित है।

उक्त प्रस्तावित 60 अदद संयंत्रों की स्थापना की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राथमिक तथा जूनियर विद्यालयों में ड्रेस वितरण नीति के अनुसार छात्र/छात्राओं को ड्रेस वितरण के सम्बन्ध में

6-श्री सुखेदव राजभर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों तथा जूनियर विद्यालयों में स्कूल ड्रेस वितरण नीति के अनुसार जनपद आजमगढ़ में समस्त छात्र/छात्राओं को ड्रेसों का वितरण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी हां।

शैक्षिक सत्र 2017-18 में प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों एवं जूनियर हाई स्कूल के छात्र/छात्राओं को दो सेट स्कूल यूनीफार्म निःशुल्क वितरित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड माधौगंज के अन्तर्गत कुरसथ-भजेहटा मार्ग से जलिहापुर समुखा होते हुए नटपुरवा तक सड़क मार्ग के पुनर्निर्माण कराये जाने की मांग

7-श्रीमती शोभा सिंह चौहान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड-माधौगंज के अन्तर्गत कुरसथ-भजेहटा मार्ग से निकले सम्पर्क मार्ग जो जलिहापुर-समुखा होता हुआ नटपुरवा (नेवादा-सरदार नगर) तक जाता है तथा जिसकी लम्बाई लगभग 1.5 किमी0 है, का निर्माण विगत 17 वर्ष पूर्व पंचायती राज विभाग द्वारा कराया गया था वर्तमान में जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हां।

जी हां।

जिला पंचायत, हरदोई के स्वामित्व वाले मार्ग की लम्बाई 1400 मी0 है। उक्त मार्ग के पुनर्निर्माण हेतु दिनांक 09-06-2017 को निविदायें आमंत्रित की जा चुकी हैं, किन्तु इस सम्बन्ध में मा0 जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायतों के क्रम में जिला पंचायत के स्वीकृत समस्त कार्यों पर जिलाधिकारी, हरदोई द्वारा दिनांक 24-08-2017 को रोक लगा दी गयी है। रोक समाप्त होते ही उक्त मार्ग का पुनर्निर्माण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय भुगतान की मांग

8-श्रीमती बन्दना सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों को केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित रु0 17,000 (सत्रह हजार रुपये) का मानदेय का भुगतान कब से किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी नहीं।

सर्व शिक्षा अभियान की माननीय कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 21-12-2017 में अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा पुनर्विचार करते हुए 9800 प्रतिमाह की दर से मानदेय भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी है। अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9800 प्रतिमाह किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

प्रदेश में अपराधों की जांच में फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की संख्या विकसित करने की योजना

9-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए अपराधों की जांच में वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करने के लिए प्रदेश में कितनी फारेंसिक साइंस लैबोरेटरी कार्य कर रही हैं ? इनको बढ़ाने के लिए क्या सरकार के पास कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद लखनऊ, आगरा, वाराणसी एवं मुरादाबाद में (कुल 4) विधि विज्ञान प्रयोगशालायें कार्यशील हैं।

जी हां।

उक्त के अतिरिक्त प्रदेश के 14 परिक्षेत्रों में विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके सापेक्ष प्रथम चरण में कुल 08 परिक्षेत्रों के जनपद गाजियाबाद, कन्नौज, इलाहाबाद, गोरखपुर, झांसी, अलीगढ़, गोण्डा एवं बरेली में नई प्रयोगशालाओं के भवनों के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

द्वितीय चरण में प्रदेश के 06 परिक्षेत्रों के जनपदों आजमगढ़, फैजाबाद, सहारनपुर, बस्ती, चित्रकूट एवं मिर्जापुर में विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रचलित है।

इस प्रकार उपरोक्तानुसार प्रदेश के कुल 18 परिक्षेत्रों के जनपदों में विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं को विकसित करने की कार्ययोजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के फैजान इस्लामिया जूनियर हाई स्कूल, आगरा रोड मैनपुरी में प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति का प्रकरण

10-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायता प्राप्त फैजान इस्लामिया जू0हा0 स्कूल आगरा रोड मैनपुरी में स्थान रिक्त न होने पर भी प्रधानाध्यापक पद पर सीधी भर्ती अवैधानिक रूप से दिनांक 26 जून, 2003 को की गयी तथा सहायक अध्यापक पद पर भी रिक्ति न होने के बावजूद नियुक्ति किये जाने की जानकारी सरकार को है ? क्या उक्त के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल द्वारा पत्रांक-जी0पी0 5352/जी0एस0, दिनांक 02-06-2014 सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो प्रश्नगत प्रकरण में क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर नियमानुसार चयन की कार्यवाही की गयी है।

पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्।

जनपद आजमगढ़ की विवेचना उपनिरीक्षक धनन्जय शुक्ला से हटाकर अन्य को दिये जाने की जानकारी

11-श्री सुखदेव राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र क्रमांक 07/स0वि0स0 दीदारगंज/14-07-2017 जो मु0अ0सं0-152/2017, धारा 147, 148, 149, 323, 326, 452, 504, 506 थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ विवेचना उपनिरीक्षक श्री धनन्जय शुक्ला से हटाकर किसी अन्य से कराये जाने विषयक है उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम महुआरा खुर्द मार्टिनगंज में गाटा सं0 453, 459 तथा 349 को अनाधिकृत कब्जे से मुक्त कराने हेतु कार्यवाही

12-श्री सुखदेव राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र क्रमांक 63/नेता विधान मण्डल कार्य0 बी0एस0पी0 उ0प्र0, दिनांक 16-10-2017 जो कि ग्राम महुआरा खुर्द मार्टिनगंज, जनपद

आजमगढ़ स्थित गाटा सं0-453, 459 तथा 349 पर किये गये अनधिकृत कब्जे को हटाये जाने विषयक था उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

गाटा संख्या 453 रकबा 0.053 हे0 बंजर खाते की भूमि थी, जिस पर अफजल सेराज आदि के पक्ष में दिनांक 18-09-1996 को उप जिलाधिकारी फूलपुर के द्वारा आबादी श्रेणी 6(2) अंकित करने का ओदश पारित किया गया, जिसके विरुद्ध तजवीजसानी प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दिनांक 11-09-2001 को पूर्व पारित ओदश को निरस्त करते हुए भूमि पुनः बंजर खाते में अंकित करने का आदेश पारित हुआ। उक्त आदेश दिनांक 11-09-2011 के विरुद्ध विचाराधीन निगरानी संख्या 06/ए ''न्यायालय अपर आयुक्त (प्रशासन) आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ अफजल सेराज आदि बनाम एजाज अहमद आदि'' में दिनांक 15-03-2018 को आदिकश दिनांक 11-09-2001 को निरस्त कर दिया गया। भूमि पुनः आबादी खाते में अंकित हो गयी। अतः इस पर काबिज व्यक्तियों को अवैध कब्जेदार माना जाना विधिक नहीं है।

गाटा संख्या 349 रकबा 0.709 हे0 बंजर, 2.733 हे0 आबादी, 0.049 हे0 मदीना बीबी आदि के नाम अंकित है। आबादी व बंजर भूमि पड़ताली नक्शे में बटा तरमीम नहीं है। 0.230 हे0 भूमि मौके पर गाड़ा के रूप में खाली है। शेष भूमि पर पुरानी आबादी बसी हुई है। आबाद व्यक्तियों के पास उक्त मकान के अलावा कोई दूसरा आवासीय मकान नहीं है।

गाटा संख्या 459 रकबा 0.0606 बंजर खाते की भूमि थी तथा 0.117 हे0 आबादी 0.001 हे0 गोदाम, 0.005 हे0 मस्जिद खाते में अंकित है। उक्त गाटे में पुरानी आबादी बसी हुई है तथा प्राथमिक विद्यालय स्थित है।

उक्त दोनों गाटा सं0 349 एवं 459 में बसी आबादी तथा बंजर भूमि का भू-चित्र तरमीम नहीं है इसलिए यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किस व्यक्ति का मकान बंजर भूमि है तथा किस व्यक्ति का मकान आबादी भूमि में है। इस कारण सम्भव नहीं हो पा रहा कि कौन सा व्यक्ति वैध रूप से और कौन सा व्यक्ति अवैध रूप से काबिज है। इस सम्बन्ध में चकबन्दी अभिलेखों के आधार पर राजस्व टीम गठित कर दी गयी है। इन्हें निर्देशित कर दिया गया है कि 15 दिन के अन्दर जांच आख्या प्रस्तुत करें। जांच के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा के सरकारी विद्यालयों में स्वच्छ पानी हेतु आर0ओ0 मशीन की व्यवस्था की मांग

13-श्री रवि कुमार सोनकर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती की विधान सभा क्षेत्र महादेवा में विभिन्न सरकारी विद्यालयों में बच्चों के पीने के लिए स्वच्छ पानी हेतु आर0ओ0 मशीन की व्यवस्था सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा में विभिन्न सरकारी विद्यालयों में बच्चों के पीने के लिए स्वच्छ पानी हेतु सम्प्रति आर0ओ0 मशीन लगाये जाने की कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के पीने के लिए स्वच्छ पानी हेतु इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगवाये गये हैं।

जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा में ग्राम कांथा के मोहल्ला रमना में भूमि खसरा सं0 2288, 2292 पर अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग

14-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-उन्नाव, ब्लाक-असोहा के अन्तर्गत ग्राम काँथा के मोहल्ला रमना में स्थित भूमि खाता संख्या-02325, खसरा संख्या-2288, 2292 क्षेत्रफल क्रमशः 0.5820 हे0, 0.0760 हे0 पर मा0 न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) पुरवा, उन्नाव में योजित वाद सं0-239/2017 में उपरोक्त भूमि पर अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध दि0 09-08-2017 के पारित स्थगन आदेश की अवमानना करते हुए अवैध कब्जेदारों द्वारा सरकारी धन का दुरूपयोग करके अनियमित रूप से उक्त भूमि पर आवास का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम कांथा परगना असोहा तहसील पुरवा जनपद उन्नाव की खतौनी खाता सं0-3325 पर श्रीमती फूलकली पत्नी फूलचन्द्र नि0 रानीखेड़ा म0 सराय शाहजादी लखनऊ के नाम गाटा संख्या-2288 क्षेत्रफल 0.582 व गाटा संख्या-2292 क्षेत्रफल 0.076 राजस्व अभिलेखों में बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। उपरोक्त भूमि श्रीमती फूलकली द्वारा लगभग 10 वर्ष पूर्व बैनामा से प्राप्त की गयी है। गाटा संख्या-2288 के क्षेत्रफल 0.316 हे0 पर लगभग 6 आवासीय मकान व 3 मकान खण्डहर के रूप में हैं, जो लगभग 25 वर्ष पूर्व से निर्मित हैं। इसी भूमि पर बुद्धीलाल पुत्र जीतलाल का मकान बना था। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा वर्ष 2011 की सेक (पात्रता) सूची से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत किरन पत्नी श्री बुद्धीलाल को एक आवास स्वीकृत किया गया था। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा उक्त आवास दिये जाने के पूर्व भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में राजस्व विभाग से कोई आख्या नहीं मांगी गयी थी। इस प्रकरण में वादिनी द्वारा वाद संख्या-239/2017 श्रीमती फूलकली बनाम बुद्धीलाल न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन पुरवा उन्नाव में योजित किया गया है। इस वाद में मा0 न्यायालय द्वारा वादिनी के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप न कराये जाने का आदेश पारित किया गया है। इस भूमि में पूर्व से काबिज व्यक्तियों को बेदखल किये जाने आदि का कोई आदेश मा0 न्यायालय द्वारा पारित नहीं है। वादिनी के कब्जे वाली भूमि में हस्तक्षेप नहीं हुआ है। यह वाद मा0 न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

मा0 न्यायालय द्वारा वाद निस्तारित किये जाने पर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

जनपद सहारनपुर में स्थित भारतीय आदर्श जूनियर हाई स्कूल गिल कालोनी में अवैध नियुक्तियां तथा फर्जी वेतन आहरण करने का प्रकरण

15-श्री मसूद अख्तर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में स्थित भारतीय आदर्श जूनियर हाई स्कूल गिल कालोनी जो कि सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालय है, में अवैध नियुक्तियां तथा फर्जी अनुमोदन दिखाकर वेतन आहरण करने की शिकायतें सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त विद्यालय में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत ही वर्तमान में शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी नियुक्त हैं तथा उसी के तहत उनको वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो उनका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

भारतीय आदर्श जू0हा0 स्कूल, सहारनपुर कक्षा 01 से 08 तक मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त अशासकीय जू0हा0 स्कूल है, जिसमें कक्षा 06 से 08 तक शासनादेश संख्या-1796/15-(6)-7(5)/74 दिनांक 30-03-1976 के द्वारा वर्ष 1979 से राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त संस्था है तथा कक्षा 01 से 05 तक शासनादेश संख्या-1563/79-6-2017 दिनांक 28 सितम्बर, 2017 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या-9773/2016 प्रबन्ध समिति भारतीय आदर्श जू0हा0 स्कूल नारायणपुरी सहारनपुर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05-05-2016 के समादर में विद्यालय के प्राइमरी अनुभाग को अनुदान पर लिया गया है। विद्यालय के जूनियर अनुभाग में नियुक्ति/अनुमोदन सम्बन्धी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। विद्यालय के प्राइमरी अनुभाग में प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में जांचोपरान्त शिकायत निराधार श्रेणी की पायी गयी।

उपर्युक्तानुसार।

जी हां।

भारतीय आदर्श जू0हा0 स्कूल नारायणपुरी, सहारनपुर के जूनियर अनुभाग में छात्र संख्या-113 है तथा न्यूनतम मानक के अनुसार 03 स0अ0, 01 लिपिक कार्यरत हैं। प्राइमरी अनुभाग की छात्र संख्या-287 तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार 09 शिक्षक कार्यरत हैं तथा उनका वेतन आहरण कर लिया जा रहा है साथ ही शासनादेश संख्या-5/2015/724/79-6-2015 दिनांक 26-06-2015 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित है कि सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों के लिए प्र0अ0 का पद एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का कोई पद अनुमन्य नहीं किया जायेगा। तदक्रम में मण्डलीय समिति द्वारा दिनांक 26-12-2017 का सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के अनुक्रम में प्राइमरी अनुभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों श्री चन्द्रदेव सिंह, श्री विरेन्द्र सिंह, श्री राजकुमार की वित्तीय अनुमन्यता निर्गत नहीं की गयी है। तदनुसार ही 03 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन आहरण नहीं किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

16-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं है जबकि शासकीय महाविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मेडिकल सुविधा अनुमन्य है ? यदि हां, तो क्या सरकार अशासकीय महाविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मेडिकल सुविधा देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी हां।

जी नहीं। कैशलेस मेडिकल सुविधा योजना वर्तमान में सरकारी सेवकों पर लागू है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के रिटायरमेण्ट पर मासान्त वेतन का लाभ दिये जाने की जानकारी

17-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मासान्त (महीने के बीच में रिटायरमेन्ट के मध्य के स्थान पर अन्तिम तिथि तक वेतन) वेतन नहीं मिल रहा है ? जबकि शासकीय महाविद्यालय के कर्मचारियों का मासान्त का लाभ मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार अशासकीय महाविद्यालय के कर्मचारियों को मासान्त वेतन का लाभ दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी हां।

जी नहीं।

राज्य विश्वविद्यालय परिनियमावली में वर्णित प्राविधानानुसार प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारी साठ वर्ष की आयु, जन्म तिथि के आधार पर पूर्ण होते ही सेवानिवृत्त किये जाने की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार उन्हें शासकीय कर्मचारियों की भांति मासान्त का लाभ देय नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के परिषदीय विद्यालयों में बालक बालिकाओं को स्वेटर वितरण में वित्तीय अनियमितता की जांच

18-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मैनपुरी के परिषदीय विद्यालयों में कुल कितने बालक-बालिकाओं के नामांकन दर्ज हैं तथा इसके सापेक्ष कुल कितने बालक-बालिकाओं को

स्वेटर का वितरण किया जा चुका है तथा अभी तक कितने शेष रह गये हैं ? क्या सरकार को जनपद मैनपुरी में स्वेटर खरीद एवं वितरण में व्यापक धांधली करने तथा वित्तीय अनियमितता की जानकारी है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जनपद-मैनपुरी में कुल 1,30,047 बालक/बालिकाओं का नामांकन है। नामांकन के सापेक्ष शत प्रतिशत स्वेटर वितरण किया जा चुका है।

श्री अरुण सक्सेना का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है।

खण्ड शिक्षा अधिकारियों से जांच करायी जा रही है। जांचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के थाना कन्धरापुर में योजित मु0अ0सं0-0152, धारा 302, 342 तथा 323 पर कार्रवाई के सम्बन्ध में

19-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ढुन्ढराज चौबे पुत्र श्री फूल चन्द चौबे, निवासी-नाथुपुर, कन्धरापुर, जनपद-आजमगढ़ द्वारा अपनी पुत्री सुनीता उफ्र सोनी, उम्र 18 वर्ष की गांव के कुछ लोगों द्वारा दिनांक 14 सितम्बर, 2017 को घर से अगवा कर उसकी इज्जत लूटने तथा उसकी हत्या किये जाने के संदर्भ में थाना-कन्धरापुर, जनपद-आजमगढ़ में योजित मु0अ0सं0-152, भा0द0सं0 1860 की धारा 302, 342 एवं 323 के तहत दर्ज कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा नामजद व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गयी ? यदि हां, तो उक्त का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

प्रश्नगत मामले में थाना कन्धरापुर पर मु0अ0सं0-152/2017 धारा 302, 342, 323 भादवि पंजीकृत हुआ। अभियोग से सम्बन्धित मृतका के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि मृतका सुनीता उर्फ सोनी की मृत्यु हैंगिंग से हुई है जिसके आधार पर अभियोग में पंजीकृत धारा 302, 323, 342 भादवि को धारा 306 भादवि में तरमिम किया गया है। उक्त अभियोग की विवेचना पुलिस उपमहानिरीक्षक, आजमगढ़ परिक्षेत्र, आजमगढ़ के आदेश दिनांकित 22-02-2018 द्वारा क्राइम ब्रांच आजमगढ़ को स्थानान्तरित कर दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ के कुलपति प्रो0 विनय कुमार पाठक के विरुद्ध दाखिल को-वारंटो रिट सं0 29832/2017 पर कार्यवाही की जानकारी

20-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ के कुलपति प्रो0 विनय कुमार पाठक को लेकर मा0 उच्च न्यायालय की

लखनऊ खंडपीठ में दाखिल को-वारंटो रिट संख्या 29832/2017 में दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 के आदेशानुसार प्रतिपक्षी को जवाब देने के बाद सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

रिट याचिका अप्राप्त है, जिसकी प्राप्ति पर यह स्पष्ट हो सकेगा कि राज्य सरकार से क्या कार्रवाई अपेक्षित है।

उक्तवत्।

जनपद हरदोई के मल्लावां को नई तहसील बनाये जाने की मांग

21-श्री आशीष कुमार सिंह ''आशू''-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के अन्तर्गत मल्लावां को नई तहसील सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ब्रिटिश काल में जिला मुख्यालय रहे मल्लावां को नई तहसील बनाये जाने हेतु प्रस्ताव लायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

तहसील निर्माण हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप न होने के कारण मल्लावां को तहसील बनाया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई अन्तर्गत शेखनपुर गांव को स्थायी तौर पर बसाये जाने की मांग

22-श्री आशीष कुमार सिंह "आशू"-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में वर्ष 2010 में आई भीषण बाढ़ के कारण बेघर 106 परिवार जिन्हें वन विभाग की जमीन पर जिला प्रशासन द्वारा अस्थाई तौर पर शेखनपुर नामक गांव में बसाया गया था को स्थायी तौर पर बसाने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकार आवास उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

वर्ष 2010 में आई भीषण बाढ़ के कारण बेघर 106 परिवारों के स्थान पर ग्राम शेखनपुर मजरा कटरी परसोला के बाढ़ से बेघर 98 व्यक्ति जो विस्थापित होकर ग्राम बाबटमऊ की भूमि पर बस गये हैं, में से 12 नाम प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की सेक सूची में पाये गये तथा 12 में से एक नाम प्राथमिकता सूची में पाया गया परन्तु सभी परिवार गांव में विगत 4-5 वर्ष से नहीं रह रहे हैं जिस कारण आवास दिया जाना सम्भव नहीं है। ग्राम शेखनपुर मजरा कटरी परसोला से विस्थापित होकर ग्राम बाबटमऊ की भूमि पर बसे परिवारों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्राथमिकता सूची में न होने के कारण इन्हें आवास स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड मल्लावां में पशु आश्रय गृह बनाये जाने की कार्य योजना

23-श्री आशीष कुमार सिंह "आशू"-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड मल्लावां में पशु आश्रय गृह बनाये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एस0पी0 सिंह बघेल-

जी नहीं।

ग्राम पंचायत द्वारा विकास खण्ड मल्लावां में अब तक कोई पशु आश्रय स्थल विकसित नहीं किया गया है।

प्रदेश भर में न्याय पंचायत/ग्राम पंचायत स्तर पर भूमि आरक्षित कर विभिन्न विभागों के समन्वय/सहयोग से पशु संरक्षण हेतु गो आश्रय स्थलों की स्थापना की योजना क्रमित है।

जनपद बागपत में लगातार गिरते भूमिगत जलस्तर में सुधार हेतु कार्य योजना

24-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में लगातार गिरते भूमिगत जलस्तर में सुधार हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एस0पी0 सिंह बघेल-

जनपद-बागपत में भूजल स्तर में गिरावट की वार्षिक दर 20 से 50 से0मी0/वर्ष है।

''राज्य भूजल संरक्षण मिशन'' के अन्तर्गत प्रदेश के कुल 271 विकासखण्डों (217 अतिदोहित, क्रिटिकल एवं सेमी क्रिटिकल तथा बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्यन क्षेत्र के समस्त 54 विकास खण्ड) एवं 22 शहरों में क्षेत्रवार माइक्रो प्लानिंग के आधार पर भूजल संसाधनों के समग्र अध्ययन एवं जल संचयन व प्रबन्धन के विविध उपायों को समेकित रूप से कन्वर्जेन्स के माध्यम से क्रियान्वित कर भूजल स्तर/भण्डारण में सुधार किये जाने का लक्ष्य है।

प्रदेश में गिरते हुए जल स्तर की समस्या के निदान हेतु बहुआयामी रणनीति अपनायी जा रही है। इसके अन्तर्गत विभिन्न सम्बन्धित विभागों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं के अधीन वर्षा जल संचयन एवं भूगर्भ जल रिचार्ज के विभिन्न कार्य कराये जाते हैं, जिनमें चेकडैम का निर्माण, तालाबों का जीणोद्धार, आन-फार्म हार्वेस्टिंग, यथा-मेड़बन्धी, रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग आदि संरचनाओं के कार्य सम्मिलित हैं।

राज्य भूजल संरक्षण मिशन योजना के अन्तर्गत 05 वर्षों हेतु चिन्हित क्षेत्र निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	विकास खण्ड	नगरीय क्षेत्र
1	2	3
प्रथम	25	-
द्वितीय	40	3
तृतीय	70	6

1	2	3
चतुर्थ	70	7
पंचम	66	6
योग	271	22

वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस मिशन हेतु कुल 25 विकास खण्डों का चयन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में जल निगम द्वारा स्थापित इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों को ठीक व रिबोर कराने की जानकारी

25-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में वर्तमान में जल निगम द्वारा स्थापित कितने इंडिया मार्का हैण्डपम्प हैं तथा कितने व कौन-कौन से हैण्डपम्प खराब हैं ? क्या सरकार खराब हैण्डपम्पों को ठीक/रिबोर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

विधान सभा क्षेत्र बड़ौत में दिनांक 31-03-2017 तक कुल 5,170 इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं, जिनमें से 2,125 खराब एवं 732 इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प रिबोर योग्य हैं। विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड बड़ौत की कुल 33 ग्राम पंचायतों के 1010 खराब हैण्डपम्पों के सापेक्ष्य 985 हैण्डपम्पों की मरम्मत करा दी गयी है। शेष पर कार्य प्रगति पर है। विकास खण्ड बागपत की 38 ग्राम पंचायतों के 1115 खराब हैण्डपम्पों के सापेक्ष्य 990 हैण्डपम्पों की मरम्मत करा दी गयी है। शेष पर कार्य प्रगति पर है। विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विकास खण्डों के रिबोर योग्य 732 इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों में से 185 हैण्डपम्पों का रिबोर कार्य करा दिया गया है तथा अवशेष इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों को रिबोर कराये जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में आवारा एवं लावारिस पशुओं से फसलों को बचाने की कार्य योजना

26-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या पधुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में आवारा एवं लावारिस पशुओं द्वारा किसानों की नष्ट की जा रही फसलों को बचाने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एस0पी0 सिंह बघेल-

जी हां।

उ0प्र0 गोशाला अधिनियम-1964 के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 495 पंजीकृत गोशालायें हैं, जिसमें जनपद बागपत में 02 गोशालायें पंजीकृत हैं। यह गोशालायें निराश्रित गोवंशीय पशु रखने, उनका

अभिजनन पालन तथा भरण-पोषण करने हेतु तथा दुर्बल, बूढ़े, अशक्त या रोगी पशुओं को भर्ती कर और उनका उपचार करने के प्रयोजन के लिए स्थापित की गयी हैं। इन गोशालाओं में पुलिस प्रशासन से सुपुर्दगी में प्राप्त एवं अन्य श्रोतों से प्राप्त छुट्टा गोवंश रखे जाते हैं।

प्रदेश में छुट्टा पशुओं की समस्या के उन्मूलन हेतु सेक्स्ड सार्टेड सीमेन के प्रयोग से पशु प्रजनन का कार्यक्रम समस्त जनपदों में प्रस्तावित है। सेक्स्ड सार्टेड सीमेन के प्रयोग से 90 प्रतिशत मादा संतति पैदा होने की सम्भावना है, जिसके फलस्वरूप उच्च गुणवत्ता की मादा संतति प्राप्त होगी तथा पशुपालक आवारा पशु नहीं छोड़ सकेंगे, जिससे छुट्टा पशुओं की समस्या से छुटकारा मिल सकेगा।

उक्त के अतिरिक्त न्याय पंचायत/ग्राम पंचायत स्तर पर भूमि आरक्षित कर विभिन्न विभागों के समन्वय/सहयोग से पशु संरक्षण हेतु गो आश्रय स्थलों की स्थापना की कार्यवाही प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ में किडनी ट्रांसप्लाण्ट का विवरण

27-श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में जून, 2017 तक कितने मरीजों की किडनी ट्रान्सप्लान्ट की गयी है ? क्या सरकार द्वारा एक वर्ष में किडनी ट्रान्सप्लान्ट की कोई संख्या भी निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में वर्ष 2015-2016 तथा 2016-2017 में जून, 2017 तक किये गये किडनी ट्रांसप्लाण्ट का विवरण निम्नवत् है :-

01-04-2015 से 31-03-2016 तक - 136

01-04-2016 से 31-03-2017 तक - 123

01-04-2017 से 30-06-2017 तक - 136

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

किडनी ट्रांसप्लाण्ट की संख्या निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश में किडनी ट्रांसप्लाण्ट हेतु ब्लड डोनर के सम्बन्ध में जानकारी

28-श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किडनी ट्रान्सप्लान्ट हेतु डोनर का ब्लड रिलेशन होना अनिवार्य है ? यदि हां, तो यदि कोई डोनर ब्लड रिलेशन में नहीं है तथा डोनर एवं मरीज द्वारा समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की जाती हैं, तो ऐसे डोनर को भी सरकार किडनी डोनेट करने की अनुमति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

जी नहीं।

निकट सम्बन्धी न होने की दशा में भी नियमानुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर मानव अंग प्रत्यारोपित किये जाने की व्यवस्था नियमों में है।

एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ की बिल्डिंग निर्माण के लिये ऋण के सम्बन्ध में जानकारी

29-श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के एस0जी0पी0जी0आई0 में सात मंजिल की बिल्डिंग लगभग 4 वर्ष पूर्व लीवर ट्रांसप्लांट हेतु बनकर तैयार हो गई है परन्तु उसका उपयोग अभी तक नहीं हो रहा है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त बिल्डिंग निर्माण के लिए पुनः 480 करोड़ रुपये का लोन लिया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त धनराशि को किस मद में खर्च करने का प्राविधान है ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

जी नहीं।

एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में लीवर प्रत्यारोपण हेतु निर्मित भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

संस्थान की कई लम्बित परियोजनाओं को पूरा करने के लिये रु0 473 करोड़ का ऋण लिया गया है। इसमें से रु0 49.91 करोड़ लीवर प्रत्यारोपण के उपकरणों के क्रय तथा शेष धनराशि रोबोट सर्जरी, आपातकालीन चिकित्सा विभाग इत्यादि परियोजनाओं को समयबद्ध चरणों में पूर्ण किये जाने हेतु लिया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ की लेबोरेट्री में विशेषज्ञ की नियुक्ति की जानकारी

30-श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के एस0जी0पी0जी0आई0 में लेब्रोरेटरी बिना विशेषज्ञ के चलायी जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पद पर विशेषज्ञ की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में समस्त लेब्ररेटरी सम्बन्धित संकाय सदस्य/विशेषज्ञों की देखरेख में ही चलायी जा रही है।

जनपद बस्ती के सल्टौआ गोपालपुर के ग्राम सिहबरा में में जल निकासी की व्यवस्था

31-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के सल्टौआ गोपाल पुर के ग्राम सिहबरा की आबादी लगभग 1600 (एक हजार छः सौ) है परन्तु गांव में जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण नाली का पानी सड़कों पर रुका रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार पानी निकासी के लिए नालियों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी-

जी हां।

ग्राम पंचायत में वर्ष 2017-18 चौदहवां वित्त योजनान्तर्गत कार्य-योजना के क्रम सं0-15 पर श्री खुर्शीद के मकान से प्रमानन्द के मकान तक नाली निर्माण अंकित है। धनराशि प्राप्त हो गयी है नाली निर्माण कार्य कराने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा शुरू की गयी जल बचाओ योजना को सफल बनाने के सम्बन्ध में

32-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2016 में सरकार द्वारा जल बचाओ योजना के तहत जनपद बस्ती में 335 ग्राम पंचायतों में मई से दिसम्बर, 2016 तक 10 करोड़ रुपये खर्च कर तालाबों का जीर्णोद्धार कराया गया है परन्तु निर्माण एवं पुनरोद्धार के समय तालाबों की गहराई तथा इनलेट, आऊटलेट पर ध्यान न दिये जाने के कारण जलाशय आज भी सूखे रहते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुख्य मंत्री जल बचाओं अभियान के अन्तर्गत जनपद बस्ती के सभी विकास खण्डों में कुल 417 तालाबों का जीर्णोद्धार कराया गया है जिसमें आवश्यकतानुसार आऊटलेट/इनलेट एवं गहराई का ध्यान में रखकर कार्य किया गया है तथा कुल 1010.50 लाख रुपये व्यय किये गये। वर्तमान में सभी तालाबों में पानी उपलब्ध है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में हाई मास्क लाइटों की मरम्मत हेतु कार्य योजना

33-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद बस्ती में जिला पंचायत के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के मुख्य-मुख्य स्थानों पर प्रकाश हेतु लगाई गयी हाईमास्क लाइटों की स्थापना लाखों रुपये

खर्च कर की गयी थी, तमाम लाइटें करीब-करीब खराब हो चुकी हैं। यदि हां, तो क्या सरकार मरम्मत हेतु कोई व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी-

जी हां।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-1639/33-3-2015-03/2015, दिनांक 19-06-2015 द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के अंश वितरण एवं उसके उपभोग के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धान्तों के निर्धारण हेतु निर्णय निर्गत किए जा चुके हैं। उक्त शासनादेश दिनांक 19-06-2015 के प्रस्तर-2.1 में ग्राम पंचायतों की परिसम्पत्तियों के रख-रखाव हेतु प्रति वर्ष ग्राम पंचायतों को चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि मात्राकृत की गयी है जिसमें प्रकाश व्यवस्था का रख-रखाव किए जाने हेतु प्रावधान किए गए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बदायूं के तहसील दातागंज मुख्यालय पर फायर स्टेशन की स्थापना किये जाने की मांग

34-श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के दातागंज विधान सभा क्षेत्र की तहसील मुख्यालय दातागंज पर कोई फायर स्टेशन न होने से आग लगने की घटनायें आये दिन होती रहती हैं, जिससे जान-माल को काफी नुकसान होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार दातागंज तहसील मुख्यालय पर फायर स्टेशन बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद बदायूं के दातागंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत तहसील मुख्यालय दातागंज में अग्निशमन/जान-माल की सुरक्षा हेतु मोटर फायर इंजन मय स्टाफ/उपकरण सहित दिनांक 23-03-2017 से तैनात है। दातागंज में फायर स्टेशन की स्थापना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के गांव में आग लग जाने पर शासन से प्राप्त अहेतुक सहायता धनराशि को बढ़ाने की मांग

35-श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में आग लग जाने पर शासन से जो अहेतुक सहायता धनराशि प्रदान की जानी है, वह बहुत कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार बढ़ती मंहगाई के दृष्टिगत सहायता धनराशि को बढ़ाने की कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

आग लग जाने पर प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान करने हेतु अहेतुक सहायता के मानक एवं दरों का निर्धारण भारत सरकार के आदेश दिनांक 08-04-2015 में किया गया है। तद्नुसार राज्य सरकार द्वारा अहेतुक सहायता प्रदान की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में हाई स्कूल में इण्टरमीडिएट की परीक्षा छोड़ने वाले अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में

36-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिनांक 07-03-2018 तक हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट की परीक्षा कितने अभ्यर्थियों ने छोड़ी है तथा इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि कक्षा 12 व 10 में जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी है, उन्हें यदि वह चाहेंगे तो पुनः एडमिशन करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित वर्ष 2018 की बोर्ड परीक्षा में दिनांक 07-03-2018 तक हाईस्कूल के 661810 तथा इण्टरमीडिएट के 469220 कुल 1131030 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ी है। अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा छोड़ने के कारणों की कोई समीक्षा वर्तमान में नहीं कराई गई है।

परिषद् विनियमानुसार उन्हें कक्षा-10 एवं 12 में पुनः प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा के प्रथम सत्र 2018 के द्वितीय मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 57 से सम्बन्धित 453 रिबोर/मरम्मत/खराब हैण्डपम्प की सूची के सम्बन्ध में

37-श्री वीर विक्रम सिंह, 'प्रिंस'-

विधान सभा के प्रथम सत्र 2018 के द्वितीय मंगलवार के अतारांकित प्रश्न, प्रश्न संख्या 57 के उत्तर के संबंध में क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 453 रिबोर/मरम्मत/खराब हैण्डपम्प की सूची सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हां।

सूची विधान सभा के पटल पर रख दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र दातागंज के प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों की बाउन्ड्रीबाल के निर्माण विषयक प्रकरण

38-श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जनपद के विधान सभा क्षेत्र दातागंज में कितने प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों की बाउंड्रीवाल नहीं है ? क्या सरकार इनको चिन्हित कर इनकी बाउंडीवाल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र दातागंज में 143 प्राथमिक एवं 73 उच्च प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों में बाउण्ड्रीवाल नहीं है।

जी हां।

बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र दातागंज के ग्राम नवादा में प्राथमिक विद्यालय के भवन का निर्माण की जानकारी

39-श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र दातागंज के विकास खण्ड दातागंज के ग्राम नवादा बदन में बना प्राथमिक विद्यालय रामगंगा नदी के बाढ़ में पूर्ण रूप से जमीदोज होने के कारण क्षेत्र के बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में नये विद्यालय भवन का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र दातागंज के विकास खण्ड दातागंज के ग्राम नवादा बदन में बना प्राथमिक विद्यालय रामगंगा नदी के बाढ़ में पूर्ण रूप से जमींदोज होने के उपरान्त 02 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण छात्र-छात्राओं के अध्ययन हेतु करा दिया गया है। विद्यालय में हैण्डपम्प एवं शौचालय की व्यवस्था है तथा छात्र-छात्राओं की पढ़ाई हेतु स्थानीय स्तर पर समुचित व्यवस्था कर दी गयी है।

जी हां।

बजट की उपलब्धता होने पर निर्भर करेगा।

उक्तवत्।

जनपद सहारनपुर के सरस्वती इण्टर कालेज, पुवारका के प्रधानाचार्य/प्रबन्धक के भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जांच पर कार्रवाई

40-श्री संजय गर्ग-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त एवं लेखाधिकारी (माध्यमिक) कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक सहारनपुर का पत्रांक-जांच/41848/2017-18 दिनांक 14-12-2017 जोकि प्रधानाचार्य/प्रबन्धक/प्रबन्ध समिति सरस्वती इण्टर कालेज पुवारका सहारनपुर के भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की बिन्दुवार जांच विषयक है जिला विद्यालय निरीक्षक सहारनपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

जी हां।

पत्र के बिन्दुओं पर निम्नवत् कार्रवाई की गयी है :--

(1) बिन्दु संख्या-2 के सम्बन्ध में कक्षा-6 से 8 तक के छात्रों से लिया गया शुल्क सम्बन्धित छात्रों को वापस कर दिया गया है।

(2) बिन्दु संख्या-5 व 6 के सम्बन्ध में मा0 सांसद एवं मा0 विधायक निधि से प्राप्त धनराशि के गबन/दुरुपयोग के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी, सहारनपुर द्वारा दिनांक

1-2-2018 को अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग सहारनपुर को जांच करने हेतु निर्देशित किया गया है।

(3) शेष बिन्दुओं के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर द्वारा संस्थाधिकारियों को दिनांक 20-12-2017 दिनांक 15-1-2018 एवं दिनांक 25-1-2018 द्वारा आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में ग्राम रतनपुरा को थाना पैकोलिया में तथा ग्राम उसका को थाना गौर में समायोजित करने के सम्बन्ध में

41-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के थाना गौर अन्तर्गत ग्राम रतन पुरा की दूरी गौर थाने से 15 कि0मी0 जब कि थाना पैकोलिया की दूरी मात्र 4 कि0मी0 है इसी प्रकार थाना पैकोलिया के अन्तर्गत ग्राम उस्का की दूरी थाने से 14 कि0मी0 है जबकि थाना गौर 12 कि0मी0 तथा गौरी चौकी की दूरी मात्र 3 कि0मी0 है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामवासियों की सुविधा के लिये परिसीमन कराकर ग्राम रतनपुरा को थाना पैकोलिया में तथा ग्राम उसका को थाना गौर में समायोजित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

परिसीमन कराने के उपरान्त ही विचार किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड मूढाँ पांडे व कुन्दरकी में इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों को रिबोर कराने की मांग

42-श्री मोहम्मद रिजवान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड मूढ़ाँ पांडे व विकास खण्ड कुन्दरकी में इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों के खराब हो जाने/बोरिंग फेल हो जाने के कारण पेयजल की समस्या बनी हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार पेय जल की समस्या का समाधान हेतु उक्त स्थानों में हैण्डपम्पों को रिबोर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

43-श्रीमती बन्दना सिंह-

[3-बुधवार के अता0प्र0सं0-153 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में मिनी सचिवालय के कार्यालय भवन का निर्माण एवं पूर्ण कालिक सचिवों की नियुक्ति करने की कार्य योजना

44-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 73वें संविधान संशोधन उपरान्त प्रदेश में लागू पंचायती राज व्यवस्था अभी भी बहुत सी ग्राम पंचायतें मिनि सचिवालय रूपी अपने कार्यालय भवन व पूर्णकालिक सचिव जैसी प्राथमिक सुविधा के अभाव/वंचित होने के कारण विकास कार्य कराने व क्षेत्रवासियों को समुचित सुविधायें देने में सक्षम नहीं हो पा रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार कार्यालय भवन और पूर्ण कालिक सचिव से वंचित पंचायतों को उक्त से आच्छादित कराने की कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हां।

जी हां।

शासनादेश संख्या-1075/33-3-2016-182/2013, दिनांक 27-05-2016 के अनुसार पंचायत भवन के निर्माण की योजना क्रियान्वित की जा रही है। पंचायत भवनों का निर्माण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में धनराशि की उपलब्धता के आधार पर जिला योजनान्तर्गत जनपदों को आवंटित कर कराया जा रहा है। प्रदेश में ग्राम पंचायत अधिकारी (ग्राम सचिव) के स्वीकृत पदों की संख्या-8,118 है, जिसके सापेक्ष 6,591 ग्राम पंचायत अधिकारी कार्यरत हैं। 1,527 रिक्त पदों को भरे जाने हेतु दिनांक 16-03-2018 को अधियायन उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद तथा जनपद सम्भल के कतिपय जिला पंचायत सदस्यों को बैठकों में प्रतिभाग के सम्बन्ध में

45-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2012 में जारी गजट/अधिसूचना संख्या 626 एवं 628/33-2-2012-289 जी/11 पंचायतीराज अनुभाग-2 दिनांक 11-4-2012 द्वारा जिला पंचायत मुरादाबाद एवं सम्भल के नवसृजन के फलस्वरूप सदस्य जिला पंचायत वार्ड संख्या-16 मुरादाबाद प्रथम, वार्ड संख्या-35 वनियाखेड़ा चतुर्थ, वार्ड संख्या 37 विलारी प्रथम, वार्ड सं0-39 विलारी तृतीय व प्रमुख क्षेत्र पंचायत विलारी को जिला पंचायत सम्भल तथा जिला पंचायत वार्ड संख्या-32 वनियाखेड़ा प्रथम के सदस्य व प्रमुख क्षेत्र पंचायत वनियाखेड़ा को जिला पंचायत मुरादाबाद की बैठकों में उनके क्षेत्र से जुड़ाव होने के बावजूद प्रतिभाग से वंचित रखा जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का प्रतिभाग करने हेतु प्रावधान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

पंचायती राज अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-626/33-2-2012-289जी/11, दिनांक 11-4-2012 द्वारा जिला पंचायत भीमनगर (सम्प्रति संभल) कर संगठन किया गया है, जिसके अनुसार प्रमुख क्षेत्र पंचायत बिलारी एवं वार्ड संख्या-16 मुरादाबाद प्रथम, वार्ड संख्या-35 बनिया खेड़ा चतुर्थ, वार्ड संख्या-37, बिलारी प्रथम व वार्ड संख्या-39 बिलारी तृतीय जिला पंचायत संभल के अन्तर्गत नहीं आते हैं। अतः उक्त वार्डों के निर्वाचित सदस्यों एवं प्रमुख क्षेत्र पंचायत बिलारी को जिला पंचायत संभल की बैठक में प्रतिभाग किये जाने हेतु एजेण्डा प्रेषित नहीं किया जाता है। उक्त सदस्य जिला पंचायत मुरादाबाद के निर्वाचित/पदेन सदस्य हैं तथा नियमानुसार उन्हें जिला पंचायत मुरादाबाद की बैठकों में प्रतिभाग किये जाने हेतु एजेण्डा जारी किया जाता है।

पंचायती राज अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या-628/33-2-2012-289 जी/11, दिनांक 11-4-2012 द्वारा जिला पंचायत मुरादाबाद का पुनर्गठन किया गया, जिसके अनुसार वार्ड संख्या-32 बनियाखेड़ा प्रथम जिला पंचायत मुरादाबाद के अन्तर्गत नहीं रह गया है। अतः उक्त वार्ड के निर्वाचित सदस्य एवं प्रमुख क्षेत्र पंचायत बनियाखेड़ा को जिला पंचायत मुरादाबाद की बैठकों में प्रतिभाग करने हेतु एजेण्डा नहीं भेजा जाता है। उक्त सदस्य, जिला पंचायत संभल के निर्वाचित/पदेन सदस्य है तथा उन्हें नियमानुसार जिला पंचायत संभल की प्रत्येक बोर्ड बैठक में प्रतिभाग करने हेतु एजेण्डा प्रेषित किया जाता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बड़ौत के अन्तर्गत ग्रामों में शमशान घाट का निर्माण की कार्य योजना

46-श्री कृष्णपाल मलिक-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बड़ौत के अन्तर्गत किन-किन ग्रामों में शमशान घाट नहीं हैं ? क्या उक्त शमशान घाट विहीन ग्रामों में शमशान घाट का निर्माण कराये जाने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो यह कार्य योजना कब तक क्रियान्वित होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जनपद-बागपत के विधान सभा क्षेत्र-बड़ौत के अन्तर्गत ग्राम पंचायत शबगा, जागौस, लुहारी, राजपुर खामपुर, खेड़ा इस्लामपुर, सुल्तानपुर हटाना, बिहारीपुर, फेजपुर निनाना, नैथला, फैजुल्लापुर, सिसाना, निवाड़ा आदि लगभग कुल 12 ग्राम पंचायतों की भौगोलिक सीमा के भीतर अन्त्येष्टि क्रिया कलाप नहीं किये जाते हैं, बल्कि अन्यत्र किये जाते हैं। शेष ग्राम पंचायतों क्रमशः शाहपुर बड़ौली, लोहड्डा, अंगदपुर, आरिफपुर खेड़ी, बड़कादेवी गढ़, सादिकपुर सिनौली, ओढ़ापुर, आदलाबाद, बावली, महावतपुर, रुस्तमपुर, जिवानी, बरवाला, कण्डेरा, हिलवाड़ी, छछरपुर, वाजिदपुर, बिजरौल, जलालपुर, आसिफपुर खड़खड़ी, लोयन, मलकपुर, अलावलपुर, चौबली बोहला, गुराना, औसिक्का, कोताना,

जौनमाना, ढिकाना, बड़ावद, बाम, इदरीशपुर, गूंगाखेडी, जौहड़ी, सरूरपुरकलां, बाघू, सन्तोषपुर, शिकोहपुर, ट्योढ़ी, निवबाली आदि में अन्त्येष्टि क्रिया कलाप ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा के भीतर सम्पन्न किये जाते हैं। अन्त्येष्टि स्थल विकास योजना के अन्तर्गत लोयन, चौबली बोहला, जौनमाना बाघू, सन्तोषपुर, मीतली, गौरीपुर जवाहरनगर ग्राम पंचायतों को धनराशि प्राप्त कराई गई है और वहां अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा पूर्ण करा दिया गया है।

शमशान घाट के निर्माण हेतु अन्त्येष्टि स्थल के विकास की योजना संचालित है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपद-बागपत को अन्त्येष्टि स्थल विकास योजना के अन्तर्गत कोई धनराशि आवंटित नहीं है। अतः इस वित्तीय वर्ष में अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

लोक सेवा आयोग द्वारा अपर निजी सचिव-2010 की परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति किये जाने की मांग

47-श्री लाल जी वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग द्वारा अपर निजी सचिव-2010 की परीक्षा, जिसका परिणाम दिनांक 03-10-2017 को घोषित किया गया था, में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

अपर निजी सचिव परीक्षा-2010 के परिणाम के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार नियुक्ति हेतु कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

झांसी महानगर के सूरज प्रसाद राजकीय बालिका इण्टर कालेज के भवन का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में

48-श्री रवि शर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28 मई 2017 जोकि झांसी महानगर के एकमात्र सूरज प्रसाद राजकीय बालिका इण्टर कालेज के भवन के सभी कक्षों का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में है, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

जी हां।

न्यूनतम आवश्यक धनराशि का आगणन प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने हेतु शिक्षा निदेशक (मा0) को निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के तहसील स्तरीय ग्राम भानपुर में पानी निकासी के लिये नाले का निर्माण कराये जाने की मांग

49-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के तहसील स्तरीय ग्राम भानपुर में बरसात के दिनों में पानी निकासी की कोई व्यवस्था न होने के कारण अनुसूचित जाति बस्ती के घरों में पानी भर जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार पानी निकासी के लिये नाले का निर्माण तथा निकासी की नाली ग्राम के बैड़ानाला तक बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत में दाह संस्कार स्थल के निर्माण कराये जाने की मांग

50-श्री दिनेश चौधरी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख-6 नं0 064572 दिनांक 27-7-2017 जो कि जनपद जौनपुर विधान सभा क्षेत्र केराकत में दाह संस्कार स्थल के निर्माण कराने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपद-जौनपुर के लिए एक अन्त्येष्टि स्थल के निर्माण हेतु रु0 24.36 लाख शासनादेश संख्या-10/2018/497/33-3-2018-100(21)/2017, दिनांक 28-02-2018 द्वारा आवंटित किया गया है। निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 के पत्र संख्या-1/शा0/134/2017-1/585, दिनांक 12-03-18 द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी, जौनपुर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिया जा चुका है। अन्त्येष्टि स्थल के निर्माण हेतु स्थल जनपद स्तर पर सर्वाधिक आवश्यकता के दृष्टिगत जिला स्तर की समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा। विधान सभा क्षेत्र केराकत के चयनित होने पर ही अन्त्येष्टि स्थल/दाह संस्कार स्थल का निर्माण किया जान सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत में जर्जर पशु सेवा केन्द्र को ठीक कराने के सम्बन्ध में

51-श्री दिनेश चौधरी-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख-6, नं0 064263, दिनांक 04-09-2017 जोकि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत में जर्जर पशु सेवा केन्द्र को

ठीक कराने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एस0 पी0 सिंह बघेल-

जी हां।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत में पशु चिकित्सालय मुफ्तीगंज, देवकली, केराकत, डोभी, पशु सेवा केन्द्र, पैसारा, पोखरा, थानागद्दी, रतनपुर, कोईलारी, दुधौडा एवं मढ़ी (11 विभागीय संस्थायें) में सम्बन्धित विभिन्न आवासीय/अनावासीय भवनों के पुनर्निर्माण हेतु कार्यवाही क्रमित है।

पुनर्निर्माण से पूर्व सम्बन्धित भवनों को लोक निर्माण विभाग से निष्प्रयोज्य घोषित कराने का प्राविधान है। निष्प्रयोज्य घोषित कराने हेतु सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के स्तर से कार्यवाही प्रचलित है। उपरोक्त वर्णित भवनो के निष्प्रयोज्य प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त तत्समय उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर निर्माण सम्बन्धी कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत में पेयजल योजना के अन्तर्गत शुद्ध पानी की आपूर्ति की मांग

52-श्री दिनेश चौधरी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या क-6, नं0-008236 जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के ग्राम गोबरा, भितरी में पेयजल योजना के माध्यम से ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी हां, जनपद जौनपुर के विधान सभा केराकत के ग्राम गोबरा एवं भितरी की कुल आबादी क्रमशः 1,050 एवं 2,856 है, जिसके सापेक्ष ग्राम गोबरा में 40 एवं ग्राम भितरी में 150 इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। इस प्रकार दोनों ग्राम मानक के अनुसार हैण्डपम्प से संतृप्त हैं।

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के अद्यतन दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत ''राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम'' के अन्तर्गत केवल गुणता प्रभावित ग्रामों, सांसद आदर्श ग्रामों तथा खुले में शौचमुक्त ग्रामों में पाइप पेयजल योजना के क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी जा रही है।

ग्राम गोबरा एवं ग्राम भितरी उक्त प्राथमिकता से आच्छादित नहीं है। उक्त के दृष्टिगत उक्त ग्रामों में पेयजल योजना प्रस्तावित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के श्री राधाकृष्ण जी महाराज मन्दिर गंगारामपुर मल्लावां ट्रस्ट की सम्पत्ति हस्तान्तरण का प्रकरण

53-श्री आशीष कुमार सिंह "आशू"-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में विराजमान श्री राधाकृष्ण जी महाराज मन्दिर गंगारामपुर मल्लावां हरदोई के ट्रस्ट का गठन बेवा रामदुलारी के द्वारा दिनांक 06-05-1937 में किया गया था ? क्या ट्रस्ट डीड के अनुसार ट्रस्ट की सम्पत्ति ट्रस्टियों की मृत्यु होने के पश्चात् हस्तान्तरित कर ली गयी है ? यदि हां, तो उस पर ट्रस्ट के बाईलाज के मुताबिक क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जिलाधिकारी, हरदोई की आख्यानुसार श्री राधाकृष्ण जी ठाकुर जी महाराज मन्दिर गंगारामपुर मल्लावां, तहसील बिलग्राम, जनपद हरदोई के दृष्टिगत की मृत्यु के उपरान्त वाद संख्या-149 धारा-34(1) ग्राम गंगारामपुर सुरेश पाठक बनाम शिवकुमार के वाद में दिनांक 14-08-2002 को तत्कालीन तहसीलदार न्यायिक बिलग्राम द्वारा श्री ठाकुर जी विराजमान मन्दिर गंगारामपुर मल्लावां के सरवराहकार श्री शिवकुमार पुत्र नरायन प्रसाद की मृत्यु के उपरान्त सुरेश पाठक का नाम उक्त मन्दिर के सरवराहकार के रूप में अंकित किया गया था।

दीवानी वाद संख्या-254 सन् 2003 में श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान मन्दिर गंगारामपुर, परगना मल्लावां, तहसील बिलग्राम, जिला हरदोई द्वारा सरवराहकार श्री सुरेश पाठक उपनाम सूबेदार पाठक बनाम उप जिलाधिकारी बिलग्राम जिला हरदोई में सिविल जज (जू0डि0) पूर्वी हरदोई द्वारा दिनांक 17-12-2008 को आदेश पारित किया गया था कि एक माह के अन्दर श्री ठाकुर जी विराजमान मन्दिर गंगारामपुर परगना मल्लावां तहसील बिलग्राम जिला हरदोई के न्यास की कुल सम्पति व आय-व्यय का लेखा-जोखा व अभिलोखों का सम्पूर्ण चार्ज वादी को सौंप दें। इसके बाद दिनांक 23-04-2016 को सुरेश पाठक की मृत्यु हो जाने के उपरान्त वादी राजेश कुमार अग्निहोत्री पुत्र गोवर्धनलाल निवासी मो0 बन्दीपुर मल्लावां द्वारा एक वाद स्वयं को उक्त ट्रस्ट का सरवराहकार दर्ज करने के लिए दायर किया गया है, जिसकी वाद संख्या-टी201710334303798 है। उक्त वाद वर्तमान समय में तहसीलदार न्यायिक बिलग्राम, हरदोई के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें सुनवाई हेतु दिनांक 28-03-2018 की तिथि नियत है।

उपरोक्तानुसार।

प्रकरण मा0 न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रहते कोई निश्चित नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत के मोहल्ला शेर मोहम्मद में राजकीय इण्टर कालेज के निर्माण के फलस्वरूप शिक्षकों एवं स्टाफ की नियुक्ति किये जाने की जानकारी

54-श्री संजय सिंह गंगवार-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत में मोहल्ला शेर मोहम्मद में राजकीय इण्टर कालेज बनकर तैयार हैं किन्तु शिक्षकों एवं स्टाफ की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है ?

यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में शिक्षकों एवं स्टाफ की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

जी हां।

जी हां।

रिक्त पद पर चयन प्रक्रिया विधानराधीन है। लोक सेवा आयोग से चयन की संस्तुति प्राप्त होने के तुरन्त बाद प्राथमिकता पर।

प्रश्न नहीं उठता।

[12-20 बजे] विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

अब हम निधन की सूचनाएं ले रहे हैं। मुझे बहुत दुःख के साथ सूचित करना है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री बाबू राम शुक्ल का 8 जून, 2017 को निधन हो गया। शुक्ल जी वर्ष 1997 में निर्वाचन क्षेत्र कानपुर कैण्टोमेण्ट जिला कानपुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वह एक कुशल सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ता थे। अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। उनके निधन से प्रदेश ने कुशल सामाजिक, राजनैतिक कार्यकर्ता खो दिया है।

इसी प्रकार इस आदरणीय सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री दयाराम भास्कर का 6 जनवरी, 2018 को निधन हो गया। वह लगभग 88 वर्ष के थे। उनका जन्म आजमगढ़ में हुआ था। श्री भास्कर वर्ष 1974 में भारतीय क्रान्ति दल, वर्ष 1977 में जनता पार्टी और 1989 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर क्षेत्र सरायमीर, जिला आजमगढ़ से इस आदरणीय सदन के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री भास्कर ने एक प्राइमरी पाठशाला की स्थापना भी कराई थी। उसके संचालक रहे, कमजोर वर्गों और अनुसूचित जातियों के लोगों के उत्थान और सामाजिक कुरीतियों को रोकने के लिए सतत् संघर्षरत रहते थे। श्री भास्कर के निधन से प्रदेश ने कुशल सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता खो दिया है।

इसी प्रकार इस आदरणीय सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री दुक्खी प्रसाद का निधन 27 जनवरी, 2018 को हो गया। वह लगभग 71 वर्ष के थे। उनका जन्म वर्ष 9 जून, 1947 को हुआ था। श्री दुक्खी प्रसाद वर्ष 1977 में महाराजगंज निर्वाचन क्षेत्र जिला गोरखपुर से निर्दलीय सदस्य के रूप में इस आदरणीय सदन के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वह मिठौरा क्षेत्र समिति के उप प्रमुख भी रहे। कृषि कार्यों एवं सामाजिक संस्थाओं में उनकी विशेष रुचि थी। उनके निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं संवदेनशील समाजसेवी खो दिया।

इसी प्रकार इस आदरणीय सदन के भूतपूर्व सदस्य स्वामी राम स्वरूप शर्मा जी 17 फरवरी, 2018 को नहीं रहे। श्री शर्मा का जन्म 29 अगस्त, 1935 को जिला मथुरा में हुआ था। वह वर्ष 1993, 1996 में निर्वाचन क्षेत्र मथुरा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इस आदरणीय सदन के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री शर्मा विभिन्न आन्दोलनों में भाग लेने के कारण जिला कारागार मथुरा में बन्दी रहे। वह श्री कृष्ण लीला संस्थान व ब्रज निधि ट्रस्ट के अध्यक्ष, श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट

समिति के सदस्य भी रहे थे। संगीत, नृत्य, साहित्य, कला, अध्ययन, अध्यापन में उनकी विशेष रुचि थी। श्री शर्मा के निधन से हम लोगों ने अपना एक सहयोगी और उत्तर प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ खोया है। इस आदरणीय सदन के पूर्व सदस्य श्री मुक्तिनाथ यादव का 23 फरवरी, 2018 को निधन हो गया। श्री यादव का जन्म 1 जनवरी, 1950 को जिला देवरिया में हुआ था। वे बी0ए0, बी0एड0 एवं एल0एल0बी0 की उच्च शिक्षा प्राप्त थे। वे वर्ष 1989 में जनता दल तथा वर्ष 1993 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र रूद्रपुर, जिला देवरिया से इस आदरणीय सदन के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे आपातकाल में कई बार जेल गये और जिला कारागार, देवरिया तथा गोरखपुर में बन्दी रहे थे। वे गांधी इण्टर कालेज, देवरिया, श्री दुग्धेश्वर नाथ इण्टर कालेज, देवरिया तथा श्री राम जी सहाय डिग्री कालेज, रूद्रपुर, देवरिया से सम्बद्ध रहे थे। श्री यादव के निधन से प्रदेश से एक कुशल राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता खो दिया है।

इसी प्रकार इस आदरणीय सदन के पूर्व सदस्य श्री द्वारिका प्रसाद का 25 फरवरी, 2018 को निधन हो गया। उनका जन्म 1 फरवरी, 1950 को ग्राम धमैचा, जिला सन्त कबीर नगर में हुआ था। श्री द्वारिका प्रसाद वर्ष 1985 में कांग्रेस (आई) तथा वर्ष 2002 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर खलीलाबाद निर्वाचन क्षेत्र सन्त कबीर नगर से इस आदरणीय सदन के सदस्य चुने गए। वही वह कांग्रेस (आई) बस्ती के संयुक्त मंत्री तथा अम्बेडकर मार्केट खलीलाबाद, सन्त कबीर नगर के अध्यक्ष रहे थे। वे सेन्ट्रल जेल लखनऊ में भी बन्दी रहे थे। चिकित्सा तथा जन सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। उनके निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ और एक सामाजिक कार्यकर्ता खो दिया है।

इस आदरणीय सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री अब्दुल वहीद कुरैशी का 02 मार्च, 2018 को निधन हो गया। श्री कुरैशी का जन्म 01 जुलाई, 1922 को मेरठ में हुआ था। श्री कुरैशी वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र सरधना, जिला मेरठ से लोकदल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री कुरैशी नगर पालिका परिषद्, मेरठ के चेयरमैन रहे थे। वे राष्ट्रीय कांग्रेस दल में यू0पी0सी0सी0 के सदस्य तथा संयुक्त व्यापार संघ, सरधना के संरक्षक भी रहे थे। श्री कुरैशी के निधन से हम लोगों ने अपना एक साथी और कुशल राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता खो दिया है।

इसी तरह भूतपूर्व सदस्य श्रीमती हमीदा हबीबुल्ला का 13 मार्च, 2018 को निधन हो गया। उनका जन्म 20 नवम्बर, 1916 को जिला लखनऊ में हुआ था। श्रीमती हमीदा हबीबुल्ला ने बी0ए0 तक की शिक्षा ग्रहण की थी। वे वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र हैदरगढ़, जिला बाराबंकी से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा के लिए चुनी गयीं धीं। वे राज्य सभा की सदस्य भी रही थीं। श्रीमती हबीबुल्ला ने गरीबों के उत्थान, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक उन्नति के तमाम काम किये। वे श्री कमलापति त्रिपाठी मंत्रिमण्डल में समाज कल्याण, नागरिक सुरक्षा तथा पर्यटन राज्य मंत्री भी रही थीं। अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी। उनके निधन से हम लोगों ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं सामाजिक कार्यकर्ता खो दिया है।

भूतपूर्व सदस्य श्री निसार हुसैन का 17 मार्च, 2018 को निधन हो गया। उनका जन्म 01 अक्टूबर, 1940 को मीरापुर, मीरगंज, जिला रामपुर में हुआ था। श्री निसार हुसैन वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र स्वारटाडा, जिला रामपुर से कांग्रेस (आई) के टिकट पर इस आदरणीय सदन में आए थे। श्री निसार हुसैन ग्राम प्रधान व क्षेत्र समिति स्वार के प्रमुख तथा ब्लाक कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रहे थे। विभिन्न आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया तथा श्री नारायण दत्त तिवारी मंत्रिमण्डल में उप मंत्री भी रहे थे। उनके निधन से प्रदेश में कुशल राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता खो दिया है।

इस आदरणीय सदन की भूतपूर्व सदस्य डा0 ज्ञानवती सिंह का 18 मार्च, 2018 को निधन हो गया। वह वर्ष 1991 में निर्वाचन क्षेत्र इगलास, जिला अलीगढ़ से जनता दल तथा वर्ष 1996 में निर्वाचन क्षेत्र खैर, जिला अलीगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुई थीं। डा0 ज्ञानवती सिंह एक कुशल राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थीं। उनके निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता खो दिया है।

विधान सभा के इन माननीय पूर्व सदस्यगणों के निधन से यह आदरणीय सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से और इस पूरे आदरणीय सदन की ओर से प्रार्थना करता हूँ कि वह दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए आशीष दें और उनके शोक-संतप्त परिवारों को इस गहन दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मैं इस आदरणीय सदन में व्यक्त शोक संवेदनायें मृतकों के शोकाकुल परिवारों तक पहुंचा दूंगा। हम दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर मौन रखेंगे।

(तत्पश्चात् दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए सदन में खड़े होकर दो मिनट मौन रखा गया)

[12.30 बजे] आज की कार्य सूची की मद संख्या-50 को पहले लिये जाने का अनुरोध

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, एक अनुरोध करना था कि आज कार्य सूची में मद संख्या-50 पर उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक जो विधान परिषद् से अस्वीकार हो गया था वह आज कार्य सूची में 50 नम्बर पर लगा है। माननीय मुख्य मंत्री जी को आवश्यक कार्यवश जाना है इसलिए अनुरोध है कि इसको पहले ले लिया जाये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जब वह विधेयक आयेगा तब आप देख लीजिएगा आपका आदेश सर्वोपरि है जैसा आप चाहे लेकिन जब वह विधेयक आयेगा तब उस समय आप ले लीजियेगा अभी तो दूसरे प्रश्न है मान्यवर, 311 में माननीय श्री उमाशंकर जी।

श्री अध्यक्ष-

नियम-311 और नियम-56 की सारी सूचनायें हमने एक कर दी थी जब नियम-56 आयेगा तब उस समय तद्नुसार गुण-दोष के आधार पर हम सबको सुन लेंगे एक बात, दूसरी बात है कि ऐसा पहले भी हुआ है, एक बार माननीय नेता प्रतिपक्ष ने ही पर्ची भेजी थी इसी तरह का विधेयक था और आपको कहीं जाना था तो हमने उस क्रम को, वह प्रयाग से, कुम्भ से जुड़ा था अगर आप स्मरण कर पर रहे हों।

(श्री लालजी वर्मा के अपने स्थान से बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप हमारी बात तो सुन लें, मैं नियम-301 और नियम-300 इस पर दो-तीन मिनट लगेगा और उसके बाद उस पर विचार हो जायेगा।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि विषय की ग्रेविटी खत्म हो जाती है, आप पहले नियम-301 और नियम-300 की सूचनायें ले लें उसके बाद आप इनको सुन लें जो इनका बहुत

महत्वपूर्ण विषय है। मान्यवर, जहां तक विधेयक का सवाल है, विधेयक एक बार यहां पास हो चुका है और माननीय मुख्य मंत्री जी विस्तार से उस पर अपनी बात रख चुके हैं अब उसमें फिर से दोबारा वह पास होना है चूंकि विधान परिषद् ने उसको अस्वीकार किया है उसमें कोई बहुत बात रखने की जरूरत नहीं है उसका जब समय आयेगा आप ले लीजियेगा। मान्यवर, मेरा निवेदन है जब विधेयक शुरू हों तो उसको आप सबसे पहले लें हमें उस पर कोई ऐतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं ऐसा पहले भी हुआ है। हम जो प्रक्रिया अपना रहे हैं अगर आप उसे सुन लें। हम जो नियम-300 की सूचनायें हैं उसमें एक को सुनना चाहते हैं उसमें तीन मिनट लगेगा, नियम-301 में बता देंगे कि सब स्वीकृत हो गयी हैं इसमें एक मिनट लगेगा उसके बाद हम इस अधिनियम को ले लेते हैं उसके बाद तो तमाम विषय आगे क्रमानुसार चलेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जो औपचारिक काम है उसको लेने के बाद पहले नम्बर पर विधेयक ले लीजिए, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि उसको न करिए यह आपका अधिकार क्षेत्र है।

श्री अध्यक्ष-

बाकी जो आप लोगों की सूचनायें आयी उसमें हमारा मन था कि हम सबको दो-दो मिनट सुनेंगे, नियम-56 वाले समय में।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण सूचना है माननीय मुख्य मंत्री जी भी है अगर आप ले लेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी हम लोग कोई जिद नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

पहले लेने का क्या मतलब है जब नियम-56 आयेगा तब लिया जायेगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, नियम-56 आज नहीं है ?

श्री अध्यक्ष-

नियम-56 की सूचनायें आज हैं और अगर कोई और सूचना भी होगी तो वह भी ले लेंगे।

[12:35 बजे] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

नियम-301 की सूचनायें लेते हैं। आज नियम-301 के अन्तर्गत कुल 96 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, सभी सूचनाओं को स्वीकार कर लिया है।

(सदन की सहमति से संलग्न सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद लखनऊ के पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर, सरसवां, पोस्ट-अर्जुनगंज के आश्रम रोड का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विरेन्द्र कुमार यादव-

[मान्यवर, पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर, सरसवां, पोस्ट-अर्जुनगंज, जनपद लखनऊ अन्तर्गत साईदाता आश्रम रोड स्थित श्री सक्सेना के मकान से पाल बिल्डिंग (बड़ा पीपल का पेड़) तक को रोड लगभग 15 वर्ष पूर्व बनी थी, वर्तमान में वह रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी है। यह तो अवगत कराना है कि इस कालोनी की यही मुख्य सड़क है, जिस पर सैकड़ों लोगों का प्रतिदिन आना-जाना रहता है। सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अतः जनहित में इस सड़क को बनवाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः व्यापक लोकहित में पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर, सरसवां, पोस्ट-अर्जुनगंज, जनपद-लखनऊ अन्तर्गत **साईदाता आश्रम रोड स्थित श्री सक्सेना के मकान से पाल बिल्डिंग (बड़ा पीपल का पेड़) तक की सड़क, जिसकी लम्बाई लगभग 1.0 कि0मी0 है,** लोक निर्माण विभाग से बनवाने की मांग करता हूँ।]

जनपद जालौन के वि0स0 क्षेत्र उरई के ग्राम मोहम्मदाबाद से ग्राम सिमरिया तक सम्पर्क मार्ग को आर0सी0सी0 कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गौरीशंकर-

[महोदय, आपके माधम से अवगत कराना है कि जनपद-जालौन, उरई से राठ रोड के मध्य में मोहम्मदाबाद से गुठा सिमरिया के लिए सम्पर्क मार्ग है जो कि अति क्षतिग्रस्त है। उस रोड से मौरंग की गाड़ियों का आना-जाना होता है। जब से रोड बना है आज तक दुबारा कोई भी मरम्मत कार्य नहीं हुआ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को आपके माध्यम से सदन को अवगत कराने एवं मोहम्मदाबाद से गुठा सिमरिया तक सम्पर्क मार्ग बनवाने के लिए सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूँ।]

जनपद लखनऊ के कानपुर रोड स्थित मानस नगर क्षेत्र में विद्युत पोल लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

[महोदय, जनपद लखनऊ के कानपुर रोड स्थित मोहल्ला शक्तिपुरम्, बीमा अस्पताल के पीछे, मानस नगर क्षेत्र में निवासियों द्वारा कनेक्शन लिया गया है परन्तु विभाग द्वारा उचित संख्या में विद्युत पोल नहीं लगाए गए हैं, जिस कारण कई जगहों पर विद्युत कनेक्शन प्रार्थीगणों के घर से विद्युत पोल की दूरी कुछ अधिक होने के कारण बांस/बल्ली के सहारे घर तक लाया गया है। अक्सर किसी कारणवश बांस/बल्ली गिर जाती है, जिससे गंभीर दुर्घटना का भय बना रहता है। उक्त मोहल्ला में जहां-जहां बल्ली के सहारे विद्युत कनेक्शन घरों तक लाया गया है वहां विद्युत पोल लगाए जाने की नितान्त आवश्यकता है जिससे क्षेत्रीय जनता के जान-माल की हानि न हो।

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर इस सदन के माध्यम से सरकार से कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद एटा के वि0स0 क्षेत्र अलीगंज में आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्यपाल सिंह राठौर-

[महोदय, सादर अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 103, अलीगंज के तहसील अलीगंज, जनपद एटा में कोई आश्रम पद्धति विद्यालय नहीं है। क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिये एक आश्रम पद्धति विद्यालय की मांग लम्बे समय से चल रही है। क्षेत्र के बच्चों के समग्र विकास हेतु तहसील अलीगंज के नया गांव में एक आश्रम पद्धति विद्यालय स्थापित किया जाना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाई करने की मांग करता हूँ।]

जनपद सिद्धार्थनगर के वि0स0 क्षेत्र कपिलवस्तु के कतिपय नदियों पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्यामधनी-

[महोदय, मेरे क्षेत्र कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर में कूड़ा नदी महथावल पर सेतु निर्माण, राप्ती नदी सियरापार गांव से सटे भाग पर सेतु का निर्माण, देवरागांव के पास कूड़ा घोघी नदी पर सेतु का निर्माण, सोनपुर वाध से जमुआर नाला पर पक्का पुल निर्माण व ग्राम कठहागांव घोघी नदी पर पुल का निर्माण बहुत ही आवश्यक है। यहां पर पुल के निर्माण की मांग बहुत अरसे से चल रही है परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। इन पुलों के निर्माण न होने से ग्रामवासियों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इन पुलों के निर्माण हेतु मा0 लोक निर्माण मंत्री द्वारा घोषणा भी हो चुकी है।

इस लोक महत्व के प्रश्न पर पुलों के निर्माण की सदन से मांग करता हूँ।]

जनपद गोण्डा के जरवल मार्ग फोर लेन का निर्माण कार्य शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रतीक भूषण सिंह-

[महोदय, गोण्डा जरवल मार्ग 4 लेन का निर्माण राज्य सरकार के द्वारा कराया जा रहा है जिसकी अनुमानित लागत 350 करोड़ है, जो कि गोण्डा जनपद के तीन विधान सभाओं को जोड़ने की प्रमुख सड़क है तथा वर्तमान समय में सड़क का निर्माण कार्य ठप्प है। क्या सरकार गोण्डा जनपद मार्ग का निर्माण शीघ्र कराने के लिये धन अवमुक्त करके सड़क निर्माण शीघ्र पूर्ण करायेगी ? जिससे करीब 20 लाख आबादी का राजधानी आवागमन आसान हो सके।]

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बुलन्दशहर के वि0स0 क्षेत्र बुलन्दशहर के ग्राम अच्छेजाघाट-भटवारा मार्ग से ग्राम फतेहपुर बुजुर्ग तक के मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

[महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र बुलन्दशहर में ग्राम अच्छेजाघाट-भटवारा सम्पर्क मार्ग से गांव फतेहपुर बुजुर्ग तक का मार्ग जर्जर स्थिति में है। जगह-जगह मार्ग में बड़े-बड़े गड्ढे होने के कारण बरसात के दिनों में जलभराव के कारण आवागमन प्रभावित होता है। रात में मार्ग में गड्ढे होने के कारण अक्सर दुर्घटनायें भी होती है। स्कूली छात्र-छात्रायें अक्सर गिरकर चोटिल होते रहते है। जनहित में इस मार्ग का निर्माण लेपन स्तर तक कराया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए ग्राम अच्छेजाघाट-भटवारा सम्पर्क मार्ग से गांव फतेहपुर बुजुर्ग तक का मार्ग जर्जर मार्ग को लेपन स्तर तक बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद फतेहपुर के वि0स0 क्षेत्र खागा में सुजानपुर रजबहा के पक्की रिटेनिंग वाल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती कृष्णा पासवान-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत सुजानपुर रजवाहा जरौली पम्प कैनाल द्वारा जल पोषित है। जिसके दोनों तरफ की पटरियां खांदी व अवैध कुलावों से हेड से रामपुर ग्राम पंचायत तक अति ही कमजोर हो जाने के कारण हमेशा खांदी कट जाती है, जिससे कभी भी टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता है तथा कटिंग से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न होकर नष्ट हो जाती है तथा कैनाल का कीमती पानी नालों के माध्यम से पुनः यमुना नदी में वापस हो जाता है। अगर इस रजवाहे के हेड से मदद अलीपुर तक पटरियों को सुदृढ़ तथा मदद अलीपुर से खाग्गा किशनपुर रोड तक दार्यी तरफ की पटरी को पक्की रिटेनिंग वाल का निर्माण हो जाये तो समस्या का समाधान हो सकता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

जनपद आगरा के वि0स0 क्षेत्र फतेहाबाद में अस्पताल के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जितेन्द्र वर्मा-

[महोदय, आगरा जिले के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में अस्पताल की अत्यन्त आवश्यकता है। स्वास्थ्य सम्बन्धी चिकित्सा के लिये क्षेत्रीय जनता को दूर-दराज के क्षेत्रों में इलाज के लिये भटकना पड़ता है। कस्बा फतेहाबाद में पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन जर्जर है जिसका मरम्मतीकरण कर उसी भवन को अस्पताल बनाया जाय जिससे क्षेत्रीय जनता को लाभ मिलेगा। जनहित में अस्पताल का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूँ।]

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बलरामपुर के खनन निरीक्षक के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पल्टूराम-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद बलरामपुर में तैनात खनन निरीक्षक, श्री अजीत कुमार पाण्डेय द्वारा खनन माफियाओं से मिलकर अवैध खनन कराया जा रहा है तथा यदि अवैध खनन की सूचना कोई व्यक्ति देता है, तो उसका नम्बर खनन माफियाओं को दे देते हैं। जिन लोगों को खनन का पट्टा मिला हुआ है, वो पट्टे की भूमि पर खनन न करके दूसरे स्थानों पर खनन करते हैं और सरकारी नियम के विपरीत अधिक धनराशि पर रॉयलटी काटते हैं। खनन माफियाओं से खनन निरीक्षक का सीधा सम्बन्ध है। जनहित में खनन निरीक्षक, श्री अजीत कुमार पाण्डेय के खिलाफ कार्यवाही करना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

बरेली शहर के सनैयारानी मेवा कुआं एवं बाल्मीकी बस्ती के प्यारे लाल कालोनी के राजेन्द्र नगर में प्राइमरी स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अरुण कुमार-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र 124-बरेली शहर के दो क्षेत्र सनैयारानी मेवा कुंवर एवं बाल्मीकी बस्ती प्यारे लाल कालोनी राजेन्द्र नगर ऐसी हैं। जहां कोई सरकारी प्राइमरी स्कूल नहीं हैं। यहां के निवासी बहुत गरीब हैं। इनके आस-पास भी कोई सरकारी स्कूल नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इन क्षेत्रों में जहां नगर निगम की भूमि भी उपलब्ध है। प्राइमरी स्कूल खोले जाय, ताकि यहां के बच्चे शिक्षित हो सके, इनका विकास हो।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त स्थानों पर प्राइमरी विद्यालय की स्थापना किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद अलीगढ़ के वि0स0 क्षेत्र बरौली में सिंचाई विभाग की कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलवीर सिंह-

[महोदय, जनपद-अलीगढ़ के बरौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सिंचाई विभाग की निम्न सम्पर्क मार्गों की स्थिति अत्यन्त खराब है जिसमें जगह-जगह पर गड्ढ़े हो गये है। जिसके कारण आम जन का चलने में काफी कठिनाई होती है। सरकार की घोषणानुसार प्रदेश में सड़कों को गड्ढ़ामुक्ति की जा रही है। किन्तु जनपद अलीगढ़ में सिंचाई विभाग द्वारा अभी तक सड़कों को गड्ढ़ा मुक्त नहीं किया गया है। जिसके कारण जनता में काफी रोष है। मेरे विधान सभा क्षेत्र बरौली जनपद अलीगढ़ में सिंचाई विभाग की निम्नलिखित सड़क वर्षो पूर्व बनवायी गयी थी, जो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। उक्त मार्ग सैकड़ों ग्रामों को मुख्य सड़क मार्गों से जोड़ते हैं।

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1-अपर गंगा कैनाल की पटरी कि0मी0 239.35 से 291.94,

2-दाउदपुर माइनर की पटरी कि0मी0 00.00 से कि0मी0 3.25,

3-कोल राजवाह की पटरी कि0मी0 21.105 से कि0मी0 33.25।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त सम्पर्क मार्गों की अति शीघ्र मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद गोण्डा के वि0स0 क्षेत्र तरबगंज में मण्डी समिति बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रेम नारायण पाण्डेय-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 299-तरबगंज जनपद गोण्डा के अन्तर्गत सबसे पुरानी तहसील तरबगंज है, जिसमें कोई मण्डी समिति नहीं है। मण्डी समिति गोण्डा व नवाबगंज में है, जो विधान सभा क्षेत्र के पश्चिमी की ओर से लगभग 60 कि0मी0 की दूरी पर है। तरबगंज में मण्डी समिति न होने के कारण क्षेत्र के कृषकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जनहित में तरबगंज में मण्डी समिति का निर्माण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए तरबगंज में मण्डी समिति का निर्माण किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड कलान के ग्राम पचदेवरिया व वैगनीखेड़ा के मध्य रपटुआ नाला पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस'-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद शाहजहांपुर की 131, कटरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विकास खण्ड कलान के ग्राम पचदेवरिया व वैगनीखेड़ा के मध्य रपटुआ नाला पर पुलिया न होने से कृषकों को अपना गल्ला लाने व ले जाने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ब्लाक मुख्यालय, तहसील मुख्यालय पर आने-जाने में 10 कि0मी0 की बजाय 40 कि0मी0 की अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। जिससे कृषकों व क्षेत्रवासियों को राजस्व का नुकसान होता ही है साथ ही साथ समय भी बहुत लगता है तथा छात्र/छात्राएं बरसात में स्कूल नहीं जा पाते है। मेरे द्वारा कई बार उक्त गम्भीर समस्या के निदान हेतु शासन व प्रशासन में लिखित व मौखिक शिकायत करने के बावजूद अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। अतः जनहित में उपरोक्त नाले पर पुलिया निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः नियम-51 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त मामले में वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर में स्थित बजाज शुगर मिल, गांगनौली में किसानों का गन्ना का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र कुमार निम-

[महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र में बजाज शुगर मिल, गांगलौली स्थित है। शुगर मिल द्वारा सही समय पर गन्ना भुगतान नहीं किया जा रहा है और सरकार की नीतियों का उल्लंघन हो रहा है,

---

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिससे स्थानीय किसानों में रोष व्याप्त है। शुगर मिल द्वारा किसानों के गन्ना मूल्य का शीघ्र भुगतान कराया जाना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूँ।]

जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड गुलावठी में काली नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद के गांव नवादा, विकास खण्ड-गुलावठी, जनपद-बुलन्दशहर में निवास करने वाले लगभग 500 किसानों के खेत गांव के पास से बह रही काली नदी के दूसरी तरफ पड़ते है। काली नदी पर पुल न होने के कारण उनको अपने खेतों में कार्य करने के लिए जाने पर भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। बरसात के दिनों में यह कठिनाई और अधिक बढ़ जाती है। जिस कारण से आवागमन बाधित हो जाता है तथा नदी के पार के खेत खाली रह जाते हैं। जनहित में उक्त पुल का निर्माण नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

जनपद फैजाबाद के वि0स0 क्षेत्र रूदौली की ड्रेनों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामचन्द्र यादव-

[महोदय, जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रूदौली की ड्रेनों की सफाई विगत 10 वर्षों से नहीं की जा रही है जिनके कारण क्षेत्र के कई दर्जन गांव में वर्षात के दिनों में जल भराव होता है वि0स0क्षे0 रूदौली की ड्रेनों की सफाई का कार्य जनपद बाराबंकी के बाढ़ कार्य खण्ड द्वारा सम्पादित किया जाता है। मेरे द्वारा कई बार जनपद की बैठकों में बाराबंकी के सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश हेतु जिलाधिकारी, फैजाबाद को अवगत कराया गया परन्तु अभी तक कोई धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त नहीं की गई आगामी वर्षाकाल में यह समस्या क्षेत्र की बड़ी समस्या बन जायेगी। इस गम्भीर समस्या के निदान के लिए रूदौली वि0स0क्षेत्र के सभी ड्रेनों की सफाई का कार्य कराये जाने के लिए धनराशि की स्वीकृति समय से किये जाने की आवश्यकता है। सिंचाई विभाग, उ0प्र0 के प्रमुख सचिव को भी मेरे द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए पत्र भेजा गया है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार से कार्रवाई करने की मांग करता हूँ।]

जनपद अमरोहा के अन्तर्गत गजरौला रेलवे स्टेशन के पास रेलवे पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव तरारा-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र धनौरा जनपद अमरोहा अन्तर्गत गजरौला रेलवे स्टेशन के पास रेलवे फुट ओवरब्रिज न होने के कारण मो0 शिवपुरी व बसन्त बिहार के लोगों को लाइन पार

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

करके दूसरी तरफ जाना पड़ता है। इस क्षेत्र के छात्र-छात्रायें स्कूल जाने के लिए फुट ओवरब्रिज के अभाव मे रेलवे लाइन फांद कर दूसरी तरफ अपने स्कूलों में आते-जाते हैं जिससे आये दिन दुर्घटनायें होती रहती है। जनहित में फुट ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए गजरौला रेलवे स्टेशन के पास रेलवे फुट ओवब्रिज बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बरेली के वि0स0 क्षेत्र फरीदपुर में नदी पर कतिपय पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 श्याम बिहारी लाल-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 122-फरीदपुर में निम्नलिखित स्थानों पर नदियों के पुल न होने के कारण क्षेत्र की जनता को अत्यन्त कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। गन्ने का क्षेत्र होने के कारण चीनी मिल तक गन्ना पहुंचाने में भी काफी असुविधा होती है। यदि निम्नलिखित स्थानों पर पुलों का निर्माण कर दिया जाय, तो निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास होगा तथा जनता के जीवन में खुशहाली भी आ जायेगी।

1-नगरिया कलां से सेरा (बदायूं जनपद),

2-मिर्जापुर से सिमरा केशोपुर तक,

3-हसनगंज से टिसुआ तक,

4-फतेहगंज पूर्वी से पच्चड़ (शाहजहांपुर जनपद),

5-सलेमपुर से खुदागंज की ओर (शाहजहांपुर जनपद)।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्ब लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त स्थानों पर पुलों का निर्माण किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद मेरठ में लौटी (साफियाबाद) के पास काली नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्यवीर त्यागी-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र किठौर जनपद मेरठ में लौटी (साफियाबाद) ब्लाक खरखोदा अन्तर्गत काली नदी पर पुल का निर्माण न होने के कारण आम जनमानस को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। काली नदी के दूसरी तरफ जाने हेतु जनमानस को काफी चक्कर लगाकर आना-जाना पड़ता हैं लोग चक्कर लगाने से बचने के लिए जुगाड़ करके उस पार अपने कार्यों के निष्पादन के लिए जाते है जिससे कई बार दुर्घटनायें हो जाती है। इसलिए काली नदी पर पुल का निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए लौटी के पास काली नदी पर पुल बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सहारनपुर के गंगोह ब्लाक के ग्राम चाउपुरा में बिजली घर बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप कुमार-

[महोदय, जनपद सहारनपुर विधान सभा क्षेत्र गंगोह के अन्तर्गत गंगोह ब्लाक के ग्राम चाउपुरा में बिजली घर बनवाया जाना आवश्यक है। जिससे ग्रामीणों का काफी सुविधा होगी।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूँ।]

जनपद उन्नाव के ब्लाक औरास में अग्निशमन केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बृजेश कुमार-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मोहान जनपद उन्नाव के ब्लाक औरास में एक भी अग्निशमन केन्द्र नहीं है जिसके कारण आग लगने की घटना में अग्निशमन के अभाव में काफी नुकसान होता रहता है। आग लगने की घटना पर सूचना देने के बाद काफी देर से अग्निशमन की गाड़ियों के पहुंचने से काफी क्षति हो जाती है। जनहित में जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान अन्तर्गत ब्लाक औरास में एक अग्निशमन केन्द्र की स्थापना किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। क्षेत्र की जनता द्वारा काफी समय से मांग की जा रही है परन्तु अभी तक इस पर कोई कार्यवाही न होने से जनमानस में निराशा व्याप्त है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनपद उन्नाव के ब्लाक औरास में अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद वाराणसी के वि0स0 क्षेत्र रोहनियां के कतिपय ग्रामों में नाला बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र नारायण सिंह-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र रोहनियां जनपद वाराणसी के मझाली, नाथूपुर, जलालीपट्टी, भूलनपुर आदि गांव में जल निकासी का कोई साधन नहीं है। यह गांव चारों तरफ से घिरे हुए हैं। उत्तर में जी0टी0 रोड, दखिण में रेल लाइन, पू0 में डी0एल0डब्लू पश्चिम में पी0ए0सी0 है। जल निकासी हेतु नाला न होने के कारण इन गांव के निवासियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यहां लोग जल जमाव के काारण संक्रामक बीमारियों का भी शिकार होते रहते है। जनहित में जल निकासी हेतु नाला बनाया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने हुए उपरोक्त गांवों के जल निकासी हेतु नाला निर्माण हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मथुरा में नोएडा-आगरा एक्सप्रेस-वे से बल्देव में उतरने एवं चढ़ने के लिये कट बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बल्देव जनपद मथुरा से नोएडा-आगरा एक्सप्रेस-वे निकल रहा है, इसके मध्य बल्देव में दाऊजी महाराज का विशाल मन्दिर है, जहां प्रतिदिन स्थानीय व अन्य प्रदेशों से दर्शन हेतु लाखों श्रद्धालुओं का आना-जाना बना रहता है। श्रद्धालुओं को दाऊजी महाराज के दर्शन हेतु आने के लिये एक्सप्रेस-वे से राया अथवा आगरा उतरना पड़ता है और 50 कि0मी0 का चक्कर लगाकर आना पड़ता है, जबकि हमारे क्षेत्र बल्देव से एक्सप्रेस-वे गुजरता है। श्रद्धालुओं एवं जनहित में नोएडा-आगरा एक्सप्रेस-वे से बल्देव में उतरने एवं चढ़ने के लिये कट उपलब्ध किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये जनपद मथुरा के नोएडा-आगरा एक्सप्रेस-वे से बल्देव में उतरने एवं चढ़ने के लिये कट उपलब्ध किये जाने की कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद मथुरा के तहसील बीसलपुर मुख्यालय में आई0टी0आई0 अथवा जी0टी0आई0 बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश रामसरन वर्मा-

[महोदय, जनपद पीलीभीत का तहसील मुख्यालय एक ऐसा केन्द्र है, जहां कि प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी तकनीकी शिक्षा की कोई भी व्यवस्था नहीं है, जोकि सम्बन्धित परिक्षेत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण ही है। तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था के अभाव में शिक्षार्थियों को जनपद के बाहर जाना स्वभाविक है। अनेकों शिक्षार्थी धन अभाव में तकनीकी शिक्षा के लिए बाहर जाने से असमर्थ होने के कारण वंचित रह जाते है। विगत दिनों तहसील बीसलपुर हेतु तकनीकी शिक्षा व्यवस्था की दृष्टि से बीसलपुर-बरेली मार्ग पर भूमि प्रस्तावित की गयी परन्तु संयोगवश तकनीकी शिक्षा संस्थान अधिष्ठापित नहीं हो सका। तहसील बीसलपुर मुख्यालय हेतु नितांत आवश्यक है कि प्राविधिक शिक्षा की दृष्टि से एक संस्थान आई0टी0आई0 अथवा जी0टी0आई0 अधिष्ठिापित किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराकर अपेक्षित कार्रवाई कराने की कृपा की जाय।]

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड बभनजोत के टू-लेन को मनकापुर के टू-लेन मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभात कुमार वर्मा-

[महोदय, अगवत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 301-गौरा जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड बभनजोत को टू-लेन प्रमुख मार्ग व तहसील मनकापुर को भी टू-लेन प्रमुख से गोण्डा जिला मुख्यालय से जोड़ना अत्यन्त आवश्यक है। जहां जिला मुख्यालय से 80 कि0मी0 दूरी पर होने के

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जनहित में उक्त प्रमुख मार्ग को टू-लेन बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

झांसी के भगवन्तपुरा क्षेत्र में नियम विरुद्ध स्थापित स्लाटर हाउस के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवि शर्मा-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद झांसी के नगर विधान सभा क्षेत्र भगवन्तपुरा क्षेत्र में पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण वधशाला नियम-2001 (प्रीवेंटेशन ऑफ क्रूयल्टी टू एनीमल) के निर्देशों का अनुपालन न कर नियम के एकदम विरुद्ध 'अलमर्जिया' नाम से एक स्लॉटर हाऊस को स्थापित किया गया है। स्लॉटर हाऊस पशुओं का परिवहन, स्लॉटर, स्टोरेज एवं लोकल उपयोग या एक्सपोर्ट अधिनियमों एवं नियमों के अनुरूप कार्य करता है, लेकिन यहां स्लॉटर हाऊस नियमों के विरुद्ध चल रहा है। यह स्लॉटर हाऊस उक्त क्षेत्र की धनी आबादी के बीचों-बीच है एवं पशुओं की अधिक कटान से क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है। जनहित में उक्त स्लॉटर हाऊस की जांच कराकर बन्द कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूँ।]

वाराणसी-मिर्जापुर मार्ग पड़री से छीतमपुर वाया गोल्हनपुर होते हुए मार्ग को चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध मे नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमाशंकर सिंह-

[वाराणसी-मिर्जापुर मार्ग पड़री से छीतमपुर वाया गोल्हनपुर होते हुए जौगढ़ मार्ग पर यातायात का दबाव अधिक होने के कारण जाम की समस्या रहती है साथ ही आये दिन दुर्घटनायें भी होती रहती है। यातायात के दबाव को देखते हुए इस मार्ग का चौड़ीकरण करया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वाराणसी-मिर्जापुर मार्ग पड़री से छीतमपुर वाया गोल्हनपुर होते हुए जौगढ़ का चौड़ीकरण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद पीलीभीत के मझोला में बन्द पड़े सहकारी चीनी मिल को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय सिंह गंगवार-

[महोदय, जनपद पीलीभीत में सहकारी चीनी मिल मझोला बहुत लम्बे समय से बन्द है जिसके कारण क्षेत्र के गन्ना किसान, कर्मचारी मजदूर सभी परेशान है। पीलीभीत गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है।

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस मिल के बन्द हो जाने से गन्ना किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गयी है साथ ही इसमें अलग कर्मचारी, मजदूर भूखमरी के कगार पर है। क्षेत्र के गन्ना किसान एवं कर्मचारी तथा मजदूरी द्वारा धरना प्रदर्शन भी मिल को चालू किये जाने हेतु किया गया परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सराकर का ध्यान आकृष्ट करते हुए मझोला चीनी मिल पीलीभीत चालू किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद जौनपुर के वि0स0 क्षेत्र केराकत के विकास खण्ड मुफ्तीगंज में सड़क के चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दिनेश चौधरी-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 372-केराकत, जनपद जौनपुर में विकास खण्ड मुफ्तीगंज में खड़हर डगरा मोड़ से आजादनगर, पेसारा, करमौना होते हुए जनपद आजमगढ़ सीमा तक का सड़क का चौड़ीकरण होना अति आवश्यक है। जिससे आम जनमानस को एक जिले से दूसरे जिले तक पहुंचने में आसानी हो सकेगी। इससे दूरी भी कम हो जाने से आम जनमानस का समाय एवं खर्च भी कम होगा।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद लखीमपुर खीरी के वि0स0 क्षेत्र धौरहरा के सिंचाई खण्ड शारदानगर में अधिशासी अभियन्ता की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

[महोदय, आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र धौरहरा जनपद खीरी के सिंचाई खण्ड शारदानगर में अधिशासी अभियन्ता श्री धुवचन्द वर्मा कार्यरत हैं इसके पूर्व भ्रष्टाचार की जांच मे दोषी पाये जाने पर दो आरोप पत्र मिले हैं तथा वर्ष 2017 में बाढ़ खण्ड गोरखपुर में तैनाती समय जांच में निलम्बित किये गये तथा दोष का आरोप पत्र भी संभावित है। फिर भी अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड शारदानगर, लखीमपुर में तैनात किये गये हैं इसी बीच लिंक चैनल 26400 से 28400 के मध्य उपखण्ड के अवर अभियन्ताओं से एम0वी0 न कराकर पुराने भुगतान का अन्य अवर अभियन्ताओं से तत्काल ठेकेदारों से मोटी रकम लेकर एम0वी0 कराकर भुगतान करा दिया गया है तथा सरकारी धन का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद गोरखपुर के वि0स0 क्षेत्र बांसगांव के ब्लाक कौड़िराम के अन्तर्गत कुशवासी क्षेत्र में बिजली सब-स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 विमलेश पासवान-

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बांसगांव ब्लाक कौड़िराम के अन्तर्गत कुशवासी क्षेत्र जो लगभग 32 ग्रामसभाओं के लिए 1,20,000 की ग्रामीण आबादी का एक विराट क्षेत्रफल है। इसमें दूसरे फीडर

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

से बिजली की आपूर्ति की जाती है जो कि 25-30 कि0मी0 की दूरी पर है। जब कभी बिजली की फाल्ट होती है तो ठीक होने में कई सप्ताह लग जाते है। जिससे इस क्षेत्र के निवासियों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र के निवासियों द्वारा कुशवासी (मलांव ग्राम सभा) में एक विद्युत सब-स्टेशन बनाये जाने की मांग काफी समय से की जा रही है परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही न होने से क्षेत्र के निवासियों में निराशा व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कुशवासी (मलांव ग्राम सभा) क्षेत्र में सूचारू विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत सब-स्टेशन बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बदायूं के वि0स0 क्षेत्र दातागंज के विकास खण्ड म्यांऊ के कतिपय गांवों का रामगंगा से कटान रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र दातागंज जनपद बदायूं के विकास खण्ड म्याऊं के गांव चितरी एवं ग्राम सिमरिया देदू खाम में रामगंगा द्वारा बीते वर्ष गांव को एक तरफ से काटना शुरू कर दिया और इसी तरह विकास खण्ड सावा के गांव जाटी को गंगा नदी द्वारा काटना शुरू कर दिया परन्तु इस हेतु तुरन्त के उपाय से जन धन हानि होने से बचा लिया गया है परन्तु कोई स्थायी व्यवस्था न हो पाने के कारण इसका दुष्परिणाम बहुत भंयकर होगा और काफी जन धन की हानि होगी। इस कटान को रोकने के लिए विभाग द्वारा योजना बनाकर शासन को प्रेषित कर दी गयी है परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही न होने से जनमानस में भय व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त तीनों गांवों को कटान से रोकने हेतु स्थायी व्यवस्था किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद कानपुर देहात के वि0स0 क्षेत्र सिकन्दरा के अन्तर्गत सिलहरा के प्राचीन तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजीत पाल सिंह-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र 207 सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत एक बहुत बड़ा प्राचीन तालाब सिलहरा में स्थित है। यह तालाब अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सरकार तालाबों के रख-रखाव पर बहुत ध्यान रख रही है परन्तु इस तालाब की उपेक्षा के कारण पहले से बनी सीढ़ियां जर्जर हो गयी है। जनहित में इस तालाब का सौन्दर्यीकरण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्राचीन तालाब सिलहरा का सौन्दर्यीकरण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद चन्दौली के मुगलसराय, भुपौली और चहनिया सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जनपद चन्दौली के विधान सभा सकलडीहा के अन्तर्गत उक्त मार्ग स्थित है। जो एशिया के माने

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जाने मुगलसराय यार्ड जो जोड़ता है साथ ही साथ बनारस और गाजीपुर को भी जोड़ने का कार्य करता है। वर्तमान समय में यह मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। हजारों लोगों का प्रतिदिन आना जाना बना रहा है। उपरोक्त मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है जो बनारस, गाजीपुर, जमुनियां होते हुए बिहार को जोड़ने का भी काम करता है। उपरोक्त मार्ग के न बनने व खराब स्थिति में रहने के कारण आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जनहित में उपरोक्त मार्ग/सड़क का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। यह मार्ग आम जनता से जुड़ा हुआ है और लोक महत्व का है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए मुगलसराय, भुपौली, चहनियां सम्पर्क मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण किये जाने की मांग सरकार से करता हूँ।]

जनपद जौनपुर के वि0स0 क्षेत्र शाहगंज के अन्तर्गत ग्राम गैरवॉह में बिजली सब-स्टेशन शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र शाहगंज जनपद-जौनपुर के अन्तर्गत ग्राम गैरवॉह में 400 के0वी0ए0 का सब-स्टेशन पिछली सरकार में स्वीकृत हुआ था जिस पर धन भी आवंटन हो गया था तथा इसका टेन्डर भी हो गया था तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव द्वारा इसका शिलान्यास भी किया जा चुका है। परन्तु अभी तक कार्य शुरू नहीं कराया जा सका है। जिसके कारण जनपद में बिजली की गम्भीर समस्या है तथा लोगों में आक्रोश भी व्याप्त है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल निर्माण कार्य शुरू कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद अमेठी के कोतवाली मुसाफिर खाना में मु0 आ0 सं0-36118 के अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अबरार अहमद-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। राघवेन्द्र प्रकाश द्विवेदी पुत्र माता फेर द्विवेदी ग्राम अजिआउर देवी का रहने वाला है। जिसके खिलाफ वर्ष 2001 से लेकर अब तक कुल पन्द्रह मुकदमें पंजीकृत हैं। जिसमें धारा 376, 395, 307, 452, 427, 354ए, 332, 341, 353 आई0पी0सी0 व 7 सी0एल0ए0 ऐक्ट व एस0सी0/एस0टी0 एक्ट जैसी गम्भीर धाराओं में मुकदमें पंजीकृत हैं, यह कोतवाली मुसाफिर खाना का हिस्ट्रीशीटर हैं इसके द्वारा क्षेत्र के लोगों में भय उत्पन्न कराकर अवैध खनन का कार्य कराया जाता है। पुलिस प्रशासन के नाक में दम कर दिया है। दिनांक 24-02-2018 को इनके द्वारा अवैध खनन कराया जा रहा था जिसको रोकने गये सिपाहियों को बंधक बनाकर जान लेवा हमला किया गया। गांव वालों व राहगीरों ने सिपाहियों को छुड़ाया, सिपाहियों द्वारा इनके खिलाफ थाना कोतवाली मुसाफिर खाना, जनपद अमेठी में मु0अ0सं0-36/18 पंजीकृत हुआ है जिसमें अभियुक्त राघवेन्द्र प्रकाश द्विवेदी मुख्य अभियुक्त है। क्षेत्रीय विधायक द्वारा अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है जिससे उक्त अपराधी का हौसला

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बढ़ता जा रहा है इसी परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित पुलिस चौकी के एस0आई0 व तीन सिपाहियों को दबाव बनाकर निलंबित करा दिया गया। उक्त अभियुक्त राघवेन्द्र प्रकाश द्विवेदी खुलेआम घूम कर जनता में भय पैदा कर रहा है जिससे स्थानीय जनता में असुरक्षा एवं रोष की भावना व्याप्त है।

अतः इस गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल अभियुक्त राघवेन्द्र प्रकाश द्विवेदी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही किये जाने एवं पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर लिये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद आजमगढ़ के तहसील सदर के ग्राम करनपुर में फर्जी बिल को वसूलने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ जनपद-आजमगढ़ के तहसील सदर के ग्राम करनपुर, विकास खण्ड, पल्हनी पो0-चण्डेसर जो राजभर बस्ती का पश्चिम पुरवा है। यहाँ पर बिजली के खम्भे लगाये गये है। परन्तु तार तक नहीं खिंचा है और गांव में रहने वालों के नाम 24000/- रु0 का बिल आ गया है जिनकी संख्या 27 लोगों की है। जो अत्यन्त गरीब और मजदूर है। इससे ऊर्जा विभाग की घोर लापरवाही प्रतीत होती है। जनहित से जुड़ा हुआ प्रकरण है और लोक महत्व का है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर गांव में रहने वाले 27 व्यक्तियों के खिलाफ हो रही अवैध वसूली को समाप्त कर सरकार से ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद सीतापुर के वि0स0 क्षेत्र महमूदाबाद के अन्तर्गत स्वीकृत सड़क धरमपुर से धोबियनपुरवा व गुलामपुर से बनिगवां मार्गों का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद के अन्तर्गत व्यापार विकास निधि के अन्तर्गत स्वीकृत सड़क धरमपुर से धोबियनपुरवा व गुलामपुर से बनिगवां दोनों मार्गों पर लगभग काम होकर लगभग एक वर्ष में ज्यादा समय से अधूरी सड़क निर्माण कार्य के लिए पड़ी है। सड़क खराब होने के कारण जनता को चलने-फिरने में काफी परेशानी हो रही है जिससे क्षेत्र के लोगों में काफी असन्तोष व्याप्त है। जनहित में उक्त कार्य को कराया जाना नितान्त आवश्यक है। लोक महत्व का है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उक्त कार्य को कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद मैनपुरी के वि0स0 क्षेत्र किशनी में स्थित बस स्टैण्ड का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

इंजी0 ब्रजेश कठेरिया-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनी जनपद मैनपुरी में किशनी स्थित बस स्टैण्ड जीर्ण-शीर्ण हालत में है। बरसात के दिनों में पानी भर जाता है जिससे यात्रियों को बहुत असुविधा होती है तथा नगर पंचायत कुशमरा

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में इटावा, बरेली हाइवे होने के बाद भी बस स्टैण्ड नहीं है जिससे क्षेत्रीय जनता को बहुत परेशानी होती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर दोनों उपरोक्त नगर पंचायतों में बस स्टैण्ड तत्काल बनाये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद लखनऊ के अन्तर्गत संयुक्त चिकित्सालय, ठाकुरगंज में कतिपय भ्रष्टाचार होने के सम्बन्ध में नियम-301 में अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद लखनऊ के अन्तर्गत संयुक्त चिकित्सालय ठाकुरगंज लखनऊ में कनिष्ठ लिपिक के पद पर वर्ष 1996 में कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति के उपरान्त वरिष्ठ लिपिक के पद पर समायोजित ई0एम0ओ0 जनपद लखीमपुर खीरी के अधीन तैनात किये गये। इसके बाद इन्होंने पांच माह व्यतीत होने के उपरान्त निदेशक (प्रशासन) स्तर से एवं उच्च अधिकारियों की मिली भगत करके इन्होंने पुनः व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए टी0बी0अस्पताल ठाकुरगंज लखनऊ में तैनाती करवा ली। क्योंकि इनके द्वारा आये दिन फर्जीवाड़ा करके सरकारी धन का दुरुपयोग किया जाता है और वरिष्ठ लिपिक के द्वारा ऐसी बहुत ही अनियमितितायें की गयी है। उक्त चिकित्सालय में यह लगभग 22 साल से कार्यरत है। यहां पर यह तैनात रह करके राजनैतिक दबाव डालकर अवैध वसूली करते रहते हैं। इस तरह से इन्होंने निदेशालय में रहकर केवल अवैध वसूली का कार्य किया है। ऐसी स्थिति में इनको उक्त अस्पताल से हटाया जाना नितान्त है। जनहित से जुड़ा हुआ विषय है और लोक महत्व का है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण पर कार्यवाही किये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।]

जनपद लखनऊ के वि0स0 क्षेत्र मोहनलालगंज के अन्तर्गत कुबहरा गांव में समेसी मार्ग से कुबहरा तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध मे नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अम्ब्रीश सिंह पुष्कर 'एडवोकेट'-

[महोदय, सादर अनुरोध पूर्वक क्षेत्र की अत्यन्त ज्वलन्त समस्या सदन के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि क्षेत्र के विकासखण्ड मोहनलालगंज के कुबहरा गांव में समेसी मार्ग से कुबहरा तक करीब 800 मी0 सड़क मार्ग है जो कि कच्चा है और इस मार्ग से दर्जनों गावों के लोगों का आना-जाना होता है। उक्त मार्ग का निर्माण कार्य कराया जाना आवश्यक है, उक्त मार्ग को जब स्थानीय संस्थाएं सड़क का निर्माण कराना चाहती है तो उ0प्र0 वन विभाग के अधिकारी रोकते है।

अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि ग्राम कुबहरा से समेसी मार्ग तक पक्का सड़क निर्माण कराया जाय।]

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद लखनऊ के वि0स0 क्षेत्र मलिहाबाद के विकास खण्ड माल में एक बारात घर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती जयदेवी-

[महोदय, समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति कल्याण हेतु विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के विकास खण्ड-माल, जनपद-लखनऊ में एक बारात घर (सामुदायिक केन्द्र) तथा एक छात्रावास (महिला/पुरुष) तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के लिये एक प्रतियोगी कोचिंग संस्थान जनहित में खुलवाया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र-मलिहाबाद के विकास खण्ड-माल में तत्काल एक बारात घर (सामुदायिक केन्द्र) तथा छात्रावास (महिला/पुरुष) एवं अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के लिये प्रतियोगी कोंचिंग संस्थान जनहित में खुलवाये जाने की कृपा करें।]

जनपद बांदा के राजकीय चिकित्सालय में कतिपय चिकित्सकों की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी-

[महोदय, निवेदन के साथ अवगत कराना चाहता हूँ कि बांदा जनपद का जिला चिकित्सालय मण्डल का प्रमुख चिकित्सालय है जहां पर मण्डल के सभी जनपदों के मरीज जिला चिकित्सालय बांदा आते हैं जिस कारण यहां मरीजों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तथा चिकित्सालय में चिकित्सकों की संख्या बहुत ही कम है, जिला चिकित्सालय बांदा में कोई भी आर्थोपैडिक सर्जन उपलब्ध नहीं है जिसकी वजह से छोटी-छोटी दुर्घटनाओं का उपचार भी जिला चिकित्सालय बांदा में सम्भव नहीं हो पाता है इसके अलावा न्यूरो, रेडियोलॉजिस्ट के चिकित्सक भी जिला चिकित्सालय बांदा में नहीं है जिस कारण मण्डल मुख्यालय में आने वाले मरीजों को उपचार हेतु कानपुर अथवा अन्य शहर के लिए रेफर कर दिया जाता है।

अतः महोदय, उपर्युक्त लोक महत्व के विषय पर आपके माध्यम से अनुरोध सहित राजकीय जिला अस्पताल बांदा में आर्थो, न्यूरो व रेडियोलॉजिस्ट के विशेषज्ञ चिकित्सकों के नियुक्ति की मांग करता हूँ।]

जनपद शामली के वि0स0 क्षेत्र कैराना के कतिपय गांवों से लगे यमुना नदी पर बांधों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नाहिद हसन-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र 08 कैराना जनपद शामली के अन्तर्गत ग्राम मवी, ककौर के यमुना पुल से यमुना नदी का बन्धा (पुश्ता) आरम्भ होकर ग्राम बिडौली के यमुना पुल तक जाता है। जो वर्तमान में टूट गया है। उपरोक्त यमुना के बन्दो से 15-20 ग्रामों का रास्ता होकर जाता है। जिसमें ग्रामवासी बेहद परेशान है। ग्रामीणों के सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जनहित में उपरोक्त तट बन्धे का पुनर्निमाण कार्य कराये जाने की आवश्यकता है।

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः उपरोक्त प्रकरण पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग सरकार से करता हूँ।]

जनपद श्रावस्ती के अन्तर्गत नगर क्षेत्र इकौना और कस्बा गिलौला में बन्द पड़े सब-स्टेशन का जीर्णोद्धार और चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम फेरन पाण्डेय-

[महोदय, जनपद श्रावस्ती के अन्तर्गत नगर क्षेत्र इकौना और कस्बा गिलौला में पूर्व से रोडवेज बस स्टेशन स्थापित था। इन दिनों ये दोनों बस स्टेशन बन्द पड़े हैं। इन बस स्टेशनों पर स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है।

आपसे अनुरोध है कि सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल जीर्णोद्धार कराते हुए बसों के संचालन की व्यवस्था कराने का कष्ट करें। जिससें सरकार को भी इस योजना से लाभ मिल सके और सरकारी जमीन अतिक्रमण से बच सके।]

जनपद झांसी के वि0स0 क्षेत्र गरौठा में नवीन स्थापित विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जवाहर लाल राजपूत-

[महोदय, सादर अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गरौठा में नवीन स्थापित राजकीय इण्टर कालेज, खड़ौरा (ब्लाक-गुरसराय), नवीन माडल स्कूल, बरथरी (ब्लाक-मोठ), नवीन माडल स्कूल, कुरेठा (ब्लाक-बामौर) में शीघ्र शिक्षण सत्र तथा पूर्व से संचालित राजकीय महाविद्यालय, समथर, जनपद झांसी में अतिरिक्त कृषि विषयक शिक्षण सत्र प्रारम्भ किया जाना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूँ।]

जनपद गाजीपुर के वि0स0 क्षेत्र गाजीपुर सदर के ब्लाक देवकली के कतिपय गांवों में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 संगीता बलवन्त-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहती हूँ। मेरी विधान सभा क्षेत्र-375 सदर, गाजीपुर ब्लाक-देवकली के ग्रामसभा शिकारपुर, धरीकला, गोला, चिलार, रेवसां, सिहोरी, रामपुर बन्तरा, देवसिहा, इमिलियां आदि में आर्सेनिक युक्त खारा पानी है, जिससे उक्त ग्रामवासियों को अशुद्ध पानी पीना पड़ रहा है, जिससे बीमारी उत्पन्न होने का खतरा बना रहता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए ग्रामसभा ब्लाक-देवकली के उक्त ग्रामसभाओं में पानी की टंकी का निर्माण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।]

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद जालौन के वि0स0 क्षेत्र कालपी के अन्तर्गत ग्राम करनपुरा को सिहारी उरगांव मार्ग को पक्के मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र पाल सिंह कुं0-

[महोदय, निवेदन है कि कालपी विधान सभा के ग्राम करनपुरा विकास खण्ड जालौन किसी भी पक्के मार्ग से नहीं जुड़ा। पक्के मार्ग से जुड़ने हेतु मात्र 1.5 कि0मी0 का मार्ग है जो पक्के मार्ग से जोड़ता है। वर्षा में मरीजों को अस्पताल ले जाने में ग्रामीणों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कृपया करनपुरा को सिहारी उरगांव मार्ग से जोड़ने की कृपा करें।]

जनपद प्रतापगढ़ के वि0स0 क्षेत्र रामपुर खास में प्राथ0 स्वा0 केन्द्र, रानीगंज, कैथौला का उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

[महोदय, रोटी, कपड़ा और मकान की तरह ही मानव जीवन में स्वास्थ्य सुविधाओं का होना भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है, बिना बेहतर चिकित्सीय सुविधा के मानव का जीवन स्वस्थ एवं सुखमय नहीं हो सकता है।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र रामपुर खास, जनपद प्रतापगढ़-एक अत्यन्त पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जो रायबरेली एवं अमेठी जनपदों की सीमा से लगा हुआ है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र से प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय की दूरी भी लगभग 60 कि0मी0 है तथा रायबरेली एवं अमेठी जनपद मुख्यालय भी लगभग 60-70 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। चूंकि मेरा निर्वाचन क्षेत्र अत्यन्त ग्रामीण क्षेत्र है अतः लोगों को समय से चिकित्सीय सुविधा न मिल पाने के कारण लोगों की असामयिक मौत तक हो जाती है। उक्त चिकित्सालय में आने वाले 75% से अधिक मरीज भर्ती होने के काबिल रहते है जिसमें प्रसूति एवं अन्य गम्भीर बीमारियों से पीड़ित लोग होते है अतः जनहित को मद्देनजर रखते हुए लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग-231 पर स्थित **प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रानीगंज कैथौला (अगई)** प्रतापगढ़ को उच्चीकृत करके 30 शैय्याओं वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किया गया था, ताकि आवश्यकता पड़ने पर लोगों का समुचित उपचार हो सके और उनको असमय मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सके। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजीगंज कैथौला, प्रतापगढ़ के लगभग 60% कार्य हो चुका है-**किन्तु निर्माण अधूरा है।** सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रानीगंज कैथौला (अगई) प्रतापगढ़ का निर्माण कार्य अधूरा होने के कारण मरीजों/घायलों को समय से समुचित उपचार न मिलने की वजह से क्षेत्रीय लोगों में चिन्ता, कुण्ठा तथा रोष व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

जनपद बिजनौर के वि0स0 क्षेत्र नगीना के अन्तर्गत कतिपय गांवों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पारस-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। जनपद बिजनौर के मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना के ग्राम किथौड़ा मुक्ति, इस्सेपुर, महमूदपुर, हुसैनपुर मिरा एवं ग्राम सिंकरी में लगभग 10 वर्ष पूर्व राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना से विद्युतीकरण

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हुआ था और 11,000 की लाइनों के नंगे तारों की लाईन ग्रामों में बनवायी गयी तथा तार बहुत ही पतले थे, जो अक्सर टूट जाते थे जिससे कई ग्रामों में जान-माल का भी हादसा हुआ है और 10 सालों में उन लाइनों की हालत जर-जर तारों की वजह से बहुत की खराब है और अधिकतर ग्रामों में ये लाइनें बन्द पड़ी है तथा गांव वाले 100-100 मी0 केबल डाल कर अपने घरों में बिजली जला रहे हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त गांव में नये तरीके से विद्युतीकरण कराने की मांग करता हूँ।

जनपद आजमगढ़ के वि0स0 क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत सिंचाई हेतु शारदा सहायक खण्ड 23 से लिंक अर्धनिर्मित कुड़िहर माइनर शाखा को सक्रिय कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आजाद अरिमर्दन-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद-आजमगढ़, तहसील-लालगंज की ग्राम सभाएं-असवनियां, खरगीपुर व कुड़िहर की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। उक्त ग्राम सभाओं में किसानों की सिंचाई सुविधा के लिए शारदा सहायक खण्ड-23 से कुड़िहर माइनर शाखा का आधा निर्माण वर्ष 1987 से पूर्व हो चुका था, जिसे पूर्ण कराये जाने हेतु तत्कालीन विधान सभा सदस्य श्री बेचई सरोज द्वारा दिनांक 27-08-2015 को नियम-301 के अन्तर्गत उक्त माइनर को चालू कराये जाने विषयक सूचना सदन में दी गयी थी, जिसके उत्तर/सूचना में मा0 सिंचाई मंत्री द्वारा उक्त माइनर का पूर्ण निर्माण कराये जाने व अन्य भागों में पुनर्स्थापित किए जाने के प्रयास किये जाने का आश्वासन दिये जाने के बाद भी आज तक उक्त माइनर का पूर्ण निर्माण नहीं हो सका है। जिसके कारण हजारों किसान सिंचाई सुविधा से वंचित हो रहे हैं, एवं सूखा पड़ जाने के कारण फसलें भी बर्बाद हो जाती है। शासन-प्रसाशन की घोर लापरवाही के कारण समस्त किसानों में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है।]

जनपद फिरोजाबाद के यमुना नदी पर रामदासपुरा से भोलपुरा तक सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

[महोदय, जनपद फिरोजाबाद में यमुना नदी पर प्रस्तावित सेतु ग्राम रामदासपुरा सिरे पर निम्न ग्राम जैसे-चन्द्रवार, माली पट्टी, उस्मानपुर, अलादीपुर, कटीनर, कबीरपुरा आदि ग्राम हैं तथा जनपद आगरा के भोलपुरा घाट सिरे पर भोलपुरा, बमरौली, कसियाई, ककरीली, छतैयापुरा, मटियागढ़, मोहनपुर, बरागपुर, उझावली, कोटपुर, बदौकर, अई, पिन्नापुर आदि ग्राम आते हैं। उपरोक्त गांवों की आबादी लगभग 40,000 है जो नाव द्वारा यमुना नदी को पार कर अपने नियमित कार्यों का एवं रोजमर्रा के कार्यों को सम्पादित करते हैं लेकिन वर्षा ऋतु में यमुना नदी में अत्यधिक जल प्रवाह के कारण नाव द्वारा भी नदी को पार करना सम्भव नहीं होता है। यदि इस स्थल पर सेतु का निर्माण किया जाय तो नदी के बायें तटबंध पर स्थित ग्राम जैसे-चन्द्रवर, माली पट्टी, भैसा बाट, उसमानपुर, लादीपुर, कटीवर, कबीरपुर के निवासियों के लिये फतेहाबाद तहसील (जनपपद आगरा) की दूरी लगभग 50 कि0मी0 कम हो जायेगी एवं फतेहाबाद की ओर निवास करने वाले नागरिकों को नदी के बायें तटबंध की ओर आवागमन सुगम हो जायेगा। इस स्थल पर सेतु के निर्माण हो जाने पर न केवल इस क्षेत्र का चहुंमुखी विकास सम्भव हो सकेगा बल्कि इस क्षेत्र के निवासियों का समय एवं ईंधन (डीजल

एवं पेट्रोल) की भारी बचत होगी एवं भविष्य में इस सेतु का उपयोग लगभग 1,50,000 आबादी के द्वारा किया जायेगा।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल प्रभाव से रामदासपुरा से भोलपुरा घाट तक सेतु निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई करने की मांग करता हूँ।]

जनपद इटावा के वि0स0 क्षेत्र भरथना के कतिपय ग्राम पंचायतों का विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सावित्री कठेरिया-

[महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र भरथना, जनपद इटावा मध्य प्रदेश का सीमावर्ती चम्बल एवं यमुना नदियों का दस्यु प्रभावित बीहड़ी क्षेत्र है, जो विकास की मुख्य धारा से वंचित रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत-नगला शुक्ल, सारंगपुरा, मुकुटपुरा, लखना देहात, दरगापुरा ब्लाक महेवा एवं कुशना, सिरकौरा, बहरपुरा, रमायन, सराय चौरी, ढकपुरा, मुगलपुर, नरैनी ब्लाक भरथना एवं कायंची, सिंडोस, बिरौनाबाग, हनुमंतपुरा, कुंवरपुर कुर्छा, पिरोली कढिया ब्लाक चकरनगर जो मध्य प्रदेश की सीमा से लगी हुई इन ग्राम पंचायतों मुख्य मंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित कर विकास कार्य कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। क्षेत्र की जनता द्वारा काफी प्रयास करने के बाद कोई कार्यवाही नहीं होने से निराशा व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त ग्राम पंचायतों में विकास कार्य कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

मेरठ शहर के मोहल्ला अहमद नगर के कांच के पुल से समर गार्डेन तक डैन्स रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रफीक अंसारी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 48 मेरठ शहर के मोहल्ला अहमद नगर में कांच के पुल से लेकर समरगार्डन तक सीवर लाइन डाली गयी थी। जिस कारण सड़क पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी है। इस मार्ग से लाखों की संख्या में लोगों का आवागमन होता है। शहरी क्षेत्र सड़क खराब होने के कारण रिक्शों के पहिये टूट जाते हैं और गाड़ियां फंस जाती हैं। लम्बा जाम लग जाता है। जनता को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का निस्तारण कांच के पुल से समरगार्डन तक डैन्स रोड बनाकर निस्तारण किया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से उचित कार्रवाई कराने की मांग करता हूँ।]

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी के अन्तर्गत ऐनवां भेड़सारी मार्ग से कमनापुर-अशरफपुर-बरवां तक मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लालजी वर्मा-

[महोदय, जिला-अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र कटेहरी के अन्तर्गत ऐनवां भड़सारी मार्ग से कमनापुर-अशरफपुर-बरवां तक मार्ग अति जर्जर होने के कारण आम जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जिससे क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु लोक महत्व की इस समस्या की तरफ मा0 सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई मांग करता हूँ।]

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत रसूलपुर से रेउरा तक मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम अचल राजभर-

[महोदय, जिला-अम्बेडकर नगर की विधान सभा क्षेत्र 281, अकबरपुर के विकास खण्ड-अकबरपुर के अन्तर्गत रसूलपुर दियरा से रेउरा (ल0 लगभग 2.00 कि0मी0) तक की सड़क अत्यन्त जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है। जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त जर्जर मार्ग को पिच निर्माण कराये जाने हेतु कई बार अनुरोध किया गया है परन्तु अभी तक क्षतिग्रस्त जर्जर सड़क का निर्माण नहीं हो सका है, जिससे क्षेत्रीय जनमानस में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु इस सम्मनित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।]

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड पल्हनी से सटे कोमल कालोनी को जलभराव व प्रदूषण से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखदेव राजभर-

[महोदय, जनपद-आजमगढ़ के विकास खण्ड-पल्हनी से सटे कोमल कालोनी है। जिसकी लम्बी आबादी है यानि 5000 की आबादी से आच्छादित कालोनी है। इस कालोनी का पानी नालों के माध्यम से उत्तर स्थित पोखरी में जाता रहता है। जिसे रेलवे विभाग ने बन्द कर दिया। जिसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि पूरे कालोनी का पानी का बहाव रुक गया है। कालोनी जलमग्न की स्थिति में है। प्रदूषण बढ़ गया है। जनता की मांग है कि राजमार्ग 73 स्थिति बेलईसा रेलवे क्रासिंग के पास बने नाले से जो बेलईसा नाले को आपस में जोड़ता है। इस प्रकार पूर्व नाले को 200 मीटर नाला का निर्माण कर जोड़ दिया जाए तो पानी निकासी की समस्या हल हो जायेगी। इस मांग को लेकर जनता आन्दोलित है। स्थिति किसी क्षण विस्फोटक हो सकती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की मांग करते हुए कालोनी के पानी के निकास की व्यवस्था की मांग करता हूँ।]

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड प्रतापपुर एवं सैदाबाद में कतिपय पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी-

[महोदय, आपके माध्यम से इन सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

जनपद-इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत वि0स0-प्रतापपुर के ग्राम-ठठा के पास पुल एवं राधेश्याम सोखा चम्पापुर में पुल का निर्माण एवं वि0ख0-सैदाबाद के ग्राम-फतूहा में नाले पर पुल का निर्माण एवं वि0ख0-सैदाबाद के ग्राम सभा महाटीकर (नन्दापट्टी) प्राइमरी स्कूल के पास खण्ड-39 द्वारा निकली हुई माइनर पर पुल निर्माण कार्य न होने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन हेतु बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त विकास खण्डों के ग्रामों में पुल निर्माण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों से अनेकों बार अनुरोध किया गया। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिससे आम जनमानस में आक्रोश व्याप्त है, स्थिति विस्फोटक है।

अतः इस लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त पुलों का निर्माण कार्य कराये जाने की कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में स्थिति बेरमांव बाजार में घूरीपुर होते हुये सुजानगंज-बेलवार तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सुषमा पटेल-

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहती हूँ।

अवगत कराना है कि जनपद-जौनपुर के विधान सभा मुंगराबादशाहपुर में बेरमांव बाजार से घूरीपुर होते हुए सुजानगंज बेलवार मुख्य मार्ग तक सड़क निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता है। सुजानगंज एक मुख्य बाजार है जहां पर विकास खण्ड, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इत्यादि स्थित है जहां पर आमजन का प्रतिदिन भारी संख्या में आवागमन होता है। बेरमांव बाजार तथा इसके आस-पास के नागरिकों को सुजानगंज आने में लगभग 20 कि0मी0 की अनावश्यक दूरी तय करनी पड़ती है। यदि प्रस्तावित सड़क का निर्माण हो जाय तो मात्र 3 कि0मी0 की दूरी तय करनी पड़ेगी। उक्त मार्ग निर्माण हेतु सम्बन्धित विभाग को अनेको बार अवगत कराया गया लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त बेरमांव बाजार से घूरीपुर होते हुए सुजानगंज बेलवार मुख्य मार्ग तक निर्माण कार्य कराये जाने की मांग करती हूँ।]

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गाजियाबाद की तहसील सदर के अन्तर्गत कस्बा डासना में भू-माफियाओं से साठ-गांठ कर सरकारी जमीन पर कब्जा कराने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री असलम चौधरी-

[महोदय, आपके माध्यम से इन सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

कृपया अवगत कराना चाहता हूँ। जनपद-गाजियाबाद की तहसील सदर में कस्बा डासना खसरा नं0-1236 रकबा-0-4-0 पर मोहम्मद यूसुफ लईक सफीक पुत्र श्री रफीक द्वारा जबरन कब्जा कर लिया है और निर्माण कर लिया है। जिसकी शिकायत जनपद-स्तर से लेकर मा0 मुख्य मंत्री तक की गई लेकिन तहसीलदार अजीत प्रेस, नायब तहसीलदार नीरज द्विवेदी, लेखपाल कृष्णपाल ने भू-माफियाओं से साठ-गांठ कर उच्चाधिकारियों को गुमराह किया है कि खसरा नं0-1236 पर सिविल कोर्ट का स्टे है। लेकिन सिविल कोर्ट का स्टे खसरा नं0-1248 पर है। उक्त विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा गलत जानकारी दी गयी है। उक्त मामले को टालने का काम किया है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है और न ही उक्त कब्जे वाली जमीन को मुक्त कराने हेतु कोई कार्यवाही की गई। जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त सरकारी जमीन पर कब्जा कराने एवं निर्माण कराने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई/वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद बहराइच के विकास खण्ड विशेसरगंज के कतिपय ग्रामों को हटा कर विकास खण्ड इकौना में सम्मिलित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहम्मद असलम राइनी (एडवोकेट)-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

आपको अवगत करना है कि जनपद-बहराइच के वि0ख0 विशेसरगंज से हटाकर ग्रामों बालापुर, खजुरार, ललितनगर, भवानीपुर बनकट, तकिया, मझवा बनकट, बढ़नी, जोकहा उक्त सभी ग्राम वि0ख0-इकोना से लगभग 5-6 कि0मी0 श्रावस्ती के वि0ख0 इकौना में सम्मिलित न होने से उक्त ग्रामों के लोगों को लम्बी दूरी तय करना पड़ता है। जिससे ग्रामीणों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति बहुत आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई कराये जाने की मांग करता हूँ।]

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र क्षेत्र हण्डिया के अन्तर्गत ग्राम सभा उमरी में प्राथमिक विद्यालय एवं पंचायत भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हाकिम लाल बिन्द-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

जनपद-इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के अन्तर्गत ग्राम सभा-उमरी मनोहरपुर, वि0ख0-हण्डिया में प्राथमिक विद्यालय नहीं है जिससे वहां के ग्रामीणों के बच्चों को शिक्षा न मिलने से उनका भविष्य अन्धकार में हैं एवं उक्त ग्राम में पंचायत भवन भी नहीं है, जिससे वहां के ग्रामीणों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त ग्राम में प्राथमिक विद्यालय एवं पंचायत भवन का निर्माण कराये जाने की कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद सीतापुर के वन परिक्षेत्र की भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 हरगोविन्द भार्गव-

[महोदय, आपके माध्यम से इन सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

जनपद सीतापुर के वन प्रभाग में सरकार द्वारा वन परिक्षेत्र में वृक्षारोपण कराया गया है, क्षेत्र के भू-माफियाओं द्वारा वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से सांठ-गांठ कर वन भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया है और उक्त भू-माफियाओं द्वारा वन परिक्षेत्र की भूमि पर कृषि कार्य कराया जा रहा है। जिसकी जानकारी स्थानीय उच्चाधिकारियों को भी है, क्षेत्रीय जनता एवं मेरे द्वारा अनेकों बार इसकी शिकायत स्थानीय उच्चाधिकारियों से की गयी परन्तु अभी तक उक्त भू-माफियाओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से क्षेत्रीय जनता में अत्याधिक आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।]

जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज स्थित ग्राम चैनपट्टी व जवहीगयाल में बूढ़ी गंड़क नदी पर पीपे का पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

[महोदय, अवगत कराना है, कि मेरे विधान सभा क्षेत्र, तमकुहीराज, जनपद-कुशीनगर के सेवरही ब्लाक में स्थित ग्राम चैनपट्टी तथा जवहीगयाल में बूढ़ी गंडक नदी पर पीपे के पुल का निर्माण कराना जाना जनहित में अति आवश्यक है। उल्लेखनीय है, कि अभी हाल ही में दिनांक 25-12-2017 को नदी के उस पार अपने खेत से लौटते समय लगभग 350 किसान बड़ी नाव से नदी के इस पार

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आते समय फंस गये थे, जिसकी सूचना मुझे मिलते ही मैं अपने सहकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचा तथा बड़ी मुश्किल से रातभर बचाव कार्य कर उन सभी लोगों को इस पार लाया गया। इसी प्रकार हर वर्ष यहां पर सैकड़ों लोग पुल के अभाव में कृषि कार्य हेतु नदी के उस पार जाते-आते समय डूबते हैं। नदी के उस पार भी लगभग 10 गांव हैं जिनको इस पार आने का कोई रास्ता नहीं है। पूर्व वर्ष में नाव से फसल की कटाई के दौरान जाते समय लगभग 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। इस सम्बन्ध में कई बार स्थानीय प्रशासन एवं शासन को पत्र भेजकर पीपे के पुल का निर्माण कराये जाने का अनुरोध किया गया किन्तु कोई कार्यवाही न होने से किसान आक्रोशित है। जनहित में उक्त स्थल पर जाड़े तथा गर्मी के दिन में (अक्टूबर से मई माह तक) लोक निर्माण विभाग द्वारा पीपे का पुल बनया जाना अति आवश्यक है। प्रकरण जनहित एवं लोक महत्व का है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनपद-कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के सेवरही ब्लाक में स्थित ग्राम चैनपट्टी तथा जवहीगयाल से होकर गुजरने वाली बूढ़ी गंडक नदी पर गांव की तरफ से उस पार तक पीपे के पुल का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय भेजने तथा प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर कार्य कराये जाने की कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूँ।]

नगर निगम सहारनपुर के कतिपय मार्गों पर पक्का नाला बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मसूद अखतर-

[महोदय, लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र, 04 सहारनपुर, जनपद-सहारनपुर नगर निगम, सहारनपुर के ग्राम-रसूलपुर (बेहट रोड) में उमर अली के मकान से रूबी स्टील फैक्ट्री तक नाला निर्माण कराया जाना तथा 2, नगर निगम सहारनपुर के ग्राम-रमजानपुर (बेहट रोड) में इस्तखार सेनेट्री की दुकान से बाबा नर्सरी से आगे हीरो होण्डा की एजेन्सी तक नाला का निर्माण कराया जाना अति-आवश्यक है। दोनों ओर काफी आबादी क्षेत्र है किन्तु कच्चे नाले के कारण हर समय यहां जल भराव बना रहता है। इसलिए समुचित जल निकासी की व्यवस्था हेतु यहां पर पक्का नाले का निर्माण कराया जाना जनहित में अति-आवश्यक है। प्रकरण तात्कालिक, जनहित एवं लोक महत्व का है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त 1-ग्राम-रसूलपुर (बेहट रोड) में उमर अली के मकान से रूबी स्टील फैक्ट्री तक नाला निर्माण एवं 2, नगर निगम सहारनपुर के ग्राम-रमजानपुरा (बेहट रोड) में इस्तखार सेनेट्री की दुकान से बाबा नर्सरी से आगे हीरो होण्डा की एजेन्सी तक नाला का निर्माण कराये जाने तथा सरकार से शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूँ।।]

जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत ग्राम शाहपुर से मलकपुर स्थित शाकुम्बरी नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेश सैनी-

[महोदय, जनहित में लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम शाहपुर से मलकपुर को जाने नाली रोड

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पर शाकुम्बरी नदी पर पुल निर्माण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है क्योंकि ग्राम शहाबुद्दीनपुर चारों ओर से नदियां से घिरा है। पुल का निर्माण न होने से आवागमन में काफी कठिनाइयां होती हैं। आस-पास के गांव भी पुल न होने से प्रभावित होते हैं। बरसात के दिनों में बच्चों का विद्यालय जाना भी मुश्किल हो जाता है। चिकित्सा के लिए भी इन दिनों में मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुल के न होने के कारण कई-कई दिन तक बरसात के दिनों में सम्पर्क मार्ग कट जाता है। यह गांव हर विधान सभा चुनाव में चुनाव बहिष्कार पर उतारू रहता है और प्रत्येक चुनाव में जनप्रतिनिधियों द्वारा पुल का निर्माण कराये जाने का वादा किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में यहां की जनता अति आक्रोषित है। जनहित में शाकुम्बरी नदी पर पुल निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध मे नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बम्बा लाल-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद उन्नाव की 163-सफीपुर विधान सभा क्षेत्र में उन्नाव-हरदोई मार्ग पर स्थित तहसील सफीपुर में मेन रोड से पीखी रोड तक, कोरारी कला से टेनई मार्ग तक, कोरारी मार्ग से माखी नहर पुल तक चेतानखेड़ा से कोरारी मार्ग कच्चे मार्ग हैं। यह क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा है। इस क्षेत्र में अधिकतर पिछड़े व दलित लोग रहते हैं। इन मार्गों के बन जाने से जनता को बहुत ही लाभ मिल जायेगा। अभी तक जनता को इन मार्गों पर रहने वाले हजारों व्यक्तियों को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जनता की मांग को दृष्टिगत रखते हुए इन मार्गों का बनाया जाना जनहित में अति आवश्यक होगा।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनपद उन्नाव की 163-सफीपुर विधान सभा क्षेत्र में निम्न मार्गों को बनाये जाने हेतु मांग करता हूँ।]

जनपद उन्नाव के नगर पालिका बांगरमऊ में पार्क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुलदीप सिंह सेगर-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद उन्नाव की 162-बांगरमऊ विधान सभा क्षेत्र में एक भी पार्क नहीं है। जिससे आमजनों को सुबह-शाम टहलने, ब्यायाम करने में हजारों बुजुर्गों सहित लाखों लोग को दिक्क्त होती है। जनता की मांग को देखते हुए नगर पालिका परिषद् बांगरमऊ में एक बड़ा पार्क बनाया जाना जनहित में होगा।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनपद-उन्नाव की 162-बांगरमऊं विधान सभा क्षेत्र की नगर पालिका परिषद् बांगरमऊ में एक बड़ा हरा-भरा पार्क बनाये जाने की मांग करता हूँ।]

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद आजमगढ़ की तहसील मार्टिनगंज में भू-माफियाओं द्वारा भूमि का अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह''-

[महोदय, मा0 सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री श्याम नारायण यादव, ग्राम-जिवली, थाना-बरहज, तहसील-मार्टिनगंज, जनपद-आजमगढ़ ने आ0 नं0 835 मि0 खाता सं0-023, रकबा 1,3600 हे0 का बैनामा सूर्यभान, राजनारायण आदि निवासी बिथार, जौनपुर से दिनांक 28-09-2012 में करवायी है। उसी बैनामे को सुमित्रा देवी एवं भाभी कुमारी देवी के नाम से दिनांक 09-07-2008 को करवाया गया है। बैनामें में सीमा एवं रेशमा द्वारा क्रय की गयी चौहद्दी एवं बैनामे को न दिखाकर सन् 2008 में दबंग लोगों ने प्रभाव का प्रयोग करते हुये गलत ढंग से कूट रचित बैनामा करवा लिया। इस गलत बैनामें से चौहद्दी के अन्तर्गत श्रीमती आशा देवी द्वारा क्रय की गयी भूमि आ रही है, जबकि श्रीमती आशा देवी का बैनामा व कब्जा दिनांक 15-09-1980 से रहा है।

अतः मा0 सदन से विनम्र अनुरोध है कि इस लोक महत्व के विषय को जो प्रदेश के एंट्री भू-माफियाओं को बढ़ावा देती है, पर वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

लखनऊ-बलिया राजमार्ग के अन्तर्गत पुरा (गढ़िया) स्थित रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर सिंह-

[महोदय, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये सदन को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि लखनऊ-बलिया राजमार्ग लखनऊ को बलिया से जोड़ने वाला एक प्रमुख मार्ग है जिससे अन्य कई जिलों का भारी आवागमन गुजरता है तथा इसी मार्ग पर रसड़ा ब्लाक में हिता का पुरा (गढ़िया) पर पड़ने वाले रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज न होने तथा रेलवे फाटक बार-बार बंद होने से ट्रैफिक का भारी दबाव यहां पर रहता है जिससे अक्सर यहां पर जाम की स्थिति बनी रहती है।

चूंकि मुख्य रेल मार्ग होने की वजह से यहां पर ट्रेनों का आवागमन हर समय बना रहता है कि जिससे इस रेलवे क्रासिंग पर हमेशा जाम की स्थिति बनी होने से जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर लखनऊ-बलिया राजमार्ग के जनपद बलिया में रसड़ा ब्लाक स्थित हिता का पुरा (गढ़िया) पर पड़ने वाले रेलवे क्राासिंग पर जनहित एवं जनसुविधा को देखते हुये अविलम्ब ओवरब्रिज बनाये जाने हेतु शासन से कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

प्रदेश के सड़कों के रख-रखाव हेतु मियाद निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आलम बदी-

[महोदय, उपरोक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा मा0 लोक निर्माण मंत्री जी का ध्यान जनहित में आकर्षित कराना चाहता हूँ।

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सड़कों का नवीनीकरण हो या स्पेशल रिपेयर इसकी मुद्दत 05 साल की होती है लेकिन कोई भी सड़क 02 साल से ज्यादा जनता के सामान्य उपयोग के लायक नहीं रह जाती।

इसका मूल कारण विभाग द्वारा केवल तारकोल के चौड़ाई वाले भाग को दुरुस्त करने ही की रुचि रहती है। पटरियां, मेड़ के सामान बनी रहती है।

इस कारण बरसात में सड़कों पर पानी एकत्रित होकर इसके क्षतिग्रस्त होने का कारण बनता है।

विभाग को पटरियों के दुरुस्त किये जाने के सम्बन्ध में बाध्य किया जाय ताकि सड़कें 05 साल तक जनता के योग्य बनी रहें।

इसके लिये मैं और पूर वत्तर प्रदेश की जनता आपकी आभारी रहेगी।]

जनपद आगरा स्थित संजय प्लेस मार्केट में पार्किंग की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगन प्रसाद गर्ग-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आगरा के संजय प्लेस मार्केट की सभी आन्तरिक जर्जर पार्किंग की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

आगरा संजय प्लेस मार्केट की आन्तरिक सभी पार्किंग जर्जर होने के कारण यहां के ग्राहक व व्यापारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूटर व कार पार्किंग करने में बहुत परेशानी होती है क्षेत्रीय जनता में इसके कारण बहुत रोष है जनहित में उक्त कार्य को शीघ्र कराना अति आवश्यक है।

अतः मैं लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से उक्त महत्वपूर्ण पार्किंगों के निर्माण कराने की मांग करता हूँ।]

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में आयी बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रोशन लाल वर्मा-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद शाहजहांपुर की 133 विधान सभा क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम चक वरैया में गर्रा नदी में गत वर्षों से आयी भीषण बाढ़ से कृषकों की सैकड़ों एकड़ जमीन रेत व मिट्टी से दब गयी है। जिससे कृषकों की जमीन पर कोई फसल पैदा नहीं हो रही है। जिस कारण कृषकों में रोजी-रोटी का संकट व्याप्त है तथा ग्राम वासियों के परिवार भूखमरी की कगार पर है। मेरे द्वारा कई बार लिखित व मौखिक शिकायत शासन व प्रशासन से करने के बाद भी अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो सकी है। अतः जनहित में उपरोक्त गांव की जमीन से मिट्टी हटवाकर कृषकों को पट्टे देना नितांत आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूँ।]

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद लखनऊ के मोहल्ला प्रेम नगर में सीवर लाइन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 आर0 के0 वर्मा-

[महोदय, मैं जनपद लखनऊ की कैंट विधान सभा क्षेत्र के आलमबाग क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले मोहल्ला प्रेम नगर से संबंधित एक अत्यन्त लोक महत्व के विषय पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मोहल्ला प्रेम नगर के अन्तर्गत चन्द्रा गेस्ट हाउस के बगल से जाने वाली गली में सीवर लाइन पड़ी हुयी है, परन्तु उक्त मुख्य गली से लगी हुयी श्री अयोध्या प्रसाद मिश्र के मकान से श्री मुकेश प्रजापति के मकान तक जाने वाली लगभग 60 मीटर लम्बी गली में सीवर लाइन न होने के कारण उक्त गली में नालियों का गन्दा पानी हर समय भरा रहता है, जिस कारण उक्त गली के निवासियों को बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः व्यापक लोकहित में इस मामले को सदन के संज्ञान में लाकर मैं सरकार से आलमबाग, लखनऊ के मोहल्ला प्रेम नगर स्थित श्री अयोध्या प्रसाद मिश्र के मकान से श्री मुकेश प्रजापति के मकान तक जाने वाली गली में सीवर लाइन डाले जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद लखनऊ के इन्दिरानगर क्षेत्र के सी-ब्लाक में सफाई की समुचित व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुशील कुमार 'शाक्य'-

[महोदय, नियम-51 के माध्यम से माननीय सदन का ध्यान का आकृष्ट कराते हुये अवगत कराना है कि जनपद लखनऊ के इन्दिरा नगर क्षेत्र स्थित सी-ब्लाक के अन्तर्गत मकान संख्या-2149/6 एच0 के आस-पास वाले समस्त मकानों के बाहर सफाई की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। उल्लिखित स्थान पर न तो कभी कोई सफाई कर्मी झाड़ू लगाता है और न ही कभी नालियों की सफाई की जाती है। उक्त के कारण हमेशा इलाके में बीमारियों के फैलने की आशंका बनी रहती है। स्थानीय निवासियों ने अनेक बार प्रार्थना-पत्र देकर उक्त समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क किया था किन्तु उनकी उदासीनता के चलते समस्या का निराकरण नहीं हो सका है। विभागीय अधिकारियों की उदासीनता व लापरवाही के चलते स्थानीय निवासियों में काफी रोष व्याप्त है।

अतएव वर्णित क्षेत्र में व्याप्त उक्त समस्या का निराकरण कराये जाने हेतु शासन से वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

प्रदेश के आयुष विभाग में शिक्षकों के अभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र-

[महोदय, उ0प्र0 सरकार, आयुष-मंत्रालय, शासन का आयुष अनुभाग-2 आयुष शिक्षकों के अभाव का रोना रो रहा है, किन्तु वास्तव में समाधान के प्रति अगंभीर एवं उदासीन है। कभी

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सेवानिवृत्तों तो कभी पी0जी0 धारी होम्योपैथी चिकित्साधिकारी जैसे जर्जर व अनुभवहीन बैसाखी का सहारा ले रही है। अद्यतन निर्णय के अनुसार सी0सी0एच0 रूल्स, शिक्षक सेवा नियमावली के आधार पर संविदा आयुष शिक्षकों की भर्ती का फरमान जारी किया गया है। नियम-नियमावली रूल्स आधारित चयन/संस्तुति उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद के अधिकार क्षेत्र में है। जहां से भारी पैमाने पर फर्जी अनुभव प्रमाण पत्रधारी धन बल पर प्रवक्ता, रीडर प्रोफेसर के पद पर काबिज हैं। शिक्षा के प्रयोजनार्थ आयोग द्वारा संस्तुत व शासन द्वारा नियुक्त आयुष शिक्षक निष्प्रयोज्य व निरर्थक है। भारी शिक्षण अनुभवधारी अतिथि प्रवक्ताओं पूर्व अतिथि प्रवक्ताओं व अंशकालिक शिक्षकों का संविदा रूप में नियोजित/समायोजित कर ही समस्या का वास्तव में व सटीक समाधान सम्भव है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर इस सदन के माध्यम से सरकार से कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड में विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धनन्जय कन्नौजिया-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड, जनपद बलिया में स्ट्रीट लाईट लगाने, पुलिया निर्माण आदि कार्यों की शुरूआत काफी दिनों पहले हुई लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के उदासीन रवैये की वजह से यह कार्य अभी तक पूरा नहीं हो सका है। इन कार्यों के पूरा न होने की मुख्य वजह डी0आर0डी0ए0 के ए0ई0 व ब्लाक के बी0डी0ओ0 नगरा व सीयर ब्लाक द्वारा भ्रष्ट मांगे हैं। इन अधिकारियों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की वजह से क्षेत्र का विकास कार्य अवरूद्ध हो रहा है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए निष्पक्ष जांच कराते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग करता हूँ।]

मुजफ्फरनगर सदर में ओम पेराटाइल्स से साँवली तक नाले का निर्माण एवं जल निकासी के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कपिल देव अग्रवाल-

[महोदय, जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर सदर ओम पेराटाइल्स से साँवली नाले तक नाले का निर्माण व जल निकासी का बनना जनहित में आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद मुजफ्फनगर के विकास खण्ड चरथावल में पालीटेक्निक कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार कश्यप-

[महोदय, जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र चरथावल के गांव बाढ़ विकास खण्ड चरथावल में पॉलिटेक्निक कालेज खोलना अति आवश्यक है। क्योंकि यहां पर तकनीकी शिक्षा का

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बहुत अभाव है तथा छात्रों को दूर-दराज के क्षेत्रों में शिक्षा ग्रहण करने जाना पड़ता है जिससे उन्हें परेशानी ही नहीं उठानी पड़ती है बल्कि धन का भी अपव्यय भी होता है। जनहित में पॉलिटेक्निक कालेज खोलना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी में ग्राम धमात में गंग नहर पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रमोद उटवाल-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा 13-पुरकाजी जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत ग्राम-धमात का गंग नहर पुल क्षतिग्रस्त है, जिस पर बैरिगेटिंग कर भारी वाहनों का आवागमन रोक कर रखा है तथा गांव व क्षेत्रवासियों के किसानों को गन्ने की ट्राली व बोगी लगभग 10-12 किमी0 घूमकर लाना पड़ता है, जिससे क्षेत्रवासियों को बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जनहित में ग्राम-धमात का गंग नहर पर पुल का निर्माण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए ग्राम-धमात का गंग नहर पर पुल का निर्माण किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

हैदरगढ़ से रायबरेली जाने वाले मार्ग पर लाही बार्डर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम नरेश रावत-

[महोदय, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बछरावां जनपद रायबरेली में हैदरगढ़ से रायबरेली जाने वाले मार्ग पर हैदरगढ़ से लाही बार्डर (नरथुवा बार्डर तक) लगभग 10 किलोमीटर का मार्ग अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जब कि लाही बार्डर से रायबरेली तक का मार्ग अच्छी स्थिति में है। उक्त दस किलोमीटर तक के मार्ग के जीर्ण-शीर्ण अर्थात् बड़े-बड़े गड्ढे होने के कारण क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बड़े-बड़े गड्ढे होने के कारण उक्त मार्ग पर आये दिन दुर्घटनायें होती रहती है। उक्त मार्ग के बन जाने से आये दिन होने वाली दुर्घटनाओं से क्षेत्र के निवासियों को व आम जनता को निजात मिल जाने के साथ ही आवागमन की अच्छी सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत क्षेत्रीय जनता की मांग है कि हैदरगढ़ से लाही बार्डर (नरथुवा बार्डर तक) लगभग 10 किलोमीटर के मार्ग का बनाया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर जनहित में हैदरगढ़ से लाही बार्डर (नरथुवा बार्डर तक) लगभग 10 किलोमीटर के मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित करने का कष्ट करें।]

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बलिया के ग्राम भरसर (अलमचक) से ग्राम भरसौता तक एवं ग्राम हैबतपुर को कटान से बचने के लिये बन्धे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ला-

[महोदय, प्रत्येक वर्ष गंगा नदी में आने वाली बाढ़ की विभीषका से बचाव हेतु ग्राम भरसर (अलमचक) से ग्राम भरसौता तक बन्धे बनाकर 5 दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों व लाखों की आबादी की रक्षा तथा ग्राम हैबतपुर को कटान से बचाने के लिये ठोकर का निर्माण व ग्राम दरामपुर में जीर्ण-शीर्ण बन्धे का मरम्मत किया जाना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूँ।]

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के कतिपय ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम प्रताप सिंह-

[महोदय, आपको अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर के ग्राम पीपरिया, सवाई, वमाईन, धरैरा तथा अन्य दर्जनों ग्रामों में पानी अत्यधिक खारा व कड़वा है, जिससे लोगों को अनेक तरह के कष्ट व बीमारी हो रही है। जल निगम द्वारा पूर्व में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु प्रस्ताव का प्राक्कलन तैयार कर उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को पत्रांक संख्या-3087/44/88, दिनांक 23-09-2016 को भेजा जा चुका है, परन्तु धन के अभाव में इस योजना पर कोई कार्य नहीं हो पाया है। इस योजना हेतु धन अवमुक्त किया जाना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूँ।]

एटा-आगरा स्टेट हाई-वे को फोर लेन बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विपिन कुमार डेविड-

[महोदय, अवगत कराना है कि एटा-आगरा स्टेट हाई-वे जो कि एटा शहर की लाईफ-लाईन है जिसके सहयोग से जनपद के हजारों लोग (व्यापारी, गम्भीर बीमारी से पीड़ित एवं छात्र-छात्राओं आदि) प्रतिदिन एटा-आगरा जाकर अपना कार्य निपटाते है किन्तु यह मार्ग अभी भी विकसित नहीं है। आगरा से बरेली जाने हेतु भी इस सड़क का उपयोग होता है। सड़क पर अत्यधिक वाहनों का दबाव रहता है परन्तु सड़क पर्याप्त चौड़ी न होने के कारण आये दिन दुर्घटना होती रहती है जिससे जान-माल की हानि होती है। इस सड़क के फोर लेन हो जाने से पूरे क्षेत्र को लाभ मिलेगा। इससे एटा के जनमानस के लिये रोजगार, व्यापार एवं परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं में बढ़ोत्तरी होगी। अतः जनहित में इस सड़क के फोर लेन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये एटा-आगरा स्टेट हाई-वे को फोर लाइन करने की मांग करता हूँ।]

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्रा राऊ में प्रस्तावित आश्रम पद्धति विद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरेन्द्र सिंह राणा-

[महोदय, सादर अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्रा राऊ में कोई आश्रम पद्धति विद्यालय नहीं है। क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिये एक आश्रम पद्धति विद्यालय की मांग लम्बे समय से चल रही है। क्षेत्र के बच्चों के समग्र विकास हेतु विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित आश्रम पद्धति विद्यालय का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ किया जाना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई करने की मांग करता हूँ।]

जनपद महोबा के विधान सभा क्षेत्र चरखारी में राजकीय बालिका इण्टर कालेज में स्टाफ की कमी को पूरा किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ब्रजभूषण राजपूत उर्फ ''गुड्डू भइया''-

[महोदय, आपको अवगत कराना है कि राजकीय बालिका इण्टर कालेज, चरखारी, जनपद महोबा में विभिन्न विषयों के 13 अध्यापक, 1 क्लर्क एवं 6 चतुर्थ श्रेणी के पद खाली है। विद्यालय में लगभग 2000 छात्रायें पढ़ने आती है। शिक्षकों एवं सहायक स्टाफ की कमी के कारण छात्राओं को बहुत असुविधा होती है। इस क्षेत्र में कोई अन्य बालिका इण्टर कालेज न होने के कारण क्षेत्र की छात्रायें इसी विद्यालय में पढ़ने आती है। शिक्षकों की कमी के कारण विद्यालय में सभी कक्षायें संचालित नहीं हो पाती है। छात्राओं को अच्छी शिक्षा के लिये दूर जनपद मुख्यालय जाना पड़ता है तथा जो परिवार आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उनकी बच्चियां नहीं पढ़ पा रही है। कालेज में स्टाफ की कमी पूरा करना जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई करने की मांग करता हूँ।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र, बदलापुर में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

[महोदय, आपको अवगत कराना है कि जनपद जौनपुर की 364-बदलापुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गजेन्द्रपुर से मेढ़ा बाजार तक 3 किमी0, लखनेपुर से बेसहुपुर होते हुये ग्राम गौरा तक 2.5 किमी0, हिलाली त्रिवेणी मिश्रा के घर से बंटी के घर होते हुये सरोज बस्ती तक 6 किमी0, महाराजगंज के राजा बाजार मार्ग से भगवानपुर तक 3.5 किमी0 तथा अगरौरा के बरपुर होते हुये मई तिराहे तक 2 किमी0 जर्जर स्थिति में पड़ी है, जिससे वहां के लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जनहित में उक्त सड़कों का निर्माण कार्य किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये उक्त सड़कों को नव निर्माण किये जाने हेतु कार्रवाई करने की मांग करता हूँ।]

जनपद औरैया में एन0टी0पी0सी0 एवं गेल इण्डिया लि0 दो बड़े उद्योगों को एक में जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनय शाक्य-

[महोदय, जनपद औरैया में एन0टी0पी0सी0 एवं गेल इण्डिया लि0 दो0 बड़े उद्योग कार्यरत है। जिसमें लगे अधिकांश मजदूर बाहर के है। जबकि इस जनपद के लोग केवल पर्यावरण प्रदूषण से पीड़ित होने की मार ही झेल रहे हैं और इन कम्पनियों द्वारा सी0आर0एस0 फण्ड का लाभ जनपद औरैया को नहीं दिया जा रहा है। जिससे स्थानीय मजदूर आन्दोलित है। क्षेत्र की जनता द्वारा इन दोनों उद्योगों को लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे से जोड़ने की मांग सी0आर0एस0 फण्ड से करने की मांग की जा रही है। परन्तु इन दोनों उद्योगों द्वारा न तो जनपद के मजदूरों को समायोजित किया जा रहा है और न हीं लखनऊ आगरा एक्सप्रेस-वे जोड़ने हेतु कोई कार्यवाही की जा रही है। इससे जनपद में तनाव का माहौल है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त दोनों उद्योगों में जनपद के मजदूरों को लगाये जाने एवं जनपद औरैया को लखनऊ आगरा-एक्सप्रेस-वे से जोड़े जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद शामली के वि0स0 क्षेत्र शामली सदर का बाईपास पानीपत-खटीमा मार्ग करनाल रोड को दिल्ली यमुनोत्री बाईपास से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तेजेन्द्र निर्वाल-

[महोदय, जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र सदर शामली का बाईपास जो पानीपत खटीमा मार्ग करनाल रोड से होते हुए दिल्ली यमुनोत्री बाईपास बनना अतिशीघ्र आवश्यक है क्योंकि शामली शहर में आये दिन गन्ना मिल होने के कारण शहर में बहुत जाम की स्थिति बनी रहती है जिससे आमजन को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। जाम की वजह से छात्र-छात्राओं की परीक्षायें छूट जाती है और मरीज जाम के कारण उचित समय पर अस्पताल न पहुंच पाने से उसकी मृत्यु भी हो जाती है।

शहरवासी अत्यन्त परेशान रहते हैं। क्षेत्रवासियों द्वारा अनेकों बार मुझे अवगत कराया गया। क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के कारण मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराता रहूँ। शहर में जाम की अत्यन्त विकट समस्या है इसका निवारण अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सहारनपुर के तहसील नकुड़ के ग्राम टाबर, परगना-सरसवां में दो तालाबों पर अनधिकृत कब्जे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय गर्ग-

[महोदय, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जनपद-सहारनपुर के ग्राम-टाबर, परगना-सरसवां, तह0-नकुड़ के खसरा नं0-961 जिसका क्षेत्रफल 7 बीघा (कच्चा) तथा खसरा नं0-974, जिसका क्षेत्रफल पौने दो बीघा है, पर गांव के दबंग लोगों ने कब्जा किया हुआ है तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं शासन के निर्देश के बावजूद उनका अनधिकृत कब्जा हटवाकर उन्हे जल संरक्षण हेतु तालाब के रूप में खोदा नहीं गया है। दबंगों को गांव के प्रधान का संरक्षण है तथा प्रधान गांव के गन्दे पानी की निकासी उपरोक्त तालाबों में न कराकर गांव में स्थित मन्दिर की जमीन में जबरन कराना चाहता है। इससे गांव में भयंकर तनाव की स्थिति बनी हुई है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर उपरोक्त तालाबों की खुदाई कराकर गांव का गन्दा पानी मौजूद तालाबों में डलवाये जाने हेतु शासन को उचित निर्देश देने की कृपा करें।]

जनपद सुल्तानपुर के इण्टर कालेज में तैनात कार्यवाहक प्रधानाचार्या के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश प्रताप सिंह-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि इण्टर कालेज, सुल्तानपुर में कार्यवाहक प्रधानाचार्या श्रीमती रीना सिंह को जांच में अनर्ह पाया गया है वह इस पद की न्यूनतम अर्हता भी पूर्ण नहीं कर रही है इसके बावजूद उन्हें प्रधानाचार्य के पद का वेतन भुगतान किया जा रहा है जो सरकारी धन का दुरुपयोग है। शिक्षा निदेशक (मा0) लखनऊ उ0प्र0 के कार्या0सं0(1) शि0/मा0-5/13263/2017-18 दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 द्वारा संयुक्त शिक्षा निदेशक, फैजाबाद मण्डल फैजाबाद को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया जिसके अनुपालन हेतु संयुक्त शिखा निदेशक, फैजाबाद मण्डल फैजाबाद ने अपने पत्रांक मा0सु0/17993-95/2017-18 दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया गया परन्तु अभी तक इस सरकारी धन के दुरुपयोग को रोका नहीं जा सका है। उच्चाधिकारी के संज्ञान में होने के बावजूद सरकारी धन के दुरुपयोग पर रोक न लग पाने के कारण सरकार की छवि धूमिल हो रही है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के संज्ञान में लाते हुये सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकने हेतु सरकार से उचित कार्रवाई शीघ्र कराने की मांग करता हूँ।]

जनपद सिद्धार्थनगर के ब्लाक उस्का बाजार के कतिपय ग्रामों में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बहोरन लाल मौर्य-

[महोदय, जनपद सिद्धार्थनगर ब्लाक उस्का बाजार के ग्राम दुमदुमवा, मुड़िला, चोरई, चोरबर, महुलानी के पास बानगंगा मुख्य शाखा नहर गुजरती है। नहर के किनारे कच्ची सड़क का निर्माण हुआ

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उस्का बाजार एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर पहुंचने के लिये सबसे कम दूरी का रास्ता है। स्वास्थ्य केन्द्र पर पहुंचने के लिये जो सम्पर्क मार्ग नहर के किनारे से होकर गुजरता है वो ग्राम दुमदुमवा से होकर मुड़िला होते हुये परसा तक जाता है। जिसकी लम्बाई लगभग तीन किमी0 है। उक्त सम्पर्क मार्ग बेहद ही जर्जर अवस्था में है। सड़क कच्ची है कई जगहों पर कटी है जब कभी हम ग्रामवासियों के परिवारजनों की तबीयत खराब होती है तथा महिलाओं के प्रसव के समय स्वास्थ्य केन्द्र पर पहुंचना होता है तब स्थिति बेहद ही नाजुक हो जाती है। सड़क जर्जर होने के कारण आये दिन दुर्घटना होती रहती है। जिसके कारण कई लोग घायल हो चुके हैं। आम जन को आवागमन में अत्यन्त ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जनहित में उक्त मार्ग का डामरीकरण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से प्रभावी कार्रवाई कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद रायबरेली के सदर वि0स0 क्षेत्र के ग्रामों में कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत

सुश्री अदिति सिंह-

[महोदय, जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि जनपद-रायबरेली के सदर विधान सभा क्षेत्र में निम्नलिखित स्थानों पर सड़क निर्माण कराये जाने की आवश्यकता है। 1-अजरहा से सूरजकुण्डा हाल तक 1 कि0मी0 रोड निर्माण की आवश्यकता है। 2-मैरी (बेला गुसीखी) में मेन रोड से गांव के अन्त तक 700 मीटर सड़क निर्माण कराये जाने तथा 3-बेला भेला पक्की सड़क रजबहा से बेला खारा पक्की सड़क तक वाया नहर पटरी पर लगभग 5 कि0मी0 तक सड़क निर्माण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है। प्रकरण जनहित एवं लोक महत्व का है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये जनपद-रायबरेली के सदर विधान सभा क्षेत्र में उपरोक्त तीनों सड़कों के निर्माण की कार्रवाई शीघ्र कराने की मांग करती हूँ।]

जनपद सिद्धार्थनगर के ब्लाक उस्का बाजार के स्वा0 केन्द्रों पर पहुंचने हेतु कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश गौतम-

[महोदय, जनपद सिद्धार्थनगर ब्लाक उस्का बाजार के ग्राम मझरिया, सुकरौली, मरवटिया कुआं घाटा के पास प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरी महुलानी की सीमा पर स्थित है। स्वास्थ्य केन्द्र पर पहुंचने के लिये सम्पर्क मार्ग जोकि पकड़ी महुलानी सम्पर्क मार्ग से होकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होते हुये मंझरिया तक पहुंचती है। जिसकी लम्बाई लगभग तीन किमी0 है। परन्तु उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर पहुंचने के लिये जो सम्पर्क मार्ग है वह बेहद ही जर्जर अवस्था में है। सड़क कच्ची है कई जगहों पर कटी है जब कभी हम ग्रामवासियों के परिवारजनों की तबीयत खराब होती है तथा महिलाओं के प्रसव

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के समय स्वास्थ्य केन्द्र पर पहुंचना होता है तब स्थिति बेहद ही नाजुक हो जाती है। सड़क जर्जर होने के कारण आये दिन दुर्घटना होती रहती है। जिसके कारण कई लोग घायल हो चुके है। आम जन को आवागमन में अत्यन्त ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जनहित में उक्त मार्ग का डामरीकरण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-301 के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अपेक्षित सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल कुमार मौर्य-

[महोदय, मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अपेक्षित सुविधायें उपलब्ध नहीं हो पा रही है जिसके कारण उनके अध्ययन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। छात्रावासों में आवारा कुत्ते टहलते रहते हैं। कुछ कुत्ते तो छात्रवासों के कक्षों में जा कर उनके खाने के सामान को खा जाते हैं। यदि किसी कुत्ते की मौत हो जाती है तो उसे हास्टल से बाहर करने हेतु वहां का स्टाफ छात्रावासों में अध्ययनरत विद्यार्थियों से पैसा वसूलते है। इसके अतिरिक्त छात्रावास परिसर में लगी हुई घास आदि की सफाई के नाम पर भी विद्यार्थियों से धनराशि वसूली जा रही है। महिला छात्रावासों में छात्रायें कुछ कह नहीं पाती है, जिससे उनसे समय-समय पर पैसा वसूला जा रहा है। बिजली खराब होने, साफ-सफाई न होने पर बाहर से कर्मचारी बुलाया है, करके भी पैसा वसूला जा रहा है, जबकि वहां पर विभागीय कर्मचारी तैनात है। इस प्रकार से पैसा वसूलने का खेल हो रहा है। चूंकि यह विद्यार्थियों के हित से जुड़ा हुआ मामला है, अतः इस पर त्वरित कार्रवाई कर दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करने तथा व्यवस्था को सुधारने का कष्ट करें जिससे कि विद्यार्थियों के अध्ययन में व्यवधान न होने पाये।]

[12.38 बजे] औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 27-03-2018 को नियम-300 के अंतर्गत निम्नलिखित दो सूचनायें प्राप्त हुई हैं। इनमें से एक सूचना श्री रामफेरन पाण्डेय की है, जो प्रदेश में क्षेत्र पंचायत सदस्यों को वित्तीय अधिकार दिलाये जाने हेतु क्षेत्र पंचायतों को धन उपलब्ध कराये जाने के संबंध में है। ये विधान सभा प्रक्रिया नियमावली से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। इसलिए यह प्रश्न सुने जाने लायक नहीं है। दूसरी सूचना श्री मा0 संजय गर्ग जी की है, जो उत्तर प्रदेश में विधायक विकास निधि बढ़ाये जाने एवं विधायकों को कम से कम 500 हैण्डपम्प दिये जाने हेतु शासन को निर्देशित किये जाने के संबंध में है। आपका कहना है कि इसका सम्बन्ध विधान सभा की कार्यवाही से है। बहुत संक्षेप में दो मिनट में कह लें उसके बाद फिर यू0पी0 कोका विधेयक ले लें।

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विधायक विकास विधि बढ़ाये जाने एवं विधायकों को कम से कम 500 हैण्डपम्प दिये जाने हेतु नियम-301 एवं नियम-51 की सूचनाओं पर समुचित कार्रवाई हेतु विधायक निवारण समिति गठित करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे औचित्य के इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए मौका दिया और ये खुशकिस्मती भी है कि सदन में इस समय माननीय नेता सदन भी मौजूद हैं।

श्री अध्यक्ष-

बहुत संक्षेप में कहिए।

श्री संजय गर्ग-

वास्तव में मैं पूरे सदन की अन्तरात्मा की आवाज के आधार पर कुछ बिन्दु आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। यह सदन पूरे प्रदेश का सर्वोच्च मन्दिर है। कार्यपालिका और विधायिका के मन में पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए सभी विधायक उन तमाम लोगों के इलाकों के भावनाओं को यहां पर अलग-अलग नियमों में उठाते हैं। नियम-301 और नियम-51 के अन्तर्गत और दूसरी सूचनाओं के अंतर्गत जो सूचनायें यहां पर उठती हैं, माननीय अध्यक्ष जी उसके अंतर्गत जो जवाब आता है अक्सर यह देखा जाता है, जो भी जवाब अधिकारी ने दे दिया माननीय मंत्रीगण उसी तरह से उसे वितरित कर देते हैं, जबकि उसमें उतनी गम्भीरता और जो मंतव्य जनप्रतिनिधि का है उस मंतव्य के अनुरूप वो जवाब न हो पाने के कारण समुचित कार्यवाही नहीं हो पाती है। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए मेरा आपसे इस बात के लिए निवेदन है कि नियम-301, नियम-51 और अन्य सूचनाओं पर जो विधायकों के सवाल बाद में खड़े रह जाते हैं उनके निवारण के लिए आपकी अध्यक्षता में या आपके संरक्षण में एक विधायकों की विधायक निवारण समिति का गठन अगर आप कर दें, तो निश्चित रूप से नियम 301 और नियम-51 के अंतर्गत आने वाली सूचनाओं को उसके अंतर्गत लेकर उनको आगे के लिए भी उसका परसूउल जारी रखने का कार्य करेंगे और इसी तरह की एक व्यवस्था बिहार में बिहार निवारण समिति करके बनी हुई है अन्य और विधानसभाओं में भी इस तरह की समितियां हैं। इसमें हम आपका संरक्षण चाहते हैं, जिससे कि समुचित व्यवस्था और इसका कार्य गम्भीरता के अनुरूप हो सके। इसी के साथ-साथ लोकसभा में ज्यादातर जनप्रतिनिधियों और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को यहां की होने वाली बहस को और ज्यादा सार्थक और ज्ञानवर्धक करने के लिए रिसर्च असिस्टैण्ट प्रोवाइड किये जाते हैं। हमारे यहां केवल लाइब्रेरी में शोध रिसचर्स जरूर हैं, परन्तु मैं यह चाहूंगा कि अगर ग्रुप के रूप में या पार्टी को कुछ रिसर्च असिस्टैण्ट उस रूप में एलौट कर दिये जायें तो निश्चित रूप से इस बात से बहस की गंभीरता भी बढ़ेगी और एक सार्थक बहस कर के यहां के कुछ कार्यों में सक्षम हो सकेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, इसी से सम्बन्धित एक मामला है। यहां साइबर सेल में हमारे जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, 2012 में उन्हें रखा गया। विधान सभा उनकी सेलरी एन0आई0सी0 को देती है और एन0आई0सी0 किसी निजी संस्था को देती है। तीस से चालीस प्रतिशत पैसा इस बीच में उनका छंट जाता है। पैंतालीस हजार रुपये प्रति कर्मचारी को दिये जाने पर उन्हें मात्र तीस हजार रुपये या उससे भी कम मिलता है। आज नेट का युग है। सारे जनप्रतिनिधि भी जरूरी नहीं है कि कम्प्यूटर कॉम्पीटेबिल हों। इसके लिए उन्हें उस पर निर्भर रहना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करिये।

श्री संजय गर्ग-

मैं यह चाहूंगा कि इसमें सीधे तौर पर या पद सृजित करके उनका समायोजन कर लिया जाये तो बेहतर होगा। इसी के साथ बहुत से सुरक्षाकर्मी और उन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इस बात का सवाल हम लोगों से उठाता रहता है कि जो संविदा पर रखे गये हैं, यह संविदा की परम्परा पूरे प्रदेश में ही समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि यह श्रमिकों के हकों का हनन है, परन्तु इस सबके के बावजूद इस विधायिका के सर्वोच्च मन्दिर के अंदर और उसकी छत के नीचे के संरक्षण के लिए....

श्री अध्यक्ष-

उसके हम जिम्मेदार हैं, वो हम देख लेंगे।

श्री संजय गर्ग-

क्योंकि उससे कार्य पर फर्क पर पड़ता है। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि आप उन्हें संरक्षण दे सकेंगे, तो निश्चित रूप से उससे हम लाभान्वित हो सकेंगे और मैं एक और बात आपसे माननीय अध्यक्ष जी कहना चाहता हूँ। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दूरस्थ इलाके के लोग हैं। जनप्रतिनिधि का बहुत ही व्यस्ततम कार्यक्रम रहता है और अस्थिर भी रहता है। बहुत समय पर ऐसी बात होती है कि जो हमें रेलवे यात्रा कूपन मिलते हैं, हमने कोई आरक्षण कराया और समय रहते हुए आकस्मिक रूप से उसे निरस्त कराना पड़ गया। ऐसे में विधान सभा अग्रिम पेमेण्ट करके रेलवे कूपन लेती है और रेलवे विभाग को पूरा पेमेण्ट हो जाता है, परन्तु टिकट के आरक्षण को निरस्त करने के सम्बन्ध में नये आरक्षण के अंतर्गत ज्यादातर विधायकों की यह शिकायत है कि वो रेलवे कूपन खराब हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, पच्चीस से तीस प्रतिशत कूपन इस रूप में व्यर्थ कर दिये जाते हैं, इसकी कोई व्यवस्था उस रूप में बना दी जाये तथा इसके लिए भी कोई कमेटी अगर आपकी अध्यक्षता में गठित हो जाये, जिसे विधायकों की तनख्वाह, भत्ते, मुद्रास्फीति को दिमाग में रखते हुए समय-समय पर उसका निर्धारण और निर्णय करने का अधिकार अगर आप दे दें, तो निश्चित रूप से उससे समुचित दायरे में संरक्षण विधायकों को मिलने का काम होगा।

एक आखिरी बात केवल आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे सम्मानित विधायक श्री लोकेन्द्र सिंह जी का आकस्मिक निधन हुआ। असामायिक निधन होने वाले उन तमाम जनप्रतिनिधियों की जान, जो 24 घन्टे सार्वजनिक जीवन में अपने आपको लगाते हैं। न जाने कैसे-कैसे समय पर जनप्रतिनिधि को इलाके में जाना पड़ता है और इस तरह से असामायिक दुर्घटना में जाने वाली किसी भी महत्वपूर्ण विधायक की जान के लिये कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है। तमाम संस्थाओं में यह व्यवस्था है। कोई न कोई दुर्घटना बीमा के रूप में व्यवस्था हम तमाम विधायकों के लिये आपके संरक्षण में अगर होगी तो एक आत्मविश्वास और संबल तमाम विधायकों को मिलेगा। मैं इसी के साथ एक और बात कहना चाहता हूँ कि सबने विनियोग विधेयक माननीय अध्यक्ष जी पारित किया और उस विनियोग विधेयक के आधार पर बजट अलग-अलग मदों में अलग-अलग विभागों को गया। पिछली बार नगर विकास मंत्री जी ने यह निर्देश सभी जिला मुख्यालयों को इस बात के दिये थे

कि होने वाले जो विकास के काम हैं उनके शिलापटों पर माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय मंत्री जी के साथ-साथ संबंधित क्षेत्र के विधायकों का नाम भी उल्लिखित कर दिया जाय। अगर यह निश्चित रूप से होगा तो कम से कम यह बात कहने के लायक जनप्रतिनिधि होगा जिसकी परीक्षा हर पाँच साल बाद होती है।

इसी तरह जो मुद्रास्फीति के बाद पी0डब्लू0डी0 के इस्टीमेट्स के रेट्स बढ़े हैं। जी0एस0टी0 के कारण विधायक निधि में 18 लाख रुपये कम हुये हैं मात्र डेढ़ करोड़ की विधायक निधि से विधायक जिस तरह की समस्याओं से जूझता है और समझता है कि एक थोड़े से इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़े समुदाय को उसका फायदा पहुँचाने का काम वह कर सकता है और उस स्थिति में जब वह मजबूर हो जाता है तो वह कुंठित होकर, व्यथित होकर निश्चित रूप से विधायिका के रूप में अपना कार्य करने में अपने आपको अक्षम महसूस करता है। इसमें सभी समस्त विधायक आपसे संरक्षण चाहते हैं। माननीय नेता सदन भी यहॉ मौजूद हैं, आप निश्चित रूप से इस बात पर कोई निर्णय लेने की कोशिश करने का काम करेंगे जिससे हम सभी को बल मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया, मैं आपका दिल से आभार प्रकट करता हूँ।

[12.41 बजे] उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2017

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2017, जो इस सदन द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ भेजा गया था और जिसके पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 13 मार्च, 2018 की बैठक में अस्वीकार हो गया है, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय।

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न उपस्थित करने का प्रयास करने पर)

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, जब एकदम नया आया है तो कुछ तो।

श्री योगी आदित्यनाथ-

नहीं, अभी तो प्रस्ताव करेंगे। प्रस्ताव करके इसको करेंगे, फिर हम बोलेंगे उसके बाद तब फिर बोलेंगे लोग। अभी प्रस्ताव तो करने दें।

श्री लालजी वर्मा-

यदि आप नहीं बोलेंगे तो अध्यक्ष जी प्रश्न रेज कर देंगे। खत्म हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

आप पहले अपने विचार रख लें।

श्री योगी आदित्यनाथ-

यह प्रस्ताव मैनें इन्ट्रोड्यूस करने के लिये किया है। अभी तो प्रस्ताव किया है प्रस्ताव को सदन स्वीकार कर रहा है एक। दूसरा पक्ष सदन में जिन मुद्दों पर पुनः चर्चा होनी है उसके पारित कराने की बात फिर बाद में आती है। चर्चा के बाद तब पारित होगा।

श्री अध्यक्ष-

नहीं पहले आप अपने विचार रख दें।

श्री योगी आदित्यनाथ-

अध्यक्ष जी, जैसा कि मैनें प्रस्ताव अभी इस माननीय सदन के सम्मुख रखा है उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2017 के बारे में। इस माननीय सदन ने 21 दिसम्बर को यह विधेयक पारित किया था और उसके उपरान्त विधान परिषद् में यह विधेयक गया था। विधान परिषद् में किन्हीं कारणों से यह विधेयक अस्वीकार हुआ और आज पुनः विधान सभा में पारित करने के लिये यह विधेयक आया है। मुझे इस सम्बन्ध में कुछ बातें केवल इस रूप में करनी हैं कि भारत सरकार ने 1990 के दशक के प्रारम्भ में उत्तर प्रदेश के अंदर के एक उस गठजोड़ का खुलासा करवाया था, एक कमेटी गठित की थी, जिसने राजनेताओं, भ्रष्ट प्रशासनिक तंत्र और माफिया गिरोहों के आपसी सांठ-गांठ से सुरक्षा को होने वाली व्यापक क्षति के बारे में स्पष्ट चेतावनी दी थी। आज यह जो संगठित अपराध है, यह केवल एक जनपद का विषय नहीं रहा, एक राज्य का विषय नहीं रहा बल्कि एक राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय विषय बन चुका है। आपने कल ही देखा होगा कि ए0टी0एस0 ने टेरर फंडिंग के एक बहुत बड़े खुलासे का रहस्योद्घाटन किया है। इससे पहले भी साइबर क्राइम के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें इस सदन के सामने और हम सब के सामने आती रहीं हैं, जिसका शिकार समाज का आम नागरिक ही नहीं, बल्कि समाज का प्रबुद्धजन भी और माननीय जनप्रतिनिधिगण भी समय-समय पर होते रहें हैं। इन सब को देखते हुये, अपराध की प्रकृति, अपराध का दायरा बढ़ने के साथ-साथ प्रदेश में भी संगठित अपराध पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिये एक अधिनियम की आवश्यकता बहुत दिनों से महसूस की जा रही है और उसको देखते हुये क्योंकि बार-बार सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले जनप्रतिनिधि के ऊपर जो टिप्पणियाँ होती हैं, जिस प्रकार के माहौल में उसे कार्य करना होता है, उन स्थितियों में आवश्यक है कि कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार उस प्रदेश की जनता की सुरक्षा के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करे और अपनी उसी प्रतिबद्धता को दोहराते हुये, हम लोग पुनः यहां पर इस विधेयक को ले करके आये हैं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। विभिन्न प्रदेशों से हमारी सीमायें मिलती हैं। हमारे प्रदेश की एक बड़ी सीमा नेपाल से भी मिलती है। सीमायें खुली हैं, उन खुली हुई सीमाओं और प्रदेश और देश के रिश्तों को देखते हुये आज आवश्यकता है, एक ऐसे कानून की, जो कानून संगठित अपराध में संलिप्त तत्वों पर कठोरता तो कर ही सके, साथ ही साथ आम जनमानस को बिना भेदभाव के सुरक्षा की गारंटी भी दे सके और इस दृष्टि से चाहे प्रदेश के अंदर पिछले एक वर्ष के दौरान एक माहौल देने का कार्य हुआ है और मुझे बताते हुये प्रसन्नता है कि जो प्रयास इस दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर किये, उसके बहुत अच्छे परिणाम भी सामने आये हैं। लेकिन, उस सब के बावजूद इस बात को महसूस किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिये अपराध पर पूर्ण नियंत्रण करने के लिये एक कठोर कानून की आवश्यकता है। एक वर्ष के दौरान सभी पर्व और त्योहार प्रदेश के अंदर सकुशल सम्पन्न हुये। अभी हाल ही में राम नवमी का पर्व मनाया गया, वासन्तीय नवरात्रि का पर्व बहुत शान्तिपूर्ण ढंग से सौहार्द्रपूर्ण तरीके से पूरे प्रदेश के अन्दर सम्पन्न हुआ। भगवान राम की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे ढंग से और शान्तिपूर्ण ढंग से पर्व मनाया गया है। मैं इस बात को कह

सकता हूँ कि पिछले एक वर्ष के दौरान इस प्रदेश में पर्व और त्यौहार लोगों के चेहरे पर खुशहाली लाने के बजाय लोगों में भय और दहशत पैदा करते थे कि पता नहीं कब क्या हो जाय। पिछले एक वर्ष के दौरान सभी पर्व और त्यौहार बहुत शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुए। इस दौरान प्रदेश के अन्दर नगर निकाय के चुनाव हुए, शान्तिपूर्ण ढंग से नगर निकाय के चुनाव सम्पन्न हुए, अन्य उपचुनाव भी बहुत शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुए। प्रदेश के अन्दर एक जवाबदेही का शासन लाने का प्रयास हुआ है। पेट्रोलिंग के लिए पुलिस को बाध्य किया गया है, डायल-100 की गाड़ियां जो वसूली के लिए कुख्यात हो चुकी थीं, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की गई है। उनमें मैनपॉवर और टू-व्हीलर्स बढ़ाये गये और उसका परिणाम है कि इस दौरान प्रदेश के अन्दर डकैती के मामलों में कमी आई, हत्या के मामलों में कमी आई, रोड-होल्ड-अप के मामलों में कमी आई, फिरौती के प्रकरण में कमी आई, अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों पर घटित होने वाली घटनाओं में काफी कमी आई और आगजनी की घटनाओं में भी काफी कमी पूरे प्रदेश के अन्दर देखने को मिली है। पुलिस ने अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहन किया है और इस दौरान कुख्यात अपराधियों से आपसी मुठभेड़ में भी काफी बड़ी मात्रा में कार्रवाई पुलिस ने की है। 188 अपराधियों पर एन0एस0ए0 की कार्रवाई हुई, 177 अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए लगभग 150 करोड़ रुपए से अधिक की सम्पत्ति की जब्ती की कार्रवाई भी पुलिस ने इस दौरान प्रदेश के अन्दर की। पुलिस की जो व्यापक कार्रवाई हुई है इसमें अवैध आग्नेय शस्त्र भी पुलिस ने बरामद किये, जिनमें फैक्ट्री निर्मित बन्दूक 106, पिस्टल 97, रिवाल्वर 57, रायफल 74, एस0एल0आर0 1, कार्बाइन 1, बड़ी मात्रा में कारतूस और डेटोनेटर बरामद हुए हैं। देशी निर्मित बन्दूक भी 141 बरामद हुईं, पिस्टल 12732 बरामद हुईं, रिवाल्वर 527 बरामद हुए, रायफल 105 बरामद हुईं, स्टेनगन 3 बरामद हुई और तमाम प्रकार के अन्य आग्नेय अस्त्र भी उन माफिया और आपराधिक गिरोहों से पुलिस ने बरामद करने में सफलता प्राप्त की। थ्री नॉट थ्री की जो रायफल थी 58547, इसके बदले हम लोगों ने आधुनिक इंसास रायफल पुलिस को उपलब्ध करवाने में भी सफलता प्राप्त की है। प्रदेश के अन्दर इस दौरान आतंकवादी जो निरोधक दस्ता है ए0टी0एस0, इसकी स्ट्रेन्थनिंग की कार्रवाई भी हुई। वर्षों से इनकी मांग के अनुरूप जो पदों का सृजन होना चाहिए था, 316 पदों का सृजन वहां पर प्रदेश सरकार ने किया, बजट आवंटन की कार्रवाई हुई। साथ-साथ ए0टी0एस0 की कार्रवाई में आई0एस0आई0एस0 से लश्कर-ए-तोयबा, बब्बर-खालसा और अन्य आतंकी समूहों से जुड़े हुए आतंकियों के खिलाफ प्रभावी ढंग से कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी भी करने में ए0टी0एस0 को सफलता प्राप्त हुई। एस0टी0एफ0 ने भी इस दौरान बहुत प्रभावी कार्रवाई की, एस0टी0एफ0 के पुनर्गठन की कार्रवाई भी हम लोगों ने की, जिसमें 267 जो अतिरिक्त पद सृजित होने थे, उस कार्रवाई को पूरा करते हुए उनकी जो अन्य आवश्यकताएं थीं उन आवश्यकताओं को पूरा किया गया। जिसके कारण बहुत प्रभावी कार्रवाई एस0टी0एफ0 ने इस दौरान की जिसमें 706 कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी, 57 पुरस्कार घोषित अपराधी। इसमें उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई और एस0टी0एफ0 की कार्रवाई में पाँच दुर्दांत अपराधी भी मुठभेड़ में एस0टी0एफ0 के हाथों मारे गये और अन्य तमाम प्रकार की कार्रवाई भी हुईं। प्रदेश के अंदर संगठित अपराध को नियंत्रित करने के लिए जो हो सकता था, एस0टी0एफ0 ने किया। इस दौरान 846.63 किलोग्राम चरस, 7268.6 किलोग्राम गाँजा, 3712 पोस्ता डोडा और 3.47 किलोग्राम हीरोइन, 403 अवैध अस्त्र, 6669 अवैध कारतूस एवं बड़ी मात्रा में अवैध शराब और

90 चार पहिया वाहन, 38 ट्रक, 57 दो पहिया वाहन भी एस0टी0एफ0 ने बरामद किये और लगभग 95 लाख 62 हजार 4 सौ रुपये भी एस0टी0एफ0 ने इस दौरान बरामद किये। प्रदेश के अंदर जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती थी तो हम लोगों को एन0डी0आर0एफ0 या फिर आर्मी पर निर्भर होना पड़ता था। पी0ए0सी0 की जो फ्लड यूनिट थी, लगभग-लगभग प्रदेश के अंदर समाप्त कर दी गयी थी। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स का गठन करने के लिए फिर से यह प्रयास किया है। एस0डी0आर0एफ0 के नई कंपनियों के गठन की प्रक्रिया हम लोगों ने आगे बढ़ाई है। ऐसे किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से प्रदेश अपनी पुलिस और अपने फोर्स के माध्यम से उनसे निपटने में सक्षम हो सके, और यह कार्यवाही हमारी आगे बढ़ चुकी है। उनकी कंपनियों की ट्रेनिंग वर्तमान में चल रही है। एक ओर जहां प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में बहादुर जवानों ने अच्छा प्रयास प्रारम्भ किया है, वहीं दूसरी ओर शहीद होने वाले जवानों के बारे में भी प्रदेश सरकार ने कार्य किया है और इस दिशा में उत्तर प्रदेश पुलिस के शहीद होने वाले जवानों की जो अनुग्रह राशि थी उसको हमारी सरकार ने 20 लाख से बढ़ा करके 40 लाख किया है। उनके माता-पिता को मिलने वाली जो राशि 5 लाख थी उस राशि को बढ़ा करके हम लोगों ने 10 लाख रुपये किया है। वर्षों से जवानों को मिलने वाली पौष्टिक आहार भत्ते की जो राशि थी, उसमें बढ़ोत्तरी नहीं हो पाई थी। हमारी सरकार ने इस भत्ते की राशि को 950 रुपये से बढ़ाकर 1350 रुपये किया है। मुख्य आरक्षी और आरक्षियों को मिलने वाली राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये किया है। उप निरीक्षक और लिपिक संवर्ग के लिए 900 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये की व्यवस्था किया है। डी0जी0पी0 की प्रशंसा के जो मेडल हैं इनकी संख्या 2 सौ से बढ़ा करके 900 की गयी है। जिससे पूरे प्रदेश के अंदर अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को एक वर्ष के दौरान देश के अंदर चार अवॉर्ड भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें फिक्की अवॉर्ड और बेस्ट प्रैक्टिसेज इन स्मार्ट पुलिसिंग, 2017 में पुलिस एक्सीलेंस अवॉर्ड उत्तर प्रदेश पुलिस को मिला है। सोशल मीडिया फॉर इम्पावरमेण्ट डिजिटल इनऐबल अवॉर्ड उत्तर प्रदेश पुलिस को प्राप्त हुआ है। पुलिस के जवानों के लिए भी जो अन्य सुविधाएं होनी चाहिए थी, इसके लिए भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कार्य किया है। उनके लिए 10 साधारण बैरक, सात क्राइम ब्रांच, 87 महिला बैरक, और दो महिला प्रशासनिक भवन, 13 थानों के प्रशासनिक भवन, 195 हॉस्टल, दो पुलिस चौकी प्रशासनिक भवन, ग्यारह अग्निशमन केंद्र, सौ आवासीय भवन, 46 आगंतुक कक्ष तथा अन्य कुल 523 भवनों के कार्य को भी इस दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस की दृष्टि से बना करके पूरा किया गया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने देश के अन्दर टॉप के सबसे बेस्ट जो 10 थानों का चयन किया था उसमें से दो उत्तर प्रदेश के थाने थे उसमें से एक लखनऊ का गुडम्बा थाना, यह तीसरे नम्बर पर रहा और दूसरा मैनपुरी का घिरौर थाना। यह दो थाने देश के अन्दर सर्वोच्च थाने माने गये। प्रदेश के अन्दर इस दौरान बजट में भी हम लोगों ने कुछ व्यवस्थायें करने का प्रयास किया है, खासतौर पर अग्निशमन की दृष्टि से अक्सर मा0 विधायकगण एक बात की चर्चा करते थे कि फायर टेण्डर की स्थापना हो, यह सीजन है और रोज अग्निकांड की घटनायें हो रही हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस बार हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 130 तहसीलें ऐसी हैं जहां पर फायर टेण्डर नहीं हैं। हम इस बजट में 52 तहसीलों में फायर टेण्डर की स्थापना करने जा रहे हैं उसके लिए धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है। हम लोगों का प्रयास है कि प्रत्येक थाने में बेहतर पुलिसिंग के लिए

उनके पास अच्छे वाहन होने चाहिए और इस बार हम लोग हर थाने में दो-दो वाहन उपलब्ध कराने जा रहे हैं जिससे जनता को बेहतर सुरक्षा उपलब्ध कराने में पुलिस सफल हो सके। विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण की कार्यवाही के लिए भी हम लोगों ने प्रदेश के बजट में बेहतर व्यवस्था उपलब्ध करवायी है और पुलिस आधुनिकीकरण के साथ हम लोगों ने इसको जोड़ने का प्रयास किया है। जो हमारे विपक्ष के मित्रों की अनावश्यक एक आशंका है, विपक्ष हैं उनको बोलने का अधिकार है लेकिन विरोध के लिए विरोध हो मुझे लगता है कि यह उचित नहीं है। प्रदेश की जनता की सुरक्षा की प्रतिबद्धता जनता के द्वारा चुने गये हर जनप्रतिनिधि का दायित्व है और यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन जनता के प्रति सहानुभूति की बजाय जब हम अपराधियों के लिए सहानुभूति व्यक्त करते हैं, घोषित माफियाओं का महिमामंडन करने का प्रयास करते हैं स्थिति तब बिगड़ती है। मैं यही अपील कर रहा हूँ कि यूपीकोका का जो यह कानून हम ले करके आये हैं, यह अधिनियम देश के अन्दर बने किसी भी उस प्रकार के कानून से बेहतर कानून होने जा रहा है, इसकी व्यापक सम्भावना है। मैंने पिछली बार भी इस सम्बन्ध में अपने भाषण में यहां पर इस सदन के सामने प्रस्तुत किया था। 1986 के गैंगेस्टर ऐक्ट की तुलना में क्यों हमें यूपीकोका को लाने की आवश्यकता महसूस हुई है। यह भी मैंने पिछली बार सदन में हुई चर्चा में इस बात को उस समय भी रखा था। यूपीकोका को महाराष्ट्र या कर्नाटक के कानून के साथ तुलनात्मक अध्ययन भी हम लोगों ने सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया था। मैं चाहूंगा कि यह प्रदेश के हित में है। संगठित अपराध या फिर किसी भी प्रकार के उस अपराध को जो प्रदेश के अंदर माहौल खराब करता है, प्रदेश के परसेप्शन को खराब करता है, प्रदेश की गलत छवि देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है, इसमें चाहे वह बाहुबल के आधार पर ठेकों का हथियाना हो, फिरौती के लिए अपहरण हो, अवैध खनन या अवैध शराब व्यवसाय हो, संगठित रूप से वनों की अवैध कटान का मामला हो, नकली दवाओं का उत्पादन व वितरण का मामला हो, गैर-कानूनी तरीके से सरकारी सम्पत्तियों को हड़पना, कब्जा करना, रंगदारी टैक्स वसूलना तमाम ऐसे कृत्य हैं जिसके कारण प्रदेश की छवि खराब होती है। या किसी भी ऐसे अपराध को जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा होता हो, इन सबको इस दायरे में लाने का प्रयास किया गया है और इसमें बहुत अच्छी व्यवस्थाएं दी गयी हैं। कोई गलत और इसका दुरूपयोग नहीं कर सकता। यह कहना कि इसका दुरूपयोग होगा, इसमें इसीलिये इसके बारे में पूरी व्यवस्था दे दी गई है कि इस अधिनियम में अभियोग उन्हीं व्यक्तियों के विरूद्ध पंजीकृत किया जायेगा जिनके विरूद्ध 5 वर्ष के भीतर एक से अधिक अभियोग में आरोप-पत्र प्रेषित किये गये हों और सक्षम न्यायालय द्वारा उन पर चार्ज फ्रेम किया गया हो। इस अधिनियम के अर्न्तगत पंजीकृत होने वाला जो अभियोग है उसके लिये कमिश्नर और परिक्षेत्र के आई0जी या डी0आई0जी0 स्तर के अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक है। अभियोग पंजीकृत होने के बाद विवेचना के उपरान्त आरोप-पत्र निर्गत करने से पूर्व जोनल स्तर पर आई0जी0 या ए0डी0जी0 स्तर के अधिकारी से फिर अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था भी इसमें की गई है। संगठित अपराध करने वाले गिरोह पर नियंत्रण और उनकी गतिविधियों पर निगरानी हेतु प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। माननीय उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक अपीलीय प्राधिकरण का गठन भी इसमें करने की व्यवस्था की गई है। जिसमें महानिदेशक स्तर का एक पुलिस का अधिकारी होगा और एक प्रमुख सचिव स्तर के शासन के द्वारा नामित अधिकारी

होगा। इस अधिनियम के अन्तर्गत जो भी अभियोग होगा उस अभियोग की सुनवाई के लिये विशेष न्यायालय के गठन का प्राविधान है। यानि तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं दी गई हैं। पैसेज दिये गये हैं जिससे कहीं भी कोई भी व्यक्ति इस कानून का दुरूपयोग नहीं कर सकता है। विधान परिषद् में जब यह अधिनियम यहां से पारित होने के बाद गया था तो विधान परिषद् ने प्रवर समिति को इसको रेफर किया था और प्रवर समिति की जो बैठक हुई थी उस बैठक में न कोई संशोधन किसी सदस्य ने दिया था और न ही कोई ऐसी बात वह लोग सामने लेकर आये थे। जिसके बाद प्रवर समिति ने कोई भी संशोधन इसमें प्रस्तावित न होने के बाद इसको यथारूप विधान परिषद् को वापस किया था। मेरी आपसे अपील है और पूरे सदन से अपील है कि आप चाहे स्वंय कोका से या कर्नाटक के अंदर जो इस प्रकार का अधिनियम है, सभी से तुलना कर लेंगें तो यू0पी0 कोका में पूरे प्राविधान दिये गये हैं कि इसका कोई भी दुरूपयोग नहीं कर सकता है। हां संगठित अपराध में राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ छेड़-छाड़ करने वाले तत्व समाज की व्यवस्था को और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले तत्वों के साथ यह कानून उपयोग में लाया जा सके। प्रदेश के अंदर हम एक बेहतर सुरक्षा का वातावरण दे सकें। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोगों को भी न्याय मिल सके इस दृष्टि से इस अधिनियम को पुनः मैं इस सदन में प्रस्तुत कर रहा हूँ और मै। अपील करूँगा कि जिस रूप में इस सदन ने इस अधिनियम को यहां से पारित किया था उसको उसी रूप में पुनः पारित करके प्रदेश के अन्दर व्यापक सुरक्षा का वातावरण बनाने में माननीय पूरा सदन में इसमें अपना योगदान दे। बहुत-बहुत धन्यवाद। (सत्ता पक्ष से मेजों की थपथपाहट)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह विधेयक बहुत छोटा सा था लेकिन लग रहा माननीय नेता सदन ने पूरे गृह विभाग का अपना बजट पेश किया है। हर सरकार चाहती है कि उसके राज्य में कानून व्यवस्था ठीक हो जनता भी चाहती है कि कानून-व्यवस्था ठीक हो। माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण से यह प्रतीत हुआ कि अपराध घटे हैं। जो भयंकर अपराधी हैं उनका इन्काउन्टर हो चुका है। दाउद जैसे खूंखार अपराधियों को जेल में भी भेजा जा चुका है। खूंखार अपराधी अपनी जमानत तुड़वाकर जेल में चले गए हैं। उसके बाद जो बचे हैं वह डर के मारे प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं तो जब कानून व्यवस्था बेहतर हो गई है तो फिर इस काला कानून को लाने की कौन सी आवश्यकता थी? जब कानून व्यवस्था बिलकुल दुरुस्त हो गई है तो फिर इस काला कानून लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी, इस बिल को लाने की कौन सी आवश्यकता थी? आई0पी0सी0 और सी0आर0पी0सी0 में पहले से ही बहुत ऐसी धारायें हैं जिनको हमारे अधिकारी, कर्मचारी सरकार दृढ़ इच्छाशक्ति से उसको लागू करें तो उस पर कन्ट्रोल किया जा सकता है। अपराध के लिए एक तरफ तो माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि कम हुए हैं यह विधेयक साबित करता है कि इस सरकार के बूते की बात कानून व्यवस्था दुरुस्त करना नहीं रह गया है। कल भी मैंने कहा था, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी के सामने, मैं उसको दोहरा दूं क्योंकि मुख्य मंत्री जी ने खुद दोहरा दिया है आज भी, इसलिए हमको भी उसको दोहराना पड़ रहा है कि 16-3-2017 से 28-2-18 तक अपराधों का ग्राफ जो है, लूट जो है वह 2.98 परसेन्ट बढ़ा है। बलवा जो है,

(कुछ सदस्यों के बोलने पर)

जब माननीय मुख्यमंत्री जी आप बोल रहे थे तो इधर से कोई नहीं बोल रहा था मैं कई दिन से देख रहा हूँ अध्यक्ष जी का भी कोई असर नहीं हो रहा है। यह है सदन का हाल, बलवा जो है 23.71 परसेंट बढ़ा है। गृह भेदन जो है 28.74 परसेन्ट बढ़ा है। फिरौती के लिए अपहरण 7.50 परसेन्ट बढ़ा है। दहेज मृत्यु का 6.38 परसेन्ट बढ़ा है बलात्कार जो है 24.37 परसेन्ट बढ़ा है। कुल योग देख लिया जाए तो 20.37 परसेन्ट क्राइम बढ़ा है।

एक मा0 सदस्य-

यह आता कहां से है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जहां से मुख्य मंत्री जी को आता है वहीं से आता है। लूट जो है 2.98 परसेन्ट बढ़ा है। बलवा 23.71 परसेन्ट बढ़ा है।

श्री रामगोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, फिरौती के लिए अपहरण 6.31 प्रतिशत बढ़ा है, बलात्कार 24.37 प्रतिशत बढ़ा है, यदि आल टोटल कर दिया जाए तो 20.37 प्रतिशत इसमें भी बढ़ा है। अब तीसरा ले लीजिए 16-03-2017 से 28-02-2018 तक 28 हजार 200 अपराध हुए हैं। दहेज मृत्यु 6.31 प्रतिशत, बलात्कार 24.37 प्रतिशत, शीलभंग 38.59 प्रतिशत, अपहरण 33.25 प्रतिशत, छेड़खानी 103 प्रतिशत, महिला उत्पीड़न 32.99 प्रतिशत कुल अपराध 33.05 प्रतिशत बढ़ा है। एक तरफ सरकार का यह कहना कि क्राइम घटा है, दूसरी तरफ सरकार का यह आंकड़ा कि कुछ मामूली जो घटा है, उसको तो मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा है और जो बढ़ा है, उस पर कुछ नहीं कहा है। उस पर मैंने कह दिया। श्रीमन् अपराध कम हों, अपराध हो ही नहीं, पूरा विपक्ष भी इस बात को चाहता है, लेकिन क्या उसके लिए हम संविधान को खतरे में डाल देंगे? यही विधेयक एक बार पहले भी विधान सभा में आया था, अब चूंकि मा0 मुख्य मंत्री जी ने बातें दोहराई है, इसलिए मैं भी इसे दोहरा दे रहा हूँ। जब संसदीय कार्य मंत्री जी विपक्ष में थे तो इन्होंने कहा था कि यह कानून एक अघोषित इमरजेंसी के रूप में हमारे बीच आया है। संसदीय कार्य मंत्री जी जब विपक्ष में थे और ऐसा ही कानून आया था, इसमें थोड़ा बहुत बदलाव है, क्या बदलाव है समय और शुल्क की बढ़ोत्तरी कर दी गयी है। जो 5 साल का था उसको 7 साल कर दिया जाए, जो 7 साल था उसको 10 साल कर दिया जाए, जो 10 साल का था उसको 20 वर्ष कर दिया गया और जो शुल्क है, उसी तरह से उसको जहां 5 लाख रुपये थी, उसे 15 लाख रुपये कर दिया गया, जहां 10 लाख रुपये थी, वहां 25 लाख रुपये कर दी गयी, बाकी हूबहू यह विधेयक वही है, जो इस विधान सभा में एक बार और आया था। उस समय मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि यह कानून एक अघोषित इमरजेन्सी के रूप में हमारे बीच में आया है। यह हमारे फन्डामेंटल राइट को वायलेट करता है। इस कानून में ऐसी बहुत सी धारायें हैं, जिसके लिए संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है, जिनको इस कानून में रखा गया है। कोई भी अगर हाईकोर्ट में लेकर इनको खड़ा हो जायेगा तो अल्ट्रा वायरेस हो जायेगा। इसमें सूचना का अधिकार प्रतिबंधित है। यह कानून पुलिस की जेब भरने वाला कानून है, इससे पुलिस को इतनी पॉवर मिल जायेगी कि पुलिस की जेब ऑटोमैटिक भर जायेगी। मैं नहीं कह रहा हूं, आपके संसदीय कार्य मंत्री जब उस समय विपक्ष में थे तो उन्होंने कहा था। एक और बड़े उस समय नेता थे।

(श्री सतीश महाना जी द्वारा बैठे-बैठे कुछ बोलने पर।)

सुन लीजिए, आप मित्र हैं, बीच में खलल क्यों डाल रहे हैं ? ठीक से सदन चल रहा है तो चलने दीजिए। नहीं तो कहिये मैं कुछ न बोलूं, बैठ जाऊं।

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने तो सिर्फ जानकारी मांगी है और कुछ नहीं कहा है।

श्री रामगोविन्द चौधरी-

उस समय जो विधान मण्डल दल के नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के मा0 हुकुम सिंह जी, वह स्वर्गीय हो चुके हैं। हम लोगों के बड़े भाई थे। उन्होंने क्या कहा था इस बिल के ऊपर कि यह विधेयक उत्तर प्रदेश में प्रचलित जितने भी कानून हैं अपराध से सम्बंधित लगभग सभी को संशोधित करने का विधेयक है। चाहे वह एवीडेंस ऐक्ट हो चाहे सी0आर0पी0सी0या आई0पी0सी0। इसमें किसी भी राजनैतिक व्यक्ति की आजादी सुरक्षित नहीं है। चाहे विधायक हों चाहें सांसद हों या मंत्री हों इस कानून का इस्तेमाल अपराधियों के खिलाफ नहीं होगा बल्कि प्रतिपक्ष के लोगों का गला दबाने के लिए राजनैतिक लोगों को दबाने के लिए होगा। उनका शोषण करने के लिए यह कानून लाया गया है। यह उस समय के भारतीय जनता पार्टी विधान मण्डल दल के जो नेता थे उन्होंने इस बात को कहा था। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अपनी बात से हम क्यों उलट रहे हैं। माननीय नेता सदन ने कहा कि विपक्ष विरोध के लिए विरोध न करे हम विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं आप विपक्ष से जितना भी सहायता लेना चाहते हैं कानून व्यवस्था दुरस्त करने के लिए पूरा विपक्ष कानून व्यवस्था पर आपका साथ देने के लिए तैयार है। जनता के हित में लेकिन जब हम एक कानून बनाते हैं तो उसका दुरुपयोग भी बहुत होता है। हम विपक्ष में बैठे हुए लोग भुक्तभोगी हैं। इमरजेंसी में ऐसे ही पुलिस को बहुत बड़ा अधिकार हाथ में दिया गया था। उस समय की एफ0आई0आर0 निकालकर देखिए जितने बड़े समाजवादी या जनसंघ के बड़े लीडर थे आर0एस0एस0 के थे या समाजवादी विचारधारा के थे समाजवादी थे विभिन्न पार्टियों के थे एक ही तरह के उन पर केस जैसे 80 वर्ष का बूढ़ा भी हो तो बिजली का वह खम्भा उखाड़कर कन्धे पर लेकर भाग रहे थे। यह पेचकश से रेल की पटरी उखाड़ रहे थे उस समय भी अध्यक्ष जी राजनैतिक लोगों के नाखून पुलिस ने सड़सी से निकाल लिया था इसके भी उदाहरण हैं। हम इसके विरोध में नहीं हैं हम इसलिए इसके विरोध में हैं कि निश्चित रूप से इसका दुरुपयोग होगा जो भी नए कानून आते हैं उसका दुरुपयेाग होता है। गुण्डा एक्ट आया सबसे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं पर लगा गैंगस्टर आया सबसे पहले राजनीति करने वाले लोगों पर लगा। एन0एस0ए0 आया सबसे पहले राजनीतिक लोगों पर लगा। पोटा आया इसी सदन के माननीय सदस्य को उसमें निरुद्ध किया गया। हम कैसे कहें कि इसमें द्वेष भावना से काम नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसमें धारा-2-1(2) दिया है किसी सूचना को किसी विधिक प्राधिकार के बिना देना या प्रकाशित कराना जिसमें संगठित अपराध सिंडीकेट की सहायता संभावित हो और संगठित अपराध सिंडीकेट से प्राप्त किसी दस्तावेज अथवा सामग्री को आगे भेजना या उसका प्रकाशन या वितरण करना यह संविधान की आत्मा का हनन नहीं है ? क्या लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ पत्रकारिता के अधिकारों पर कुठाराघात नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 19 में देखें वाक स्वतंत्रता का अधिकार वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। सभी नागरिकों को वाक्-स्वातंत्र्य और

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की छूट रहेगी। शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का, संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का, भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का, भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। इससे तो प्रेस की आजादी पर ही कुठाराघात हो गया और संविधान का विरोध हो गया। अगर कोई समाचार निकालना होगा तो सक्षम अधिकारी की बिना अनुमति के हम नहीं निकाल सकते हैं। श्रीमन्, आजादी की लड़ाई में भी यही तो हुआ था। प्रेस पर प्रतिबन्ध लगा, लेकिन लेखक, पत्रकार ने अपना हौसला नहीं छोड़ा, वह लिखते रहे, जेल जाते रहे, गोली खाते रहे और देश को आजाद कराकर ही उन्होंने दम लिया। उनके अधिकारों पर ऐसा कुठाराघात? तीसरा, मा0 मुख्य मंत्री जी कह रहे थे। इस विधेयक की धारा-29 (2) में दिया गया है कि पुलिस अधीक्षक यह अवधारित करेगा कि उपधारा (1) में यथा उपबंधित अभियुक्त या संदिग्ध से साक्षात्कार क्या उसके विधिक सलाहकार की उपस्थिति में किया जा सकता है। वह चाहेगा तो हां और चाहेगा तो न। पुलिस तय करेगी कि जो अभियुक्त है वह अपना विधिक व्यवसायी रख सकता है अथवा नहीं। यह तो हमारा मूल अधिकार है और किसी का भी मूल अधिकार है कि हम अगर अभियुक्त हैं तो हमको अपना वकील रखने का अधिकार है और हम वकील रखते हैं, लेकिन उससे भी यह वंचित कर रहा है। हम अब बहुत संक्षेप में अपनी बात कहेंगे।

श्री अध्यक्ष-

यह तो बहुत बड़ा हो गया।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जो व्यक्ति गिरफ्तार होगा उसको यह पूछने या जानने का भी अधिकार नहीं होगा कि हमारे खिलाफ किसने अप्लीकेशन दिया है, किसने एफ0आई0आर0 लिखाई है या किसने हमारी शिकायत की है, उसको यह भी जानने का अधिकार नहीं है और वह न तो अपनी रूचि के अनुसार वकील रख सकता है, क्योंकि उसके ऊपर चारों तरफ से घेरा पड़ा हुआ है। संविधान के अनुच्छेद-22 (2) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को, जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरूद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिये आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से चौबीस घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जायेगा और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिये अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रखा जाएगा। यह हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया है, लेकिन आप संविधान का भी गला घोंट रहे हैं।

मा0 अध्यक्ष जी, यह संविधान विरोधी है, यह लोकतंत्र विरोधी है और यह विधेयक गलत मंशा से लाया गया है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ। मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूँ कि कोई भी राजनीति में काम करने वाला व्यक्ति यह बर्दाश्त नहीं करेगा की अपराध हो। वह चाहेगा की जनता सुख-शान्ति से अपना जीवन-यापन कर सके, लेकिन कानून पर कानून, कानून पर कानून, इससे तो काम चलेगा नहीं। मैंने उस दिन भी कहा था ये कौन सा संविधान है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कि ये बड़ा षड्यंत्रकारी है इसीलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं, अपराधियों के लिए नहीं।

नियम-10 में है कि नकली, जाली दवाओं या अवैध मदिरा का विक्रय करना या निर्माण करना, निर्माण में सहायता करना। श्रीमन् यह बात सही है कि दो नम्बर की जो शराब बनती है उससे हजारों लोगों की जाने जा रही हैं। ये रूकना चाहिए, जितनी भी जल्दी हो सके सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए। निर्माण तो एक आदमी करता है, लेकिन सहायता कौन करता है, निर्माण में सामग्री कौन-कौन देता है ? जैसे कच्ची शराब की बात मान ले। जैसे लोग कहते हैं कि यह शराब दो चीजों से बनती है, महुआ और गुड़। किसान महुआ और गुड़ दोनों का उत्पादन करता है। अगर कोई किसान गुण या महुआ बेचे और कोई खरीद कर ले जाये तो किसान तो यह समझेगा कि हमने जो उपज की है वह बिक रहा है और हमें उसका पैसा मिल रहा है, हमारा परिवार चल रहा है। अगर शराब बनाने वाला व्यक्ति यह कह दे कि गुड़ या महुआ मैनें उस व्यक्ति/किसान से खरीदा है तो इस कानून के अन्दर वह किसान भी आ जायेगा। श्रीमन् इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कि इन बातों को निकाल दिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

अब आगे बढ़ा जाये?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अध्यक्ष जी, आपकी क्या इच्छा है छोड़ दे? आप नेता सदन को कभी नहीं टोकते हैं, हम आपके शुभचिन्तक हैं तो हमें ही आप टोकते हैं (सदन में हंसी) आप जानते हैं कि मैं आपकी बात मानूँगा इसीलिए आप हमे टोकते हैं भले ही नेता सदन आपकी बात माने या न माने। (हंसी) आप हमें ही क्यों टोकने लगते हैं इतनी देर मा0 मुख्यमंत्री जी बोले हैं तो हमें भी बोल लेने दीजिए। (हंसी) मा0 अध्यक्ष जी यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

नियम-5 में राज्य सम्पत्ति अपराध नियंत्रक प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी शिकायत के प्राप्त होने पर स्वयं जांच कर सकता है। आपने अपने भाषण में कहा था कि पुलिस महानिदेशक निर्देशित कर सकता है यह भी नियम में सम्मिलित है। यह तो बहुत खतरनाक है। मान लीजिए किसी गरीब आदमी ने कर्ज लिया और कर्ज अपनी आर्थिक परिस्थिति के कारण से वह नहीं चुका पाया। अगर कर्ज देने वाला उस पर दबाव बना रहा है कि हमारा पैसा वापस करो, वह कह रहा है कि साहब हमारे पास तो कुछ है ही नहीं तो ऐसी स्थिति में वह कर्ज लेने वाला आदमी भी आजीवन कारावास की सजा के लिए इस कानून के अंतर्गत आ जायेगा। अगर कोई मकान हमको देख-रेख में देकर कहीं चला गया है, गलत कागज बनवाकर लिखा लिया हमने उसको भगा दिया तो उसका भी हक मिट जायेगा, वह भी अपराधी मान लिया जायेगा। यह कानून भारत के संविधान में प्रदत्त अधिकारो को रोकता है। श्रीमन्, किसी भी तरह से यह विधेयक जनहित में नहीं है, यह हमारी शंका है। इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी जितनी भी सख्त कार्यवाही आपको अपराधियों के खिलाफ करनी हो करिये, कौन आपको रोकता है, लेकिन इस कानून द्वारा लगता है कि विरोधियों के ऊपर जरूर किसी न किसी तरीके से इस पर कार्यवाही की जायेगी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता पहले से ही इस पर आशंका व्यक्त कर चुके हैं। मैं नहीं व्यक्त कर रहा हूं, यह आपके पूर्व नेता व्यक्त कर चुके है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज भी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कभी-कभी ऐसे अवसर आते हैं कि दलगत की भावनाओं से ऊपर उठकर जनहित के मामलों का ध्यान

रख करके अध्यक्ष को भी निर्णय लेना पड़ता है कि इस पर हम कौन सा निर्णय ले। माननीय अध्यक्ष जी, जिस सर्वोच्च आसन पर आज आप विराजमान हैं माननीय वासुदेव सिंह जी बैठे थे और जब इसी सदन में उर्दू को द्वितीय राजभाषा बनाने के लिए विधेयक लाया गया था तो उन्होंने कहा था कि मैं लोहिया जी का चेला हूँ और मैंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया है। मैं इस बिल को पुट अप नहीं होने दूंगा और फिर उन्होंने नहीं होने दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लोकतंत्र को नंगा होने से बचाये। असमंजस की स्थिति में रहना ठीक नहीं होता है। महाभारत में भी असमंजस की स्थिति आई थी, जब द्रोपदी का चीरहरण हो रहा था तो उन्होंने पुकारा ईश्वर को और ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि दुःशासन द्रोपदी को निर्वस्त्र नहीं कर सका। माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग आपसे आर्शीवाद की आकांक्षा चाहते हैं कि लोकतंत्ररूपी द्रोपदी की रक्षा हो सके, जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है वह न होने पाये, कोई नंगा न हो। लोकतंत्र की मर्यादा, संविधान की गरिमा, संविधान में हमारे दिये हुये अधिकारों का हनन न हो इसकी जिम्मेदारी आप पर है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत कुछ न कहकर चूंकि मैं पहले भाषण दे चुका हूँ और मुख्य मंत्री जी भी पूरा भाषण दे चुके हैं, तो अब मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ। यह विधेयक लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है, जनविरोधी है, लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ पत्रकारिता का विरोधी है, मानव के अधिकारों का हनन करने वाला है इसलिये मैं पुनः आपसे चाहूंगा कि इस विधेयक को पुनः प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये और जो भी इसमें खामियां है एक बार उसको दूर किया जाये। मैं पुनः माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि इस विधेयक को छोड़कर जितने भी कानून आपके पास हैं उनका आप उपयोग करिये, जितना आप अपराधियों पर कंट्रोल करेंगे उतना ही विपक्ष आपकी सराहना करेगा। विपक्ष कभी आपके आड़े नहीं आयेगा। इसलिए मैं इस लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी, जन विरोधी, पत्रकार विरोधी, जनता विरोधी काले कानून और काले अधिनियम को प्रवर समिति में देने की मांग करता हूँ और विरोध करता हूँ। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मा0 वर्मा जी आप भी बोलेंगे, क्या ?

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक पर अपनी बात रखने और विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मा0 नेता प्रतिपक्ष ने उसकी विभिन्न धाराओं का उल्लेख करते हुए इस बात को कहने का काम किया कि किस तरह से वह लोकतंत्र का गला घोंटने वाला, किस तरह से आम नागरिक को उत्पीड़ित करने वाला, किस तरह से पत्रकारों के खिलाफ उपयोग करने वाला यह काला कानून साबित होगा। इसका उल्लेख करने का काम उन्होंने किया और मैं उसमें विस्तार से नहीं जाऊंगा। मान्यवर, मा0 नेता सदन ने जब विधेयक पारित करने का प्रस्ताव रखा तो उसके बाद उन्होंने जो अपनी बात रखी तो वह स्वतः ही अपने को इस विधेयक का विरोधी साबित करते हैं। बिना इस विधेयक के अगर हम अपराध को नियंत्रित कर लिये, बिना इस विधेयक के हमने एक साल में कोई भी दंगा नहीं होने दिया, बिना इस विधेयक के हमने बड़े-बड़े अपराधियों को जेलों में रखने का काम किया, बिना इस विधेयक के जितने भी पर्व हुए वह ठीक ढ़ंग से संचालित हुए फिर इस विधेयक की आवश्यकता क्यों है? इसका तात्पर्य है कि यह विधेयक दूषित मानसिकता के आधार पर लाया जा रहा

है जो अपने राजनीतिक विरोधियों को उसका शिकार बनाने के लिए। साथ-ही-साथ पुलिस को इतनी ताकत देने का काम किया जायेगा जो कहानी वह गढ़ना चाहे वह गढ़ ले। मान्यवर, अभी परसों ही सुल्तानपुर जिले का एक इशू उठा था कि राघवेन्द्र जी का जोकि एक वकील भी हैं, पत्रकार भी हैं। वह अपने वकालत खाना से निकल रहे थे। रास्ते में सादी वर्दी में पुलिस ने उनको पकड़ लिया और फिर उनका इनकाउण्टर करना चाहा लेकिन तमाम लोगों के प्रभाव से उनके प्रयास से इनकाउण्टर तो नहीं हो पाया और उनके सामने उनको बहुत बड़ा हिस्ट्रीशीटर बता दिया। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपराध की धाराओं को पढ़ा। मान्यवर, अगर उनको आप स्वयं देख लें, कुछ अपराध जिस दिन पकड़ा गया उसी दिन लिख लिये गये। एक साथ ढेर सारे अपराध लिख लिये गये और उसके बाद उनको हिस्ट्रीशीटर बना दिया गया। अमेठी के पुलिस कप्तान ने जांच की और जांच करके उस अपराध को जो हिस्ट्रीशीट फर्जी बनाया गया था उसको खत्म करने का निर्णय लिया लेकिन वह नहीं लिया गया। जब यह कानून पास हो जायेगा। मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि पुलिस जब चाहेगी, उसका दुरूपयोग करके निश्चित रूप उनके गलत कार्यों में रोड़ा बनेंगे, उनको इसका शिकार बनाने का प्रयास किया जायेगा। मान्यवर, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी जो हैं उन्होंने उस समय भी कहा था। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भी इस विधेयक को काला कानून कहा था। हम लोगों ने पास किया था लेकिन जब देखा गया कि इस कानून की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है तो हमारी सरकार ने इस विधेयक को वापस लेने का स्वतः काम किया था। हमने इसको वापस ले लिया था। तो मान्यवर, निश्चित रूप से आज उस बात की जरूरत है और मा0 नेता सदन ने आंकड़ा देकर मैं उनके आंकडा को झूठा दर्शाने का काम नहीं कर रहा हूँ। हालांकि जो तथ्य है उसको सही-सही मा0 नेता प्रतिपक्ष आंकड़ों के संबंध में बता दें कि अपराध किस तरह से बढ़े हैं, कहां नहीं बढ़े हैं कहां बढ़े हैं।

आपने जो घटे हैं उसका उद्धरण दिया। जो बढ़े हैं उसका उद्धरण देने का काम नहीं किया। हमारा और हमारी पार्टी का अभिमत एक है कि कानून का राज होना चाहिए। और कानून के राज में जो बाधक है निश्चित रूप से उसको दण्ड मिलना चाहिए। अपराध नियंत्रित हो हमारी पार्टी से ज्यादा इस बात का पक्षधर कोई नहीं हो सकता है। जब हमारी सरकार थी तो अपराध दर के हिसाब से हमारा 34वां स्थान था। आज 17वां है उस समय 34वॉ था। हमने नियंत्रित किया था। लेकिन नियंत्रण पक्षपातपूर्ण तरीके से नहीं होगा। अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ। विपक्ष के दो मा0 विधायकों ने सत्तापक्ष को वोट दे दिया उसी दिन उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल गयी। अभी कल उन्नाव में किसी समारोह में सम्मिलित होकर 5-6 लोग आ रहे थे, और वह सिर्फ एक विशेष व्यक्ति की गाड़ी को आगे बढ़ा दिया, उसे ओवरटेक कर दिया। जिस तरह से उनके साथ मारपीट करने का काम किया गया। मरणासन्न स्थिति में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उल्टा उन्हीं के ऊपर केस भी लादा गया। यह पक्षपातपूर्ण स्थिति नहीं है तो क्या है। मान्यवर, सहारनपुर में एस0पी0 के परिवार को एक तरह से बंधक बनाने का काम किया गया वह पक्षपातपूर्ण कार्य नहीं है तो क्या है। अगर इस तरह से पक्षपातपूर्ण व्यवहार रहेगा तो इससे अपराध नियंत्रित होने वाला नहीं है। हम सब यह चाहते हैं कि इस प्रदेश में अपराध शून्य हों। उसके लिए हर तरह का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसमें आपको भी अपना मन बड़ा करना पड़ेगा। आपको सहृदय होना पड़ेगा कि अपराधी अपराधी है चाहे वह विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो। उसके साथ समान व्यवहार करना होगा। मान्यवर हमारी जो जाति

व्यवस्था है देश का दुर्भाग्य है कि उस जाति व्यवस्था के चलते हर समाज का जो अपराधी तत्व है उसको वह समाज हीरो मान लेता है उसको वह बहादुर मान लेता है उसके पीछे वह चलने लगता है। अगर हम इस मानसिकता को समाप्त करने का काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से अपराध नियंत्रण नहीं होगा। इसलिए अगर मन से अपराध नियंत्रण करना चाहते हैं तो इस कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। मा0 नेता प्रतिपक्ष ने विस्तार से बात की है। मैं केवल दो शब्द कहना चाहता हूँ कि मान्यवर, महाराष्ट्र व कर्नाटक में यह कानून है क्या वहां अपराध नियंत्रण है। क्या वहां अपराध नहीं हो रहे हैं। बाम्बे में महाराष्ट्र में इस कानून के होते हुए भी सबसे ज्यादा संगठित अपराध है। कर्नाटक में भी इस कानून के होते हुए भी अपराध है। तो निश्चित रूप से इस कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। यह निरर्थक है। यह पुलिस को ज्यादा शक्ति देने वाला है। उनके गलत कामों का विरोध करने वाले राजनीतिज्ञों को इसका शिकार बनाने के लिए यह कानून लाया जा रहा है। इसलिए हम और हमारी पार्टी इस कानून का विरोध करती है। मैं नेता प्रतिपक्ष के इस प्रस्ताव पर सहमत हूँ कि इसको विधान सभा की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये और वह इसका विस्तार से अध्ययन करके, उसमें जो कमियां हैं उसको सुधार करके अपराध को वास्तव में रोकने के लिए इसमें समावेश करके लाने का काम करे। ऐसा आपसे अपेक्षा करते हुए मैं पुनः इस बात को कहना चाहता हूँ कि यह विधेयक निश्चित रूप से काला कानून के रूप में जाना जाएगा। यह लोकतंत्र के लिए अभिशाप होगा। यह पत्रकारों की स्वतंत्रता के लिए अभिशाप साबित होगा। निश्चित रूप से यह राजनीतिज्ञों के लिए भी जो स्वतंत्र होकर राजनीति कर रहे हैं। जो पुलिस के गलत कार्यो की खिलाफत करने का काम कर रहे हैं। उनके लिए भी यह काला कानून होगा। इसलिए मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। धन्यवाद।

***श्री अजय कुमार 'लल्लू'-**

मा0 अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2017, जो आज पुनः इस सदन में आया है। मैं इसका पुरजोर विरोध करते हुए नेता प्रतिपक्ष श्री राम गोविन्द चौधरी जी और बसपा के नेता श्री लालजी वर्मा से अपने आपको संबद्ध करता हूँ।

मान्यवर, यह काला कानून है, संविधान विरोधी है, जनतंत्र विरोधी है और जनता के लिए संघर्ष करने वाले लोगों का विरोधी कानून है। मान्यवर, पहले से ही संविधान में आई0पी0सी0 और सी0आर0पी0सी0 में ढेर सारी धाराओं का उल्लेख है जिसके अंतर्गत अपराध को नियंत्रण किया जा सकता है। सरकार की अगर अपराध के प्रति प्रतिबद्धता होती और सरकार अगर अपराध को रोकना चाहती तो भारतीय संविधान में पहले से ही इन सारी धाराओं का उल्लेख है जिससे वह नियंत्रण कर सकती है। मान्यवर, आज तक के इतिहास में कभी भी पत्रकारों पर प्रतिबंध नहीं लगा। गोरखपुर में ऑक्सीजन कांड से मरने वाले बच्चों के मौत के बाद वहां पर पत्रकारों पर रोक लगा दी गयी कि वहां पर वह कोई न्यूज नहीं छाप सकते हैं और इस कानून में लाकर पत्रकारों की जो एक स्वतंत्रता है उसका भी हनन किया जा रहा है। अगर आप इसमें देखे किसी भी व्यक्ति को यदि वह किसी भी धारा के अंतर्गत निरूद्ध होता है तो उसे 164 का ब्यान दिया जाता है और फिर वह अपनी बात को जो आगे होता है उसके समक्ष रखता है और उसका ब्यान नोट होता है फिर उसे कोर्ट में अपने ब्यान

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

नोट कराने होते हैं। यह जो विधेयक पेश कर रहे हैं इस विधेयक में किसी व्यक्ति को अगर उसके खिलाफ कोई अभियोग पंजीकृत किया जाएगा उसको भी स्वतंत्रता नहीं दी गयी है। आयोग जो कह देगा वह न्यायालय में जो चार्ज क्लेम कर देगा वहीं उसके लिए पर्याप्त है उसी के आधार पर उसके खिलाफ कार्यवाही हो जाएगी। मान्यवर, क्या इस देश में लोकतंत्र है? इस लोकतंत्र की अवधारणा महात्मा गांधी जी ने इसीलिए किया था? आज जिस तरह पुलिस को बल दिया जा रहा है और जिस तरह से पुलिस को पर्याप्त ताकत दी जा रही है वह अपराध नियंत्रण करने के लिए नहीं उनको कहीं न कहीं यह ताकत इसलिए दी जा रही है कि जनतंत्र में जनता के लिए आवाज उठाने वाला भी जनप्रतिनिधि अगर सड़क पर संघर्ष कर रहा हो या जनता की वकालत लेकर कहीं भी उनके मुद्दों को लेकर लड़ रहा हो उसके खिलाफ इस तरह की धाराओं को पंजीकृत करके उसे जेल भेजने की कार्रवाई के लिए विधेयक लाया गया है। मान्यवर, अगर आप गुंडा ऐक्ट और गेंगस्टर ऐक्ट मे जो लोग इसमें निरूद्ध होते हैं यदि उसमें आप देखेंगे तो 60 मा0 नेता सदन हैं। 90 प्रतिशत से अधिक गुंडा ऐक्ट के अंतर्गत उनके ऊपर कोई एक घर में झगड़ा 323, 504 होगा और दसों पुलिस की बीट लिखकर उसको गुंडा ऐक्ट के तहत निरूद्ध किया गया है। अगर सदन इस बात का गवाह है तो कोई भी व्यक्ति यदि धरना प्रदर्शन में किसी भी सरकार का विरोध किया तो उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है, एन0एस0ए0 की कार्रवाई हुई है। यह पूरा सदन जानता है और सभी नेता जानते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करिए। विषय आ गया है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, मैं पुनः कहूंगा कि यह कानून काला कानून है। पत्रकारों के खिलाफ कानून है। जनता के खिलाफ कानून है। लोकतंत्रत के खिलाफ कानून है। संविधान विरोधी है। यह विधेयक केवल जनता के प्रतिनिधियों पर हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाला है। पुलिस को खुली छूट देने के बराबर विधेयक है, इसलिए कांग्रेस पार्टी इसका विरोध दर्ज कराती है और यह मांग करती है कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाए ताकि कम से कम कोई रिपोर्ट आ जाए। मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारी जो स्थानीय पुलिस है उसका वेतनमान शिक्षकों से भी बहुत कम है। वह बहुत मेहनत करते हैं। रात-दिन जनता के बीच में रहकर जनता को सुरक्षित करते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि शिक्षक के बराबर वेतनमान स्थानीय पुलिस को दिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

अभी तमाम संविधान की बातें कही गई हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद-197 में व्यवस्था है की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक विधान परिषद् भेजा जाता था। विधान परिषद् अगर उसमें कोई संशोधन करती है और अगर वह फिर लौटकर आता है, तो उन संशोधनों पर विधानसभा में विचार होता है। चूंकि विधान परिषद् ने इसमें कोई संशोधन नहीं किया है, इसे ज्यों का त्यों निरस्त करके यहां भेज दिया है। यहां पर इस विधेयक गुण-दोष पर पहले ही सांगोपांग चर्चा हो चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नए सिरे से विषय को रखकर चर्चा की गई है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय लालजी वर्मा और माननीय अजय जी सभी ने इस पर एक बार फिर से विचार व्यक्त कर लिए हैं।

यहां पर यदि विधान परिषद् से कोई विधेयक लौटा है तो उस पर खण्डवार या बिन्दुवार चर्चा की कोई परंपरा नहीं रही है। हमारी नियमावली का नियम-150(1) भी यही कहता है। मैं अब इस पर प्रश्न उपस्थिति करने जा रहा हूँ।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, यह एक काला कानून है और इसके विरोध में हम सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता अजय कुमार 'लल्लू' ने अपने दल सहित सदन से बहिर्गमन किया)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आपसे भी प्रार्थना की थी कि लोकतंत्र को नंगा होने से बचा लीजिए। ये काला कानून है, यह संविधान विरोधी है, पत्रकार विरोधी है, जन-विरोधी है और सरकार इस बात को नहीं मान रही है, इसे पास करवा कर रही है, इसलिए हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

(नेता विरोधी दल श्री राम गोविन्द चौधरी ने अपने दल सहित सदन से बहिर्गमन किया)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने जो बातें कही हैं, उसका कम से कम जवाब तो आ जाने दें। इन्होंने बहुत-सी निरर्थक बातें कही हैं।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने संविधान की पढ़ी। क्या वह इधर ही लागू होगी, उधर लागू नहीं होगी? हम इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी का जवाब आ जाए।

(इसी के मध्य बहुजन समाज पार्टी के श्री लालजी वर्मा ने अपने दल सहित सदन से बहिर्गमन किया)

श्री योगी आदित्यनाथ-

माननीय अध्यक्ष जी,(मेजे थपथपाई गईं) नेता प्रपिपक्ष और बसपा और कांग्रेस के माननीय नेताओं ने जो बातें यहां रखी हैं, उससे उनकी खिसियाहट को समझा जा सकता है और यह कोई नई बात नहीं है। जिस प्रकार की तथ्यहीन बातों को उन्होंने यहां पर इस सदन में रखा है, इससे सदन की गरिमा बढ़ी नहीं बल्कि घटी ही है और उनमें जवाब सुनने का सामर्थ्य भी नहीं है इसलिए सदन से वॉकआउट करते हैं। जो भी अधिनियम संगठित अपराध को नियंत्रित करने की दृष्टि से लाया गया है, यह संविधान-सम्मत है, जनहित में लाया गया है और प्रदेश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लाया गया है। लोकतंत्र की बात वे करते हैं जिन्होंने लोकतंत्र की सर्वाधिक धज्जियां उड़ाई हैं, वे लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। लोकतंत्र को जिन्होंने लूटतंत्र बना दिया था, वे लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और मुझे कभी-कभी अफसोस होता है कि जर्मनी का समाजवाद नाजिरवाद में बदल गया था, इटली के प्रति मोह रखने वाले जो हमारे मित्र हैं उनका समाजवाद फासीवाद में बदल गया था और उत्तर प्रदेश का समाजवाद परिवारवाद में बदल गया है, यह हर व्यक्ति जानता है (मेजे थपथपाई गईं)....

राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण किसने किया है, यह पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है। प्रदेश के अन्दर जो अच्छा हो सकता था, वह सरकार ने किया है और उस अच्छे में भी अच्छा होने की जो गुंजाइश है, उस और अच्छे के लिए हम लोगों ने इस कानून को लाने की आवश्यकता महसूस की है और सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं। अपराध में संलिप्त तत्व का सहयोगी कोई भी हो, मुझे लगता है कि वह भी उसके दायरे में आयेगा। संगठित अपराध के बारे में बहुत स्पष्टता के साथ कहा गया है। खास तौर पर किसी व्यक्ति द्वारा अकेले या संयुक्त रूप से या संगठित अपराध, सिंडीकेट के सदस्य के रूप में या किसी ऐसे सिंडीकेट के निमित्त हिंसा का प्रयोग या हिंसा, दबाव की धमकी, प्रलोभन या लालच के साधन द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अन्य लाभ या बगावत को बढ़ावा देने के लिए अन्य अवैध साधनों से किसी अवैध क्रियाकलाप को जारी रखना, आतंक फैलाना बलपूर्वक या हिंसा द्वारा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए विस्फोटकों या आग्नेयास्त्र या अन्य हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करके जीवन या सम्पत्ति को नष्ट करना या राष्ट्र विरोधी हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त होना या सरकार या अन्य लोक प्राधिकार को मृत्यु या बर्बादी की धमकी देकर फिरौती के लिए बाध्य करना। अगर इन सभी घटनाओं को ये लोग जायज मानते हैं, अपने संस्कारों से, ये लोग मानेंगे भी, लेकिन कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार और लोकतांत्रिक सरकार इस प्रकार के कृत्यों को जायज नहीं मान सकती है और इसके लिए एक कठोर कानून की आवश्यकता आवश्यक है। फिरौती के लिए किसी को अगवा करना या अपहरण करना, किसी सरकारी, जिसमें केन्द्र सरकार भी है, ठेके में स्थानीय निकाय, सरकारी उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी या सरकारी निकाय या अन्य प्राधिकरण या निजी कम्पनी, फर्म या संगठन के ठेके में बोली लगाने से हिस्सा लेने से किसी अन्य अवैध साधन द्वारा शक्ति या शक्ति प्रदर्शन से किसी को रोकना। धन देकर किसी व्यक्ति को जान से मारना या मरवाना, रिक्त सरकारी या निजी भूमि या विवादित भूमि या भवन पर शक्तिपूर्वक जाली दस्तावेज के द्वारा अवैध कब्जा करना। बाजारों, फुटपाथ विक्रेताओं, मंडियों, ठेकेदारों और व्यवसाय करने वालों से अवैध रूप से धन संग्रह करना, यानी ये समाज के अन्तिम व्यक्ति को भी सुरक्षा की गारण्टी देने वाला, फुटपाथ पर जो भी ठेला, रेहडी लगाते हैं, जो लोग उनसे अवैध धन दोहन करते हैं, शक्ति के बल पर, ऐसे तत्वों के खिलाफ भी इस प्रकार की कार्यवाही करने, मनीलांड्रिंग का अपराध करना, जैसा कि प्रिवेन्शन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट 2002 में पारिभाषित है, जाली दवाओं या जो अवैध शराब है, उसका विक्रय करना या उसका निर्माण करना। अब इस प्रकार के कृत्यों को भी यह लोग जायज ठहरा रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं प्रदेश के हित में हम लोगों ने व्यापक जनहित को ध्यान में रखकर इस कानून की आवश्यकता महसूस की है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार पुनः आपसे अपील करूँगा कि विधान परिषद में कोई संशोधन नहीं है, उन्होंने पूरे विधेयक पर बिना किसी चर्चा को वहाँ पर महत्व दिए हुए, उसको निरस्त कर दिया है। हम चाहेंगे कि विधान सभा में यह पुनः पारित करके प्रदेश की आम जनता को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से बनाये गए इस कानून में हम सब को सहयोगी बनना चाहिए और इसलिए हमने यह विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया है।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गयीं)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2017 जो इस सदन द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद के विचारार्थ भेजा गया था और जिसके पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद की दिनांक 13 मार्च, 2018 की बैठक में अस्वीकार हो गया है, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाये?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और सर्वसम्मति से पारित हुआ)

[02.05 बजे] संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1458/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0 अधि0-1-2017 आदेश (56)-2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1458/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (56)-2017, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1696/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017 आदेश (71)-2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1696/ग्यारह-9(42)/17-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (71)-2017, दिनांक 16 नवम्बर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1821/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0 अधि0-1-2017 आदेश (87)-2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1821/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (87)-2017, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† छापी नहीं गयीं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1822/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0 अधि0-1-2017 आदेश (88)-2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1822/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (88)-2017, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1825/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0 अधि0-1-2017 आदेश (91)-2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1825/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (91)-2017, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1827/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0 अधि0-1-2017 आदेश (93)-2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1827/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (93)-2017, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1845/ग्यारह-9(52)/17-उ0प्र0 अधि0-1-2017 आदेश (94)-2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1845/ग्यारह-9(52)/17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (94)-2017, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† छापी नहीं गयीं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1936/ग्यारह-9(42)/17-उ0प्र0 अधि0-1-2017 आदेश (95)-2017†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0-2-1936/ग्यारह-9(42)/17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (95)-2017, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2- 139/ग्यारह-9(42)/17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2018-आदेश (102)-2018†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0-2-139/ग्यारह-9(42)/17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश अधि0-1-2017-आदेश (102)-2018, दिनांक 30 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (बारहवां संशोधन) नियमावली, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2- 155/ग्यारह-9(42)/17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (103)-2018 दिनांक 31 जनवरी, 2018†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0 नि0-2-155/ग्यारह-9(42)/17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (103)-2018, दिनांक 31 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2018 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

[02.06 बजे] उत्तर प्रदेश सरकार, शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन††

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा तकनीकी निर्देशन एवं पर्यवेक्षण के निर्बन्धनों के अधीन) को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1971 की धारा-20(1) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† छापी नहीं गयीं।

†† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश सरकार, शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन[††]

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा तकनीकी निर्देशन एवं पर्यवेक्षण के निर्बन्धनों के अधीन) को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1971 की धारा-20(1) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश सरकार, शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन[††]

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा तकनीकी निर्देशन एवं पर्यवेक्षण के निर्बन्धनों के अधीन) को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1971 की धारा-20(1) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश सरकार, शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन[††]

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा तकनीकी निर्देशन एवं पर्यवेक्षण के निर्बन्धनों के अधीन) को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1971 की धारा-20(1) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश सरकार, शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन[††]

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा तकनीकी निर्देशन एवं पर्यवेक्षण के निर्बन्धनों के अधीन) को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1971 की धारा-20(1) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ

उत्तर प्रदेश सरकार, शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन[††]

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के

[††] छापी नहीं गयीं।

(कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1971 की धारा-20(1) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश सरकार, शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन††

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1971 की धारा-20(1) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश सरकार, पंचायती राज संस्थाओं शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन††

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1971 की धारा-20(1) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश सरकार, पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन††

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1971 की धारा-20(1) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश सरकार, पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन††

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (प्रतिवेदन संख्या-02-वर्ष 2016) को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1971 की धारा-20(1) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

†† छापी नहीं गयीं।

उत्तर प्रदेश सरकार, शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1971 की धारा-20(1) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश सरकार, पंचायती राज संस्थाओं पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन†

वित्त मंत्री (श्री राजेश अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, पंचायती राज संस्थाओं पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1971 की धारा-20(1) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-25 में कुछ नहीं है।

[02:16 बजे] जिला शाहजहांपुर के ब्लाक-निगोही के अन्तर्गत ग्राम पंचायत परसौना खलीपुर से भवानीपुर होते हुये दियुरिया रोड तक कच्चे ऊबड़-खाबड़ मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुखलाल आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका††

(1) श्री रोशन लाल वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जिला शाहजहाँपुर के ब्लॉक-निगोही के अन्तर्गत ग्राम पंचायत परसौना खलीपुर से भवानीपुर होते हुए दियुरिया रोड तक कच्चे ऊबड़-खाबड़ मार्ग का डामरीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री सुखलाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जिला शाहजहांपुर के ब्लाक-निगोही के अन्तर्गत ग्राम जेवा मुकुन्दपुर से चक्रमली होते विकास खण्ड तिलहर के ग्राम चकुलिया तक ऊबड़-खाबड़ क्षतिग्रस्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम लड़ैते आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका††

(2) श्री रोशन लाल वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जिला शाहजहाँपुर के ब्लॉक-निगोही के अन्तर्गत ग्राम जेवा मुकुन्दपुर से चक्रमली होते विकास खण्ड तिलहर के ग्राम चकुलिया तक ऊबड़-खाबड़ क्षतिग्रस्त मार्ग का डामरीकरण/मरम्मत कराए जाने के सम्बन्ध में श्री राम लड़ैते व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

---

† छापे नहीं गये।

†† छापी नहीं गयीं।

जिला शाहजहांपुर के ब्लाक-निगोही के अन्तर्गत ग्राम छतेनी से ग्राम सहतेपुर मोड़ तक ऊबड़-खाबड़ क्षतिग्रस्त मार्ग का डामरीकरण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामशंकर आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका[††]

(3) श्री रोशन लाल वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जिला शाहजहाँपुर के ब्लॉक-निगोही के अन्तर्गत ग्राम छतेनी से ग्राम सहतेपुर मोड़ तक ऊबड़-खाबड़ क्षतिग्रस्त मार्ग का डामरीकरण/मरम्मत कराए जाने के सम्बन्ध में श्री रामशंकर व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जिला शाहजहांपुर के ब्लाक-निगोही के अन्तर्गत ग्राम चकुलिया तिराहे से ग्राम पकड़िया मोड़ तक ऊबड़-खाबड़ क्षतिग्रस्त मार्ग का डामरीकरण/मरम्मत कराए जाने के सम्बन्ध में श्री श्रीपाल आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका[††]

(4) श्री रोशन लाल वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहाँपुर के ब्लॉक-तिलहर के अन्तर्गत ग्राम चकुलिया तिराहे से ग्राम पकड़िया मोड़ तक ऊबड़-खाबड़ क्षतिग्रस्त मार्ग का डामरीकरण/मरम्मत कराए जाने के सम्बन्ध में श्री श्रीपाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जिला शाहजहांपुर के ब्लाक-निगोही के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बरौरा से ग्राम चमरूआ तक पक्के जर्जर ऊबड़-खाबड़ मार्ग का डामरीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री सोमेन्द्र सिंह आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका[††]

(5) श्री रोशन लाल वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद शाहजहाँपुर के ब्लॉक-निगोही के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बरौरा से ग्राम चमरूआ तक पक्के जर्जर ऊबड़-खाबड़ मार्ग का डामरीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री सोमेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद झांसी के ग्राम पंचायत नौटा, ब्लाक-बंगरा में पानी की टंकी एवं गहरे रीबोर कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती किरन मिश्रा आदि निवासीगण जनपद झांसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका[††]

श्री रवि शर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से विधान सभा जनपद झांसी के ग्राम पंचायत नौटा, ब्लाक-बंगरा में पानी की टंकी एवं गहरे रीबोर कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती किरन मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद झांसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

[††] छापी नहीं गयीं।

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर में आयुर्वेदिक महाविद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमन प्रताप सिंह आदि निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

(1) कुंवर माधवेन्द्र प्रताप-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर के विकास खण्ड हरपालपुर में मण्डी परिषद की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री अभिराम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर में राजकीय पालीटेक्निक कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश दीक्षित आदि निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

(2) कुंवर माधवेन्द्र प्रताप-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर में आयुर्वेदिक महाविद्यालय का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री अमन प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर के विकास खण्ड हरपालपुर में मण्डी परिषद् की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री अभिराम सिंह आदि निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

(3) कुंवर माधवेन्द्र प्रताप-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर में राजकीय पॉलिटेक्निक कालेज का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश दीक्षित व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सवायजपुर के विकास खण्ड हरपालपुर में मण्डी परिषद् की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री अभिराम सिंह आदि निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित में याचिका†

1. श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिन्स-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से जिला शाहजहांपुर के ब्लॉक-तिलहर के अन्तर्गत ग्राम चावर घास सड़क से टिसुई होते हुए रजपुरा स्टेट हाइवे तक पक्के जर्जर ऊबड़-खाबड़ मार्ग का डामरीकरण/ मरम्मत एवं एक पुलिया होलिका दहन के पास तथा एक पुलिया माइनर पर बनाए जाने के सम्बन्ध में श्री अरूण सागर व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

† छापी नहीं गयीं।

जिला शाहजहांपुर के ब्लाक-मदनापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुनिया मुसेला व ग्राम चचोरा रोड पर पुलिया बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र सिंह आदि निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

2. श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिन्स-

माननीय अध्यक्ष जी आपकी अनुज्ञा से जिला शाहजहांपुर के ब्लॉक-मदनापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुनिया मुसेला व ग्राम चचोरा रोड पर पुलिया बनवाए जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

[02.20 बजे] मा0 सदस्यों की विधायक निधि राशि को बढ़ाये जाने की मांग

श्री अध्यक्ष-

माननीय सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी आप क्या कहना चाह रहे हैं?

(श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव के खड़े होते ही सदन में मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष-

आपने अपना वक्तव्य पहले ही प्रचारित कर दिया है क्या लोग बिना आपको सुने ही तालियां बजा रहे हैं, बिना सुने ही तालियां तब ही मिलती हैं।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय अध्यक्ष जी, आज बजट सत्र का अंतिम दिन है और इस लोकतंत्र के मंदिर के पुजारी हमारे समक्ष बैठे हुए हैं। (मेजों की थपथपाहट) मैंने पिछली बार भी आग्रह किया था वह आग्रह आपने स्वीकार कर लिया था। यहां के कर्मचारियों की गलती होने के कारण वह आदेश शायद लोगों तक पहुंच नहीं पाया किन्तु वित्त विभाग के द्वारा हो गया था। एक बात मैंने और पिछली बार कही थी उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर नहीं थे। मैंने एक परम्परा को याद दिलाया था कि यहां पर विधायकों को कम कीमत पर प्लॉट या फ्लैट दिलाने का एक विचार बना था और वह लागू भी हुआ था। डी0ए0वी0 कालेज के सामने बना था और उसमें आदेश यह हुआ था कि गोमती नगर, नोएडा या गाजियाबाद में कम कीमत पर प्लॉट या एक फ्लैट उनको दिया जाए। यह मैंने आपकी अनुपस्थिति में माननीय संसदीय कार्य से आग्रह किया था कि मेरी यह प्रार्थना आप तक पहुँचा दी जाए ताकि विचार-विर्मश करके और आने वाले इस बजट में इस पर आप कुछ अपनी जो दया दृष्टि करना चाहते हैं वह करें। आज मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। आपको याद भी होगा और सबको याद है जब आप लोकसभा में लोक सभा के सदस्य थे उस समय के जो लोकसभा के सदस्य थे उनके वेतन-भत्ता इत्यादि बढ़ाने के लिए मॉग उठी थी और बहुत जोर-जोर से उठी थी और उस समय आपकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और आपने सहृदय होकर के उस कमेटी में लोकसभा के सदस्यों के लिए महँगाई भत्ता और सैलेरी आपने बढ़ाई थी और एक कमेटी और बनी थी कि भविष्य में इसके लिए इस तरह का कोई आग्रह न करना पड़े और वह कमेटी समय-समय पर परीक्षण करके और बढ़ाती रहे। उस समय आप केवल उस कमेटी के अध्यक्ष थे। आज हम लोगों का सौभाग्य है

† छापी नहीं गयीं।

आप मालिक हैं (मेजों की थपथपाहट) आप के हाथ में सब कुछ है और मैं सबके सामने कह रहा हूँ कि अभी राज्यसभा के चुनाव हुए उसी दिन से यह चर्चा चल रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब कुछ जरूर कृपा करेंगे क्योंकि हम लोग भारी बहुमत से चुनाव जीते हैं। विपक्ष में रहने वाले लोग भी आपसे उतने ही संतुष्ट और प्रसन्न हैं जितना कि सत्तापक्ष में रहने वाले लोग। कोई नहीं कहने वाला है कि हम आपके निर्णय को नहीं मानेंगे यह मेरी चुनौती है (सदन में हंसी) एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो यह कहे कि हम आपके निर्णय को नहीं मानेंगे मेरा आपसे आग्रह है कि आज के दिन विधायक निधि के बारे में भी यहां पर चर्चा हुई और चर्चा 23 तारीख से चल रही है। मैं तो दो बातें इसमें कहता हूँ या तो आप निर्णय ले लें कि विधायक निधि वापस ले ली जाये और सारे लोग जो यहां बैठे हुए हैं उनके पांच-पांच करोड़ के जो विकास के कार्य हैं उनसे लिखवा लीजिए और उसको करवा दीजिए। इनको कोई जरूरत नहीं है, किसी को कोई जरूरत नहीं है कि वह विकास निधि लें उसमें बेकार में यह अफवाह फैलती है कि उसका नाम विधायक विकास निधि रख दिया है जबकि वह क्षेत्रीय विकास निधि है। आप पांच करोड़ के काम करा दें। सबका उद्देश्य विकास का है और अगर वाकई में विकास होने की जरूरत है तो मैंने तो मांग नहीं की थी लेकिन इधर से मांग आयी थी, कल भी बात आयी थी कि पांच करोड़ रुपये की निधि की घोषणा कर दी जाये। निर्णय आपके हाथ में है और मैं समझता हूँ कि हमारे माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी भी धीरे से हाथ थपथपा रहे हैं। मैंने यहां से देखा है कि उनकी भी सहमति है लेकिन वह आपके बगल में बैठते हैं इसलिए कह नहीं पाते हैं। मैं समझता हूं कि अभी इस सदन के सदस्यों को इतनी बातों से प्रसन्न हो जाना चाहिए, मुख्यमंत्री जी इतनी घोषणा कर दें फिर आगे जब बजट आएगा तब देखा जायेगा इन्हीं बातों से आप लोग खुश हो जायें। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस बारे में अपना निर्णय सदन को बताएं।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से एक नम्र निवेदन है कि सभी विधायकों के बराबर के अधिकार हैं जो रूरल एरिया से आने वाले माननीय जनप्रतिनिधि हैं उन्हें तो हैण्डपम्प देने की व्यवस्था है। इससे पहले भी पिछली सरकार में माननीय अखिलेश जी ने शहरी क्षेत्र के विधायकों को हैण्डपम्प देने की बात की थी। भूमिगत जल का स्तर लगातार नीचे गिर रहा है इसलिए शहरी क्षेत्र के विधायकों के लिए भी हैण्डपम्प देने की व्यवस्था के लिए अगर आपका संरक्षण मिलेगा तो निश्चित रूप से वह अपना कार्य कर पाएंगे।

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य सुरेश श्रीवास्तव जी।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, लगता है कि मुख्यमंत्री जी को कहीं जाना है एक शब्द मुझको कहना है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, जो स्थान देश में लोकसभा का है वहीं स्थान प्रदेश में विधान सभा का है। विधान सभा सचिवालय में सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर सभी कर्मियों को केंद्रीय सचिवालय के समक्ष वेतन प्राप्त होते हैं। सुरक्षा कर्मियों के पद केंद्रीय सचिवालय में न होकर के लोकसभा सचिवालय में है। मार्शल एवं सम्बद्ध सुरक्षा कर्मियों के काम करने का दायित्व लोकसभा में मार्शल एवं सम्बद्ध सुरक्षा कर्मियों के समान है। विधान सभा सुरक्षा कर्मियों के वेतन में सुधार सम्बन्धी मांग बहुत दिनों से विचाराधीन है। अतः आपसे आग्रह है कि विधान सभा सुरक्षा कर्मियों जो कि तृतीय श्रेणी कर्मचारी हैं उनको सचिवालय में कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारी का न्यूनतम वेतनमान प्रदान करने की कृपा करें।

श्री योगी आदित्यनाथ-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कुछ इससे पहले घोषणा करता कि नेता प्रतिपक्ष ने फिर टोक दिया। स्वाभाविक रूप से उनकी इच्छा नहीं है कि विकास के लिए हमारे विधायकगण कुछ ज्यादा करें क्योंकि विकास में अगर उनकी रूचि होती तो संभवतः टोका-टाकी कम करते। माननीय जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी को भी और उनके ऊपर जितना वर्कलोड है उसको हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जनप्रतिनिधि कोई भी हो इस पक्ष का हो, उस पक्ष का हो जनता के प्रति जवाबदेह वही है। उसके पास अधिकार नहीं है लेकिन जवाबदेही उसकी हो जाती है और अगर न भी बने तो 5 साल में चुनाव के समय जनता के प्रति अपनी जवाबदेही के लिये उन्हें जाना ही पड़ता है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है लेकिन उस सबके बावजूद मुझे लगता है कि हम लोगों को अपनी सुविधाओं की मांग स्वंय नहीं करनी चाहिये, क्योंकि इस पर टोकाटाकी होती है, टिप्पणियां होती हैं, लोगों को दस प्रकार से उंगली उठाने का अवसर प्राप्त होता है। यह एक ऐसी स्थिति है कि जवाबदेही भी होती है लेकिन जवाबदेही के साथ-साथ जब हम लोग अपनी मांग को स्वंय रखने का प्रयास करते हैं तो हम लोगों को कठघरे में भी खड़ा किया जाता है। माननीय सुरेश श्रीवास्तव जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, एक अनुभवी सदस्य हैं। उन्होंने जो बॉतें यहॉ पर रखी हैं मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे विपक्ष के मित्रों को तो प्लाट की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिये। यहॉ तो पूरे के पूरे उनके यहां सब कोठियां पहले से बनी हुयी हैं। लेकिन नये सदस्यों को सचमुच कठिनाई होगी, उसके लिये क्या नियम बन सकते हैं, क्या व्यवस्थायें बन सकती हैं, यह विषय आने वाले समय में कहॉ तक सरकार विचार कर सकती है। क्योंकि अभी तो हमें 2022 तक प्रदेश के अंदर हर गरीब के सिर को छत उपलब्ध करवाना है और हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि हर गरीब को सिर ढकने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप एक आवास उपलब्ध करवाना है। 8 लाख 85 हजार आवास इस साल 2017-18 में दिये थे और 10 लाख का नया प्रस्ताव हम लोग लेकर के आये हैं और माननीय विधायकों को तो आवास लखनऊ में मिला ही है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सभी को आवास उपलब्ध कराये हैं। लेकिन अध्यक्ष जी कुछ बहुत महत्वपूर्ण और जैनविन मामले माननीय विधायकों के हैं। एक अच्छा प्रस्ताव उन्होंने रखा कि विधायक निधि को अगर समाप्त कर दिया जाय और विधायकों को एक सुनिश्चित राशि दे दी जाय, मुझे लगता है कि इस पर जरूर विचार करना चाहिये। विकास के लिये एक सुनिश्चित राशि हो लेकिन जब तक नहीं होता है जब तक यह व्यवस्था नहीं होती है, तब तक विधायक निधि चलेगी। विधायक निधि जो क्षेत्रीय निधि है इसमें कुछ आवश्यक संशोधन भी किये जाने की आवश्यकता है। उसमें

तात्कालिक रीति से मुझे लगता है कि एक प्रस्ताव उनका बहुत अच्छा था कि हम इसको समाप्त करके उनके प्रस्तावों को लेकर उन पर कार्य प्रारम्भ करें। बहुत अच्छी व्यवस्था होगी अगर इस पर पूरा सदन सहमत हो तो हमें इस दिशा में आगे बढ़ने के लिये प्रयास करना चाहिये। क्योंकि एक ही कार्य पर 10 जगह से पैसा आता है। एक तंत्र विकसित करना चाहिये, नोडल एजेन्सी तय कर लें उस नोडल एजेन्सी के माध्यम से माननीय विधायकों के प्रस्तावों पर एक समयबद्व ढंग से कार्य की क्वालिटी को बनाते हुये कार्य सम्पन्न किये जाने चाहिये और हमारा तो मानना है कि जो भी प्रस्ताव आते हैं, माननीय सदस्य संजय गर्ग जी बोल रहे थे कि जो भी कार्य होते हैं उसमें मंत्री के नाम या मुख्यमंत्री का नाम होने के अलावा हर कार्य और हर पत्थर में जो भी पत्थर लोकार्पण के होते हैं उस लोकार्पण के पत्थर में हम लोग पक्ष और विपक्ष नहीं देखते हैं। अगर किसी माननीय सदस्य के क्षेत्र में है तो सबके नाम होंगे।

(विपक्ष के सदस्यों की ओर से नहीं की आवाजें)

श्री लाल जी वर्मा-

मुख्यमंत्री जी, अगर आप बैठ जायें तो थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में शिलापट जो लगे जिसमें नाम लिखा गया लोक निर्माण विभाग की सड़कों का जो पुनरूद्धार या नवीनीकरण हुआ। उसमें माननीय मंत्री जी का नाम है, माननीय सांसद जी का नाम है और विधायक की जगह पर किसी का नाम नहीं है।

श्री पारसनाथ यादव-

मेरे जनपद में जो है, आंगनबांड़ी के जो भवन बने थे, उसमें मेरे क्षेत्र में बने हुए भवनों पर दूसरे क्षेत्र के विधायक का नाम लिखा गया है। यह भी गलत परम्परा है, उसको दिखवायें।

श्री योगी आदित्यनाथ-

लेकिन हम लोगों ने बिना किसी संशय के इस बारे में स्पष्ट कहा है कि जनप्रतिनिधियों के नाम होने चाहिये, कोई भी प्रदेश के अंदर लोकार्पण या शिलान्यास का कोई कार्यक्रम होगा, उसमें दो-तीन चीजें स्पष्ट हैं कि किसी भी जनपद में कोई भी कार्यक्रम हो, अगर प्रदेश सरकार का या केंद्र सरकार का कोई माननीय मंत्री वहां जाता है तो माननीय मंत्री मुख्य अतिथि है तो माननीय सांसद से आप अध्यक्षता करवा लें। माननीय विधायगण विशिष्ट अथिति के रूप में वहां पर रहें और पत्थरों में, शिलापट में उनका नाम आना चाहिये और मैं चाहूंगा कि कार्यक्रमों में आपकी सहभागिता भी होनी चाहिये। लोकार्पण के कार्यक्रमों में दलीय भावना से ऊपर उठ करके आप लोग भी जायें। इस प्रकार का हम लोग एक शासनादेश पुनः जारी करेंगे कि जिनका विधान सभा है, लोक सभा है, उन सब में नाम सब के आयें, सम्मान सभी जनप्रतिनिधियों को समान रूप से मिलना चाहिये और यह व्यवस्था लागू होगी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू होगी। किसी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा कोई कार्यक्रम का उद्घाटन या शिलान्यास न हो बल्कि जनप्रतिनिधि ही उसका शिलान्यास या उद्घाटन करें, यह महत्वपूर्ण है और यह होना चाहिये। इसको हम लोग लागू किये हैं और करेंगे भी। लेकिन दो चीजें थी, एक- इस पर हाउस कोई एक राय बना लेता है, एक सुनिश्चित राशि के बारे में, वह भी बनाया जाना चाहिये और जब तक नहीं बनता है, मैं चाहूंगा कि तब तक हम लोग विधायक निधि की राशि को डेढ़ करोड़ से बढ़ा करके दो करोड़ फिलहाल करते हैं, पहले चरण में। (मेजें थपथपाई गईं)

श्री लाल जी वर्मा-

एक निवेदन सुन लें, आप बैठ जायें, तब मैं कहूँ। मैंने कल कहा था, शायद आप नहीं थे, 12 परसेन्ट जी0एस0टी0 लग गया, 18 लाख यह निकल गया। उसके साथ-साथ एक कि0मी0 सड़क पहले 12, 13, 14 लाख में बनती थी, अब एक कि0मी0 सड़क जो तीन मीटर की चौड़ी 50 लाख में बन रही है। यानी 15 तीयां 45 यानी तीन से साढ़े तीन गुना दाम बढ़ गया, दूसरे 4 लाख 28 हजार करोड़ का बजट है, अगर उसमें एक हजार करोड़ और बढ़ जाये तो कोई नुकसान नहीं हो जायेगा, उसका इंतजाम हो जायेगा और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो हम करा देंगे। एक हजार करोड़ का इंतजाम हम करवा देंगे, आप इसको बढ़वा दीजिये।

(कई सदस्यों के साथ-साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

शोर बहुत हो रहा है।

श्री योगी आदित्यनाथ-

अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को ही आगे बढ़ा रहा था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के नेता, लाल जी वर्मा जी ने कुछ मुद्दे उठायें हैं। वैसे नेता प्रतिपक्ष को विकास से बहुत मतलब होता भी नहीं है। विकास से उन्होंने वैराग्य ले लिया है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

लेकिन पॉच बरस में बहुत विकास भी हमारी सरकार ने किया है। लेकिन निधि वाले मामले में मैं चुप हूँ क्योंकि मैं इसका विरोधी हूं, जब भी मैं इस सदन में आया हूँ तो मैंने इसका विरोध किया है।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

यह ठीक नहीं हैं, जिस तरह आप लोग चिल्ला रहे हैं, यह शोभनीय नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय मुख्यमंत्री जी, यह जो माननीय विधायक लोगों की मंशा है कि एक साथ बोल रहे हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से इसका विरोधी हूँ। आप जैसा निर्णय लेना चाहें, निर्णय ले लें। मैं विकास का पक्षधर हूं, हमारी सरकार विकास का पक्षधर है।

श्री योगी आदित्यनाथ-

यही तो मैं कह रहा था कि माननीय नेता प्रतिपक्ष विकास से वैराग्य ले चुके हैं और इसलिये विकास की बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं सभी मा0 विधायकों को इस बात से आश्वस्त करता हूँ कि जो राशि की बढ़ोत्तरी हुई है उसको इस रूप में पहले स्वीकार करें, जी0एस0टी0 से उसको हम मुक्त करेंगे, जी0एस0टी0 की राशि की व्यवस्था हम अलग से करेंगे और सौ-सौ हैण्डपम्प की व्यवस्था प्रत्येक मा0 विधायक को अतिरिक्त रूप से देंगे।

श्री अजय कुमार लल्लू -

माननीय अध्यक्ष जी, सौ से कुछ नहीं होता है, सौ हैण्डपम्प ऊंट के मुंह में जीरा हैं, अगर दे ही रहे हैं तो जरा खुलकर दीजिए, दिल से दीजिए, सौ से ऊपर दीजिए।

श्री योगी आदित्यनाथ -

अभी पिछली बार जो जुलाई में घोषणा की गई थी, जुलाई में की गई घोषणा के अनुरूप अभी 40 प्रतिशत हैण्डपम्प के प्रस्ताव भी नहीं जा पाये हैं। हैण्डपम्प केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए ही नहीं हैं, शहरी क्षेत्र के लिए भी हैं और मैं चाहूंगा कि सभी मा0 विधायक अपने प्रस्ताव जल्दी से भेजें जिससे वह हैण्डपम्प स्थापित हो सकें। शहरी क्षेत्र में हम लोग एक व्यवस्था और देंगे कि जहां पर हैण्डपम्प की आवश्यकता नहीं है या हैण्डपम्प वहां पर ठीक ढंग से कार्य नहीं कर सकते तो दो हैण्डपम्प को मिला करके एक सबमर्सिबल लगाने की व्यवस्था भी हम लोग इसके माध्यम से उनको उपलब्ध करायेंगे। एक अन्य जो महत्वपूर्ण मुद्दा था मा0 संजय जी मैं क्या करूं आपके नेता प्रतिपक्ष ही आपके लिए सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि विकास के लिए पैसा नहीं मिलना चाहिए और विकास की आवश्यकता क्या है।

श्री राम गोविन्द चौधरी -

मा0 अध्यक्ष जी, चूंकि मैं टोक नहीं रहा हूँ लेकिन नेता सदन बार-बार हमारा नाम ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष -

वह हंसी-मजाक कर रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी -

मैं विकास का पक्षधर हूं, जितना चाहें विकास के लिए पैसा दें लेकिन मैं एक बात का जरूर विरोधी हूँ कि विधायक निधि से विधायकों के सम्मान को चोट पहुंचती है।

श्री योगी आदित्यनाथ -

मैं भी यही कह रहा हूँ कि इसके लिए एक व्यवस्था बननी चाहिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी -

लेकिन मैं विकास का पक्षधर हूं, इतना पैसा दीजिए जी भरकर दीजिए।

श्री योगी आदित्यनाथ -

अध्यक्ष जी, समस्या यहां पर यही है कि किसी गरीब को आवास इसलिए नहीं मिलना चाहिए क्योंकि हमारे पास व्हाइट हाउस है, इसकी मांग लोग ज्यादा करते हैं क्योंकि मैं ही मकान में रहने का हकदार हूँ कोई दूसरा नहीं। यह जो प्रवृत्ति है इसको तो रोकना पड़ेगा। इसलिए हमने कहा कि हैण्डपम्प की व्यवस्था में शहरी क्षेत्रों के प्रस्ताव भी जाएं और जहां वह न लग सकें वहां सबमर्सिबल की व्यवस्था दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वह है ई-टेण्डरिंग।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष -

आप सभी लोग शान्त रहें।

श्री अजय कुमार लल्लू -

मान्यवर, हैण्डपम्प बढ़ा दीजिए।

श्री योगी आदित्यनाथ -

जो मिले वह तो अभी तक आपने लगवाये ही नहीं। आपके यहां तो हैण्डपम्प की आवश्यकता ही नहीं है आपके यहां तो पानी की प्रचुर मात्रा है।

(कई सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप मुख्यमंत्री जी के भी भाषण में टोकाटोकी करते हैं, यह क्या तरीका है, आप बैठिये, लल्लू जी बैठिये, आप बैठिये। आप सभी लोग शान्त रहें, सभी लोग चिल्ला रहे हैं। सब लोग क्यों आपस में बात कर रहे हैं, आप लोगों की समस्या क्या है। मा0 मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं और आप लोग उनके भाषण में भी शान्त नहीं हैं।

श्री योगी आदित्यनाथ-

पहली बार लल्लू जी भी विकास के बारे में थोड़ा दिखाई दे रहें हैं कि विकास ये भी चाहते हैं, यह मुझे अच्छा लगा, वह हमारे पड़ोसी भी हैं।

श्री अध्यक्ष-

उनको आप 101 हैण्डपम्प दे दीजिए।

श्री योगी आदित्यनाथ-

अध्यक्ष जी ने कहा है तो जरूर आपको मिलेगा।

श्री मनोज कुमार पारस-

मान्यवर, दो सौ हैण्डपम्प कर दीजिए।

श्री योगी आदित्यनाथ-

अरे भाई, जो मिले हैं पहले उनको तो आप लोग लगवायें, पिछली बार के हैण्डपम्प अभी केवल 40 प्रतिशत ही लग पाये हैं क्योंकि प्रस्ताव ही नहीं आये हैं। आप प्रस्ताव भेजिये, वह लगें और समयबद्ध ढंग से उनको किया जाना चाहिए क्योंकि इस बार सर्वाधिक आवश्यकता पड़ेगी पेयजल की। सीजन में एवरेज से कम बारिश हुई है, हम लोग व्यवस्थाएं कर रहे हैं लेकिन उन सबके बावजूद जो भी पीड़ित पब्लिक आयेगी वह जन-प्रतिनिधियों के पास आयेगी। जनता जब जनप्रतिनिधियों के पास जायेगी तो उनके पास कुछ होना चाहिए कि वह अपने अनुसार उन क्षेत्रों में हैण्डपम्प दे सकें या सबमर्सिबल की व्यवस्था कर सकें और इस दृष्टि से यह व्यवस्था हम लोग वहां पर दे रहे हैं। पिछले प्रस्ताव को भी अगर आप ले लें, जुलाई में जो हम लोगों ने घोषित किया था उन सबको भी ले लें तो एक बड़ी संख्या हमारे पास अभी भी है और ऐसा नहीं है कि केवल इसी सदन के लिए लागू होगी,

यह दोनों सदनों के लिए है, विधान सभा और विधान परिषद दोनों सदनों में बराबर लागू होगी। तो 503 सदस्यों को अगर हम यह सुविधा दे रहे हैं तो यह प्रदेश के अन्दर इतनी बड़ी मात्रा में हैण्डपम्प लगेंगे तो काफी राहत आम पब्लिक को मिल सकती है लेकिन युद्ध स्तर पर इसे करना होगा, समय पर हमें प्रस्ताव देने होंगे। प्रयास होने चाहिए कि हैण्डपम्प जहां लगें वह सार्वजनिक भूमि पर हो, सार्वजनिक स्थल हो, व्यक्तिगत घर पर न हो। क्योंकि जब हम किसी के व्यक्तिगत घर में देंगे तो फिर अन्य लोग उससे वंचित होंगे। सार्वजनिक स्थान पर अगर हम इस सुविधा को देते हैं तो आमजन उससे लाभान्वित होता है।

श्री संजय गर्ग-

शहरी क्षेत्र से प्रस्ताव नहीं मांगे गये हैं।

श्री योगी आदित्यनाथ-

आप लोग दीजिए, शहरी क्षेत्र में भी हम लोग इसको देंगे। यह व्यवस्था शहर और ग्रामीण दोनों में बराबर लागू होनी चाहिए। महोदय, ई-टेण्डरिंग में इमरजेंसी के कार्यों को करने में कभी-कभी कठिनाई होती है, कोई वी.आई.पी. मूवमेण्ट होता है, इमरजेंसी में कोई कार्य करना होता है, एक लाख तक की हमारी सीमा है और एक लाख की सीमा के ऊपर के लिए ई-टेंडरिंग होना एक लम्बी प्रक्रिया उसमें हो जा रही है जिससे इमरजेंसी में कोई भी कार्य तत्काल वहां पर नहीं हो पा रहे हैं उससे एक व्यावहारिक कठिनाई सामने आयी है। उस व्यावहारिक कठिनाई को देखते हुए इस ई-टेंडरिंग की सीमा को हम लोग बढ़ाना चाहते हैं और उसको बढ़ाने की दृष्टि से मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष इसके पक्ष में भी नहीं हैं। (श्री इकबाल महमूद ने कहा कि उप नेता चाहते हैं) आप चाहते हैं? वैसे मैं चाहूंगा कि इस समय आप बोलेंगे नहीं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर बेहोशी आ जायेगी। आप कुछ चबा रहे हैं? उसको देखते हुए आप चुपचाप बैठ जाईये, हम घोषणा कर देते हैं। महोदय, ई-टेंडरिंग में 01 लाख की सीमा को बढ़ाकर 05 लाख कर रहे हैं और इमरजेंसी के कार्यों को 10 लाख रुपये तक हम लोग इसमें छूट देने जा रहे हैं। यह व्यवस्था यहां पर मुझे विधायक निधि और इससे संबंधित कार्यों की दृष्टि से करनी थी।

श्री अध्यक्ष-

पीछे बातचीत बहुत हो रही है, कृपया शांत रहिये। उपेन्द्र तिवारी जी के मोहल्ले में बातचीत हो रही है। कृपया शांत रहिये।

[02.52 बजे] माननीय मुख्य मंत्री द्वारा विधान सभा सचिवालय कर्मचारियों हेतु मानदेय की घोषणा

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

यह हमारा बजट सेशन है और आज बजट सेशन का अंतिम दिन है। स्वाभाविक रूप से माननीय जनप्रतिनिधि और सभी तबके से जुड़े हुए जो भी हमारे सहयोगी हैं उन सबके साथ-साथ इस विधान भवन की पूरी कार्यवाही को सकुशल सम्पन्न करने और अपने अनथक परिश्रम से, अपनी मेहनत, लगन और निष्ठा से जो यहां पर कर्मी काम कर रहे हैं, विधान सभा सचिवालय के कर्मचारी हैं इन सबको पिछले वर्ष भी हम लोगों ने पुरस्कार स्वरूप 8500 रुपये प्रदान करने की घोषणा की थी, इस बार इस धनराशि में 1000 की और अतिरिक्त बढ़ोत्तरी की जा रही है और अब यह

9500 रुपये की धनराशि हो जायेगी। कुछ प्रस्ताव और आए हैं, इन प्रस्तावों को मैं अभी अवलोकन नहीं कर पाया हूं, लेकिन अभी इसको भी हम लोग देखेंगे। जो भी आवश्यकता पड़ेगी, सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी संजीदगी के साथ सचिवालय से जुड़े हुए सभी कर्मचारियों के प्रति अपनी पूरी सहानुभूति व्यक्त करती है और जिस भी स्तर पर होगा, सरकार का पूरा सहयोग उन्हें प्राप्त होगा। (कई सदस्यों के एक साथ शोरगुल करने पर)

श्री अजय कुमार लल्लू-

मा0 अध्यक्ष जी, विधायकों के दिल की बात भी जरा ग्रहण करें। ये सारे विधायक बेचारे मा0 मुख्यमंत्री जी का मुंह निहार रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

बेचारा यहाँ पर कोई नहीं हैं।

श्री अजय कुमार लल्लू-

महोदय, इन विधायकों के दिल की बात सुनें। सारे विधायक चाहते हैं कि विधायक निधि बढ़े, हैण्ड पम्प भी बढ़ें। इसलिए कृपया करके उस पर पुनः विचार कर लें और एक अच्छा घोषणा करें ताकि आज बजट सत्र का अंतिम दिन है जो भी आप के नाम से हो जाए।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिए। दल बहादुर जी आप भी बैठिए।

श्री दल बहादुर कोरी-

मा0 मेरी एक प्रार्थना है। पूज्य महाराज जी से, हमारे विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 350 बूथ है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 दल बहादुर जी आप बैठिए। मुख्यमंत्री जी खड़े हुए हैं आप को नहीं खड़ा होना चाहिए।

श्री योगी आदित्यनाथ-

मा0 श्री दल बहादुर जी एक वर्ष के लिए विधायक नहीं चुने गये हैं, आप पॉच वर्ष के लिए विधायक चुने गये हैं और आपके विधानसभा में जो साढ़े तीन सौ बूथ हैं, तो इसके लिए आपको 100 हैण्ड पम्प प्रति वर्ष मिल रहे हैं। आप आच्छादित कर सकते हैं। यह एक व्यवस्था है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे ढंग से पूरे सदन की कार्यवाही को यहां पर सम्पन्न करने में सभी पक्षों ने अपना योगदान दिया है। अच्छे ढंग से सदन चले, यह हम सबकी मंशा होनी चाहिए। सदन चर्चा का विषय बने। प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान में रखकर हम लोग अपने इस सदन को उतनी ही समृद्धि प्रदान करें और इसमें करने का प्रयास भी हुआ है। अलग-अलग क्षेत्र से जुड़े हुए सदस्य जब अपनी बात को कहते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से वह अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं। उनके क्षेत्र की सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक स्थिति क्या है? हम उसकी तुलना उन क्षेत्रों से करते हैं, जो विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ चुके है, हम उनकी तुलना करते हैं। कभी-कभी मुझे लगता है कि हम लोग उन

लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक अच्छा प्रयास हुआ है। मैंने सदन की सभी तरह के डिबेट्स को देखा है, उनको सुनने का प्रयास किया है। मा0 सदस्यों ने बहुत अच्छे ढंग से पूरे सदन की जो कार्यवाही हुई है। सदन 08 फरवरी से प्रारम्भ हुआ है और आज 27 मार्च तक विधानसभा की कार्यवाही चली है। मुझे लगता है कि इतने लम्बे समय तक सत्र पहली बार चला है। कार्यदिवस कम हुए होंगे, यह अलग विषय है, लेकिन इतने लंबे समय तक विधानसभा का बजट सत्र पहली बार चला है। अभी कुछ विधेयक लेकर संसदीय कार्यमंत्री जी पहले से ही बैठे हुए हैं, यानी यह बजट सत्र अभी और चलेगा। आज मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी की तरफ से आप सबके लिए दोपहर के भोजन की भी व्यवस्था है। मुझे लगता है कि सभी मा0 सदस्य को बीच में आधे घण्टे का सदन ब्रेक करके भोजन देना चाहिए था। ऐसा लगता है कि सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए ऐसी व्यवस्था उन्होंने कर दी है, लेकिन अच्छा होता कि बीच में आधे घण्टे का सदन ब्रेक करके सभी लोगों को एक साथ उनके द्वारा भोजन करवाना चाहिए था। फिर भी भोजन की व्यवस्था है, आप सभी सादर आमंत्रित है भोजन के लिए। अध्यक्ष जी, आपने बहुत अच्छे ढ़ंग से सदन को यहां पर चलाया है और अभी चार बजे तक चलाएँगे भी। आपका जो मार्गदर्शन इस दौरान पूरे सदन को प्राप्त हुआ है। मुझे लगता है कि हर पक्ष का सदस्य उससे अभिभूत है और आपके मार्गदर्शन में सदन की कार्यवाही को इसी प्रकार से निरंतरता देने को उत्साहित है, उत्सुक है। मैं इस अवसर पर मा0 सदस्यों को एक बार पुनः इस बात को ले करके कि सरकार आपके विकास के एजेंडे के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ, आपके साथ खड़े हो करके कार्य करेगी। हर प्रकार का सहयोग मा0 सदस्यों को करेगी। विकास के मुद्दे पर किसी भी मा0 सदस्य को हम लोग पीछे नहीं होने देंगे, पिछड़ने नहीं देंगे। हर क्षेत्र तक विकास पहुँचेगा और पूरी मजबूती के साथ हम पहुँचाने का काम करेंगे और जो प्रस्ताव आएंगे उन प्रस्तावों को विधायक निधि के विकल्प के रूप में हमें क्या कुछ करना है, इस पर अवश्य विचार करना चाहिए। मुझे यही बात कहनी थी। धन्यवाद।

[03.00 बजे] लंच हेतु सदन के स्थगन की सूचना

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि 20 मिनट के लिये अगर चाहें तो सदन स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष-

मुख्यमंत्री जी भी रूकेंगें ना ?

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट, मैं कुछ अपने विषय में बात करना चाहता हूं। माननीय नेता सदन कई बार वाईट हाउस और हाउस की बात इस सदन में कह चुके हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं घर से पढ़ने के लिये बलिया आया था और साथियों के कहने से छात्र-संघ का चुनाव लड़ गया। महामंत्री हुआ, अध्यक्ष हुआ। इसी में छात्रों का जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में भ्रष्टाचार विरोधी, दमन विरोधी एक बहुत बड़ा सम्पूर्ण क्रान्ति का आन्दोलन चला। उस आन्दोलन में हम लोगों ने सक्रिय भागीदारी की और जय प्रकाश नारायण जी ने स्वंय संकल्प इस बात का लिवाया कि जीवन में न

भ्रष्टाचार करोगे ना सहोगे यह संकल्प लो। हम लोगों ने लिया। माननीय अध्यक्ष जी, 40-45 वर्ष के राजनीतिक जिन्दगी में अगर इस प्रदेश का, देश का कोई एक भी आदमी खड़ा होकर कह दे कि चाहे विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में राम गोविन्द चौधरी को मैं एक पैसा दिया हूं तो राम गोविन्द चौधरी फॉसी पर चढ़ने के लिये तैयार है। चुनाव तक मैं कभी अपने मुंह से किसी से पैसा मॉगने का काम नहीं किया। मैं बहुत ही सही तरीके से राजनीति करता हूं। हां मेरे घर का कोई आदमी ठेकेदारी का काम नहीं किया है। मेरा कोई भाई ठेकेदारी नहीं करता बलिया में। किसी थाने में किसी आफिस में एक भी लड़का नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप पर कोई आरोप नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आरोप है। आरोप नेता सदन लगा रहे हैं, बार-बार लगा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

हंसी मजाक में कहा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

नहीं आरोप लगाया है। 1954 से हमारे चाचा नागालैंड के कोहिमा में राजधानी होटल जो वहां का सबसे प्रसिद्ध होटल था चला रहे थे। चार-चार किराने की दुकान चला रहे थे। सभी तरह की सिगरेट की एजेन्सियां थीं उनके पास। 50 वर्ष कमाने के बाद कोई आदमी एक छोटा सा घर नहीं बना सकता। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जबसे पढ़ने आया बलिया अध्यक्ष हुआ, महामंत्री हुआ एम0एल0ए0 हुआ। मैं केवल होली के होली घर जाता हूं या शादी पड़ती है तो जाता हूं या किसी की मृत्यु हो जाती है तो घर जाता हूं। मैंने जिन्दगी मे अपने लड़के को एक पैसा फीस नहीं दिया है। इसलिये क्योंकि परिवार मेरा सामूहिक है। मैंने अपनी पत्नी को भी आज तक एक रूपया नहीं दिया है। क्योंकि सामूहिक परिवार है। पत्नी हमारी इस संसार में नहीं है लेकिन मैं जरूर कहूंगा नेता सदन से कि किसी का चरित्र हनन करने का यह कुटिल प्रयास नहीं करना चाहिए। मैं खुद समझता हूँ कि मैं क्या हूं। मैं समझता हूं कि जिन्दगी में जितना मैंने ईमानदारी से राजनीति किया है जय प्रकाश जी की आत्मा जानती होगी या गांधी जी की आत्मा जानती होगी।

श्री अध्यक्ष-

वह तो उन्होंने हंसी मजाक में कहा है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

हंसी मजाक ऐसा नहीं होता है। हंसी मजाक हम भी कर लेंगें। लेकिन मैं नहीं कहूंगा। मैं हंसी मजाक नहीं करूंगा। मैंने अपनी बात कह दी है।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना जी, 15 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित करें या 20 मिनट के लिए।

श्री लाल जी वर्मा-

तीस मिनट के लिए स्थगित कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है आधा घंटे के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करते हैं।

(03 बजकर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 10 मिनट के लिये बढ़ा दिया है।)

03 बजकर 40 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, नियम 311 का प्रश्न है यह बहुत ही इम्पार्टेन्ट है।

श्री अध्यक्ष-

सभी को क्रम से लेते हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी हमारा भी 311 का है गन्ना पर।

श्री अध्यक्ष-

कल बिजली को लेकर बिजली के निजीकरण को लेकर माननीय नेता प्रतिपक्ष की बात आ गई थी आपकी भी आ गई थी माननीय लल्लू जी की नहीं आई थी। माननीय लल्लू जी अपनी बात कहें।

श्री अजय कुमार लल्लू-

माननीय अध्यक्ष जी तीन महीने पहले केन्द्र सरकार ने एक पत्र उत्तर प्रदेश को लिखा और यह कहा कि जो जनपद घाटे में चल रहा है उन ग्रामीण अंचलों को फ्रेंचाइजी देने की बात कही लेकिन अध्यक्ष जी यह सरकार उन्हीं जनपदों को फ्रेंचाइजी दे रही है जो अत्यधिक मात्रा में लाभ देने वाले केन्द्र हैं। अध्यक्ष जी 2003 के विद्युत अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत यह फ्रेंचाइजी दी जा रही है जबकि इसमें कहीं भी फ्रेंचाइजी का उल्लेख नहीं है अध्यक्ष जी अगर देखा जाय तो विद्युत अधिनियम धारा 5 में इसमें फ्रेंचाइजी का उल्लेख है लेकिन ग्रामीण शब्द का उल्लेख किया गया है न कि शहरी क्षेत्र को फ्रेंचाइजी देने की बात कही गई पिछले समय में सरकार ने आगरा को दिया था फ्रेंचाइजी के तौर पर उस मामले का विवाद आज भी उच्च न्यायालय में चल रहा है जबकि पहले से ही यह विदित है कि उन उपकेन्द्रों को उन जनपदों को नहीं दिया जा सकता जो जनपद पहले से लाभप्रद स्थिति में हैं अध्यक्ष जी अगर देखा जाए जिस अधिनियम के अन्तर्गत इन लोगों ने दिया है केन्द्र सरकार का जो पत्र था उसमें जहां लासेस थे उन जगहों को देना था। जबकि देखा जाए तो मेरठ को बहुत कम 27.84 प्रतिशत दिया है। अगर देखा जाए तो मुरादाबाद को 26.43 प्रतिशत, लखनऊ को 22.06 प्रतिशत, गोरखपुर को 26.52 प्रतिशत और वाराणसी को 21.66 प्रतिशत और 20.25 प्रतिशत। मा0 अध्यक्ष जी, इन्हीं 05 जनपदों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये पिछले समयों में 4511 करोड़ 88 लाख रूपया स्वीकृत करने के लिये भारत सरकार ने ए0पी0डी0आर0पी0 और आई0पी0डी0एस0 से लेकर इन सभी जगहों को ठीक करने की व्यवस्था के लिये दिया था। जो सामान ठीक-ठाक चल रहा हो, जो व्यवस्थित चल रहा हो, जनता के लिये लाभकारी हो, विद्युत नियामक

आयोग की सलाह से चल रहा हो, उसको कहीं से फ्रेंचाइजी देने का औचित्य नहीं है। अगर देखा जाए तो आप अधिनियम में देखें, इन्हीं का अधिनियम है, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि ''विनिर्दिष्ट'' से इस अधिनियम के अधीन समुचित आयोग या प्राधिकरण द्वारा, यथास्थिति निर्मित विनियम द्वारा विनिर्दिष्ट अभिप्रेत है और अगर आप धारा-5 में देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण और स्थानीय वितरण पर राष्ट्रीय नीति के अन्तर्गत केन्द्र सरकार पंच संस्थानों, उपयोगकर्ता संगमों, सहकारी समितियों, गैर-सरकारी संगठनों या विक्रय केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए और ऊर्जा के थोक क्रय तथा स्थानीय वितरण के प्रबन्ध के लिये राज्य सरकारों तथा राज्य आयोगों से परामर्श करके राष्ट्रीय नीति भी विनिर्मित करेगी। यानी आपने कहीं से विद्युत नियामक आयोग से कोई स्वीकृति नहीं ली और आपने फैसला ले लिया। केन्द्र सरकार के मंत्री जी ने जो पत्र लिखा उसमें यह कहा कि जो सबसे ज्यादा घाटे वाला है ग्रामीण अंचल, उसको लीजिये। यानी आप पूरी तरह असंवैधानिक तरीके से इन सारे केन्द्रों का निजीकरण करना चाहते हैं और अगर बिजली विभाग का जो अधिनियम है अगर उसको उल्लिखित किया जाए तो उसके अन्तर्गत कहीं भी आपको बेचने का अधिकार नहीं है और आपको फ्रेंचाइजी देने का, निजीकरण करने का अधिकार नहीं है। जब-जब भाजपा की सरकार आई है तब-तब इस तरह के कदम उठाए गए हैं। अगर देखा जाए तो पिछले समय में जो उत्पादन के केन्द्र थे तो 1992-93 में उनको बेचने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और फिर से आप इसे निजीकरण की तरफ ले जाना चाहते हैं। आप उन्हीं कम्पनी को देना चाहते हैं जो कम्पनी गुजरात से आयें और आप सीधे उसको लाभ पहुँचाना चाहते हैं। जो विद्युत नियामक आयोग है वह विरोध कर रहा है। जो कर्मचारी संगठन हैं वह लगातार आंदोलित हैं। सारे अभियन्ता आंदोलित हैं। आज पूरे प्रदेश की बिजली ठप्प है और सारे लोग आंदोलन पर उतर गये हैं। वह सड़कों पर हैं और नारे लगा रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश का कर्मचारी सड़कों पर होगा तो उत्तर प्रदेश की व्यवस्था कैसे चलेगी? मा0 अध्यक्ष जी, यही गलती पिछले समयों में दिल्ली में हुई और दिल्ली में निजीकरण कर दिया गया, लेकिन बाद में नई दिल्ली को उससे अलग किया गया। अगर आप विद्युत व्यवस्था का निजीकरण कर देंगे तो एक दिन ऐसा आयेगा कि विधान सभा चल रही होगी और निजीकरण वाले लाईन काट देंगे और यहां की भी बिजली कट जायेगी। आप करना क्या चाहते हैं? आप पूरे प्रदेश को अस्थिरता के दौर में लाना चाहते हैं। आपने विद्युत नियामक आयोग की सलाह नहीं ली। आपने कहीं कोई ऐसी बात नहीं की। आपके केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि अगर फ्रेंचाईजी देना है तो आप ग्रामीण अंचलों को जो सबसे ज्यादा लॉस में हैं उनको फ्रेंचाईजी पर दीजिये, लेकिन जो सबसे ज्यादा लाभप्रद पांच जनपद हैं आपने उनको फ्रेंचाइजी पर दे दिया जो कि विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत भी नहीं है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं अन्तिम बात के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा- ''तुम्हारी फाईलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है।'' इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों पर बल देता हूँ और कर्मचारी हितों को ध्यान में रखते हुये, 22 करोड़ जनता और उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुये और बेरोजगारों को ध्यान में रखते हुये हम इस निजीकरण का विरोध करते हैं और चाहते हैं कि सरकार इसे वापस ले।

श्री अध्यक्ष-

मा0 ऊर्जा मंत्री जी।

ऊर्जा मंत्री (श्री श्रीकान्त शर्मा)-

मा0 अध्यक्ष जी, वर्तमान सरकार की पहली प्राथमिकता है सबको बिजली, पर्याप्त बिजली और निर्बाध बिजली।

इसी संकल्प को लेकर मा0 योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है। उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार आई तब इस प्रदेश में कोई रोस्टर नहीं था। हमने सरकार आते ही 18 घंटे गांव को, 20 घंटे तहसील और बुन्देलखण्ड को और 24 घंटे जिला मुख्यालयों को बिजली देने का काम किया है। मान्यवर, हमारी सरकार जब आई थी तब उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 87 लाख ऐसे घर थे जहां आजादी से लेकर आज तक अन्धेरा था और उनमे से लगभग 35 लाख 44 हजार घरों में हमने एक साल के अन्दर रोशनी पहुँचाने का काम किया है, और जो बचे हैं जो गरीब की झोपड़ी है जहां आजादी से लेकर अब तक बिजली नहीं पहुँची है असली आजादी उसके घर में तब आयेगी जब उसके घर में रोशनी पहुँचेगी। जो बचे हुए घर हैं उनमें भी मार्च, 2019 तक बिजली पहुँचेगी इसके लिए हमारी सरकार संकल्पबद्व है। हमारे मित्र लल्लू जी, बहुत योग्य सदस्य हैं लेकिन आज इन्होंने जो कुछ कहा वह केवल और केवल असत्य कहा, असत्य के अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इन्होंने सदन को गुमराह करने का काम किया है, मिथ्याप्रचार किया है। मान्यवर, नियामक आयोग ये जो करार होने जा रहा है यह नियम के तहत है, यह सरकार कोई गैर कानूनी काम करने नहीं जा रही है। इस सरकार की प्राथमिकता है कि उत्तर प्रदेश का जो भी गरीब का घर है जिसमे रोशनी पहुँचनी चाहिए थी किन्तु वहां अभी तक रोशनी नहीं पहुँची है उसके घर में रोशनी कैसे पहुँचे? मान्यवर, एक्ट फॉर द प्रोविजन सैवन ऑफ द सैक्शन फोट्टीन ऑफ द इलेक्ट्रीसिटी एक्ट 2003 इलेक्ट्रीसिटी एक्ट 2003 का जो प्रोविजन सात है और सैक्शन चौदा है उसके अनुसार ही कार्यवाही आगे की जा रही है। यह कार्यवाही चिन्हित पॉच शहरों, हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि जो हमारी सरकार ने गांव के अन्दर जहां पहले बिजली जाती नहीं थी केवल 4 जिलों में ही बिजली जाती थी हमारी सरकार जब से आयी है 28 प्रतिशत से ज्यादा 28 और 30 प्रतिशत के बीच में हमने बिजली की बढोत्तरी की है, गांव के अन्दर जो पूर्व में गांव की सबसे ज्यादा उपेक्षा होती थी उस व्यवस्था को कॉन्टीन्यू करने के लिए जो लाईनलॉस है उसको कम करना और इन शहरों में लाईनलॉस भी कम होगा और यहां जो इन्फ्रास्टेक्चर के लिए पैसे की आवयकता है वह पैसा भी वह कम्पनी वहां लगायेगी। बिजली विभाग में उत्पादन भी है, ट्रान्समिशन भी है और वितरण भी है। वितरण के क्षेत्र में इन पॉच शहरों को चिन्हित किया गया है जो कि कन्जूमर को बेहतर से बेहतर सुविधा भी देंगे क्योंकि अगर ईमानदार उपभोक्ता समय पर बिजली का बिल देता है और उसके घर में कोई फॉल्ट आता है तो वह उसका अधिकार बनता है कि उसकी जो समस्या है उसका समाधान अविलम्ब हो, एक समय के अन्दर हो। यह जो फैसला है इसमें किसी भी कर्मचारी का कहीं कोई अहित नहीं है। मान्यवर, आपके आदेश से कल भी इस बात का जिक्र किया था और मैं पुनः मा0 लल्लू जी की जो शंकाये हैं उनको एक वास्तविक जानकारी मैं दे देता हूँ हालांकि ये हमारी जानकारी को ऐथेनटिक नहीं मानते हैं क्योंकि इनको जो आदेश है ऊपर से उन्हीं का ये लोग सदन में चर्चा करेंगे क्योंकि इनके यहां जो दिल्ली से आदेश आता है वहां एक झूठ बोलने वाली मशीन है। वह ऐसी मशीन है जो लगातार झूठ बोलती है, झूठ बोलना, रोज बोलना, जोर से बोलना और मैं मानता हूँ कि मा0 लल्लू जी उस परम्परा का निर्वाह सदन में

नहीं करेंगे लेकिन उन्होंने किया ये उनकी कोई बाद्धयता हो सकती है मैं गहराई में नहीं जाना चाहता। लेकिन कर्मचारियों के लिए प्रदेश सरकार विद्युत निगमों के अधिकारियों कर्मचारियों के हितों की पूर्ण सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। अभी हाल ही में वित्तीय संसाधनों के सीमित होने के बावजूद वित्तीय क्षेत्र के निगमों में 7वें वेतन आयोग का लाभ हमने अपने कर्मचारियों को दिया। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कई इन्सेन्टिव स्कीम्स भी लागू की गई हैं। जिन नगरों में फ्रेन्चाइजी व्यवस्था लागू किया जाना प्रस्तावित है वहां पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को फ्रेन्चाइजी की सहमति से प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने का विकल्प मौजूद रहेगा। ऐसा विकल्प चुनने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ते किसी भी दशा में कम नहीं किये जा सकेंगे। जो कार्मिक फ्रेन्चाइजी के साथ कार्य करने का इच्छुक नहीं है उन्हें वर्तमान सेवा शर्तों पर प्रदेश के अन्य विद्युत खण्डों में तैनात किया जायेगा। प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ना अवश्यम्भावी है इसके लिए कार्मिकों की आवश्यकता बनी रहेगी। माननीय लल्लू जी ने जो-जो आरोप सरकार पर लगाये हैं वह सब तथ्यों से परे हैं। इन तथ्यों का आरोपो से कहीं दूर-दूर तक कोई सरोकार नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, लल्लू जी की पार्टी को गुजरात से बहुत प्यार है, गुजरात का नाम जब तक नहीं आयेगा तब तक इनका कोई भी भाषण पूरा नहीं होता है। चाहे हमारे माननीय लल्लू जी हो या फिर चाहे इनके शीर्ष नेतृत्व हों, वह गुजरात से बेहद प्रेम करते हैं। यह अलग बात है कि 26 साल से इनका वहां पर खाता नहीं खुला, वहां की जनता इनको स्वीकार नहीं करती। जो यह गुजरात की कंपनी को हमारे खाते में डाल रहे हैं, आज यह जिन लोगो के साथ गलबहियां डालकर यह घूम रहे हैं, वहीं गुजरात की कंपनी को 2010 में आगरा में लेकर आये। इसमें हमारा कोई सहयोग नहीं है। इस कंपनी को आगरा को लूटने की इन लोगो ने छूट दी थी उस पर अंकुश लगाने का काम योगी आदित्य नाथ जी की सरकार ने किया है। जो-जो कमियां इनके द्वारा किए गए करारो में थी उसके कारण सात सालों तक इन लोगो ने खुली लूट की छूट इन कंपनियों को दी। हम पहले साल से उन कंपनियों की नाक में नकेल डालने का भी काम करेंगे और उससे हिसाब-किताब भी लेंगे कि कितना लाईन लॉस आपने कम किया है। हमारे यहां लूट की छूट मान्यवर किसी को नहीं है जो इन लोगो ने अपने शासन में लूट की छूट उद्योगपतियों को दी, अन्य लोगो को दी, उनके माध्यम से इन लोगो ने कितना प्रदेश को लूटा इतिहास इस बात का गवाह है। हमारे यहां पूरी व्यवस्था होगी और पारदर्शी तरीके से होगी, ट्रांसपैरेन्ट तरीके से होगी और जो पूर्व की सरकारों के द्वारा गलती की गई है उन गलितयों को हम दोहराने का काम नहीं करेंगे। यह जो प्लान है वह केवल और केवल प्रदेश की जनता के हित के लिए है क्योंकि हमें अपने ग्रामीण अंचल की जनता तक विद्युत आपूर्ति को पहुंचाने के लिए पैसे की भी जरूरत है। आपने देखा होगा कि सभी विद्यायकों की अपेक्षा रहती है कि उनके यहां जर्जर तारों को बदला जाना चाहिये। 28-28, 30-30 साल हो गये बिजली के तार अभी तक नहीं बदले गये। जर्जर तारों को बदलना, ट्रांसफारमर लगाना, गांवों के लिए जो 18 घण्टे का रोस्टर तय किया गया है उसके लिए बिना किसी व्यवधान के गांवो में 18 घण्टे तक बिजली पहुंचाना इन सबके लिए पैसे की भी कुछ आवश्यकता है। वर्तमान में हमारा विभाग 72000 करोड़ के घाटे में चल रहा है। जो पूर्व में कमियां रही थी उनका भुगतान हमको करना पड़ रहा है और व्यवस्था को पटरी पर लाना पड़ रहा है। बिजली सबकी मूलभूत आवश्यकता है और हम चाहते हैं कि सबके घरों में

बिजली पहुंचे, क्योंकि बिजली के बिना पूर्वान्चल से बड़ी तादाद में पलायन होता था। अगर घरों में बिजली पहुंचेगी तो निश्चित रूप से पलायन रूकेगा और जो नौजवान पढ़ने के बाद अपने परिवार के साथ शहरों में शेटल हो जाते हैं अथवा अपने मां-बाप के पास जाना चाहते हैं लेकिन मूलभूत सुविधायें गांव में नहीं होती हैं इस कारण इनको फिर शहर में वापस जाना पड़ता है, वह गांव से जुड़ेंगे। यह योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। पिछले साल जिन गांवों में बिजली पहुंचती नहीं थी, हमने वहा पर बिजली पहुंचाई और जो नौजवान गांव से बाहर आ गये हैं नौकरी करने के लिए उन लोगो को राहत मिली है और उन लोगो ने योगी सरकार का अभिनन्दन किया और धन्यवाद दिया। माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार प्रदेश के हित के लिए है। यह सरकार उपभोक्ताओं के हित के लिए है। ''उपभोक्ता देवो भवः'' इस नीति पर हमारी सरकार काम कर रही है। आपके आशीर्वाद से योगी सरकार जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी उन्होंने अंतिम वर्ष में केवल साढ़े आठ लाख कनेक्शन दिये लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने एक साल के अंदर ही साढ़े चौंतीस लाख कनेक्शन देने का काम किया है। कहां साढ़े आठ लाख और कहां साढ़े चौंतीस लाख। यह योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने जाते-जाते अपने अंतिम वर्ष में 24 हजार मजरों में रोशनी पहुंचाने का काम किया, यह योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जिसने मान्यवर, 56 हजार मजरों में रोशनी पहुंचाने का काम किया। यह हमारे काम की गति है। हमारे बड़े भाई है और हम उनका बहुत सम्मान करते हैं और आज जिस सीट पर वह बैठे हैं उस सीट पर कोई भी व्यक्ति बैठेगा वह वही बोलेगा जो आप बोल रहे हैं। हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं हैं, लेकिन हमारे बड़े भाई ने कहा कि कोई सब स्टेशन नहीं खुले हैं। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि वह सच नहीं है। हमने लक्ष्य तय किया कि हम 460 33/11 के सब स्टेशन दिसम्बर 2018 तक पूरे करेंगे और उसमें से 180 सब स्टेशन हम लोग पूरे कर चूके हैं। यह सरकार सबकी सरकार है। बिजली इधर भी चाहिए और उधर भी चाहिए। 22 करोड़ जनता को बिजली चाहिए और बिजली बिना किसी व्यवधान के प्रदेश के सभी घरों में पहुंचे यह हमारा संकल्प है। जो आरोप हम पर लगाया जा रहा है कि यह सरकार उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है, तथ्यों से एकदम परे है। एकदम सच्चाई से परे है। हम केवल और केवल गांव में किसान के लिए 6 रुपये 74 पैसे की बिजली आज हम ले रहे हैं। नीचे गांवों तक पहुंचने तक 6 रुपये 74 पैसे की बिजली पड़ती है। यह मा0 योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जो किसान को 6 रुपये 74 पैसे की बिजली मात्र 1 रुपये 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से दे रही है। यह राष्ट्र की नीति है, यह पहली बार है जो मैं कह रहा हूँ। लेकिन यह जो करार हो रहा है यह पहली बार नहीं हो रहा है क्योंकि पहली बार आपने किया है। लेकिन मैं जो यह कह रहा हूँ यह पहली बार हो रहा है कि यह राष्ट्र की नीति है कि पहले 30 यूनिट जो आपकी कीमत पड़ रही है, कंज्यूमर को पहुंचाने की, उसके आधे रेट में आपको बिजली देनी है। यह मा0 योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जिसने 30 नहीं पहले 100 यूनिट केवल 3 रुपये में देने का फैसला किया है। 6 रुपये 74 पैसे की बिजली पहले 100 यूनिट केवल 3 रुपये में देने का काम कर रहे हैं। जो भी आरोप इस फ्रेंचाइजी को लेकर हमारे सभी वरिष्ठ मित्र हैं हमारे बड़े भाई है मा0 नेता प्रतिपक्ष, लल्लू जी हमारे मित्र हैं बहुत योग्य हैं, ज्ञानी हैं लेकिन जो आरोप लगाये हैं वह बिना सिर-पैर के आरोप हैं, तथ्यों से एकदम परे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अब तो समाप्त हो गया।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मा0 अध्यक्ष जी, इन्होंने असत्य करार दिया। यह देखा जो 2003 विद्युत अधिनियम धारा-14 है। इसमें कहीं भी फ्रेंचाइजी नाम का शब्द हो तो बताईये। मैंने इसलिए असंवैधानिक कहा कि फेंचाइजी शब्द का अगर 2003 के विद्युत अधिनियम धारा-14 में कहीं उल्लेख हो तों मंत्री जी उसको बता दें।

श्री अध्यक्ष-

आप अवैधानिक कह सकते हैं। अवैधानिक और असंवैधानिक में फर्क होता है।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मा0 अध्यक्ष जी, जो घाटे का बिजली उपकेंद्र था या जो बिजली के जनपद थे उनके लिए फ्रेंचाइजी की बात होती तो समझ में आता। जो सबसे ज्यादा फायदा है जिस पर अभी 4571 करोड़ रूपया देकर उसको सुदृढ़ किया गया है। जहां पूरे प्रदेश का अमला आंदोलन पर है। मा0 अध्यक्ष जी, आप बताईये अगर लखनऊ विधान सभा को किसी निजी हाथों में दे दिया जाये। दिल्ली में भी सरकार ने बिजली को निजी हाथों में दिया है और एक हिस्सा जो नई-दिल्ली है उसको अपने पास रखा है। श्री बहुगुणा जी ने कहा था कि जो चीजें लोकहित में हो, जनहित में हों जो हर जरूरत की चीजें है जैसे, बिजली, पानी या अन्य जो भी हो रोटी, कपड़ा इनका कभी-भी निजीकरण नहीं होना चाहिए। इसको सरकारों को अपने हाथ में रखना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

यह तो सैद्धान्तिक बहस हो गई।

श्री अजय कुमार लल्लू-

आप उद्यमी को दे देंगे और कल वह उद्यमी यहां की लाइट खींच लेगा और सारी चीजें बन्द हो जायेंगी। यह जो बिजली का बिल लेकर आये हैं फेंचाइजी के लिए। यह असंवैधानिक है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और जनहित में 22 करोड़ जनता के हित में कर्मचारियों के हित में इंजीनियरों के हित में यह निवेदन करती है, मांग करती है, सरकार से, आपके माध्यम से कि इसे तत्काल वापस लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है हम अगला विषय लेते हैं। आप कुछ कहेंगे।

ऊर्जा मंत्री (श्री श्रीकान्त शर्मा)-

मान्यवर, मैं इसको बाद में हिन्दी में ट्रांसलेट कर दूंगा। 'एज पर द प्रोवीजन 7 आफ द सेक्शन 14 आफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी केन अपाइंटेड ए डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजी इन सेलेक्टेड एरिया टू इनटू आपरेशनल एण्ड कमर्शियल परफारमेंस।' बहुत स्पष्ट है मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

यह अधिनियम का उल्लेख है ?

श्री श्रीकान्त शर्मा-

जी मान्यवर। यह नियम कानून के अनुसार है। अगर इनको आपत्ति है तो नियामक आयोग में चले जायें। इनकी आपत्तियों को नियामक आयोग सुन लेगा।

श्री अजय कुमार लल्लू-

यह नियम संगत नहीं है। यह असंवैधानिक है। यह सरकार कर्मियों के खिलाफ है। 22 करोड़ जनता के खिलाफ है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, यह चर्चा तो हो नहीं रही है।

श्री लालजी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी ने चर्चा स्वीकार किया है।

श्री अजय कुमार लल्लू-

यह सरकार कर्मचारियों के खिलाफ है, 22 करोड़ जनता के खिलाफ है। अभी बिजली बेचा कल परिवहन बेचेगी। सरकार के इस जनविरोधी रवैये के विरोध में हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये।)

श्री अध्यक्ष-

अब स्पष्टीकरण आ गया। मा0 नेता प्रतिपक्ष का आज एक नोटिस आया था अल्पसंख्यकों वाला। मा0 नेता प्रतिपक्ष आप कुछ कहेंगे क्या ?

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, यह जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव ही नहीं उनको उनके अधिकारों से भी वंचित करने का षडयंत्र रच रही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 30-1 में स्पष्ट उल्लेख है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक-वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। प्रदेश या केंद्र सरकार द्वारा अनुदानित होने पर भी इन संस्थाओं के अधिकारों को अतिक्रमित नहीं किया जा सकता, इस पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय के बहुत से निर्णय हैं। जिसमें अल्पसंख्यक संस्थाओं के परिपालन के लिए विस्तृत व्याख्या दी गयी है। यह संविधान में उनको अधिकार दिया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को कि अपनी शिक्षण संस्थायें खोल सकते हैं। उसमें नियुक्ति कर सकते हैं। जो भी प्रशासनिक काम हो वह अपने तरीके से कर सकते हैं। चाहे उसको स्टेट गवर्नमेंट अनुदान देती हो या केंद्र सरकार अनुदान देती हो लेकिन कोई उनके प्रशासनिक अधिकार में कटौती नहीं करेगा। यह जो वर्तमान सरकार है। अभी एक नियम बना दिया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 के अध्याय 02 विनियम 17 में यह निर्देश दिया गया है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के अल्पसंख्यक संस्थाओं में 16 (च च) में सीधी भर्ती के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। विज्ञापन कैसे किया जायेगा आदि। परंतु इन निर्देशों में कहीं भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं के प्रबंध तंत्र के चयन का अधिकार पर कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन यह सरकार जानबूझकर डराने के लिए,

अल्पसंख्यक सिफ्र मुसलमान ही नहीं है। अल्पसंख्यक मुसलमान भी है, जैन भी है, पारसी भी है, सिक्ख भी है, मतलब वही पंजाबी, पंजाबी भी है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

पंजाबी भी है ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

सिक्ख है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

पंजाबी नहीं है। सिक्ख है सरदार।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

हां वही सिक्ख।

मान्यवर, वर्तमान सरकार ने अपने पत्रांक संख्या-2167/15-12-2017-1600(550)/2017 दिनांक-12.03.2018 द्वारा शिक्षा निदेशक माध्यमिक को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के विनियम 17 में संशोधन के बहाने जो बातें कही हैं वह अल्पसंख्यक संस्थाओं के चयन के अधिकार को छीन लिया है और यह खुला संविधान का उल्लंघन है जो न कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा (च च) का खुला हस्तक्षेप है। (राजाज्ञा द्वारा अधिनियम के प्राविधानों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है) बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) पर भी प्रहार है। इन संशोधनों में जो व्यवस्थायें की गयी हैं वह न्यायालयों के आदेशों का भी अनदेखी करती हैं। इस शासनादेश के जारी हो जाने से प्रदेश के सभी अल्पसंख्यक समुदायों में सरकार के इस निर्णय से भारी रोष एवं असंतोष व्याप्त है, स्थिति बहुत ही विस्फोटक है। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं पर यह सरकार हमला कर रही है और उनके अधिकारों को मिटाना चाहती है। अल्पसंख्यकों को इस देश में बर्बाद करने पर तुली हुई है। मैं आपसे इस बात की अपेक्षा करता हूँ कि इस गंभीर विषय पर जो अतिआवश्यक है तथा तात्कालीन है और जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों में रोष है इस पर चर्चा कराने की मैं मांग करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

अब उत्तर कौन देगा ?

दुग्ध विकास, धर्मार्थ कार्य, संस्कृति, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी)-

मान्यवर, अल्पसंख्यक विद्यालयों में किसी भी प्रकार के मेनेजमेंट के मेनेजमेंट द्वारा वेकैंसी क्रियेट होती है। मेनेजमेंट के द्वारा सेलेक्शन होता है। मान्यवर, किसी के अधिकार की कोई कटौती नहीं की गयी है। केवल इतना किया गया है कि भर्ती प्रक्रिया में परीक्षा पद्धति अपनाई जाए और यह पूरे बोर्ड में अपनाई जा रही है और यदि आप यह चाहते हैं कि पहले की तरह धांधलेबाजी हो और एक अध्यापक चार मदरसों में अपनी हाजिरी दिखाये तथा चारों जगह से उसका वेतन निकले यही धांधलेबाजी समाप्त करने के लिए हमने डायरेक्ट सबके खातों में उनका वेतन पहुंचाने का काम शुरू किया है, इसलिए पहले जो 20-20, 30-30 करोड़ के घोटाले छात्रवृत्ति में अध्यापको के वेतन में

मेनेजमेंट के द्वारा हुआ करते थे और अधिकारियों के द्वारा मिलकर उसको समाप्त करने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई गयी है। आप तो उन्हें कूपमंडूक बनाये रखना चाहते थे। हम चाहते हैं कि उनकी शिक्षा पद्धति अच्छी हो। वहां से इंजीनियर निकलें, डॉक्टर निकलें और हम यह चाहते हैं कि उनकी शिक्षा गुणवत्तापरक होनी चाहिए, आधुनिक होनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें हम मायनॉरिटी को प्रगति का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का नारा है ''सबका साथ, सबका विकास''। जब तक विकास में उनकी पूरी भागीदारी नहीं होगी तब तक हमारे प्रदेश की उन्नति सम्भव नहीं होगी, इसलिए हम उनकी शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहते हैं जिससे वहां अच्छे विद्यार्थी निकल सकें और किसी भी तरह के उनके अधिकारों की कटौती नहीं की गयी है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

''सबका साथ-सबका विकास'' और हम कहते हैं कि ''सबका साथ और सबका विनाश''। यह सबको सुधारना चाहते हैं। यह जीतकर आये हैं तो संविधान को सुधार देंगे, लोकतंत्र को सुधार देंगे। सभी चीजों को यह सुधार देंगे क्योंकि यह सुधारने के लिए आये हैं। अल्पसंख्यकों को ठीक कर देंगे। इतने दिन से शिक्षण संस्थाएं चल रही थीं। संविधान ने उनको संरक्षण दिया है और आपको फिक्र पड़ी है कि हम उनको सुधार रहे हैं और नई तकनीकी शिक्षा से जोड़ रहे हैं। सरकार संविधान में छेड़छाड़ करना चाहती है, लोकतंत्र पर छेड़छाड़ करना चाहती है, स्वाधीनता पर छेड़छाड़ करना चाहती है, व्यक्तिगत विचार पर छेड़छाड़ करना चाहती है। आजतक जब से अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षण संस्थाओं पर संविधान में जो व्यवस्था दी गई है, क्या यही बहुत बड़े चालाक हैं कि इनको अब याद आई कि इसे और बढ़िया से करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, 320 संशोधन के माध्यम से उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने जो संशोधन किए हैं, उसे तत्काल वापस लिया जाए और संविधान में अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षण संस्थाओं एवं प्रबंध-तंत्र को जो अधिकार मिले हैं, उन्हें बहाल कर दिया जाए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत सीनियर हैं और हमसे भी सीनियर हैं, लेकिन तकलीफ तब होती है जब गलत तरीके से व्याख्या की जाती है और कानून की गलत व्याख्या किसी तरीके से इस हाउस में और इस पद पर रहते हुए व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। मान्यवर, आप देख लें, संविधान मेरे सामने है और जो संविधान की मंशा है वह यह है कि माइनारिटी करेक्टर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। माइनारिटी करेक्टर की बात कही गई है। जो शासनादेश आया है उसमें केवल यह है कि उसमें अभी तक उसकी अर्हता को चैलेंज नहीं किया गया है कि कौन व्यक्ति वहां पर रखा जाए ? उसमें यह चैलेंज नहीं किया गया है कि माइनारिटी या मेजारिटी में रखा जाए, यह नहीं किया गया है। केवल जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, केवल उसे दुरस्त किया गया है। अगर उनकी अर्हता को हम चैलेंज करते कि उनकी अर्हता को माइनारिटी की बजाय माइनांरिटी के अन्तर्गत रख दिया जाए, तब इस पर शंका करना ठीक था। मान्यवर, नेता विरोधी दल ने इसे देखा तक नहीं। हम आपके पास शासनादेश भिजवा देते है कि उसमें पुरानी व्यवस्था क्या थी। केवल उसमें यह कर दिया गया है कि जो भी नियुक्ति होगी, जिस वर्ग की होगी, वह केवल परीक्षा के

माध्यम से ही होगी। हमने वर्ग चेंज नहीं किया, हमने अर्हता चेंज नहीं किया, हमने केवल प्रक्रियात्मक संशोधन किया कि उन्हीं व्यक्तियों के बीच ही काम्पटीशन होगा। मान्यवर, यह गलत तरीके से व्याख्या की जा रही है, इसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि हमने माइनारिटी करेक्टर के ऊपर असर डाला है।

श्री अध्यक्ष-

मैं इसे निरस्त करता हूँ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, 30(क) में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। प्रशासन में नियुक्ति करने का अधिकार होता है। प्रशासनिक अधिकारी ही नियुक्ति अधिकारी होता है। अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों-कॉलेजों को संविधान में भी इस बात की छूट दी गई थी कि वह किसी भी तरह का शिक्षण संस्थान चला सकता है, अपने तरीके उसमें चपरासी, क्लर्क, प्रिंसिपल किसी की भी नियुक्ति कर सकता है। जब नियुक्ति होगी तब वह किससे परमीशन लेगा या तो इंस्पेक्टर आफ स्कूल से या बेसिक शिक्षा अधिकारी से परमीशन लेगा। लेकिन जब से सरकार इसमें हस्तक्षेप कर दी, तब माननीय अध्यक्ष जी, अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षण संस्थाओं में सरकार का हस्तक्षेप हुआ या नहीं ?

श्री अध्यक्ष-

ये हस्तक्षेप नहीं है। वे मदद कर रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आप ऐसा मत कहिए।

श्री अध्यक्ष-

(हंसी) चूंकि आपने हमसे पूछा, इसलिए हमने कहा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अध्यक्ष जी, हम तो जो भी कहेंगे, आपको संबोधित करते हुए ही कहेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अध्यक्ष जी, हम तो आपको ही सम्बोधित करेंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी, डीडीआर, निदेशक सब को इन्होंने इसमें सम्मिलित कर दिया, तब उनकी स्वायत्त संस्था कैसे रह गयी, अल्पसंख्यक स्वरूप कैसे रह जायेगा ? स्वायत्त संस्था वह कैसे रह पायेगी, जब सरकार का उसमें हस्तक्षेप हो जायेगा। हमारा तो यही कहना है कि सरकार का उसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए जो आप कर रहे हैं, उसको वापस ले लीजिए, उनकी पुरानी गरिमा को बरकरार रखिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, जो भी आप शासनादेश देख रहे हैं, उसमें उनके किसी भी अधिकार में कटौती नहीं की गयी है। केवल यह कर दिया गया कि लिखित परीक्षा के आधार पर ही उसी वर्गों में, उन्हीं लोगों में, अर्हता चेन्ज नहीं की, माइनॉरिटी करेक्टर में ही परीक्षा कराके लें। मान्यवर, शासनादेश देख लें, उससे माइनॉरिटी करेक्टर के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, उसमें और ज्यादा बेहतर तरीके से और ज्यादा योग्य व्यक्ति आ सकते हैं, उसी वर्ग के, हमने अगर अर्हता चेन्ज की होती और मान्यवर, यह शासनादेश बाकायदा लीगल राय लेकर और संविधान की धारा-30 और 31 के प्राविजन को देखकर यह किया जाता है, ऐसा नहीं है कि उठाया और जैसा चाहा वैसा कर दिया। मान्यवर, इसमें बाकायदा अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष रूप से अधिकार मिले हैं, अपने शिक्षण संस्थान को चलाने के लिए लेकिन जो प्रक्रियात्मक है, अगर हम अर्हता चेन्ज करते तो यह आपत्ति करते कि इससे माइनॉरिटी करेक्टर पर असर पड़ा लेकिन इस व्यवस्था से माइनॉरिटी करेक्टर के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। मान्यवर, यह सूचना नियम-311 और 56 में आती नहीं है। मान्यवर, नेता विरोधी दल बहुत योग्य हैं, बहुत विद्वान हैं और आज सदन का अन्तिम दिन है इसलिए आप कृपा करके इसकी सही व्याख्या करें, हम आपसे यही अनुरोध कर रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आपका हस्तक्षेप हुआ कि नहीं हुआ ? आपने हस्तक्षेप माना कि नहीं माना सरकार का कि हम इतना ही कर रहे हैं। आप अल्पसंख्यक स्वरूप को चेंज नहीं कर रहे हैं लेकिन हस्तक्षेप तो कर ही रहे हैं। तो हस्तक्षेप करना ही तो उसकी बेइज्जती करना है और हस्तक्षेप करना ही तो उसके अल्पसंख्यक स्वरूप को बिगाड़ना है, हस्तक्षेप करना ही उनके मन में भय पैदा करना है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह सही नहीं है, यह गलत तरीके की व्याख्या है, इसमें किसी प्रकार से अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

इसको हम निरस्त करते हैं और अगली सूचना लेते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

श्रीमन, निश्चित ही उनके अधिकारों का हनन हुआ है या तो आप इसको सुरक्षित रख लीजिए, आप खूब बढ़िया संविधान के ज्ञाता हैं, इसकी नियमावली भी माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मंगा लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

हमको याद है, पूरा अनुच्छेद याद है, अब हो गया।

अब हम अगली सूचना लेते हैं।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। हमारे यहां बलिया जनपद में विपुरा थाना के अन्तर्गत ग्राम सभा जजौली में एक दलित

रेशमी देवी हैं, जिनके पति श्री राम आशीष हैं, उस महिला ने कुछ सूदखोरों से पैसा लिया था। वह महिला समय से उसका ब्याज नहीं अदा कर पायी, जिसके चलते उस महिला को रात के 12.00 बजे केरोसीन तेल डाल करके जिन्दा जला दिया गया। उस समय उस महिला को घायलावस्था में बगल की सी0एच0सी0 में भर्ती कराया गया, जहां पर मजिस्ट्रेट के सामने उस महिला ने बयान भी दिया। उसके बाद उस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से उसको वाराणसी रिफर कर दिया गया।

और वहां 11.03.2018 को उनकी मौत हो गयी लेकिन अभी तक जिनका मजिस्ट्रेटियल बयान हुआ है उसके बाद भी अभी तक उसमें जो अपराधी हैं दोषी हैं वे पकड़े नहीं गये हैं और इतना होने के बावजूद भी अभी तक सरकार की तरफ से ऐसे जघन्न अपराध होने के बावजूद भी उस महिला के परिवार के लिए या महिला के लिए कोई आर्थिक सहायता की घोषणा नहीं की गयी है। उस महिला के पतिदेव विकलांग व्यक्ति हैं उनके घर में दो नौजवान बेटियां हैं कोई कुछ करने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से चाहूंगा कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करें और सरकार की तरफ से आर्थिक मदद देने की घोषणा करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, यह विषय पहले भी विधान सभा में आ चुका है।

श्री लाल जी वर्मा-

नहीं पहले नहीं आया। माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण है। कानून व्यवस्था की बहुत दुहाई देते हैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, मान्यवर 70 वर्ष की आजादी के बाद अगर किसी को इस तरह से केवल ब्याज न दे पाने के कारण जिन्दा जला दिया गया हो और जिन्दा जलाने के बाद अभी तक कार्यवाही न हुई हो तो निश्चित रूप से इससे कानून व्यवस्था धूमिल हो रही है इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि एक तो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए और दूसरे मृतक परिवार को कम से कम 20 लाख की आर्थिक सहायता होनी चाहिए, यह हमारी आपके माध्यम से सरकार से मांग है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, आप स्वयं भी इस घटना के विषय में जानते हैं। इस घटना की चर्चा यह सही है कि नियम 56 या नियम 311 में नहीं आई। माननीय नेता विरोधी दल ने भी अपने भाषण में जिक्र किया और बसपा की तरफ से भी जिक्र आया है, मान्यवर कार्यवाही देख लें।

श्री अध्यक्ष-

यह बलिया की घटना है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी बलिया की घटना है। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें मुकदमा अपराध संख्या-93 को थाना धौनपुर मुकदमा अपराध संख्या-18/2018 307, 324, 506 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत तथा 3 (2) 6 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग की विवेचना अवधेश कुमार चौधरी क्षेत्राधिकारी रसवां बलिया द्वारा प्रारम्भ की गयी इस दौरान विवेचना अभियोग में नामजद दो अभियुक्त क्रमशः सुड्डू सिंह उफ्र सत्यम सिंह पुत्र स्व0 बृजेश सिंह, सोनू सिंह पुत्र शिवाकान्त सिंह पुत्र स्व0

सवितेश सिंह की गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया गया है और उसके बाद तुरन्त जो तीसरा अभियुक्त था उसकी पहले 82 83 की गयी सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत और उसके बाद उसको भी 17 तारीख को जेल भेज दिया गया। 19.03.2018 को अभियुक्त शिवम सिंह उफ्र गुड्डू सिंह पता उपरोक्त माननीय न्यायालय ए0एस0जे0 जो बलिया में है आत्मसमर्पण करके जेल भेजा गया। मान्यवर, इसमें मृतका रेशमा देवी के पति रामाशीष के बैंक खाते में आर्थिक सहायता 4 लाख 12 हजार 5 सौ रुपये भेज दी गयी है। हालांकि मरने वाले के लिए यह तो आंसू पोछना होता है। इस घटना की जितना निन्दा की जाये कम है। आज कल के इस माहौल में सभ्य समाज में इस प्रकार की घटनाओं का कोई स्थान नहीं है और जितनी सख्त से सख्त सजा हो सकती है वह दी जायेगी। हम पता कर लेंगे इसमें शायद कुछ आर्थिक सहायता भी दी गयी हो, हम जानकारी कर लेंगे। इक्जैक्ट एमाउण्ट नहीं पता है इसलिए यहां पर कहना ठीक नहीं है।

श्री लाल जी वर्मा-

कुछ घोषणा कर दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

घोषणा करना ठीक नहीं है, कुछ दिया गया है, हम पता करके बता देंगे। जैसा कि मैंने कहा कि जितनी भी निन्दा की जाये इस घटना की कम है।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें मेरे दो नोटिस थे, चूंकि आज अन्तिम दिन था इसलिए एक ही नोटिस में मेरे दो महत्वपूर्ण थे, एक पंचायती राज विभाग से था चूंकि माननीय मंत्री जी बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष-

एक मिनट आप बैठे। साढ़े चार बज गया है और हम लोगों को अभी तमाम औपचारिक काम निपटाना है। आज हम लोग उठ रहे हैं तो आप सब लोग एक दूसरे को धन्यवाद और शुभकामनाओं का आदान-प्रदान करें और बहुत से लोग गुस्सा होकर चले जाएंगे।

श्री सुखदेव राजभर-

जो भी नोटिस नियम-56 में दिए हैं संभवतः आज पटल पर कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन तब भी मान्यवर एक मानवीय आधार पर 2 मिनट में निवेदन करूंगा और उसमें माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अगर कहते हैं कि हमको कोई सूचना नहीं मिली है तो केवल एक निर्णय और आदेश शासन से दे दीजिए। एक घटना घटी है मान्यवर बनारस जनपद में सोयतपुर गांव है यह सदर तहसील जनपद के अंदर आता है। इसमें हमने एक प्लॉट का उल्लेख किया है जिसमें मान्यवर कमजोर समाज के लोग लगभग 20 साल से आबाद है और उसी गांव में मैं भी गया था पहले भी प्रयास किया था वहां के सामन्तियों ने, सामन्ती पंचायत कर करके फिर आबाद होकर आने लगे।

श्री अध्यक्ष-

आपका नोटिस बिजली वाला है हमारे पास।

श्री सुखदेव राजभर-

पटल पर कहा कि आपका कार्य स्थगन नहीं लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

ये बताइये आप सब लोगों की इच्छा क्या है ?

श्री सुखदेव राजभर-

मैं इस आधार पर एक पंचायत में भी 10 साल पहले किया था। ये 22 घर गरीबों का है और 22 घर लगभग 25 साल से वहां हैं और हमने उन भूमि नम्बरों का उल्लेख कर लिया। वहां पर एक बहुत बड़ा सामन्ती मैं नाम नहीं लेना चाहता वह बहुत पैसे वाले हैं और उनका बनारस में एक वर्चस्व भी है। उन्होंने क्या किया उन्हीं के भाई ने इन जमीनों पर फर्जी इंदराज करा लिया और उस फर्जी ब्याज की खतौनी ले कर के, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ देखिए अधिकारी जो उनके प्रभाव और पैसे के आधार पर कहीं न कहीं दब गए और उसी फर्जी खतौनी के आधार पर अभी 10 दिन हुआ इतना बुलडोजर चला है कि 22 के 22 घर ध्वस्त कर दिए मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कह रहा हूं

श्री अध्यक्ष-

ये तो लिखकर देना पड़ेगा।

श्री सुखदेव राजभर-

मैं दे रहा हूँ वह सभी के सभी ध्वस्त कर दिए गए और आज भी वहां पुलिस प्रताड़ित कर रही है। प्रभावशाली हैं। प्रभाव का असर इतना होता है कि प्रशासन भी और पुलिस भी इनके साथ है मैं केवल इतना निवेदन करूंगा कि नोटिस आपके पास नहीं है, आपने सुना मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ गरीबों के जो घर उजाड़े गए हैं। आप केवल इतना कर दें मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सूचना आपके पास नहीं है स्वीकार करता हूँ एक मैं विधान सभा के सदस्य के हैसियत से जो कहूंगा ठीक ही कहूंगा। मेरी बात पर थोड़ा भरोसा रख लें कि आज वहां पर सब लोग इस गर्मी के सीजन में भी खुले आसमान के नीचे में रहने के लिए मजबूर थे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री से आश्वस्त करा दो कि मैं उसकी पूरी जांच करा के उन गरीबों को राहत दिला देंगे, यह मामला बनारस का है।

यह बहुत संवेदनशील मसला है तभी मैं बोल रहा हूँ। अन्यथा मैं नहीं बोलता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं इसको आज ही जिलाधिकारी से कहलवाता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

ये अभी आपको कागज भेज देंगे और आप उसे देखकर बात कर लीजिएगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हां, हमको कागज भिजवा दें।

(सदस्य श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा द्वारा खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब वर्मा जी आप दो मिनट में कैसे बोलते हैं, बताइए हम घड़ी देखेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

हम बोल लेंगे। मा0 अध्यक्ष जी, आज पूरे उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान न होने से परेशान है, निराश है और आन्दोलित है। प्रदेश की सहकारी और सरकारी चीनी मिलों पर परसों तक 7202 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का चीनी मिलों के ऊपर बाकी है। गेहूँ की कटाई आने वाली है और गन्ना अभी तक खेतों में खड़ा हुआ है। गन्ने की पर्ची गन्ना किसान को उसके सट्टे के अनुपात में, बेसिक कोटे के अनुपात में, अतिरिक्त बढ़ोतरी के अनुपात में ठीक ढंग से नहीं मिल पा रही है। केन ऐक्ट है कि 14 दिनों के अन्दर गन्ना मूल्य का भुगतान होना चाहिए। अगर भुगतान नहीं हुआ तो उनको ब्याज दिया जाना चाहिए। मैं निश्चित तौर पर आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि कहीं न कहीं गन्ना के किसानों का भुगतान न हो इसलिए आबकारी विभाग के द्वारा आसवनी फैक्ट्रियों से मिल करके माह अप्रैल, मई, जून, जुलाई में सही समय पर शीरे का आवण्टन आसवनी फैक्ट्रियों पर न किए जाने के कारण आज प्रदेश की सभी चीनी मिलों के पास शीरा रखने की कोई जगह नहीं है और शीरा जीरो रुपया प्रति कुण्टल के हिसाब से आ गया है। आज मिल वाले चाहे वह सरकारी हो, चाहे वह प्राइवेट हो, शीरे को गड्ढों में फेंक रहे हैं, उनके पास क्षमता नहीं बची कि वे शीरा रख सकें।

श्री अध्यक्ष-

अब कितने मिनट हुए ?

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, बस एक मिनट।

श्री अध्यक्ष-

आप बोलिए आधा घण्टा लेकिन बताइए कितने मिनट हुए ?

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, सरकार की पहली प्राथमिकता गन्ना किसान है न कि अल्कोहल प्लाण्ट मालिक या आसवनी वाले। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि आप सरकार को निर्देश दें कि प्राइवेट मिलों का शीरा फ्री किया जाए। वे जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें अपना शीरा बेचें और किसान के गन्ना मूल्य का भुगतान हो। प्रदेश के बाहर उस शीरे का निर्यात हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि गन्ना किसानों का समय से भुगतान किया जाए, उनको जल्दी गन्ना पर्ची मिले और आप शीरा को फ्री कर दें क्योंकि शीरा जीरो रुपये प्रति कुण्टल पर आ गया है। मैं आपसे यही चाहता हूँ कि इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करवा ली जाए।

श्री मनोज कुमार पारस-

मा0 अध्यक्ष जी, यह सारे विधायकों से जुड़ा हुआ मामला है। जब यह सदन चलता है तो चिकित्सालय में हम लोग दवाई लेने जाते हैं। हम लोग डॉक्टर साहब से कहते हैं कि यह दवाई दे दीजिए, वह दवाई दे दीजिए लेकिन वहां के लोग बोलते हैं कि डॉक्टर ने बताया है कि अभी हमें पिछला ही बजट नहीं मिला। पिछला 50 लाख रुपया बकाया है और इस बार भी दवाईयों की

उपलब्धता नहीं है। मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि जब मा0 सदस्य सदन में रहें तो कम से कम उनको बजट मिल जाए ताकि जब मा0 विधायक दवाई लेने जाएं तो उनको दवाई उपलब्ध हो जाए।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बताएं कि इस बात का व्यवस्था से क्या सम्बन्ध है ? इसका व्यवस्था से क्या सम्बन्ध है ? इससे नियम-300 में या औचित्य में या सदन की कार्यवाही में कहां बाधा पड़ रही थी।

श्री मनोज कुमार पारस-

मा0 अध्यक्ष जी, बाधा तो नहीं पड़ रही है लेकिन इस बात को आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

ये तो कहा जा सकता था, इतनी देर में उत्तर आ जाता और आप अपने मन से खड़े हो गए। हमने स्वयं को भी अनुमति नहीं दी। हम जब भी अनुरोध करते हैं तो हमारी कोई सुनता नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, ऐसा नहीं है, आपको सब लोग सुनते हैं और सब मानते भी हैं।

श्री सुखदेव राजभर-

अध्यक्ष जी, सब लोग आपकी बात मानते हैं।

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें एवं औद्योगिक विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री सुरेश राणा)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे जवाब देने का अवसर दिया। मा0 नरेन्द्र वर्मा जी हमारे बहुत विद्वान साथी हैं, पूर्व गन्ना मंत्री भी हैं लेकिन मैं यह जानकारी इन्हें देना चाहता हूँ कि योगी सरकार प्रदेश में जब से आई है, गन्ना किसानों के हित के लिए हम लोगों ने बहुत काम किए हैं और गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर यह सरकार बहुत सजग है। मैं आंकड़ों के साथ अपनी बात रखना चाहता हूँ। चूंकि वह भी गन्ना मंत्री रहे हैं। जब हम लोग मार्च, 2017 में आए तो 19 मार्च, 2017 को सरकार की शपथ हुई। उसके बाद वर्ष 2014-2015 का भी 21.33 करोड़ रुपया बकाया था जिसका योगी सरकार ने आते ही भुगतान कराया।

उसके बाद 2015-16 का भी 234.88 करोड़ रुपया बकाया था वह भी 6 शुगर मिलों पर उस 234.88 करोड़ रुपया 6 मिलों पर बकाये का भी भुगतान इस एक साल के अंदर योगी सरकार ने कराया। माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ कि 2016-17 का भी कुल 25386 करोड़ के सापेक्ष 25262.82 करोड़ का भुगतान कराया जा चुका है जो कुल देय का 99.51 प्रतिशत है। माननीय सदस्यों को मैं सूचना देना चाहता हूँ कि इस वर्ष का भी 24585.74 करोड़ के सापेक्ष 17318.57 करोड़ का गन्ना भुगतान कराया जा चुका है और जो भुगतान अवशेष है उस सारे भुगतान को लेकर के हम लगातार नोटिस जारी कर रहे हैं, लगातार जितनी विधिक कार्यवाही है वह

सारी विधिक कार्यवाही कर रहे हैं। यह सरकार गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर निश्चित रूप से समयबद्ध कार्यवाही कर रही है और निश्चित रूप से गन्ना किसानों का भुगतान समय पर कराने का प्रयास जारी है। एक विषय आपने पर्ची का रखा और पर्ची के विषय पर चूंकि कई बार हमारी और आपकी वैसे भी बातचीत होती है आप हमेशा गन्ना किसानों की चिंता करते हैं उसके लिए भी मैं सूचना देना चाहता हूँ कि इस सरकार की नीतियों का ही यह परिणाम है कि इस सरकार में योगी जी ने पहले से ही यह अनुमान लगाया कि गन्ने का बम्पर प्रोडक्शन है और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का एक विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है और उसी का परिणाम है कि जितना उत्तराखण्ड का, हरियाणा का और पंजाब का कुल गन्ना है उतना गन्ना मात्र एक साल के अंदर उत्तर प्रदेश के किसानों ने बढ़ा दिया है। यह सरकार के प्रति एक विश्वास का ही परिणाम है। इसी के तहत हम लोगों ने एक अच्छी योजना बनायी और मैं समझता हूँ कि पहली बार हम लोगों ने प्रयास करके शुगर मिलों को 20 से 25 दिन पहले चलाया और उसका परिणाम आज यह है कि जो आज आप पर्ची की बात कर रहे हैं जितना बम्पर प्रोडक्शन है उसके लिए यदि हम 25 दिन पहले न चलाये होते और यह दूरगामी सोच इस सरकार की न होती तो इस समय बहुत बड़ी कठिनाई का सामना किसानों को करना पड़ता उसका जरा सा एक नमूना मैं दे रहा हूँ कि आपको मैं कल शाम तक के आंकड़े दे रहा हूँ। पिछले साल 73.11 करोड़ मीट्रिक टन गन्ना अब तक क्रश हुआ था और हमारे कुशल प्रबन्धन के कारण कल शाम तक इस वर्ष 85.77 करोड़ मीट्रिक टन गन्ना क्रश हो चुका है। यह इस सरकार के कुशल प्रबन्धन का ही परिणाम है और मैं आपको यह आश्वस्त करता हूँ कि जहां पर यदि आपको कोई कठिनाई लगती है और आपके द्वारा सूचना दी जायेगी तो गंभीरता से हम उस पर कार्रवाई करेंगे और किसानों को कोई दिक्कत न हो इसके लिए योगी जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जब तक गन्ना बकाया है तब तक शुगर मिलें चलती रहेंगी और उसका हम लोगों ने पालन किया भी है। पिछले साल कल शाम तक 36 शुगर मिलें बंद हो चुकी थी और इस बार कल शाम तक केवल 5 शुगर मिलें बंद हुई हैं। हमने कहा है कि जब तक गन्ना बकाया है किसी भी सूरत में मिलों को बंद नहीं करने देंगे। आप विद्वान साथी हैं निश्चित रूप से आपने चिंता की मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और जो शीरे के बारे में आपने कहा शीरे को फ्री करने की बात कही। हमारी सरकार आने से पहले 25 परसेन्ट आरक्षण सुनिश्चित था लेकिन हमने आने के बाद 25 परसेन्ट का घटाकर किसानों के हित को देखकर 12 परसेन्ट कर दिया है। मात्र एक साल के अंदर यह सबसे बड़ा निर्णय है कि 25 परसेन्ट से 12 परसेन्ट कर दिया है और इस बार चूंकि शीरा भी ज्यादा है और पिछले साल के सापेक्ष 49.4 लाख कुन्तल शीरे का प्रोडक्शन अधिक है। हमने एक्सपोर्ट भी खोला है और लगातार सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से प्रयासरत है तथा हमारा उद्देश्य यह है कि किसानों की सरकार है। किसानों का हित निश्चित रूप से किसानों की प्राथमिकता है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जहां भी आपको लगता है कोई विशेष स्थान चिन्हित करके किसी विशेष विषय पर मुझे जानकारी देंगे तो निश्चित रूप से हम उस पर कार्रवाई करेंगे और मैं माननीय योगी जी को बधाई देता हूँ कि किसानों के हित में अनेक निर्णय उन्होंने दिये हैं, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत-बहुत, धन्यवाद।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, लगभग 7300 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का मूल्य आज भी बाकी है और हमारे छोटे भाई माननीय गन्ना मंत्री जी ने कहा गन्ना बोया था श्रीमन् अखिलेश जी की सरकार में, गन्ना बोया गया था फरवरी और मार्च में, उत्पादन बढ़ा अखिलेश जी की पराली से। अगर समय रहते शीरा को फ्री न किया गया तो जिस भंवरजाल में हम फंसे थे अगले भंवरजाल में आप फंसने जा रहे हो, मैं आपको देखकर यह बता दे रहा हूँ। इसलिए मेरा आग्रह है कि शीरा को फ्री किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपकी सूचना को निरस्त करता हूँ।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

या आबकारी फैक्ट्रियों से इसको वापस लिया जाये।

[04:45 बजे] कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अजय कुमार लल्लू-

मान्यवर, बिरवट कोनवलिया ए0पी0 तटबंध पर पिछले 53 दिन से लगातार आंदोलन चल रहा है। आंदोलन इस बात को लेकर चल रहा है कि तीन वहां बालू खनन के पट्टे हुए हैं और तीनों बालू खनन के पट्टे पूरी तरह से अवैध हुए हैं। इस पट्टे को करने से पहले न कोई सबडिवीजनल कमेटी बनायी गयी, उसके बाद अगर पट्टा करना था तो एप्रेंजल कमेटी बननी चाहिए थी उसमें वरिष्ठ अधिशासी अभियंता सिंचाई खण्ड का और बाढ़ खण्ड का होना चाहिए था उसको भी नहीं लिया गया। यहीं से दस्तखत करा कर इस एप्रेंजल कमेटी से स्वीकृत करके तीन खनन का पट्टा किया गया। सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता की टीम गयी, उन्होंने मौके पर जाकर जांच की। उसने कहा कि अगर बंधे के किनारे खनन होगा तो निश्चित रूप से बंधा टूटेगा। अध्यक्ष जी, 1984 में बंधा टूटा, 2000 में टूटा, 2004 में बंधा टूटा, 2007 में टूटा और अभी उत्तर प्रदेश के अतिसंवेदनशील बंधों में ए0पी0 तटबंध जीरो से लेकर 17 किमी0 मानी जाती है। पिछले साल आधा बंधा वहीं कट गया था और हम लोग धरने पर बैठे तब जाकर उस बंधे का निर्माण हुआ। मैंने इसी सदन में यह सवाल लगाया था। उत्तर प्रदेश का सबसे अतिसंवेदनशील बंधा होने के नाते वहां बिरवट कोनवलिया के बगल में बाघा चौक और वहीं अरनोली डांग में लगभग 6 गांव नदी में विलीन हो गए। अध्यक्ष जी, न सिंचाई विभाग का किसी तरह का एन0ओ0सी0 लिया गया, न सिंचाई विभाग से कोई सलाह दी गयी और बाढ़ खण्ड ने स्पष्ट रूप से प्रमुख अभियंता ने यह लिखा है, संसदीय कार्य मंत्री जी अगर चाहे तो मैं उनको यह पत्र दे दूंगा कि यदि वहां खनन हुआ तो बंधा सुरक्षित नहीं रहेगा और कभी भी बंधे को खतरा हो सकता है। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मांग करना चाहूंगा कि वहां के जिलाधिकारी पूरी तरह लगे हुए हैं, वह चाहते हैं कि वहां खनन हो। 53 दिन से वहां हजारों की संख्या में लोग धरने पर बैठे हैं और यह प्रण करके बैठे हैं कि जान दे देंगे लेकिन वहां खनन नहीं होने देंगे। अध्यक्ष जी, लाखों लोगों के अस्तित्व का मामला है। जीरो से लेकर 17 किमी0 लगभग 40 गांव है जिसमें एक लाख से ऊपर आबादी है और हर साल 40 से 50 करोड़ रुपया उस बंधे को बचाने के लिए खर्च होता है और आज मात्र चंद रुपयों के राजस्व के लिए वहां खनन कराने की सरकार ने अनुमति दी।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि जब तक वहां आंदोलनकारियों के जनहित के मामले को ध्यान में रखते हुए उस पट्टे को निरस्त कराते हुए उस बंधे की सुरक्षित व्यवस्था कराया जाये।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविंद चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया है उस पर मैं कहना चाहूंगा कि वह जो खनन हो रहा है बिल्कुल बंधे से सटे हो रहा है। 2-4 गांव के लोग आज 3-4 महीने से वहां पर धरना दे रहे हैं कि फिर अगली बार बंधा टूट जायेगा तो पानी की वजह से गांव डूब जाएंगे। इसलिए इंजीनियर लोगों की जो कमेटी गयी उन्होंने भी उसको अवैध माना कि यहां खनन नहीं होना चाहिए। तो फिर जिद किस बात की है ? सरकार जनता के हित के लिए है कि व्यापारियों के लाभ के लिए है ? खनन जो कर रहे हैं उनके लाभ के लिए तो सरकार नहीं है सरकार जनता के हित की रक्षा के लिए है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि जनता के हितों की रक्षा को देखते हुए वहां जो खनन हो रहा है वह पट्टा निरस्त कर दिया जाये दूसरी जगह खनन कर लें जिससे कि वह बंधा बच जाये और गांव के लोगों का जीवन सुरक्षित रह सके।

भूतत्व एवं खनिकर्म, आबकारी, मद्य निषेध राज्य मंत्री (श्रीमती अर्चना पाण्डे)-

माननीय विधायक जी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र प्रेषित किया गया था। उसमें आपने जांच के लिए लिखा था तो संयुक्त जांच दल की रिपोर्ट मंगायी गयी। 19.03.18 को उस रिपोर्ट को विधायक कोष्ठक को भी भेज दिया गया है और उसमें हमारी रिपोर्ट में यह आया है कि जो उसके मानक हैं यदि मानक के अनुरूप खनन होगा तो किसी प्रकार का खतरा नहीं है, यह उसमें दिया गया है। आज जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज विधान सभा में बालू के तीनों पट्टों को निरस्त किया जाये उसके जवाब में एक बात कहना चाहती हूँ कि यह शासनादेश संख्या दिनांक 14.08.17 के अनुसार जनपद स्तरीय गठित कमेटी के माध्यम से क्षेत्र का निर्धारण कर समाचार-पत्रों में विज्ञापित कराया गया था एवं ऑनलाइन ई-नीलामी करवाने के उद्देश्य से एम0एस0टी0सी0 द्वारा भी अपने पोर्टल पर नियमानुसार कार्यवाही कर नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण की गयी थी। तत्पश्चात् अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में सहमति पत्र जारी किये गये। प्रश्नगत पट्टा क्षेत्र का क्षेत्रफल पांच हेक्टेयर से कम होने के कारण पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की कार्यवाही जिला स्तर पर गठित जिला विशेषज्ञ निर्धारण समिति एवं।

श्री अध्यक्ष-

इनकी आपत्ति नियमानुसार पट्टा करने को लेकर नहीं है। आप बता रहीं नियमानुसार पट्टा वो तो ठीक है।

श्रीमती अर्चना पाण्डेय-

नहीं, आपने अभी इनकी सूचना में यही मांगा है कि नियमानुसार पट्टे नहीं किये गये इनको निरस्त किया जाये। एक तो बात यह है कि पूर्णतः पट्टे नियमानुसार किये गये हैं। दूसरी बात यह है कि ये पट्टा करने का अधिकार जिला अधिकारी को दिया गया था। जिला अधिकारी के द्वारा पट्टे हुए तो जिला अधिकारी को।

श्री अध्यक्ष-

इनका कहना है कि कोई बांध है, उससे प्रभावित होगा काम।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

सिंचाई विभाग की एक टीम गई। एन0सी0 गये थे, यानि प्रमुख अभियन्ता लेवल के एक अधिकारी। वहां जाकर उन्होंने जांच की और कहा कि अगर यहां खनन होगा तो बांध को खतरा होगा। अध्यक्ष जी, बस मैं यही कह रहा हूँ कि नयी सब डिवीजनल कमेटी बना दी जाये वह जांकर जांच कर ले, जहां खनन करना हो, जो उपयुक्त जगह वहां हो, लेकिन सिंचाई विभाग जो बांध की रखवाली करता है, बांध को बचाता है वह कह रहा है कि खनन होगा तो खतरा होगा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल द्वितीय, गोरखपुर। इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अहीर और गवार पिपराघाट तटबन्ध किलोमीटर 7400 से 7600 नदी में हो रहे बालू खनन को रोकने के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति। स्पष्ट कहा है कि जिला अधिकारी को उस खनन को रोक देना चाहिए। पट्टा वैध है या अवैध है इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। हमने यह नहीं कहा कि पट्टा अवैध है, लेकिन किन्हीं कारणों से बांध के बिल्कुल नजदीक खनन हो रहा है। सिंचाई विभाग के अधिकारी भी कह रहे हैं कि बांध के लिए सही नहीं है। पत्र भी लिखे हैं। इसलिए लोगों का कहना है कि खनन हो, वहां न होकर दूसरी जगह हो।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, ये पट्टा तो पूरी तरह से नियमित हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

ये तो मान रहे हैं वो भी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

पट्टे के होने से पहले मान्यवर, एन्वायरमेंटल क्लीयरेंस भी ली जाती है। मेरे पास जो रिपोर्ट है मान्यवर, उसमें एन्वायरमेंटल क्लीयरेंस ली गयी है। जब एन्वायरमेंटल क्लीयरेंस ली गयीं तो वहां की जो आस-पास की स्थिति है उसमें वह समाहित है और इसी आधार के ऊपर यह पट्टा हुआ। जो आपकी बात है सिंचाई विभाग की, उस रिपोर्ट का परीक्षण भी करवा लेंगे और उसको दिखवा भी लेंगे।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी खनन को रुकवा दिया जाये। सिंचाई विभाग से जांच की टीम गई थी मात्र दस दिन पहले, उसकी रिपोर्ट देख लें, जो आदेश हो वो कर दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मैंने देख ली है। दिनांक 25.02.2018 को एक जांच समिति बनी थीं सिंचाई वाली। वो उन्होंने आपकी मांग के ऊपर अपने विभाग की तरफ से बना दी थी, लेकिन जो इसकी प्रक्रिया है पट्टा देने की उसमें एन्वायरमेंटल क्लीयरेंस की बात थी और वो रिपोर्ट उनके पक्ष में थी इसलिए वहां

पर पट्टा हुआ। अब सिंचाई विभाग की रिपोर्ट का फिर से परीक्षण एन्वायरमेंटल के आधार पर दिखवा लेंगे और जो एक्सपर्ट ओपिनियम होगी उसके आधार पर ही हम आगे की कोई कार्यवाही करेंगे।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

तत्काल में उस पर रोक लगवा दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

तत्काल कार्यवाही अभी कुछ भी नहीं कह सकते। यह कह सकते हैं कि हम कल ही से।

श्री अध्यक्ष-

वो कह तो रहे हैं कल विचार करेंगे। कल से शुरू करेंगे।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

किन्तु मेरा यह अनुरोध है कि जो सिंचाई विभाग की टीम है वो टीम जो रिपोर्ट दे देगी उस आधार पर आप कार्यवाही करवायें। तब तक के लिए रोक लगवा लीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हमारे पास पट्टा देने से पहले जो कार्यवाही थी, जो एन्वायरमेंटल क्लीयरेंस लेना था उसको लेकर किया गया। अब इसके बाद सिंचाई विभाग की एक नई रिपोर्ट आयी है जो हमने नहीं देखी है।

श्री अध्यक्ष-

उसको स्टडी कर लीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, उसकी स्टडी करने के बाद, एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के बाद जैसी स्थिति होगी उसके हिसाब से कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। शेष सूचनाओं पर हम सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, जो लोग नियम-56 में अपनी सूचनायें दिये हैं, आप उन पर ध्यानाकर्षण कर दें।

श्री अध्यक्ष-

हमने पहले ही ध्यानाकर्षण कर दिया है।

श्री असलम अली-

मान्यवर, हमने भी नियम-311 में सूचना लगाई थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच के बारे में।

श्री अध्यक्ष-

हमने सब पर ध्यानाकर्षण कर दिया है, आप कृपया आसन ग्रहण करें।

(मद संख्या-34 पुकारे जाने पर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, एक अनुरोध यह है कि जब तक मैडम अनुपमा जायसवाल जी आ रही हैं जिनको यह राजस्व संहिता वाला विधेयक पेश करना है, तब तक अगर आपकी अनुमति हो तो मद संख्या-36 ले लें।

श्री अध्यक्ष-

हां, ठीक है।

[04:57 बजे] उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2018

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, यह एक अध्यादेश 29 जनवरी, 2018 को प्रख्यापित हुआ था उसी के संदर्भ में आज यह बिल लेकर हम आये हैं और इसका उद्देश्य यह है कि जितने भी नगर निगम हैं, अभी तक पशु वधशालायें निर्माण करने की जिम्मेदारी एक्ट के अनुसार इनकी थी। यह नियम उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 114 (21) में यह व्यवस्था थी कि हम पशु वधशालाओं का निर्माण करेंगे तो हमने पशु वधशालाओं के निर्माण के क्लाज को अब हटा दिया है अब हम इस प्रकार का कोई निर्माण नहीं करेंगे। साथ ही साथ हम उसको रेगुलेट करेंगे। धारा 429 और 430, जो कि धार्मिक प्रयोजनों के आधार पर पशु का कटान करते थे उसको भी मान्यवर हटा दिया है। सारांश यह है कि नगर पालिका अधिनियम में जो व्यवस्था थी, सरकार के ऊपर, नगर निगम के ऊपर स्लाटर हाउस के निर्माण की, उसको हमने समाप्त कर दिया है। यह धारा 429 और 430 इसलिये समाप्त किया है कि पहले से ही यह एक व्यवस्था है, यह सेंट्रल एक्ट है 'दि प्रिवेन्शन आफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960' इसमें पहले से व्यवस्था है अगर आप अनुमति दें तो इसको पढ़ दें, इसका सेक्शन 28 है। 'सेविंग एज़ रिस्पेक्ट मैनर आफ किलिंग्स प्रिस्क्राइब्ड बाई दि रिलीजन नथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट शैल रेंडर इट एन आफेंस टू किल एनी एनीमल इन ए मैनर रिक्वायर्ड बाई दि रिलीजन आफ एनी कम्युनिटी' यानि रिलीजियस परपज के लिये अगर किसी प्रकार किसी एनीमल का वध किया जाता है तो उसके लिये किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यह पहले से व्यवस्था है। मेरा अनुरोध यह है कि आज जो हम यह अधिनियम लेकर आये हैं इसको पारित किया जाय। इसमें और कोई विशेष बात नहीं है। केवल इतनी सी बात है कि अब हमने निर्माण का क्लाज समाप्त कर दिया है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2018 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे। मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि जो नगर निगम की जिम्मेदारियां थी, पशुवध भवन का निर्माण करने का या उसका रिन्यूवल करने का, उसको हमने खत्म कर दिया है कि अब हम नहीं करेंगे उसको। हमने उसमें

संशोधन दिये कि आपने कोई अल्टरनेट व्यवस्था नहीं बतायी, केवल इतना कह दिया कि हम कोई निर्माण नहीं करेंगे, न रिन्यूवल करेंगे। ऐक्ट में है, कहीं न कहीं सब ऐक्ट से ही गवर्न होगा। अगर पशुवध होता है तो अल्टरनेट आपने क्या व्यवस्था दिया, इसके लिये हम लोग संशोधन लाये हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी से हट गये, यह जायेगी किसके ऊपर जिम्मेदारी और यह व्यवस्था है कि पशुवध होगा। आपने सेंट्रल एक्ट का उल्लेख किया है, उसमें स्पष्ट उसको बतायें कि कहीं पर इस तरह का पशुवध या ऐसे पशुओं को वध करने के स्थान जो अब तक नगर निगमों में थे, चिन्हित थे, भवन बने थे, भवन बनाती थी नगर निगम, वह एक उचित स्थान चयन करती थी, सर्वे करती थी। आपने उस ऐक्ट की धाराओं को पूरा का पूरा निकाल दिया है, कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, न पशुवध का भवन बनायेंगे, न इनका रिन्यूवल करेंगे। इसलिये संशोधन लाये हैं कि माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट कर दें कि इसकी कोई अल्टरनेट व्यवस्था है कि नहीं है ? यह बिल्कुल बन्द हो गई है, इसका कोई अल्टरनेट व्यवस्था किया गया है कि नहीं किया गया है या पशुवध होगा ही नहीं शहरों में, इस पर हम लोग संशोधन लाये हैं। इस पर हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि कोई अल्टरनेट व्यवस्था की गई है कि आप केवल हट गये कि हम नहीं बनायेंगे तो बनायेगा कोई कि नहीं बनायेगा, इसको स्पष्ट कर दें, यही हमारा संशोधन है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान में जो पशुवधशालायें हैं, निजी तौर पर उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी पशुवधशालायें 67 हैं। मान्यवर, जिसमें से 57 पशुवधशालायें चल रही हैं और निजी तौर पर उनको लाइसेंस देने में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। लेकिन सरकारी स्तर पर बहुत सी वेजिटेरियन ऐसी फूड हैबिट्स हैं कि जहां पर आवश्यकता है करने की तो इसकी कोई जिम्मेदारी या जरूरी नहीं है कि हमको यह बतायें कि हर चीज के लिये हम करें, सरकार अपने हिसाब से करे। सरकार ने उसको रेगुलेट करने का तो फैसला किया कि हम उसका विनियमन करेंगें, लेकिन हम स्वयं उसका निर्माण और संचालन हम नहीं करेंगे जिस प्रकार से हम करते आये हैं। मान्यवर, इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिये। एक पूरी व्यवस्था है उसको रेगुलेट करने की और मान्यवर, नगर निगम में जो यह व्यवस्था पहले से थी, केवल हमने निर्माण शब्द को हटाया है और 429 और 430 को मान्यवर, इसलिये समाप्त किया कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूयेलिटी टू एनिमल्स ऐक्ट में यह व्यवस्था पहले से सेंट्रल ऐक्ट ने दी गई है। इसलिये मान्यवर, इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। लेकिन हम रेगुलेट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से कई विभागों की उसमें संस्तुति चाहिये, उस संस्तुति के आधार के ऊपर प्रदेश के स्तर पर कोई लाइसेंस देना होगा तो वह लाइसेंस भी देंगे। यह प्रदेश स्तर के ऊपर एक कमेटी बनी हुई है, प्रमुख सचिव, नगर विकास की अध्यक्षता में, जो इस संबंध में सक्षम अधिकारी हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके ऊपर आपत्ति की जाये। सरकारी स्तर पर बहुत सी चीजें संचालित नहीं हो पाती हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। हम विनियमन से इंकार नहीं कर सकते, हम उसको रेगुलेट करेंगे। लेकिन हम निर्माण नहीं करेंगे। मान्यवर, मैं समझता हूँ कि इसमें और कोई कानूनी पहलू इंवाल्व नहीं है। इसलिये मान्यवर, इसको पास किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रवर समिति पर जोर दे रहे हैं ?

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मैं अपने संशोधन पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2018 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-5 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2018

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जायेगा;

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह दिनांक 29 जनवरी, 2018 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 की धारा 114 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 114 में खण्ड (21) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

''(21) सार्वजनिक बाजारों का निर्माण तथा अनुरक्षण और समस्त बाजारों, वधशालाओं और चर्म शोधन शालाओं का विनियमन,।''

धारा 422 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 422 में,

(क) खण्ड (क), (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-

(क)- निगम द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किये जाने पर उसे निगम की सीमाओं के भीतर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से उसकी सीमाओं के बाहर किसी निगम बाजार या पशु-स्थान की स्थापना के प्रयोजनार्थ कोई भवन या भूमि निर्मित करना, क्रय करना, पट्टे पर लेना या अन्यथा अर्जित करना और किसी विद्यमान निगम बाजार का विस्तार या उसमें सुधार करना ;

(ख)-समय-समय पर, ऐसे निगम बाजारों तथा पशु-स्थानों और ऐसी छोटी दुकानों, दुकानों, आश्रय स्थानों, बाडों तथा अन्य भवनों या सुख-सुविधा के स्थानों जो ऐसे निगम बाजारों, या पशु-स्थानों में व्यापार या व्यवसाय करने वाले या वहां पर प्रायः आने वाले व्यक्तियों के प्रयोग के लिए आवश्यक समझे जायें, का निर्माण और अनुरक्षण करना ;

(ख) खण्ड च के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा अर्थात :-

''(च) किसी निगम बाजार, पशु-स्थान में किसी छोटी दुकान, दुकान, खड़ा होने का स्थान, आश्रय-स्थान या बाड़ा या अन्य भवन के अध्यासन या प्रयोग के लिये, और किसी निगम बाजार में विक्रय के लिए वस्तुएं प्रदर्शित करने और ऐसे किसी बाजार में विक्रय की जाने वाली वस्तुओं को तौलने और मापने के अधिकार के लिए, ऐसा भाड़ा किराया और शुल्क प्रभारित करना, जो कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से, उस निमित्त समय-समय पर उसके द्वारा नियत किया जाय।''

(ग) खण्ड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा अर्थात् :-

''(ज)-ऐसे निबन्धनों और शर्तो के अधीन जिन्हें वह उपयुक्त समझे, किसी निगम बाजार, पशु-स्थान में, किसी छोटी दुकान, दुकान खड़ा होने का स्थान, आश्रय-स्थान या बाड़ा अथवा अन्य भवन के अध्यासन या उपयोग के विशेषाधिकार हेतु सार्वजनिक नीलामी करना या कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से निजी विक्रय द्वारा उसे निस्तारित करना।''

धारा 429 और 430 का निकाला जाना

4-मूल अधिनियम से धाराएं 429 और 430 निकाल दी जाएंगी।

निरसन और व्यावृत्ति

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2018

5-(1) उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2018 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-5 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[05:05 बजे] उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2018

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से नगर निगमों में व्यवस्था थी पशु वधशालाओं के कन्स्ट्रक्शन की, उसी प्रकार से नगर पालिका के अधिनियम में भी इस प्रकार की धारा 7(1) खण्ड-ज में जो कन्स्ट्रक्शन की व्यवस्था थी उसको समाप्त करने के लिए हम अध्यादेश लाये थे और उस अध्यादेश को बिल के रूप में परिवर्तित करने के लिए आज हम विधान सभा के समक्ष आये हैं। मान्यवर, इसी प्रकार से 237 और 238 में नगर पालिका अधिनियम के अन्तर्गत धार्मिक प्रयोजनों के लिए जो प्रोविजन था उसको भी हमने डिलीट किया है यह भी उसी प्रोविजन के तहत् है जो प्रिवेन्शन ऑफ क्रूऐलिटी ऐक्ट में दिया गया है। 237 और 238 की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है इसलिए मान्यवर, इसको डिलीट किया जाना है और धारा-7(1) में जो कन्स्ट्रक्शन शब्द है, निर्माण शब्द है उसको समाप्त करने के लिए हम ये लाये हैं और इसमें भी मैं आपके माध्यम से सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम रेगुलेट तो करेंगे, जो लोग इसकी अर्हता पूरी करेंगे, शर्तें पूरी करेंगे उनको लाइसेंस दिया जायेगा लेकिन मान्यवर, हम निर्माण नहीं करेंगे। इसी आशय का यह बिल मान्यवर, इस विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत है और मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर विचार करके इसका पारण किया जाय।

श्री सुखदेव राजभर -

मान्यवर, उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2018 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, पूर्व विधेयक जो अभी पारित हुआ है उसमें मैंने जो आपत्ति की थी आपत्ति का आधार इसमें भी वही है, इसलिए मैं अपने संशोधन प्रस्ताव पर बल दे रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2018 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष -

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2018

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 में अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1-(1) यह विधेयक उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2018 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह दिनांक 29 जनवरी, 2018 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 की धारा 7 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 7 में, उप-धारा (1) में, खण्ड (ज) में शब्द ''बाजारों, वधशालाओं'' के स्थान पर शब्द ''बाजारों'' रख दिया जायेगा।

धारा 237 और 238 का निकाला जाना

3-मूल अधिनियम की धाराएं 237 और 238 निकाल दी जाएंगी।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2018

निरसन और व्यावृत्ति

4-(1) उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2018 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उप धारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2018

पंचायती राज, लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी)-

मान्यवर, मैं आप की अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाए।

श्री सुखदेव राजभर-

हम सोच रहे हैं मान्यवर कि पहले मान्यवर मंत्री जी बोल लें।

(किसी मान्यवर सदस्य के यह कहने पर कि मान्यवर मंत्री जी बोल लिए हैं)

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक 2018 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जाएंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक 2018 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-5 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2018

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 में अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः–

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जायेगा।

2–इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

3–यह दिनांक 29 जनवरी, 2018 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1961 की धारा 197 के पूर्व प्रकट होने वाले शीर्षक में संशोधन

2–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में धारा 197 के पूर्व प्रकट होने वाले शीर्षक में शब्द ''बाजार, वधशाला'' के स्थान पर शब्द ''बाजार'' रख दिया जाएगा।

धारा 197 का निकाला जाना

3–मूल अधिनियम की धारा 197 निकाल दी जाएगी।

धारा 198 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 198 में पार्श्वांकित शीर्षक में शब्द ''बिक्री के प्रयोजनार्थ वध नहीं'' के स्थान पर शब्द ''धार्मिक प्रयोजनार्थ वध'' रख दिये जायेंगे।

निरसन और व्यावृत्ति

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2018

5–(1) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 2018 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह–प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-5 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2018

आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री (श्री जय प्रताप सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2018 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जाएंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2018 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें?

श्री उज्जवल रमण सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, इस विधेयक को मान्यवर मंत्री जी ला क्यों रहे है, इस बारे में नहीं बताया। मेरा इस पर सिर्फ दो चीज कहना है कि मान्यवर मंत्री जी ने एक्ट में संशोधन यह ला रहे हैं कि मॉडल शॉप में भी एक जगह बन जाए, जहां पर लोगों के शराब पीने की व्यवस्था हो। मेरा यह मानना है कि मंत्री जी बहुत विद्वान एवं अनुभवी हैं, लेकिन ऐसा एक्ट सिर्फ अधिकारियों के बहकावे में लाया जा रहा है और यह एक्ट 2003 से लाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

दारू तो वैसे भी लोगों को बहकाती है, वैसे ही एक्ट भी बहकायेगा, और अधिकारी भी बहकाएंगे।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

लेकिन मान्यवर मंत्री जी को नहीं बहकना चाहिए था। यह संविधान हमारा कहता है। मान्यवर अध्यक्ष जी, हम शराब को बढ़ावा देने के लिए यहां नहीं बैठे हैं और योगी जी की सरकार से हमको यह अपेक्षा थी कि शराब बंदी का कानून जरूर आयेगा, और आप शराब को बैठाकर पिलाने की व्यवस्था कर रहे हैं और उसमें 2003 से करने जा रहे हैं। जिस एक्ट में आप संशोधन ला रहे हैं इसका रिट्रासपेक्टिव इफेक्ट है। मान्यवर, इसकी मंशा इससे साफ है कि हाईकोर्ट के डिसीजन को आप पलटना चाहते हैं एक्ट में संशोधन लाकर।

अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जिस सिद्धान्त 'सेपरेशन ऑफ पॉवर' पर हम चलते है उस सिद्धान्त को मत पलटिये, नहीं तो इतिहास इस बात का साक्षी बनेगा और माननीय मंत्री जी हमको माफ नहीं करेगा और यही वोडाफोन का केस था।

श्री अध्यक्ष-

तो आप क्या चाहते हैं ?

श्री उज्ज्वल रमण सिंह-

मान्यवर, मेरा एक सब्मिशन सुन लें। यही वोडाफोन का केस 1961 से दिल्ली में था, माननीय प्रणव मुखर्जी जी वह संशोधन लाये जिसकी पूरे विश्व में भर्त्सना हुई तथा भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने भी उसको अच्छा नहीं माना था। मेरा सिर्फ तीन संशोधन है कि 2003 से नहीं, अगर लाना भी है तो वर्तमान समय से लायें। दूसरा, आप बैठने की व्यवस्था न करें जो पूर्ववत व्यवस्था थी वही रहने दें। तीसरा, राजस्व को कमाने का यह जरिया नहीं है कि विधेयक लाकर राजस्व कमायें। चौथी और आखिरी बात हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना न करें। इसमें आप महाधिवक्ता की राय ले लीजिए, आपने एड़ीशनल एडवोकेट जनरल की राय ली है, महाधिवक्ता की राय नहीं ली गयी है इसलिए आपको सही राय नहीं मिली है। माननीय मंत्री जी मेरा आपसे अभी भी स्पष्ट मानना है कि इसको प्रवर समिति में भेज दीजिए, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा 1200 करोड़ रुपये का राजस्व आपको मिलेगा। लेकिन अध्यक्ष जी, प्रवर समिति में जायेगा उद्देश्य की पूर्ति तभी होगी, उद्देश्य की पूर्ति ऐसे नहीं होगी। क्योंकि हम कहीं न कहीं छेड़छाड़ कर रहे हैं, शराब को बढ़ावा दे रहे हैं जो कि हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। मा0 मंत्री जी से हमारा सादर अनुरोध, अपील, व विनती है कि इसको आप वापस लेकर प्रवर समिति में इसको भेज दें, यही मेरा आपसे अनुरोध है। (श्री उपेन्द्र तिवारी जी ने अपने आसन पर बैठे हुए कहा कि आपके शाम की दवा सस्ती करने की बात है।) (हंसी)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

आबकारी मंत्री (श्री जय प्रताप सिंह)-

नहीं, लेकिन अगर कुछ जरूरत हो तो कह दें।

श्री अध्यक्ष-

अजय जी ने बहकाया तो आप बहक गये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मा0 उज्ज्वल रमण सिंह जी ने बढ़िया मुद्दा उठाया है।

श्री अध्यक्ष-

तो हम अब प्रश्न उठा दें?

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

जो विधिक अड़चनें हैं उसके बारे में बताया है।

श्री अध्यक्ष-

अब हम प्रश्न उठा दें, विषय आ गया।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री जय प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक 2018

बाढ़ नियंत्रण, कृषि निर्यात राज्य मंत्री (श्रीमती स्वाती सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाय।

श्री उज्ज्वल रमण सिंह-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2018 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार यह जो संशोधन ला रही है इसकी मंशा मंडी के निजीकरण की है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का विचार आ जाये।

श्री अध्यक्ष-

उनका विचार श्रेष्ठ है, आपके पक्ष में है। आपको सारी सुविधायें देंगे जो आप चाहोगे।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, हम तो शराब बंदी वाले हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2018 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2018

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 8 सितम्बर, 2003 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910 की धारा 24-क का संशोधन

2-संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में, धारा 24-क में, उपधारा (1) में खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

''(घ) दुकानों पर फुटकर बिक्री के लिये (भू-गृहादि के 'अन्दर' या 'बाहर' उपभोग के लिये अथवा भू-गृहादि के 'अन्दर' एवं 'बाहर' उपभोग के लिये) एकान्तिक या अन्य विशेषाधिकार के लिये लाइसेंस अथवा लाइसेंसों को स्वीकृत कर सकता है।''

नई धारा 24-कक का बढ़ाया जाना

3-मूल अधिनियम की धारा 24-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

''24-कक उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2018 के प्रकाशन के दिनांक के पूर्व किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रतिकूल होते हुये भी इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन की गई या किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई बात तथा की गई अथवा किये जाने हेतु तात्पर्यित कोई कार्यवाही विधिमान्य होगी और उसे सदैव विधिमान्य रही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम का उपबन्ध, जैसा कि उक्त अधिनियम द्वारा संशोधित है, सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।''

निरसन और व्यावृत्ति

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2018

4-(1) उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2018 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2018

बाढ़ नियंत्रण, कृषि निर्यात राज्य मंत्री (श्रीमती स्वाती सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाय।

श्री उज्ज्वल रमण सिंह-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2018 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार यह जो संशोधन ला रही है इसकी मंशा मंडी के निजीकरण की है।

सरकार एक के बाद एक प्रस्ताव खाली निजी कम्पनियों को फायदा पहुँचाने के लिये यह संशोधन लाया जा रहा है। इसमें संशोधन में कहीं पर भी यह व्यवस्था नहीं है कि जो कृषि उत्पादन की हमारी मंडियां बनेंगी प्राइवेट में, वह किस रेट पर, किस दर पर खरीदेंगी। आज किसान मजबूर है तो आप उसको मजबूर करेंगें प्राइवेट में जाकर। कहीं पर भी एम0एस0पी0 का प्रतिबंध आपने नहीं लगाया है। मैं चाहता हूँ कि यह प्रतिबंध लगे कि जो आप प्राइवेट मंडियां खोलना चाहते हैं, प्राइवेट मंडियों को आमंत्रित करना चाहते हैं, उनके माध्यम से आप मंडियां खोलना चाहते हैं वहां एम0एस0पी0 की बाध्यता हो क्योंकि अगर यह सरकारी बाध्यता नहीं रहेगी तो जो आढ़तियों के माध्यम से आज खरीद होती है वह एक दूसरा रूप ले लेगी। हम माननीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि इसकी गहनता पर हमको विचार करना चाहिए था। कम्पनियों से राय नहीं लेनी चाहिए थी, हमको अधिकारियों से राय नहीं लेनी चाहिए थी। इसमें अगर कोई सही राय देने वाला था तो आप किसान को बुलाकर बात करते। आप किसान से कहते कि आप क्या संशोधन चाहते हैं और जहां-जहां पर भी प्राइवेट मंडियां बनी हैं, इन कम्पनियों के द्वारा पूरे भारतवर्ष में आप एक राज्य का नाम बता दें। महाराष्ट्र से लेकर पंजाब हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर एक मॉडल एक्ट बनाया गया। दिल्ली में उस मॉडल एक्ट पर विवश किया जा रहा है राज्यों को। बिहार में नहीं है, लेकिन उन राज्यों को विवश किया जा रहा है। लेकिन मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार इसमें स्टैन्ड ले कि हम प्राइवेट कम्पनियों के साथ खड़े न दिखें। हम उन किसानों के साथ खड़े दिखें जो अपना उत्पादन आज जो इस सरकार की मंशा है कि कहीं न कहीं एम0एस0पी0 2500 रुपया गेहूँ का अभी माननीय मंत्री जी एक दिन बतला रहे थे। महीन धान 3900 रुपया लेकिन जब यह प्राइवेट मंडियां आ जायेंगीं तो यह महीन धान 3900 रुपया आपका नहीं बिकेगा यह गेहूँ और धान आपका इस एम0एस0पी0 के रेट पर नहीं बिकेगा। क्योंकि इस पर बाजार मूल्य चलेगा। अगर बाजार मूल्य 1200 रुपया है तो 1200 रुपये पर किसान को मजबूर किया जायेगा कि 1200 रूपये पर वह अपना धान बेचे। इसलिये मैं चाहता हूँ कि इसको प्रवर समिति को भेज दें और किसानों का मुद्दा है, कृषि का मुद्दा है और सरकार भी किसानों की आय बढ़ाना चाहती है और यह खाली एक निजी कम्पनी को फायदा पहुंचाने के लिये विधेयक लाया जा रहा है जो कि किसान विरोधी विधेयक है। मैं चाहता हूँ कि इसकी प्रवर समिति में गहन चर्चा हो जाय।

श्री अध्यक्ष-

मैं प्रश्न कर रहा हूँ।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और किसानों का अहित होने जा रहा है जो माननीय उज्जवल रमण सिंह ने कहा मिनिमम क्रय प्राइस पर खरीदने के लिये जो इसमें शर्त रखी जाय। इस शर्त के साथ इसमें संशोधन हो तो इसलिये यह महत्वपूर्ण है। इस पर कुछ तो जवाब सरकार का आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

अब आप भी बोल लें और यह भी बोल लें फिर इकट्ठा इस पर उत्तर करा लिया जाय।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इतना तो होना चाहिए कि अगर निजीकरण किया जा रहा है तो निश्चित रूप से इस पर प्रतिबंध हो जो माननीय उज्जवल रमण सिंह ने कहा कि जो मिनिमम प्राइस रेट है, क्रय मूल्य है धान या गेहूँ का उससे नीचे न खरीदें। अगर यह शर्त लगा दें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। किसान का अहित नहीं होगा। तो यह शर्त इसमें जोड़ा जाय। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस पर प्रापर जवाब भी आना चाहिए कि जिससे किसानों का अहित न हो।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

किसानों के हित की बात सरकार करती है। अभी एक मामला और आया था बिजली के निजीकरण का तो हर चीज निजीकरण में सरकार क्यों देना चाहती है। मण्डी समितियों का गठन ही हुआ है किसानों के हित की रक्षा के लिये और हम उसको प्राइवेट संस्था में दे देंगे तो वह अपने मन से करेंगें। सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं रह जायेगा। तो चाहे वह गल्ला व्यापारी के यहां किसान बेचे या प्राइवेट मण्डी में बेचे उसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिये इसको सरकार को इसको अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। प्राइवेट में नहीं देना चाहिए। जो बातें उज्जवल रमण जी ने कही हैं मैं उसका समर्थन करता हूँ। इस विधेयक में कोई बहुत तेजी नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूँ कि इसको वापस ले लें फिर पुनः विचार करके किसानों की यूनियन है उनसे बात कर लें। और हमारे विधायक सब किसान के घर के हैं, इन्हीं से राय लीजिये।

श्री रामगोविन्द चौधरी-

किस तरह से कैसे किया जाए तभी बढ़िया विधेयक होगा इसको वापस ले लें और प्रवर समिति को सौंप दें। सभी माननीय विधायक अपनी राय दे दें जैसी विधायक राय दे देंगे ज्यादातर किसान हैं वैसे कर लें। मेरा सुझाव है इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाए यह हमारा निवेदन है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, यह किसानों से जुड़ा मामला है। उसका निजीकरण करके सरकार क्या संदेश देना चाहती है। हर चीज का निजीकरण नहीं हो सकता है इस पर विचार होना चाहिए इस मण्डी समिति का जो विधेयक मा0 उज्जवल रमण सिंह जी लाए हैं मैं इनकी बातों पर बल देता हूँ।

श्री सुरेन्द नाथ सिंह-

मान्यवर, हमारी सरकार ने दो विकल्प दे दिए हैं किसानों को जहां उचित मूल्य मिलेगा वहां वह बेचेगा इससे बढ़िया क्या हो सकता है।

श्रीमती स्वाती सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, इस एक्ट में हम क्यों अमेंडमेंट कर रहे हैं यह बताना चाहूंगी मुझे लगता है कि जो मा0 सदस्यगण हैं और जो मा0 नेता प्रतिपक्ष हैं कहीं न कहीं बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। इसका उद्देश्य यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 में संशोधन हेतु लाया गया यह विधेयक कृषकों के हित में एवं उन्हें व्यापक एवं प्रतिस्पर्धा बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लाया गया है। इससे कृषकों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य मिल सकेगा एवं उनकी आय में बढ़ोत्तरी होगी। मान्यवर, यह भी बताना चाहूंगी कि जो सरकारी मण्डी समितियां हैं वह तो रहेंगी ही उसके साथ ही साथ हमने प्राइवेट मंडियों को भी एलाव किया है ताकि जिस किसानों के हित की आप बात कर रहे हैं जो अभी आप बार-बार सवाल कर रहे थे कि हर चीज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है हर चीज का प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है कॉम्पटीटर फार्म ला रहे हैं ताकि किसानों की जो हम डबल आय करने की बात कर रहे हैं उनकी इनकम को जो डबल करने की बात कर रहे हैं जितना ज्यादा मार्केट रहेगा उनका मार्केट में जितना काम्पटीशन होगा उनको रेट भी अच्छा मिलेगा।जहां तक आपने एम0एस0पी0 की बात कही तो मैं आपको बता दूं ई-नैम, हमारे उत्तर प्रदेश की सौ मंडियां,आज तक देश के किसी प्रदेश की इतनी मंडियां ई-नैम से नहीं जुड़ी हैं। मात्र एक उत्तर प्रदेश है जहां 100 मंडियां ई-नैम से जुड़ गई हैं और वहां किसान को खुली छूट है कि जहां सबसे ज्यादा रेट मिले, वह ई-नैम के माध्यम से अपने कृषि उत्पाद को बेचे।

(मेजें थपथपाई गईं)

जहां तक आपने किसानों की बात कही मैं बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार है जो मंडी समितियों में जो कमेटी बनने की बात हो रही है। उसमें हमने यह कहा कि नौ किसान उसमें रहेंगे और जो उसका अध्यक्ष बनेगा वह भी किसान ही रहेगा टोटल 15 लोग रहेंगे वही चुनाव करेंगे।

(मेजें थपथपाई गईं)

किसानों के हितों की बात आप न करिए किसानों के हितों की चिन्ता हम करते हैं और जिस धान और गेहूँ खरीद की बात आप कर रहे हैं आप कम्पेयर कर लीजिए अपनी सरकार और हमारी सरकार से कम्पेयर कर लीजिए पता चल जाएगा कौन सी सरकार है जो किसानों के हितों की बात करती है। थोड़ा मैं आप लोगों से यह जरूर आग्रह करना चाहूंगी कि जो आप कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं प्राइवेटाइजेशन का, अगर आप यह देख लें कि जो सरकारी मंडियां हैं वह ऑलरेडी रहेंगी और जो प्राइवेट मंडियां आएंगी तो आपको भी कि क्यों यह संशोधन लाया जा रहा है यह समझ में आ जाएगा।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

अभी ई-नैम की इन्होंने बहुत चर्चा की है अभी तक क्या माननीय मंत्री जी बता सकती हैं कि कितने किसान ई-नैम के माध्यम से अपनी किसानी को बेचने का काम किए हैं।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर आ चुका है। अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2018 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-12 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2018

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है की धारा 2 में,–

(क) खण्ड (घ–1) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

''(घ–2) मण्डी स्थल के सम्बन्ध में ''शीतगृह'' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 7–क के अधीन मण्डी उप स्थल के रूप में घोषित शीतगृह से है।''

(ख) खण्ड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्:–

''(ज–1) ''निदेशक, कृषि विपणन'' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा निदेशक, कृषि विपणन के रूप में नियुक्त अधिकारी से है, जो इस अधिनियम के अधीन निदेशक, कृषि विपणन की शक्तियों और कृत्यों का निर्वहन करेगा ;

(ज–1क) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के सम्बन्ध में ''सीधा विपणन'' का तात्पर्य, प्रधान मण्डी स्थल, उप-मण्डी स्थल, निजी मण्डी स्थल एवं मण्डी उप-स्थल के बाहर प्रसंस्करणकर्ताओं, निर्यातकों, क्रेताओं आदि के द्वारा कृषकों से विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के सीधा थोक क्रय से है ;

(ज–1ख) ''कृषक उत्पादक संगठन''(एफ0पी0ओ0) का तात्पर्य ऐसे कृषक–संगम से है, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी भी नाम/प्रारूप में अभिहित किया जाता हो/विद्यमान हो एवं रजिस्ट्रीकृत हो। जो कृषकों को गतिशील करने और उनके उत्पादन तथा विपणन शक्ति की सामूहिक उत्तोलन क्षमता का सृजन करता है।''

(ग) खण्ड (ट–1) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

''(ट–2) मण्डी उप-स्थल का तात्पर्य भाण्डागार/साइलो/शीतगृह या ऐसी अन्य संरचना या स्थान से है, जो इस अधिनियम की धारा 7–क के अधीन मण्डी उप-स्थल के रूप में घोषित किया गया हो।''

(घ) खण्ड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

''(ड–1) 'व्यक्ति' के अन्तर्गत व्यक्ति, कोई सहकारी समिति, हिन्दू अविभाजित परिवार, निगमित अथवा अनिगमित कोई कम्पनी या फर्म या व्यक्ति–संगम या निकाय सम्मिलित है।''

(ङ) खण्ड (ण–1) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :–

''(ण–2) 'निजी मण्डी स्थल' का तात्पर्य मण्डी क्षेत्र में प्रधान मण्डी स्थल, उपमण्डी स्थल और मण्डी उप–स्थल से भिन्न ऐसे स्थान से है, जहाँ इस अधिनियम के अधीन उक्त प्रयोजन के लिए कृषि उत्पाद के विपणन और लाइसेंस धारण करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा अवसंरचना विकसित की गयी हो और उसका प्रबन्ध किया गया हो ;

(ण–3) कृषि उत्पाद के सम्बन्ध में 'प्रसंस्करणकर्ता' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो स्वयं की ओर से या प्रभार के संदाय पर किसी अधिसूचित कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण का दायित्व ग्रहण करता हो।''

(च) खण्ड (ध) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :–

''(ध–1) 'साइलो' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 7–क के अधीन मण्डी उप-स्थल के रूप में घोषित साइलो से है;

(ध–2) 'विशिष्ट जिन्स मण्डी स्थल' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 7–ग के अधीन यथाअधिसूचित किसी मण्डी स्थल से है।''

(छ) खण्ड (न) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

''(न–1) 'राज्य' का तात्पर्य भारत का संविधान की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट किसी राज्य से है।''

(ज) खण्ड (कक) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

''(कक–1) मण्डी स्थल के सम्बन्ध में 'भाण्डागार' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 7–क के अधीन मण्डी उप–स्थल के रूप में घोषित भाण्डागार से है।''

नई धारा 2–क का बढ़ाया जाना

3–मूल अधिनियम की धारा 2 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:–

कृषक/उत्पादक को विपणन स्वतंत्रता

2–क–कृषक/उत्पादक अपना उत्पाद अपनी इच्छानुसार इस राज्य में या उसके बाहर कहीं भी बेच सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि थोक संव्यवहार के लिए कृषक–विक्रेता से कोई मण्डी शुल्क संग्रहीत नहीं किया जायेगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के फुटकर विक्रय पर कोई मण्डी शुल्क उद्ग्रहीत या संग्रहीत नहीं किया जाएगा, जहाँ ऐसा विक्रय उपभोक्ता को कृषक या उत्पादक द्वारा सीधे उसके घरेलू उपभोग के लिए किया जाय।

धारा 7 का संशोधन.

4–मूल अधिनियम की धारा 7 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

''(ख) घोषित कर सकती है कि किसी मण्डी क्षेत्र के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद में से सभी या किसी का थोक संव्यवहार उसके प्रधान मण्डी स्थल या उप–मण्डी स्थलों के भीतर केवल किसी विनिर्दिष्ट स्थान या स्थानों पर किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे मण्डी क्षेत्र में स्थित निजी मण्डी स्थलों तथा प्रधान मण्डी स्थल, उप–मण्डी स्थलों, निजी मण्डी स्थलों या मण्डी उप–स्थलों के बाहर के संग्रह/एकत्रीकरण केन्द्रों के मामले में इस खण्ड के उपबंध का कोई प्रभाव नहीं होगा।''

नई धारायें 7–क, 7–ख, 7–ग और 7–घ का बढ़ाया जाना

5–मूल अधिनियम की धारा 7 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:–

भाण्डागार/साइलो/शीतगृह या ऐसी अन्य संरचना या स्थानों को मण्डी उप–स्थल के रूप में घोषित किया जाना

''7–क(1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसे भाण्डागार/साइलो/शीतगृह या यथाविहित अवसंरचना एवं सुविधाओं सहित संरचना या स्थान को मण्डी उप–स्थल के रूप में कार्य करने हेतु घोषित कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी फुटकर व्यापारिक स्थान को मण्डी उप–स्थल घोषित नहीं किया जायेगा।

Li"Vhdj.k&इस उपधारा में उल्लिखित पद 'स्थान' के अन्तर्गत भाण्डागार/साइलो/शीतगृह/पैकहाउस/सफाईकरण, श्रेणीकरण और प्रसंस्करण इकाई आदि सहित कोई संरचना, घेरा, खुला स्थान, मोहल्ला, पथ सम्मिलित हैं।

(2) यथास्थिति ऐसे किसी भाण्डागार/साइलो/शीतगृह या ऐसी अन्य संरचना या 'स्थान' का स्वामी, जो ऐसे स्थानों को उपधारा (1) के अधीन मण्डी उप–स्थल के रूप में घोषित किये जाने का इच्छुक हो, निदेशक, कृषि विपणन या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को ऐसे प्रपत्र में, ऐसी रीति से, और ऐसी अवधि किन्तु जो तीन वर्ष से कम न हो, के लिए ऐसे शुल्क के साथ, जैसाकि विहित किया जाय, के रूप में आवेदन करेगा।

(3) ऐसे भाण्डागार/साइलो/शीतगृह या ऐसी अन्य संरचना या स्थान के स्वामी को उस मण्डी क्षेत्र की सम्बन्धित मण्डी समिति से लाइसेंस लेना होगा और घोषित मण्डी उप–स्थल पर संव्यवहृत किये गये अधिसूचित कृषि उत्पाद पर मूल्यानुसार दर से लागू मण्डी शुल्क का भुगतान करना होगा और मण्डी समिति को ऐसे मण्डी शुल्क का अभिदान करना होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि, कृषक–विक्रेता से कोई मण्डी शुल्क संग्रहीत नहीं किया जायेगा।

सीधा विपणन (कृषकों से मण्डी स्थल, उपमण्डी स्थल, निजी मण्डी स्थल से बाहर एकमुश्त सीधा थोक क्रय)

7–ख (1) ऐसी युक्ति युक्त शर्तों और ऐसे शुल्क, जैसा कि विहित किये जायें, के अध्यधीन निदेशक, कृषि विपणन, अधिसूचित कृषि उत्पाद के विपणन के लिए इस अधिनियम एवं तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों के अनुसार यथाविहित अवसंरचना सहित उत्पादन क्षेत्र के निकट संग्रह/ एकत्रीकरण केन्द्र स्थापित करने हेतु किसी व्यक्ति को लाइसेंस प्रदान कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई स्थायी संग्रह/एकत्रीकरण केन्द्र स्थापित किये बिना, थोक क्रय स्थल घोषित करते हुए, प्रधान मण्डी स्थल, उपमण्डी स्थलों, मण्डी उपस्थलों, निजी मण्डी स्थलों के बाहर यथाविहित रूप में सीधा थोक क्रय किया जा सकता है।

(2) सीधा विपणन लाइसेंसधारी को दैनिक व्यापारिक संव्यवहारों से सम्बन्धित अभिलेख और समस्त लेखाओं को अनुरक्षित करना होगा और लाइसेंस प्राधिकारी को यथाविहित रूप में मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।

(3) लाइसेंस प्राधिकारी, सीधा विपणन लाइसेंसधारी से किसी भी प्रकार की अतिरिक्त सूचना माँग सकता है और ऐसे थोक क्रयों एवं उससे आनुषंगिक क्रिया–कलापों की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में निरीक्षण कर सकता है और निदेश जारी कर सकता है।

(4) सीधा विपणन लाइसेंसधारी विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के विक्रय के संव्यवहार पर परिषद द्वारा अनुरक्षित 'उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी विकास निधि' को मण्डी शुल्क का भुगतान करेगा।

विशिष्ट जिन्स मण्डी स्थल की स्थापना और अधिसूचना

7–ग(1) जहाँ राज्य सरकार, लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे वहाँ वह किसी मण्डी क्षेत्र के सम्बन्ध में सभी या किसी विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के निमित्त अधिसूचना द्वारा धारा 7 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन स्थापित विद्यमान मण्डी स्थल को 'विशिष्ट जिन्स मण्डी स्थल' घोषित कर सकती है या किसी नये मण्डी स्थल को 'विशिष्ट जिन्स मण्डी स्थल' अधिसूचित कर सकती है।

(2) इस अधिनियम में मण्डी समिति के लिए और तत्सम्बन्ध में किये गये उपबन्ध, विशिष्ट जिस मण्डी स्थल के लिए स्थापित मण्डी समिति पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

निजी मण्डी स्थल की स्थापना

7–घ (1) ऐसी युक्तियुक्त शर्तों और ऐसे शुल्क, जैसा कि विहित किये जायें, के अध्यधीन निदेशक, कृषि विपणन यथाविहित रूप में कृषि उत्पाद के व्यापार के लिए निजी मण्डी स्थल स्थापित करने हेतु किसी व्यक्ति को लाइसेन्स प्रदान कर सकता है।

(2) निजी मण्डी स्थल लाइसेन्सधारी, या उसकी प्रबन्ध समिति, निजी मण्डी स्थल में संव्यवहृत अधिसूचित कृषि उत्पादों पर मूल्यानुसार दर से जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, उपयोक्ता प्रभार संग्रहीत कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई उपयोक्ता प्रभार, कृषक–विक्रेता से संग्रहीत नहीं किया जायेगा।

(3) निजी मण्डी स्थल लाइसेन्सधारी, लाइसेन्स शुल्क और एक चौथाई संग्रह उपयोक्ता प्रभार का अभिदान, निदेशक, कृषि विपणन द्वारा अनुरक्षित और प्रचालित किसी पृथक निधि में करेगा। निदेशक, कृषि विपणन निधि का उपयोग, कौशल विकास, प्रशिक्षण, अनुसंधान और ऐसे अन्य क्रिया–कलापों, जो राज्य में दक्ष विपणन प्रणाली सृजित करने में सहायक होंगे, में करेगा।''

धारा 9 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 9 में उपधारा (1) में, विद्यमान प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

प्रतिबन्ध यह है कि कृषकों से सीधा क्रय किये जाने के निमित्त उत्पादन क्षेत्र के समीप संग्रह/एकत्रीकरण केन्द्र स्थापित किये जाने एवं निजी मण्डी स्थल के मामले में, निदेशक, कृषि विपणन उक्त मण्डी क्षेत्र के लिए लाइसेंस प्राधिकारी होगा।

धारा 9–क का संशोधन.

7–मूल अधिनियम की धारा–9क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

''9–क(1) कोई मण्डी समिति कृषकों एवं व्यापारियों से विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का क्रय करने के लिए, यथाविहित रीति में, निम्नलिखित में से एक या अधिक प्रयोजनों के लिए एकीकृत लाइसेंस स्वीकृत कर सकती है:–

(क) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का प्रसंस्करण;

(ख) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का व्यापार;

(ग) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का मूल्य संवर्धन करके अन्य रीति से ग्रेडिंग, पैकिंग और सौदा।

(2) इस अधिनियम में यथा उपबन्धित मण्डी शुल्क और विकास उपकर उस मण्डी समिति को विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के क्रय और विक्रय पर संदेय होगा, जहॉ विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का वास्तव में संव्यवहार हुआ हो।''

धारा 13 का संशोधन.

8–मूल अधिनियम की धारा 13 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

''13(1) धारा 12 में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से नाम–निर्दिष्ट किया जायेगा, जैसी विहित की जाये:–

(क) मण्डी क्षेत्र के उत्पादकों के नौ प्रतिनिधि;

(ख) मण्डी क्षेत्र में कारोबार करने वाले और तद्निमित्त इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स धारण करने वाले व्यापारियों के दो प्रतिनिधि;

(ग) मण्डी क्षेत्र में कारोबार करने वाले और तद्निमित्त इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स धारण करने वाले आढ़तियों के दो प्रतिनिधि;

(घ) मण्डी क्षेत्र में कारोबार करने वाले और तद्निमित्त इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स धारण करने वाले पल्लेदार और मापक के दो प्रतिनिधि;

(ड.) मण्डी समिति का सचिव, जो सदस्य सचिव होगा।

(2) उपधारा (1) के खण्ड(क) में निर्दिष्ट सदस्य, जिन्होनें मण्डी स्थलों में अधिसूचित कृषि उत्पाद का विक्रय किया हो और प्रपत्र 6 में विगत 03 वर्षों से ऐसे विक्रय बाउचर समिति से प्राप्त किया हो, जिनका मूल्य संचयी रूप से अधिकतम हो, नाम निर्देशन के लिए अर्ह होंगे:

प्रतिबन्ध यह है कि नौ उत्पादक सदस्यों में से तीन सदस्य सीमांत कृषकों से, तीन सदस्य लघु कृषकों से और तीन सदस्य बड़े कृषकों से होंगे।

(3) प्रत्येक मण्डी समिति में एक सभापति और एक उप सभापति होगा, जो उपधारा (1) के खण्डों (क से घ) में निर्दिष्ट सदस्यों द्वारा ऐसी रीति से निर्वाचित किये जाएंगे, जैसा कि विहित किया जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि सभापति और उप सभापति, उपधारा(1) के खण्ड(क) में निर्दिष्ट सदस्य होंगे।

(4) (क) उपधारा (1) के अधीन गठित समिति का कार्यकाल, समिति के गठन के प्रकाशन के दिनांक से तीन वर्ष होगा, यदि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में समाप्त न कर दिया जाये।

(ख) सभापति, उप सभापति और सदस्यों का कार्यकाल समिति के कार्यकाल का सहविस्तारी होगा।

(5) उपधारा(1) के अधीन नाम–निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य का नाम, उसके नाम–निर्देशन के 21 दिन के भीतर निदेशक को रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा।

(6) समिति द्वारा या उसकी ओर से कृत किसी कार्यवाही या कार्य पर इस आधार पर कि समिति के सभापति, उप सभापति या सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के नाम–निर्देशन में किसी अर्हता के अभाव या किसी त्रुटि के आधार पर या समिति में किसी रिक्ति या उसके गठन में किसी अन्य त्रुटि के आधार पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जायेगा।

धारा 17 का संशोधन.

9–मूल अधिनियम की धारा 17 में, खण्ड (3) में उपखण्ड (ख) में:–

शब्द ''ढाई प्रतिशत से अधिक न हो,'' के स्थान पर शब्द ''दो प्रतिशत से अधिक न हो'' रख दिये जायेंगे।

धारा 19 का संशोधन.

10–मूल अधिनियम की धारा 19 में, उपधारा(5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

''(5) प्रत्येक समिति वित्तीय वर्ष में धारा 17 के खण्ड 5 के अधीन जुटाई गयी धनराशि, विकास सेस के रूप में वसूल की गयी धनराशि और राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये अनुदानों को छोड़कर उसकी कुल प्राप्तियों में से केवल पचास प्रतिशत अथवा दस करोड़ रूपयें जो भी कम हो, रखकर शेष धनराशि परिषद को अंशदान के रूप में अन्तरित करेगी।''

नई धारा 33–ग, 33–घ, 33–ड. और 33–च का बढ़ाया जाना

11–मूल अधिनियम की धारा 33-ख के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:–

निजी मण्डी स्थल के लिए लाईसेन्स प्रदान/नवीकरण किया जाना

''33–ग (1) कोई व्यक्ति, जो धारा 7-घ के अधीन निजी मण्डी स्थल स्थापित करना चाहता हो, निदेशक, कृषि विपणन या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को यथास्थिति ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से और ऐसी अवधि जो तीन वर्ष से कम न हो, जैसा कि विहित किया जाय, के लिए लाइसेन्स प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए आवेदन करेगा।

(2) निजी मण्डी स्थल के लिए यथास्थिति लाइसेन्स प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए आवदेन पत्र के साथ यथाविहित युक्ति युक्त लाइसेन्स शुल्क और प्रतिभूति/बैंक प्रत्याभूति संलग्न होंगे।

(3) लाइसेन्स प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिए उपधारा (1) के अधीन प्राप्त आवेदन पत्र लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में अभिलिखित कारणों से स्वीकृत/ अस्वीकृत किया जा सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन प्राप्त आवदेन पत्र पर निम्नलिखित
शर्त (शर्तों) पर अस्वीकृत किये जाने योग्य होगा;–

(क) यह कि, आवेदक अवयस्क है, जो अभिरक्षक के अधीन नहीं है या वास्तविक नहीं है;

(ख) यह कि, आवेदक उक्त अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली और उपविधियों के अधीन व्यतिक्रमी घोषित कर दिया गया है :

(ग) यह कि, मण्डी समिति और/या परिषद और/या विभाग/कृषि विपणन निदेशालय से सम्बन्धित कोई देय आवेदक के विरूद्व अवशिष्ट नहीं है;

(घ) यह कि, सम्बन्धित प्राधिकारी का यह समाधान हो गया है कि आवेदक किसी निजी मण्डी स्थल की स्थापना के लिए विनिधान या किन्हीं अन्य अपेक्षाओं, जैसा कि विहित किया जाय, के लिए अवसंरचना, प्रत्यय पत्र, अनुभव या पर्याप्त पूँजी धारित नहीं करता है; और/या

(ड.) ऐसे कोई अन्य कारण, जो विहित किये जायें।

(4) इस धारा के अधीन स्वीकृत या नवीकृत लाइसेन्स यथाविहित निबन्धन और शर्तों के अध्याधीन होगा, और लाइसेन्सधारी, लाइसेन्स की यथाविहित निबन्धन और शर्तों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा। लाइसेन्सधारी को इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों का भी अनुपालन करना होगा।

''धारा 33–ग के अधीन स्वीकृत/नवीकृत लाइसेन्स का निलम्बन या रद्दीकरण''

33–घ (1) धारा 33–ग के उपबन्धों के अध्याधीन, लाइसेन्स प्राधिकारी, यथास्थिति, लाइसेन्स को निलम्बित कर सकता है अथवा लाइसेन्स धारक को लिखित रूप में संसूचित किये जाने वाले कारणों से और सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर प्रदान करके उसे रद्द कर सकता है, यदि;

(क) लाइसेन्स जानबूझकर दुर्व्यपदेशन या कपट के माध्यम से प्राप्त किया गया हो; और/या

(ख) लाइसेन्स धारक या उसका प्रतिनिधि या उसकी ओर से उसकी अभिव्यक्त या विवक्षित अनुज्ञा से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति किसी नियमावली, विनियमावली और लाइसेन्स के निबन्धन या शर्तों का उल्लंघन करता है; और/या

(ग) लाइसेन्स धारक स्वयं या अन्य लाइसेन्स धारक के साथ मिलकर अधिसूचित कृषि उत्पाद के विपणन में जानबूझकर व्यवधान ड़ालने, उसे निलम्बित रखने या रोकने के आशय से मण्डी क्षेत्र में कोई कार्य कारित करता है या अपने सामान्य कारबार करने से प्रविरत रहता है; और/या

(घ) लाइसेन्स धारक दिवालिया हो गया हो; और/या

(ड.) लाइसेन्स धारक ऐसी कोई अनर्हता उपगत करता है, जैसा कि विहित किया जाय; और/या

(च) लाइसेन्स धारक इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का सिद्वदोष हो।

(2) कोई लाइसेन्स, इस धारा के अधीन उसके धारक को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर प्रदान किये बिना रद्द नहीं किया जायेगा।

(3) धारा 33–घ के उपबन्धों के अध्याधीन, लाइसेन्स प्राधिकारी आख्यापक आदेश द्वारा लाइसेन्स धारक को धारा 33–ग के अधीन प्रदान किये गये या नवीकृत किये गये उसके लाइसेन्स को रद्द करने के लिए संसूचित करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि लाइसेन्स प्राधिकारी के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति राज्य सरकार को यथाविहित रीति से अपील कर सकता है।

33–ङ(1) धारा 7–ख के अधीन कृषक सहकारी, कृषक–उत्पादक संगठन, और प्रसंस्करणकर्ता/निर्यातकर्ता सहित कोई व्यक्ति प्रधान मण्डी स्थल, उपमण्डी स्थल, मण्डी उप–स्थल, निजी मण्डी स्थल के बाहर सीधे कृषकों से कृषि उत्पाद क्रय करना चाहता हो, तो वह निदेशक, कृषि विपणन को यथास्थिति लाइसेंस प्रदान किये जाने अथवा उसका नवीकरण किये जाने के लिए ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के भी लिए, जैसा कि विहित किया जाय, आवेदन करेगा।

सीधे विपणन के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाना/उसका नवीकरण किया जाना

(2) सीधे विपणन के लिए आवेदन पत्र के साथ ऐसा युक्तियुक्त लाइसेंस शुल्क और प्रतिभूति/बैंक प्रत्याभूति, जैसा कि विहित किया जाय, संलग्न किया जायेगा।

(3) लाइसेंस प्रदान किये जाने अथवा उसका नवीकरण किये जाने के लिए धारा 33–ङ के अधीन प्राप्त आवेदन पत्र, धारा 33–ग(3) में यथावश्यक परिवर्तन सहित अन्तर्विष्ट कारण और रीति से स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है।

(4) इस धारा के अधीन प्रदान किया गया या नवीकृत किया गया कोई सीधा विपणन लाइसेंस ऐसे निबन्धन एवं शर्तों के अध्याधीन होगा, जैसाकि विहित किया जाय, और लाइसेंसधारी के लिए यथाविहित निबन्धन एवं शर्तो का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा। लाइसेंसधारी को इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों का भी अनुपालन करना होगा।

सीधे विपणन लाइसेंस का निलम्बन या रद्दकरण किया जाना

33–च धारा 7–ख के उपबन्धों के अध्याधीन, लाइसेंस प्राधिकारी, जिसने लाइसेंस जारी किया हो, धारा घ में यथावश्यक परिवर्तन सहित कारण और रीति से धारा 33–ङ के अधीन प्रदान किये गये/नवीकृत किये गये लाइसेंसों को निलम्बित या रद्द कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि लाइसेन्स प्राधिकारी के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति राज्य सरकार को यथाविहित रीति से अपील कर सकता है।''

धारा 37–क का संशोधन

12–मूल अधिनियम की धारा 37–क में उपधारा(1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

''(1) कोई मण्डी समिति या उसकी उपसमिति या समिति के किसी संकल्प द्वारा प्राप्त प्राधिकार से उसका सभापति किसी व्यक्ति से जिसने कोई ऐसा अपराध किया हो या जिसके सम्बन्ध में ऐसा अपराध करने का युक्ति युक्त सन्देह हो जो इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय है, उससे प्राप्त फीस या अन्य धनराशि के अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली,1965 के नियम 66 के उपनियम(1) के परन्तुक में दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार समतुल्य कृषि उत्पाद पर निर्धारित देय मण्डी शुल्क एवं विकास सेस के योग के दस गुना धनराशि के बराबर अथवा रुपये दो लाख, जो भी कम हो, एवं अन्य अपराध के लिए बीस हजार रुपये से अनधिक धनराशि शमन फीस के रूप में स्वीकार कर सकता है तथा अपराध का शमन कर सकता है।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-12 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती स्वाती सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018

श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय मंत्री (स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक पिछले सत्र में दोनों सदनों से पास हो गया था, महामहिम राष्ट्रपति के पास भेजा गया। भारत सरकार ने उसमें एक निर्देश दिया कि जो संशोधन प्रस्ताव आप धारा-4 में करके लाये हैं, उसे धारा-9 में कर दें बस इतना सा है। चूंकि पिछली बार मा0 नेता विरोधी दल जी ने भी सदाशयता के साथ इस विधेयक को यहाँ से पारित कराया था और विधान परिषद् में भी सदाशयता के साथ सभी लोगों ने इसको पारित कराया था। चूंकि जो प्रवासी कर्मकारों के नियोजन एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार नियोजन विनियमन एवं सेवा शर्त कानून अधिनियम, 1979 है। अधिनियम के अन्तर्गत श्रमिकों को ले जाने वाले ठेकेदारों को लाइसेंस देना और साथ ही साथ वह प्रवासी कर्मकार कहाँ पर नियोजित किये जा रहे हैं, उसका पंजीयन करना, बस इतनी सी बात है। पहले इनको लाइसेंस देने के लिए 30 दिन की लंबी समय-सीमा थी और साथ ही साथ पंजीयन की कोई समय-सीमा नहीं थी। साल भर, डेढ़ साल, छः महीना जितना चाहें, उतने मनमाने तरीके से था। हमने इस संशोधन के माध्यम से यह प्राविधानित किया है कि जो पूर्व में पारित हो चुका है कि ठेकेदारों को लाइसेंस अप्लाई करने के एक दिवस के अन्दर यानी जिस दिन वह अप्लाई करेंगे, एक दिन के अन्दर उनको लाइसेंस मिल जाना है। दूसरी चीज जो हमारी संस्थाओं के पंजीयन का मामला है, इसके लिए भी यह नियम बनाया गया कि एक दिन के अन्दर ही पंजीयन का कार्य भी सूचित कराया जाए यानी न हमारे कर्मकारों को कोई परेशानी उठानी पड़े, न उन प्रवासी संस्थाओं को उठाना पड़े। दोनों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव लाया गया है और एक दिन के अन्दर ही अधिष्ठानों का पंजीयन

कराना। साथ ही साथ एक दिन के अन्दर ही संविदाकारों को लाइसेंस देना इसमें प्राविधानित किया गया है। हम समझते हैं, चूंकि हम सभी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भी बहुत से मजदूर दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से बड़े पैमाने पर मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ वह ठेकेदार जो समूह में इन मजदूरों को किसी दूसरे प्रदेश में ले जाते हैं, उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक दिन में लाइसेंस की व्यवस्था किया जाना, इस संशोधन के माध्यम से किया गया है। साथ ही साथ जो वर्तमान में इस पंजीयन से व्यापार में सुगमता होगी, हमारे मजदूरों को सुविधा होगी तथा जो तमाम परेशानियां होती थीं, कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे, उस चक्कर लगाने से उनको निजात मिलेगा और यहां तक कि हमने तो ऑनलाइन पंजीयन के लिए या लाइसेंस पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा दी है। ऑनलाइन प्रार्थना-पत्र आने के बाद एक दिवस के अन्दर उसमें भी हम उनको लाइसेंस देंगे और उनका पंजीयन करायेंगे। यदि किसी कारण संस्था से पंजीयन कराते वक्त किसी तथ्य को छिपाया गया और जानकारी में आते ही उसका पंजीयन भी निरस्त करने का प्राविधान किया गया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इससे बढ़ावा मिलेगा साथ ही साथ निवेश में भी बढ़ावा मिलेगा और इतने निश्चित समय में जो हम पंजीयन दे रहे हैं या लाइसेंस दे रहे हैं इससे सबको सुविधा भी मिलेगी हमारे विपक्ष में बैठे हुए साथियों को इसमें कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए क्योंकि आप भी मजदूरों के हितों के रक्षक हैं। साथ ही साथ मैं यह भी मानता हूँ कि इससे बड़े पैमाने पर जैसे छह-छह महीने साल-साल भर पंजीयन नहीं होता था या तीस-तीस दिन में लाइसेंस मिलता था बहुत से मामले कोर्ट में जाते थे अब कोर्ट में जाने से भी आप बचेंगे। हमें इससे मुकदमेबाजी से बचने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ इसमें राज्य सरकार का कोई खर्च भी नहीं आ रहा है। कोई अतिरिक्त खर्च भी नहीं आ रहा है। एक दिन के अन्दर लाइसेंस या पंजीयन के चलते राजस्व की हमें प्राप्ति ही होगी। हम आपके माध्यम से यह भी कहना चाहते हैं जो प्रदेश में आज वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण की नीति चल रही है।

श्री अध्यक्ष-

कुछ संक्षेप कर दीजिए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मैं संक्षेप कर रहा हूँ। उसके तहत हमें उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने के लिए यह आवश्यक है इसमें तत्काल प्रभाव से कार्यवाही के लिए जो यह संशोधन प्रस्ताव जो पूर्व में हमारे विपक्ष के साथियों के सहयोग से पूरे सदन से पारित हुआ था भारत सरकार के निर्देश के क्रम में जो धारा 9 के अन्तर्गत संशोधन गया था उसको धारा 4 के अन्तर्गत संशोधन पारित कराने के लिए मैं निवेदन करने के लिए इसको यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं तो यह भी चाहूँगा कि चूंकि पिछली बार आप लोगों ने यहाँ पर प्रवर समिति में भेजने का कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं दिया था सदाशयता दिखाई थी हमको लगता है कि आज जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव लाए हैं इसमें से आधे सदस्य नहीं हैं इसका मतलब वह भी हमारी बात से सहमत हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि 9 में से 4 साथी जो हैं वह भी सदाशयता के साथ मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए इसमें आपका सहयोग दें मैं चाहूँगा कि इसे सर्वसम्मति से पारित कराएं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बहुत देर बोले तो संजय जी उसका आधा तो बोलेंगे ही।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

माननीय श्रम एवं सेवायोजन मंत्री जी ने बहुत ही दावे के साथ भारत सरकार के द्वारा वापस भेजे हुए इस एक्ट के 2017 को वापस कर 2018 में जो नीयत दिखाने की कोशिश करने का काम किया है मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान कुछ चीजों की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ मैं समझता हूँ कि इस विधेयक की आवश्यकता ही नहीं थी। इसके उद्देश्य और कारण में माननीय मंत्री जी ने लिखा माननीय मंत्री जी हैं तो श्रम और सेवा योजन के परन्तु इस विधेयक को बनाने के पहले इन्होंने सुझाव लिए केवल नियोक्ता संघों और व्यापार संघों से अच्छा होता माननीय मंत्री जी मजदूर हितों के लिए मजदूर संघों से सुझाव ले लेते और उसके बाद मजदूरों के हितों के संरक्षण के लिए कुछ विधेयक बना दिए होते। इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश की आबादी हिन्दुस्तान के तमाम प्रदेशों में सबसे ज्यादा है। 22 करोड़ की इस आबादी में 25 फीसदी से भी ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे में उसके डेवलपमेंट की बात के लिए अगर हम कोई इन्वेस्टर समिट करें तो इन्वेस्टर समिट हम इस बात के लिए नहीं कर रहे कि कोई उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने आएगा और मुनाफा कमाकर अपने घर चला जाएगा हमारा मकसद था कि यहाँ की श्रमशक्ति को रोजगार मिलता हमारा मकसद था कि यहां के कर्मकारों को कुछ रोजगार मिलता उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ग कि0मी0 829 जनसंख्या का घनत्व है। जबकि राष्ट्रीय औसत प्रति वर्ग कि0मी0 382 का है। 829 प्रति वर्ग कि0मी0 जनसंख्या के घनत्व में वर्टिकल डेवलपमेंट की तरफ निश्चित रूप से देखना चाहिए जिससे कृषि के ऊपर बोझ कम हो। उर्ध्वाधर विकास की तरफ जब हम देखते हैं और निवेश आता है तो वह निवेश बाहर से कर्मकारों को लेकर आने की बात करता है तो हमारी श्रमशक्ति और हमारे कर्मकारों के साथ निश्चित रूप से उसके मुंह पर तमाचा मारने का काम यह मौजूदा सरकार कर रही है। अगर मजदूर संघों से कुछ विचार-विनिमय करने की बात कर ली होती तो मैं समझता हूँ कि मा0 मंत्री जी इस विधेयक को लाने की बजाय इसका निरसन विधेयक लाने की बात करते। आज संविदा और ठेके पर श्रमिकों के हकों का हनन करने की बात की जा रही है। मजदूर आंदोलनों, मजदूर हकों को लगातार क्षीण करने की बात की जा रही है। लिबरलाईजेशन, प्राईवेटाईजेशन और ग्लोबलाईजेशन तथा आज के संकल्प प्रस्ताव के बाद जिस तरह की नीतियां शुरू हुई हैं, ऐसे में अगर मजदूर हित की यह सरकार है, अगर गरीब हित की यह सरकार है, अगर सभी लोगों को साथ लेकर उनको रोजगार देने की आपकी नीयत है तो अगर आप यू0पी0 में इन्वेस्टर्स समिट करते हैं तो आपको चाहिये तो यह था कि अगर यहाँ पर निवेशकर्ता आए तो केवल यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करने न आए बल्कि यहां के प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल के साथ-साथ यहाँ की श्रम शक्ति को भी रोजगार देने का वायदा करे, आपको उनसे ऐसा वायदा लेना चाहिये था। आपको उनसे वायदा लेना चाहिये था कि यहाँ के दलित और पिछड़े लोगों का आरक्षण जो सरकारी नौकरियों के माध्यम से समाप्त हो रहा है उसे लाने का काम करने की हम बात करते तब हमें समझ में आता कि आप वास्तव में दलित और पिछड़े लोगों के हित में कोई कानून बनाने की बात कर रहे हैं, परन्तु उसके विपरीत आप तो पूंजीपतियों के

पोषक निकले। आपका मकसद तो केवल उद्योगपतियों को लाकर उन्हें मुनाफा कमाकर देने का रहा और इसलिये आपने उन्हें ही बुलाकर उनसे राय ली कि आपको किस तरह का कानून चाहिये। उन्होंने बता दिया कि हमें इस तरह का कानून चाहिये। आप तो 2017 में इससे भी बढ़कर गये थे और इससे बढ़कर भी आपने एक धारा उसके अन्दर लाने की बात की थी। धारा-27 में आपने उन्हें दे दिया कि इस अधिनियम का, इस कानून का अगर उल्लंघन किया और उसके ऊपर कोई मुकदमा हुआ और उसके ऊपर कोई पेनाल्टी लगी तो उस पेनाल्टी का 50 परसेन्ट जमा करके वह शमन किया जा सकता है और उसके साथ-साथ उसके मुकदमे को खत्म करने का भी काम किया जा सकता है। इस तरह किसी भी उद्योगपति और मुनाफा कमाने वाले का स्वागत करने से पहले हमें निश्चित रूप से अपने प्रदेश की भी असलियत को भी अंगीकार कर लेना चाहिये, उसका भी सिंहावलोकन कर लेना चाहिये। अगर उसका सिंहावलोकन कर लेते तो श्रम मंत्री जी कम से कम श्रमिकों के हित में कोई कानून लाने की बात करते। मा0 अध्यक्ष जी, इन तमाम चीजों को दिमाग में रखते हुये एक दिन का रजिस्ट्रेशन और एक दिन में लाइसेंस, कोई बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है। मेरा तो अपना मानना है कि 22 करोड़ की आबादी के उत्तर प्रदेश के कर्मकारों का हक न छिने, उन्हें रोजगार मिलने का काम हो, इस बात की शर्त के साथ कोई भी इनवेस्टर इस प्रदेश में आए तो उसके लिये हमारा स्वागत है और उस आधार पर मौजूदा विधेयक को अगर प्रवर समिति को आप सुपुर्द कर देंगे तो निश्चित रूप से एक तार्किक बहस के बाद हम प्रदेश के हित में कोई निर्णय ले पायेंगे। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि मौजूदा विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(मा0 मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अभी आपको कुछ कहना है ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 संजय गर्ग जी हर चीज पर हमसे सहमत हैं इसीलिये वह प्रवर समिति को भेजे जाने का संशोधन प्रस्ताव पहले लाए ही नहीं, यह तो संशोधन प्रस्ताव बाद में लाए और रख दिया, एक चीज। दूसरी चीज, मा0 संजय गर्ग जी को जो सबसे बड़ी शंका है कि इस वर्तमान विधेयक में उपशमन की कोई व्यवस्था नहीं है। यह पहले थी, लेकिन इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये आपकी यह शंका भी निराधार है और आपको विधेयक को पास कराने में सहयोग करना चाहिये। मान्यवर, अब आपकी तरफ से प्रश्न प्रस्तुत किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त)

(उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018.11.26

अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रेतर संशोधन के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्हत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1-(1) यह अधिनियम अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अधिनियम संख्या 30 सन् 1979 की धारा-4 का संशोधन

2-अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा-4 में है :-

(क) उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-

"2 (क) सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी आवेदन प्रस्तुत किये जाने के दिनांक के पश्चात् एक दिन के भीतर ऐसी रीति से जो राज्य सरकार निर्धारित करें रजिस्ट्रीकरण मंजूर करेगा या मंजूर करने से इंकार करेगा अन्यथा उक्त अवधि की समाप्ति पर रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया माना जायेगा।

(ख) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट आवेदन-पत्र आवेदक द्वारा विभागीय वेब पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेजों व विहित फीस संदाय के साथ प्रस्तुत कर सकता है, ऐसी दशा में यदि आवेदन-पत्र सभी प्रकार से पूर्ण हो और आवेदनक पात्र हो तो वेब पोर्टल द्वारा स्वतः रजिस्ट्रीकरण मंजूर कर लिया जायेगा तथा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र ई-मेल के माध्यम से भेज दिया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि रजिस्ट्रीकरण, तथ्य के दुर्व्यपदेशन द्वारा या तथ्य को छिपाकर अथवा कूटरचित दस्तावेज के आधार पर प्राप्त किया गया हो तो ऐसा रजिस्ट्रीकरण अकृत और शून्य समझा जायेगा तथा उसे रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है और आवेदक के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी।"

(ख) उपधारा (3) हटा दिया जायेगा।

धारा 9 का संशोधन

3-मूल अधिनियम के धारा-9, में उप-धारा (3) के बाद निम्नलिखित उप-धारा बढ़ा दिये जायेंगे :-

''(4) (क) सभी प्रकार के पूर्ण आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर अनुज्ञापन अधिकारी आवेदन प्रस्तुत किये जाने के दिनांक में पश्चात् एक दिन के भीतर ऐसी रीति से जो राज्य सरकार निर्धारित करें अनुज्ञप्ति मंजूर करेगा या मंजूर करने से इंकार करेगा और उक्त अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञप्ति मंजूर किया गया माना जायेगा।

(ख) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट आवेदन-पत्र आवेदक द्वारा विभागीय वेब पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेजों व विहित फीस संदाय के साथ प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी दशा में यदि आवेदन-पत्र सभी प्रकार से पूर्ण हो और आवेदन-पात्र हो तो वेब पोर्टल द्वारा स्वतः अनुज्ञप्ति मंजूर कर लिया जायेगा तथा अनुज्ञप्ति प्रमाण-पत्र ई-मेल के माध्यम से भेज दिया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अनुज्ञप्ति, तथ्य के दुर्व्यपवेशन द्वारा या तथ्य को छिपाकर अथवा कूटरचित दस्तावेज के आधार पर प्राप्त किया गया हो तो ऐसा अनुज्ञप्ति अकृत और शून्य समझा जायेगा तथा उसे अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है और आवेदक के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी।''

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया जाये ?

(प्रश्न प्रस्तुत किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरस्त) विधेयक, 2018

विधायी एवं न्याय मंत्री (श्री बृजेश पाठक)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाये?

(प्रश्न प्रस्तुत किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

31 मार्च, 2019 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2018 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2018-2019 के लिए 456248,37,77,000 रुपये का निकाला जाना

2–ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 456248,37,77,000 रुपये (रुपये चार लाख छप्पन हजार दो सौ अड़तालीस करोड़ सैंतीस लाख सतहत्तर हजार मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3–इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
01	आबकारी विभाग	राजस्व :	21564.18	*20.00*	21584.18
02	आवास विभाग	राजस्व	48686.93	*67.82*	48754.75
		पूंजी :	113634.00	*233.04*	113867.04
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व :	55589.76	*6.00*	55595.76
		पूंजी :	1700.01	...	1700.01
04	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व :	3945.24	...	3945.24
		पूंजी :	205.00	...	205.00
05	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्व :	12235.77	...	12235.77
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व :	24193.60	...	24193.60
		पूंजी :	19.01	...	19.01
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्वः	212245.03	...	212245.03
		पूंजी :	305650.27	...	305650.27
08	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन-सामग्री)	राजस्व :	17588.90	...	17588.90
		पूंजी :	393.83	...	393.83
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	1270892.25	*430311.78*	1701204.03
		पूंजी :	1050430.89	*5914.86*	1056345.75
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्व :	62065.28	*195.39*	62260.67
		पूंजी :	691.22	*5.50*	696.72
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व :	744821.28	*20.95*	744841.33
		पूंजी :	60582.91	...	60582.91
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	राजस्व :	32408.19	...	32408.19
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व :	327827.68	*12.50*	327840.18
		पूंजी :	1645412.44	...	1645412.44
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व :	1409378.03	...	1409378.03
		पूंजी :	13382.16	...	13382.16

अनुसूची
(क्रमशः)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व	153034.69	*13.79*	153048.48
		पूंजी :	15770.44	. . .	15770.44
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व	9238.84	. . .	9238.84
		पूंजी :	6300.02	. . .	6300.02
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व	14708.25	*9.50*	14717.75
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व	50630.39	*1163.25*	51793.64
		पूंजी :	5087.20	*2184.72*	7271.92
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व	1040.85	. . .	1040.85
		पूंजी :	8757.00	. . .	8757.00
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व	3503.35	*6462.95*	9966.30
		पूंजी :	...	*10.00*	10.00
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	44754.66	3.50	44758.16
		पूंजी :	1209124.94	*0.50*	1209125.44
22	खेल विभाग	राजस्व	11950.95	...	11950.95
		पूंजी	7677.45	...	7677.45
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व	21711.42	*2.00*	21713.42
		पूंजी :	6726.00	...	6726.00
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	8105.11	...	8105.11
		पूंजी :	86700.00	...	86700.00
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	70052.92	*10.00*	70062.92
		पूंजी :	38494.48	...	38494.48
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	1648740.72	*74.00*	1648814.72
		पूंजी :	64780.70	...	64780.70
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व	1740.81	...	1740.81
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	27527.10	…	27527.10
		पूंजी :	30.00	…	30.00
*29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व	…	*2069.27*	2069.27

* भारित विनियोग में सम्बन्धित क्रम-संख्या

अनुसूची
(क्रमशः)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व	604.60	...	604.60
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व	316336.76	…	316336.76
		पूंजी :	157466.55	…	157466.55
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व	702657.05	*20.00*	702677.05
		पूंजी :	66792.07	…	66792.07
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व	106082.17	…	106082.17
		पूंजी :	3662.70	…	3662.70
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व	40480.49	…	40480.49
		पूंजी :	1790.96	…	1790.96
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	530366.96	*26.00*	530392.96
		पूंजी :	15756.95	…	15756.95
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	73321.10	*2.00*	73323.10
		पूंजी :	943.00	…	943.00
37	नगर विकास विभाग	राजस्व	1099440.99	…	1099440.99
		पूंजी :	248910.99	…	248910.99
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	19841.72	…	19841.72
		पूंजी :	100200.01	…	100200.01
39	भाषा विभाग	राजस्व	4256.26	…	2833.66
40	नियोजन विभाग	राजस्व	32051.57	…	32051.57
		पूंजी :	151346.00	…	151346.00
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व	49323.38	…	49323.38
		पूंजी :	5000.00	…	5000.00
42	न्याय विभाग	राजस्व	217519.63	*41128.53*	258648.16
		पूंजी :	145850.99	*500.00*	146350.99

अनुसूची
(क्रमशः)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
43	परिवहन विभाग	राजस्व	28378.71	*0.01*	28378.72
		पूंजी :	12170.68	…	12170.68
44	पर्यटन विभाग	राजस्व	12608.62	…	12608.62
		पूंजी :	56093.47	…	56093.47
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व	647.48	…	647.48
				…	
46	प्रशासनिक सुधार	राजस्व	1953.50	...	1953.50
	विभाग		15.00	...	15.00
47	प्राविधिक शिक्षा	राजस्व	41025.28	...	41025.28
	विभाग	पूंजी :	22749.02	...	22749.02
48	अल्पसंख्यक कल्याण	राजस्व	225244.68	*1.80*	225246.48
	विभाग	पूंजी :	50454.17	...	50454.17
49	महिला एवं बाल	राजस्व	728226.37	...	728226.37
	कल्याण विभाग	पूंजी :	19901.00	...	19901.00
50	राजस्व विभाग (जिला	राजस्व	99773.75	*17.00.*	99790.75
	प्रशासन)	पूंजी :	18736.87	...	18736.87
51	राजस्व विभाग (दैवी	राजस्व	164997.27	...	164997.27
	विपत्तियों के सम्बन्ध	पूंजी :	2000.00	...	2000.00
	में राहत)				
52	राजस्व विभाग	राजस्व	351959.85	*22.50*	351982.35
	(राजस्व परिषद् तथा	पूंजी :	5138.75	*7.88*	5146.63
	अन्य व्यय)				
53	राष्ट्रीय एकीकरण	राजस्व	168.40	...	168.40
	विभाग				
54	लोक निर्माण विभाग	राजस्व	247817.60	*4.00*	247821.60
	(अधिष्ठान)				
55	लोक निर्माण विभाग	राजस्व	9399.15	*421.96*	9821.11
	(भवन)	पूंजी :	6660.94	*25.35*	6686.29
56	लोक निर्माण विभाग	पूंजी :	34000.00	...	34000.00
	(विशेष क्षेत्र				
	कार्यक्रम)				

अनुसूची
(क्रमशः)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
57	लोक निर्माण विभाग	राजस्व	11950.00	...	11950.00
	(संचार साधन–सेतु)	पूंजी :	148152.00	...	148152.00
58	लोक निर्माण विभाग	राजस्व	533559.05	*5.00*	533564.05
	(संचार साधन-सड़कें)	पूंजी :	1190172.00	*1000.00*	1191172.00
59	लोक निर्माण विभाग	राजस्व	24704.46	...	24704.46
	(राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	पूंजी :	14481.72	...	14481.72
60	वन विभाग	राजस्व	79366.38	*13.70*	79380.08
		पूंजी :	20787.20	...	20787.20
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	1219947.43	*5422690.12*	6642637.55
		पूंजी :	22590.05	*3046333.39*	3068923.44
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्व	4459212.90	*1900.22*	4461113.12
		पूंजी :	10000.00	...	10000.00
63	वित्त विभाग	राजस्व	30626.56	...	30626.56
	(कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	पूंजी :	200.00	...	200.00
65	वित्त विभाग (लेखा	राजस्व	31350.13	...	31350.13
	परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	पूंजी :	20.00	...	20.00
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व	1954.87	*21404.83*	23359.70
67	विधान परिषद्	राजस्व	5955.70	*101.55*	6057.25
	सचिवालय	पूंजी :	1341.57	...	1341.57
68	विधान सभा	राजस्व	19236.72	*144.20*	19380.92
	सचिवालय	पूंजी :	147.50	...	147.50
69	व्यावसायिक शिक्षा	राजस्व	66437.24	...	66437.24
	विभाग	पूंजी :	18395.00	...	18395.00

अनुसूची
(क्रमशः)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	40315.10	...	40315.10
		पूंजी :	1000.00	...	1000.00
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व	4995282.93	...	4995282.93
		पूंजी :	58156.68	...	58156.68
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व	933471.93	*0.50*	933472.43
		पूंजी :	36951.21	...	36951.21
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व	253082.13	...	253082.13
		पूंजी :	27618.01	...	27618.01
74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	राजस्व	80359.54	...	80359.54
		पूंजी :	1909.47	...	1909.47
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व	15651.06	...	15651.06
		पूंजी :	1038.01	...	1038.01
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	33278.54	...	33278.54
		पूंजी :	25.00	...	25.00
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	10285.74	...	10285.74
		पूंजी :	22.96	...	22.96
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	99736.86	...	99736.86
		पूंजी :	3437.00	...	3437.00
79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व	239972.64	...	239972.64
		पूंजी :	16574.19	...	16574.19
80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व	455494.43	...	455494.43

अनुसूची
(क्रमशः)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व	32503.46	...	32503.46
		पूंजी :	8440.29	...	8440.29
82	सतर्कता विभाग	राजस्व	6264.14	*606.70*	6870.84
83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व	1534783.38	...	1534783.38
		पूंजी :	914094.68	...	914094.68
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	953.44	...	953.44
		पूंजी :	45426.55	...	45426.55
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व	617.46	...	617.46
86	सूचना विभाग	राजस्व	38337.96	...	38337.96
		पूंजी :	2247.01	...	2247.01
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	6667.99	...	6667.99
		पूंजी :	580.00	...	580.00
88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व	71399.33	...	71399.33
		पूंजी	410.00	...	410.00
89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्यकर)	राजस्व	87047.83	*6545.02*	93592.85
		पूंजी :	4770.29	...	4770.29
90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व	5796.34	...	5796.34
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व	31870.27	*0.03*	31870.30
92	संस्कृति विभाग	राजस्व :	7972.44	*0.05*	7972.49
		पूंजी :	7781.19	...	7781.19

अनुसूची
(क्रमशः)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व :	303011.75	...	303011.75
		पूंजी :	699501.41	*500.00*	700001.41
95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	425990.28	*50.00*	426040.28
	योग :	राजस्व :	27609113.93	*5935547.52*	33544661.45
		पूंजी :	9023461.08	*3056715.24*	12080176.32
	महायोग :		36632575.01	*8992262.76*	45624837.77

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाये?

(प्रश्न प्रस्तुत किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बृजेश पाठक-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2018 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2018 पारित किया जाये?

(प्रश्न प्रस्तुत किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018

बेसिक शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार, राजस्व तथा वित्त मंत्री (श्रीमती अनुपमा जायसवाल)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार किया जाये?

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों का नाम बाद में दिया जायेगा।

श्री सुखदेव राजभर-

मा0 अध्यक्ष जी, अभी निजीकरण की बात चल रही थी। यहाँ पर जो विधेयक लाया गया है इसमें तमाम फर्मों को, उद्योगपतियों को इन सबको ला देने का इतना सस्ता सिस्टम बना दिया गया कि उनको जमीन पट्टे पर दी जायेगी और वह पट्टा 15 साल, 2 साल, 3 साल, 30 साल के लिए दिया जायेगा। अब उद्योग लगाने के लिए जमीन दी जायेगी और पूंजीपति आयेंगे यहाँ पर खेती करने के लिए ? अब खेती की जमीन उद्योगपतियों को दी जायेगी? और कैसे दी जायेगी? न उनसे कोई रजिस्ट्री शुल्क लिया जायेगा। प्रधान उसका पट्टा कर देगा उस भूमिधर का आसामी का पट्टा प्रधान ही करेगा। आपने कहीं उल्लेख किया था कि अगर कोई पूंजीपति आकर कोई संयत्र लगा रहा है, कोई फैक्टरी लगा रहा है, उद्योग लगा रहा है या तो उद्योगपतियों को सीधे एक पट्टा के माध्यम से नोटरी से मान्यवर, कोई रजिस्ट्री नहीं है बाद में प्रावधान हुआ एक नोटरी का, यह मौखिक नहीं है ले जाओं जमीन और खेती करों उसमें मौखिक उल्लेख किया गया है कि जमीन मौखिक पट्टे पे दे दी रजिस्ट्री कराने की आपको जरूरत नहीं है। इससे तो आपने पूरा का पूरा पूंजीपतियों का राजस्व ही बचाया। आप स्पष्ट करें कि आपने जिस जमीन को पट्टे पर देने का प्राविधान बनाया है मौखिक आधार पर है, नोटरी के आधार पर है। न कोई स्टेम्प ड्यूटी है न कोई रजिस्ट्री है केवल पूंजीपतियों को उद्योग लगाने के लिए और जमीन दिलाने की व्यवस्था की है उसी में मान्यवर, हम लोग संशोधन लाये हैं उन तमाम लोगों को जिनका गला दबाकर मौखिक बयान करा सकते हैं कि हमारी जमीन आप 40 एकड़ ले लीजिए। इसलिए हम इस पर संशोधन किए है इस पर मा0 मंत्री जी विचार करें। इतना भावुक न हो जायें उद्योगपतियों के लिए उनको फैक्ट्री लागने के लिए ये बाद में आपके लिए गले की हड्डी बन जायेंगे। जमीन ले लेंगे और उसका उपयोग करके फिर वापस चले जायेंगे और कहेंगे घाटा हो गया। ये जो आप समिट लाये हैं, ये सब इन्वेस्टर्स आयेंगे आप का पैसा लेंगे लोन पे, फैक्ट्री लगायेंगे दो साल के बाद कहेंगे कि सब्सिडी लेकर जा रहा हूँ फैक्ट्री हमारी घाटे में हो गयी है। वहीं ड्रामा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस संशोधन को आप वापस ले, विचार करें और इतनी सुविधा के साथ पूंजीपतियों को न लाया जाये।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, हर बड़े उद्देश्य के लिए छोटे उद्देश्य से समझौता करना पड़ता है। बड़ा उद्देश्य यह है कि लोगो को रोजगार मिले जो बेरोजगारी का स्तर है वो कम हो और हर तरीके से हम यह चाहेंगे कि प्रदेश के आम आदमी की स्थिति में परिवर्तन आये और वह परिवर्तन रोजगार और औद्योगिकीकरण से आयेगा। इस उद्देश्य से यह किया जा रहा है। माननीय राजभर जी को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिये क्योंकि बहुत से स्थानों पर जमीन पूर्व की सरकारो ने दान में भी दी और जब दान में दी तो उसका रजिस्ट्री शुल्क माफ भी किया। आपके समय में भी हुआ, आपके बाद की सरकार के समय में भी हुआ। इसलिये औद्योगिकीकरण एक ऐसा विषय है जिसके लिए हम कुछ न कुछ राहत तो जरूर देंगे तभी उद्योग आयेंगे। मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह संशोधन लाया गया है इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय राजभर जी, क्या आप अपने प्रस्ताव पर बल दे रहे हैं।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, हम अपने प्रस्ताव पर बल देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूँ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन विधेयक, 2018 को इस सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन विधेयक, 2018 पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-17 तक खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम, बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जाएगा।

धारा 69 का संशोधन

2-मूल अधिनियम की धारा-69 में, उपधारा (3) में खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्-

''(ग) संरक्षण, परिरक्षण और सामान्य उपयोगिता की भूमि के विकास पर उपगत व्यय का भुगतान'' और;

धारा 72 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 72 में, उपधारा (1) में खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्-

''(ग) मण्डलीय मुख्यालय के लिए एक या उससे अधिक मण्डलीय शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) ''जो परिषद के सर्किट न्यायालयों (जहां कहीं मण्डल स्तर पर सर्किट न्यायालय विद्यमान हों) से सम्बन्धित कार्य का देखभाल भी करेंगे'' और;

धारा-77 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 77 में, उपधारा (2) में शब्द ''उसी ग्राम पंचायत'' के स्थान पर शब्द ''उसी ग्राम पंचायत अथवा किसी निकटवर्ती ग्राम पंचायत'' रख दिये जायेंगे।

धारा-80 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 80 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:-

80 (1) जहां संक्रमणीय अधिकारों वाला कोई भूमिधर, अपनी जोत या उसके आंशिक भाग का उपयोग औद्यौगिक वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए करता है, वहां उपजिलाधिकारी स्वप्रेरणा से या ऐसे भूमिधर द्वारा आवेदन किये जाने पर यथा विहित जांच करने के पश्चात या तो कोई घोषणा कर सकता है कि उक्त भूमि का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जा रहा है या वह आवेदन को अस्वीकृत कर सकता है। उपजिलाधिकारी आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने के दिनांक से पैंतालीस कार्य दिवसों के भीतर आवेदन पत्र पर विनिश्चय करेगा। यदि आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाता है तो उपजिलाधिकारी ऐसी अस्वीकृति के लिखित कारणों को उल्लिखित करेगा और आवेदक को अपने विनिश्चय की सूचना देगा;

2-जहाँ संक्रमणीय अधिकारों वाला कोई भूमिधर अपनी जोत या उसके आंशिक भाग का भविष्य में औद्यौगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए उपयोग करने का प्रस्ताव करता है वहाँ ऐसे भूमिधर द्वारा आवेदन किये जाने पर उपजिलाधिकारी यथाविहित रूप में जाँच करने के पश्चात आवेदन प्राप्त किये जाने के दिनांक से पैंतालीस कार्य दिवस के भीतर या तो यह घोषणा कर सकता है कि उक्त भूमि का प्रयोग कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जा सकता है या वह आवेदन पत्र अस्वीकृत कर सकता है। यदि आवेदन अस्वीकृत किया जाता है तो उपजिलाधिकारी को ऐसी अस्वीकृति के लिखित कारणों का उल्लेख करना होगा और आवेदक को अपने विनिश्चय की सूचना देनी होगी:

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन घोषणा के लिए जोत या उसके आंशिक भाग के चारो ओर चहारदीवारी अवश्य होनी चाहिए जो इस प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाना प्रस्तावित है:

परन्तु यह और कि यदि भूमिधर इस उपधारा के अधीन घोषणा के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के भीतर गैर कृषि संबंधी गतिविधि प्रारम्भ करने में विफल रहता है तो इस उपधारा (1) के अधीन जोत या उसके आंशिक भाग की घोषणा व्यपगत हो जायेगी:

परन्तु यह और कि इस उपधारा (2) के अधीन घोषणा भू-उपयोग परिवर्तन की कोटि में नहीं होगी और उक्त भूमि निरन्तर कृषि भूमि के रूप में ही समझी जायेगी। तथापि, भूमिधर ऐसी जोत या उसके आंशिक भाग, जिसके लिए इस उपधारा के अधीन घोषणा प्राप्त की गयी हो, पर प्रस्तावित गतिविधि अथवा परियोजना के लिए ऋण और अन्य आवश्यक अनुमति, समाशोधन आदि प्राप्त करने का हकदार होगा;

(3) अपनी जोत या उसके आंशिक भाग के लिए उपधारा (2) के अधीन घोषणा धारण करने वाला कोई भूमिधर उपधारा (2) के अधीन घोषणा से पांच वर्ष की अवधि के भीतर निर्माण क्रिया-कलाप पूर्ण कर लेने या प्रस्तावित गैर कृषि क्रिया-कलाप प्रारम्भ करने के पश्चात् उपधारा (2) की घोषणा को उपधारा (1) की घोषणा से आच्छादित करने के लिए उप जिलाधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकता है। ऐसा कोई आवेदन प्राप्त किये जाने पर उप जिलाधिकारी यथा आवश्यक जाँच करने के पश्चात् आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने के दिनांक से 15 दिन की अवधि के भीतर आवेदन पत्र स्वीकृत करेगा या अस्वीकृत करेगा। अस्वीकृति की स्थिति में उसे ऐसी अस्वीकृति के कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करना होगाः

परन्तु यह कि धारा (2) के अधीन घोषणा का उपधारा (1) के अधीन घोषणा में संपरिवर्तन के लिए भूमिधर पूर्व में उपधारा (2) के अधीन घोषणा के लिए अपने द्वारा पहले ही भुगतान की गई धनराशि का समायोजन करने के पश्चात् प्रचलित सर्किल दर पर आगणित संदेय शुल्क की मात्र अवशेष धनराशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(4) उप धारा (1) या (2) के अधीन घोषणा के लिए भूमिधरी भूमि में अविभाजित हित रखने वाले किसी सह-भूमिधर द्वारा किया गया कोई आवेदन पत्र तब तक पोषणीय नहीं होगा जब तक कि ऐसी भूमिधरी भूमि के समस्त सह भूमिधरों द्वारा आवेदन नहीं किया जाता है। यदि कोई एक सह भूमिधर, संयुक्त हित की भूमि में से अपने अंश की घोषणा कराना चाहता है तो ऐसा आवेदन पत्र भूमि में सह भूमिधरों के अपने-अपने अंशों का विभाजन विधि के उपबन्धों के अनुसार किये जाने के पश्चात ही ग्रहण किया जायेगा;

(5) उपधारा (1) या (2) के अधीन घोषणा के लिए आवेदन पत्र में ऐसे विवरण अंतर्विष्ट होंगे और उक्त आवेदन ऐसी रीति से किया जायेगा जैसा कि विहित किया जाए;

(6) जहां उप धारा (1) या (2) के अधीन आवेदन पत्र, जोत के किसी आंशिक भाग के संबंध में किया जाता है, वहां उपजिलाधिकारी विहित रीति से ऐसे आंशिक भाग का सीमांकन ऐसी घोषणा के प्रयोजन के लिए कर सकता है;

(7) इस धारा के अधीन कोई घोषणा, उपजिलाधिकारी द्वारा नहीं की जा सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाये कि भूमि या उसके आंशिक भाग का उपयोग ऐसे प्रयोजन के लिए किया जा रहा है या किया जाना प्रस्तावित है, जिसके कारण लोक उपताप होना या लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ, सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भावित हो या जो महायोजना में प्रस्तावित उपयोगों के विरूद्ध हो;

(8) यदि भूमि या उसका आंशिक भाग, जिसके लिए इस धारा के अधीन घोषणा की अपेक्षा की जा रही हो, किसी नगरीय या औद्यौगिक विकास प्राधिकरण के अधीन अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है तो सम्बन्धित विकास प्राधिकरण की पूर्वानुमति आज्ञापक होगी;

(9) राज्य सरकार इस धारा के अधीन घोषणा के लिए शुल्क-मान नियत कर सकती है और भिन्न-भिन्न शुल्क भिन्न-भिन्न प्रयोजनों के लिए नियत किये जा सकते हैं:

परन्तु यह कि यदि आवेदक जोत या उसके आंशिक भाग का उपयोग अपने निजी आवासीय प्रयोजन के लिए करता है तो इस धारा के अधीन घोषणा के लिए कोई शुल्क प्रभारित नहीं किया जायेगा।

धारा-81 का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा-81 में, शब्द और अंक ''धारा-80'' के स्थान पर शब्द और अंक ''धारा-80 की उपधारा (1)'' रख दिये जायेंगे।

धारा-89 का संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा 89 में उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएँ रख दी जायेगी, अर्थात् :-

''(3) राज्य सरकार अथवा इस अधिनियम के अधीन इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक किया गया या किये जाने हेतु प्रस्तावित किसी अर्जन/क्रय को अनुमोदित कर सकता है, यदि ऐसा अर्जन/क्रय, किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाईबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, न्यास, समिति अथवा किसी शैक्षिक या पूर्त संस्था के पक्ष में हो और यदि उसकी राय हो कि ऐसा अर्जन/क्रय लोक हित में होगा और/अथवा उससे आर्थिक गतिविधियां उत्पन्न किया जाना तथा रोजगार उपबन्धित किया जाना सम्भावित हो। ऐसे मामलों में उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के उपबन्ध ऐसे अर्जन पर लागू नहीं होंगे:

परन्तु यह कि जहां भूमि, किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाईबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, न्यास, समिति अथवा किसी अन्य शैक्षिक या किसी पूर्त संस्था द्वारा इस उपधारा या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1951), जैसा कि यह पूर्वोक्त अधिनियम के निरसन के पूर्व विद्यमान था, की धारा-154 की उपधारा (3) के अधीन पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना अर्जित/क्रय की गई हो वहां राज्य सरकार अथवा इस अधिनियम के अधीन इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत कोई अधिकारी, जुर्माना स्वरूप ऐसी धनराशि, जो आवेदन करते समय प्रचलित सर्किल दर के अनुसार आगणित उपधारा (2) के अधीन विहित सीमा से अधिक भूमि की लागत का पांच प्रतिशत होगी, का भुगतान करने के पश्चात् ऐसे अर्जन/क्रय को विनियमित करने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान कर सकती/सकता है;

(4) किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाईबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, न्यास समिति अथवा किसी शैक्षिक या पूर्त संस्था द्वारा उपधारा (3) के अधीन विहित सभी सीमाओं से अधिक भूमि अर्जन/क्रय के लिए उपधारा (3) के अधीन अनुमति निम्नलिखित द्वारा विहित शर्तों पर एवं विहित रीति से प्रदान की जायेगी-

(एक) 20.2344 हेक्टेयर तक भूमि अर्जित/क्रय करने हेतु सम्बन्धित कलेक्टर;

(दो) 20.2344 हेक्टेयर से अधिक और 40.4688 हेक्टेयर तक भूमि अर्जित/क्रय करने हेतु सम्बन्धित मण्डलायुक्त;

(तीन) 40.4688 हेक्टेयर से अधिक भूमि अर्जित/क्रय करने हेतु राज्य सरकारः

परन्तु यह कि यदि आवेदक उपधारा (3) के अधीन अनुमति प्रदान किये जाने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के भीतर परियोजना स्थापित करने में विफल रहता है तो उक्त अनुमति व्यपगत हो जायेगी और राजस्व संहिता की धारा 89(2) के अधीन विहित सीमा से अधिक अर्जित/क्रय की गयी भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी तथा धारा-105 के परिणाम लागू हो जायेंगेः

परन्तु यह और कि राज्य सरकार उपधारा (3) के अधीन प्रदान की गयी अनुमति की अवधि को, तदनिम्मित कारण अभिलिखित करने के पश्चात अधिकतम अग्रेतर 3 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकती है।

धारा-94 का संशोधन

8-मूल अधिनियम की धारा 94 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

94(1) कोई भूमिधर या कोई असामी- किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, पार्टनरशिपफर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, न्यास, समिति या कृषि हेतु या सौर ऊर्जा संयत्र स्थापित करने हेतु किसी अन्य विधिमान्य इकाई को अपनी जोत या उसके किसी आंशिक भाग को पट्टे पर दे सकता है;

किसी भूमिधर या असामी द्वारा पट्टा

(2) पट्टा-का तात्पर्य पट्टाकर्ता, जो कोई भूमिधर या असामी हो सकता है, व पट्टेदार, जो कृषि क्रियाकलाप का दायित्व ग्रहण करना या सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना चाहता हो, के मध्य पारस्परिक रूप से करारकृत निबन्धन और शर्तों पर करार आधारित संविदा से है जिसके द्वारा पट्टा करार के अनुसार पट्टेदार को संदेय नकद या वस्तु या उत्पाद अंश के रूप में किसी प्रतिफल के सापेक्ष कृषि प्रयोजनों हेतु या सौर ऊर्जा संयत्र स्थापित करने हेतु भूमि जोत या उसके किसी आंशिक भाग के उपयोग के लिए पट्टाकर्ता पट्टेदार को अनुमति प्रदान करता है;

(3) पट्टा की अवधि- पट्टा की अधिकतम अवधि एक बार में 15 वर्ष से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह कि, प्रथम पट्टा अवधि की समाप्ति के पश्चात, पट्टा अवधि की समय सीमा में पट्टाकर्ता व पट्टेदार की पारस्परिक सहमति से अग्रेतर वृद्धि की जा सकती है :

परन्तु यह कि, कोई सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जाने के प्रयोजनार्थ अधिकतम अवधि में 30 वर्ष तक की वृद्धि हो सकती है :

परन्तु यह और कि, असामी पट्टाकर्ताओं के लिए अधिकतम पट्टा अवधि उसे प्रदान की गयी असामी पट्टा अवधि से अधिक नहीं होगी;

(4) पट्टा की शर्तें-पट्टा की निबन्धन व शर्तें पट्टाकर्ता व पट्टेदार के मध्य पारस्परिक करारकृत होंगी। पट्टे की सामान्य शर्तें विहित रीति से होंगी।

धारा-95 का संशोधन

9-मूल अधिनियम की धारा 95 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थातः-

''95(1) पट्टा मौखिक या लिखित या रजिस्ट्रीकृत हो सकता है

पट्टा-किस प्रकार किया जाएगा, उसका पर्यवसान तथा तत्सम्बन्ध में उठने वाला कोई विवाद

सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 या रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 94 में निर्दिष्ट कोई पट्टा, मौखिक रूप से या किसी राजस्व अधिकारी या ग्राम प्रधान द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित या किसी नोटरी द्वारा नोटरीकृत दस्तावेज या रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया जा सकता है;

(2) किसी एकल फसल या एक वर्ष तक की अवधि हेतु पट्टा मौखिक या लिखित में हो सकता है। एक वर्ष से अधिक तथा तीन वर्ष तक की अवधि के लिए पट्टा करार, केवल लिखित में होगा तथा वह किसी राजस्व अधिकारी या ग्राम प्रधान द्वारा सम्यक रूप से प्रतिहस्ताक्षरित या किसी नोटरी द्वारा नोटरीकृत हो सकेगा। तथापि, तीन वर्षों से अधिक अवधि के लिए पट्टा हेतु, पट्टा करार रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के उपबन्धों के अनुसार केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया जायेगा;

(3) अधिकार अभिलेख की अभ्युक्तियों वाले स्तम्भ में अभिलिखित किया जाने वाला पट्टा लिखित या रजिस्ट्रीकृत पट्टा करार की स्थिति में करार या विलेख की कोई प्रति, सम्बन्धित राजस्व निरीक्षक को उपलब्ध कराई जाएगी, जो पट्टा करार का विवरण [पट्टाकर्ता व पट्टेदार का नाम और अन्य विवरण; पट्टा अवधि; प्रस्तावित भू-उपयोग और वार्षिक पट्टा किराया] अधिकार अभिलेख (खतौनी) के अभ्युक्ति वाले स्तम्भ में अभिलिखित करने हेतु आदेश पारित करेगा;

(4) पट्टा से किसी प्रकार का अभिधारण अधिकार सृजित नहीं होगा। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अधीन रजिस्ट्रीकृत या किसी राजस्व अधिकारी या ग्राम प्रधान द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित या किसी नोटरी द्वारा नोटरीकृत या मौखिक किसी पट्टा करार से पट्टाकृत भूमि पर पट्टेदार के पक्ष में संरक्षित अभिधारण या अधिभोग अधिकार या इस अधिनियम या नियमावली में अन्तर्विष्ट अधिकारों से भिन्न बेदखली या पट्टा पर्यवसान के विरूद्ध कोई अन्य अधिकारों सहित कोई अधिकार या हित सृजित नहीं होंगे। पट्टेदार द्वारा पट्टा करार का उपयोग किसी विधि न्यायालय में पट्टाकृत भूमि पर कोई स्थायी अधिकार स्थापित करने के लिए नहीं किया जायेगा;

(5) भूमि का पुनरारम्भ–पट्टा अवधि की समाप्ति या पट्टा पर्यवसान के पश्चात पट्टा लिखत शून्य हो जायेगा तथा यदि पट्टा अवधि नहीं बढ़ाई जाती है तो पट्टाकृत भूमि स्वतः पट्टाकर्ता को प्रत्यावर्तित हो जायेगी और पट्टेदार समस्त विल्लंगमों से मुक्त भूमि का शान्तिपूर्ण कब्जा पट्टाकर्ता को सौंप देगा तथा वह इस प्रकार पट्टा पर दी गयी भूमि का किसी विधि न्यायालय के समक्ष लम्बित कोई अधिकार, हक या हित रखने से प्रविरत हो जायेगा;

स्पष्टीकरण-धारा-94 के अधीन किये गये किसी पट्टे से उत्पन्न होने वाले किसी विवाद पर ध्यान दिये बिना पट्टाकर्ता को पट्टा अवधि की समाप्ति के पश्चात् पट्टाकृत भूमि का शान्तिपूर्ण कब्जा प्राप्त करने का हक होगा तथा पट्टेदार को पट्टाकृत भूमि पर कब्जा बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं होगा;

(6) पट्टा का प्रभाव-पट्टा के सम्बन्ध में संहिता में अन्तर्विष्ट उपबन्धों का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा;

(7) पट्टे का पर्यवसान-

(क) जब तक पट्टाकर्ता व पट्टेदार के मध्य पारस्परिक सहमति से बढ़ाया न जाए, करार में उल्लिखित अवधि के समाप्त होने पर पट्टा करार का पर्यवसान हो जायेगा;

(ख) पट्टेदार द्वारा नियत दिनांक तक प्रतिफल धनराशि अथवा वार्षिक पट्टा किराया का भुगतान न किये जाने की स्थिति में अथवा यदि पट्टे की किसी निबन्धन एवं शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टाकर्ता द्वारा पट्टेदार को लिखित नोटिस दिये जाने के पश्चात, पट्टा अवधि की समाप्ति के पूर्व पट्टा करार का पर्यवसान किया जा सकता है;

(ग) यदि पट्टाकर्ता द्वारा समय से पूर्व पट्टा करार का पर्यवसान किये जाने का प्रस्ताव किया जाता है, तो पट्टेदार को पट्टाकृत भूमि पर सृजित या स्थापित निर्माण, मशीनरी आदि को हटाने का हक होगा। पट्टेदार को पट्टाकर्ता से पट्टाकरार में यथा करारकृत और निर्धारित क्षति और प्रतिकर वसूल करने का भी हक होगा;

(घ) यदि पट्टेदार समय से पूर्व पट्टा करार का पर्यवसान करना चाहता है या पट्टा अवधि के दौरान भूमि अभ्यर्पित कर देता है तो, उसे कम से कम छः माह की नोटिस पट्टाकर्ता को देनी होगी तथा वह पट्टाकर्ता को पट्टा करार में यथा करारकृत तथा निर्धारित अन्य प्रतिकर के अतिरिक्त वर्ष का शेष भाग का वार्षिक किराया का भुगतान करने का भी उत्तरादायी होगा;

(ङ) यदि पट्टा अवधि की समाप्ति या पट्टा करार के पर्यवसान के पश्चात् पट्टेदार पट्टाकर्ता को पट्टाकृत भूमि का शांतिपूर्ण कब्जा सौंपने में विफल रहता है तो पट्टेदार अप्राधिकृत अध्यासी के रूप में समझा जाएगा तथा वह पट्टाकृत भूमि से बेदखल किये जाने योग्य होगा। पट्टेदार पट्टाकर्ता को अप्राधिकृत अध्यासन अवधि के लिए ऐसे शास्तिक किराया क्षतियों का भुगतान करने का भी उत्तरदायी होगा जैसा कि ऐसी बेदखली की लागत के अतिरिक्त पट्टा करार में उपबन्धित किया गया हो;

(च) पट्टाकर्ता व पट्टेदार पारस्परिक करारकृत निबन्धनों पर पट्टा का पर्यवसान कर सकते हैं;

(8) पट्टा से उत्पन्न होने वाले विवाद-

(क) पट्टा करार या उसके किन्हीं निबन्धनों और शर्तों से उत्पन्न होने वाले विवाद की स्थिति में, पट्टाकर्ता व पट्टेदार स्वयं के मध्य या यदि पारस्परिक करार होता है तो तृतीय पक्ष के मध्यस्थ या ग्राम पंचायत या ग्राम राजस्व समिति द्वारा मध्यस्थता का प्रयोग करते हुए विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान व निस्तारण करने के सभी प्रयास करेंगे।

(ख) यदि उपरोक्त खण्ड (क) में उल्लिखित तौर-तरीके के माध्यम से विवाद का निस्तारण नहीं हो पाता है तो, दोनों में से कोई पक्षकार उपजिलाधिकारी के समक्ष याचिका दायर कर सकेगा।

(ग) उप जिलाधिकारी वाद संस्थित किये जाने के 30 दिनों की अवधि के भीतर संक्षिप्त प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए विवाद का न्यायनिर्णयन करेगा।

(घ) किसी उप जिलाधिकारी द्वारा पारित किसी अन्तरिम आदेश से भिन्न किसी आदेश के विरूद्ध कोई अपील, आयुक्त के समक्ष दायर की जायेगी। आयुक्त का विनिश्चय संहिता की धारा 210 के उपबन्धों के अध्यधीन, अंतिम होगा।

धारा-96 और 97 का निकाला जाना

10-मूल अधिनियम की धारा 96 और 97 निकाल दी जायेगी।

धारा-103 का निकाला जाना

11-मूल अधिनियम की धारा 103 निकाल दी जायेगी।

धारा-104 का संशोधन

12-मूल अधिनियम की धारा 104 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

''(104) इस संहिता के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी भूमिधर या किसी असामी द्वारा किसी जोत अथवा उसके आंशिक भाग का प्रत्येक पट्टा अथवा हित संक्रमण शून्य होगा।''

धारा-105 का संशोधन

13-मूल अधिनियम की धारा 105 में उप-धारा (1) में खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

''(ङ) इस धारा के उपबन्ध धारा 94 के अधीन किये गये किसी पट्टे पर लागू नहीं होंगे।''

धारा-108 का संशोधन

14-मूल अधिनियम की धारा 108 में उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

(2) उपधारा (1) के उपबन्ध के अध्यधीन पुरूष भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार के निम्नलिखित रिश्तेदार उत्तराधिकारी हैं, अर्थात्-

(क) विधवा, अविवाहित पुत्री और पुत्र-पौत्रादिक क्रम में पुंजातीय वंशज, प्रति शाखा के अनुसारः परन्तु यह कि किसी पूर्वमृत पुत्र के पुत्र और अविवाहित पुत्री और विधवा, चाहे वे जितनी भी नीची पीढ़ी में हो, को विरासत में वह अंश मिलेगा जो पूर्व मृत पुत्र को यदि वह जीवित होता, न्यागत होता;

(ख) माता और पिता ;

(ग) विवाहित पुत्री ;

(घ) भाई और अविवाहित बहिन जो क्रमशः उसी मृत पिता के पुत्र और पुत्री हों: और पूर्व मृत भाई का पुत्र और अविवाहित पुत्री, जब पूर्व मृत भाई उसी मृत पिता का पुत्र हो;

(ङ) पुत्र की पुत्री;

(च) पिता की माता और पिता के पिता;

(छ) पुत्री का पुत्र और अविवाहित पुत्री;

(ज) विवाहित बहिन;

(झ) सौतेली बहिन, जो उसी मृत पिता की ही पुत्री हो;

(ञ) बहिन का पुत्र और अविवाहित पुत्री;

(ट) सौतेली बहिन का पुत्र और अविवाहित पुत्री, जहॉ बहिन उसी मृत पिता की ही पुत्री हो;

(ठ) भाई के पुत्र का पुत्र और अविवाहित पुत्री;

(ड) पिता के पिता का पुत्र और अविवाहित पुत्री;

(ढ) पिता के पिता के पुत्र का पुत्र और अविवाहित पुत्री;

(ण) माता की माता का पुत्र और अविवाहित पुत्री।

धारा-110 का संशोधन

15-मूल अधिनियम की धारा-110 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:-

''110 जहां इस संहिता के प्रारम्भ होने के पश्चात किसी स्त्री भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार की मृत्यु हो जाय, वहां किसी जोत या उसके आंशिक भाग में उसका हित, धारा 107 से 109 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नीचे दिए गए उत्तराधिकार क्रम के अनुसार न्यागत हो जाएगा :-

(क) पुत्र, अविवाहित पुत्री, पुत्र का पुत्र व अविवाहित पुत्री, पुत्र के पुत्र का पुत्र व अविवाहित पुत्री, पूर्व मृत पुत्र की विधवा और पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की विधवा, प्रति शाखा के अनुसार समान अंशों में;

परन्तु प्रथमतः यह कि उसी शाखा का निकटतर दूरतर को अपवर्जित कर देगा; द्वितीयतः यह कि कोई विधवा, जिसने विवाह कर लिया है, अपवर्जित हो जायेगी;

(ख) पति;

(ग) विवाहित पुत्री;

(घ) पुत्री का पुत्र और अविवाहित पुत्री;

(ङ) पिता;

(च) विधवा माता;

(छ) भाई जो उसी मृत पिता का पुत्र हो, और भाई का पुत्र और अविवाहित पुत्री प्रतिशाखा अनुसार;

(ज) अविवाहित बहिन;

(झ) विवाहित बहिन;

(ञ) बहिन का पुत्र और अविवाहित पुत्री।''

धारा-210 का संशोधन

16-मूल अधिनियम की धारा 210 में उपधारा (1) में शब्द ''कोई अपील नहीं हुयी'' के स्थान पर ''कोई अपील नहीं हो सकती'' रख दिये जायेंगे।

तृतीय अनुसूची का संशोधन

17-मूल अधिनियम की तृतीय अनुसूची में

धारा-131(4) और धारा-133 के समक्ष प्रविष्टियों में शब्द ''तहसीलदार'' के स्थान पर शब्द ''उप जिलाधिकारी'' रख दिये जायेंगे।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-17 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

जनपद-गोरखपुर में तहसील गोला मुख्यालय पर बस स्टेशन की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनय शंकर तिवारी द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

वर्ष 2004 के बाद से नियुक्त उ0प्र0 के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर एवं श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

जनपद कुशीनगर की बांसी नदी के तट पर स्थित गौरी घाट, गोला घाट, धोकरहा घाट तथा खैरवा घाट पर जनहित में पुलों का निर्माण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

[05:53 बजे] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-51 के अन्तर्गत कुल 114 सूचनायें प्राप्त हुईं और सभी सूचनायें स्वीकृत की जाती है।

पहली सूचना चौधरी नाहिद हसन की जनपद शामली के ग्राम खानपुर, थाना झिझाना में दिनांक 03-03-2018 को गीता पत्नी कृष्ण की गैंगरेप कर हत्या के उपरान्त पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में। दूसरी सूचना श्री मनोज कुमार पारस की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना में द्वारिकेश शुगर मिल पर हो रही अनियमितता के सम्बन्ध में। तीसरी सूचना श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव की जनपद इलाहाबाद के थाना नैनी में दिनांक 03-03-2018 को श्री राहुल की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में। चौथी सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत सिंचाई विभाग द्वारा स्वीकृत मार्ग का बाई-पास का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में। पांचवी सूचना श्री नरेन्द्र पाल सिंह की जनपद जालौन के विकास खण्ड महेवा में पथरी आश्रम जाने वाले मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। छठीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के अन्तर्गत धार्मिक स्थलों को पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में। सातवीं सूचना श्री रामकृष्ण भार्गव की जनपद सीतापुर के खैराबाद मछरेहटा होते हुये कल्ली नैमिषारण्य मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग से कराये जाने के सम्बन्ध में। आठवीं सूचना श्री सत्यपाल सिंह राठौर की जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र अलीगंज ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत घोषित किये जाने के सम्बन्ध में। नौवीं सूचना श्री विपिन कुमार डेविड की जनपद एटा से शिकोहाबाद रोड पर सड़क के दोनों तरफ के आबादी क्षेत्र के लिये जल निकासी की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में। दसवीं सूचना श्री प्रतीक भूषण सिंह की जनपद गोण्डा में नगर के बीच

कोतवाली स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में। ग्यारहवीं सूचना श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी की राजकीय जिला चिकित्सालय बांदा में सी0टी0 स्कैन, एम0आर0आई0 आदि मशीनों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में। बारहवीं सूचना श्री अमिताभ बाजपेई की जनपद कानपुर नगर के थाना कल्याणपुर अन्तर्गत थाना प्रभारी द्वारा उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में। तेरहवीं सूचना श्री अनिल कुमार मौर्या की जनपद फतेहपुर के विकस खण्ड भिटौरा के अन्तर्गत पिलखनी में बारातघर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। चौदहवीं सूचना श्री पल्टूराम की जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर में स्वीकृत सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। पन्द्रहवीं सूचना श्रीमती जयदेवी की एस0जी0पी0जी0आई में श्रीमती सुशीला सिंह द्वारा कराए गये इलाज की प्रतिपूर्ति कराए जाने के सम्बन्ध में। सोलहवीं सूचना श्री पारस नाथ यादव की जनपद जौनपुर में रिंग रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में। सत्रहवीं सूचना श्री ओकार सिंह यादव की जनपद बदायूं के अन्तर्गत कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। अठ्ठारवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद आजमगढ़ के सदर अन्तर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में। उन्नीसवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद के अन्तर्गत कतिपय मार्गों की निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। बीसवीं सूचना इंजी0 बृजेश कठेरिया की जनपद लखनऊ के जानकीपुरम् सेक्टर आई में अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में। इक्कीसवीं सूचना श्री अम्ब्रीश सिंह पुष्कर 'एडवोकेट' की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज में फायर सर्विस स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में। बाइसवीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही की जनपद बुलन्दशहर नगर में फ्लाई ओवर का डिजाईन बदलवाये जाने के सम्बन्ध में। तेइसवीं सूचना श्री हरिशंकर माहौर की जनपद लखनऊ के गोमती नगर के विकास खण्ड-5 में बने पार्क का अधूरा कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में। चौबीसवीं सूचना श्री योगेन्द्र उपाध्याय की जनपद आगरा के ग्राम पंचायत नगला हाजी के उप ग्राम चरपुरा में जर्जर विद्यालय की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में। पच्चीसवीं सूचना श्री राजवीर दिलेर की जनपद लखनऊ के अर्जुनगंज में सड़क व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। छब्बीसवीं सूचना श्री जितेन्द्र वर्मा की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र के फतेहाबाद में ग्राम भोलपुरा से शमशान घाट तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। सत्ताइसवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। अठाइसवीं सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी में कतिपय ग्रामों को शामिल करते हुये थाना बनाये जाने के सम्बन्ध में। उन्तीसवीं सूचना श्रीमती कृष्णा पासवान की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा में कतिपय ग्रामों में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। तीसवीं सूचना श्री गौरीशंकर की जनपद जालौन के विधान सभा उरई से कुईयाऐर से टीकर तक आर0सी0सी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। इक्तीसवीं सूचना श्री तेजपाल सिंह नागर की प्रदेश के शिक्षा स्तर को सुधारे जाने के सम्बन्ध में। बत्तीसवीं सूचना श्रीमती साधना सिंह की जनपद चन्दौली के मुगलसराय के दुल्हीपुर से दामोदर दास के पोखरे तक उपरिगामी पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। तैंतीसवीं सूचना श्री दलवीर सिंह की जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली में सरकारी स्कूलों के ऊपर गुजर रहे विद्युत लाइनों को हटाये जाने के सम्बन्ध में। चौंतीसवीं सूचना श्री प्रेम नारायण पाण्डेय की जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र तरबगंज में गन्ना समिति का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। पैंतीसवीं सूचना डा0 अरुण कुमार की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बरेली शहर के ग्राम परसाखेड़ा गोटिया एवं गोकुलपुर गरदईया को एन0एच0-24 से

जोड़े जाने के सम्बन्ध में। छत्तीसवीं सूचना श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा के अन्तर्गत जगरौला रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज के दोनों तरफ सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। सैंतीसवी सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन में 4 लेन हाई-वे में अण्डरपास बनाये जाने के सम्बन्ध में। अड़तींसवीं सूचना डा0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर नगर में राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। उन्तालीसवीं सूचना श्री रफीक अंसारी की अहमदनगर में प्राथमिक विद्यालय को कक्षा 8 तक किये जाने के सम्बन्ध में। चालीसवीं सूचना श्री सत्यवीर त्यागी की जनपद मेरठ में विधान सभा क्षेत्र किठौर में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। इक्तालीसवीं सूचना श्री बृजेश कुमार रावत की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान के ब्लाक हसनगंज के अन्तर्गत फरहदपुर में मण्डी स्थल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। बयालीसवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव के अन्तर्गत खादर की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में। तैंतालीसवीं सूचना श्री सुरेन्द्र नारायण सिंह की जनपद वाराणसी में सामनेघाट-रामनगर पर पीपे का पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में। चौवालीसवीं सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के तहसील बीसलपुर में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में। पैंतालीसवीं सूचना श्री प्रभात कुमार वर्मा की जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा के विकास खण्ड बभनजोत में जर्जर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। छियालीसवीं सूचना श्री सीताराम वर्मा की जनपद सुल्तानपुर के विकास खण्ड मोतिगरपुर के पूर्वी सीमा पर ग्राम भदिला के आस-पास इण्टर कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। सैंतालीसवीं सूचना श्री रमाशंकर पटेल की जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़िहान में सिंचाई की समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में। अड़तालीसवीं सूचना डा0 विमलेश पासवान की जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र बासगांव के ब्लाक कौड़िराम में बलुआ शिव मन्दिर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। उन्चासीवीं सूचना श्री आजाद अरिमर्दन की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में। पचासवीं सूचना श्री अवस्थी बाला प्रसाद की जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में कतिपय विकास खण्डों में लघु सिंचाई विभाग द्वारा निःशुल्क बोरिंग दिये जाने में की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में। इक्यावनवीं सूचना श्री अजय कुमार 'लल्लू' की जनपद बदायूं में जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर तैनात श्रीमती रचना शर्मा द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में। बावनवीं सूचना श्री मसूद अख्तर की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र सहारनपुर में बेहट रोड पर स्थित साकुम्भरी कालोनी से जनता रोड ग्राम खुर्द अड्डे तक ढमोला नदी पर पुल एवं सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में। तिरपनवीं सूचना श्री नरेश सैनी की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के अन्तर्गत ग्राम कुरडीखेड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में। चौवनवीं सूचना श्री वीरेन्द्र कुमार यादव की उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद्, लखनऊ द्वारा आवंटियों को नियमों के विरुद्ध आरोपित धनराशि को निरस्त कराकर कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में। पचपनवीं सूचना श्री आर0 के0 सिंह पटेल की जनपद उन्नाव के सदर तहसील के ग्राम शेखपुर में लेखपाल द्वारा अवैध कब्जे को संरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में। छप्पनवीं सूचना श्री लालजी वर्मा की जनपद अम्बेडकरनगर के परगना व तहसील टाण्डा में अनुसूचित जाति के लोगों का घर उजाड़े जाने के सम्बन्ध में। सत्तावनवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद फैजाबाद के परगना अमसिन तहसील

सदर के अन्तर्गत भू-माफियाओं द्वारा तालाब की भूमि पर कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में। अठ्ठानवीं सूचना श्री सुखदेव राजभर की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज के अन्तर्गत ग्राम नरवे की नहर की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। उन्सठवीं सूचना श्री मोहम्मद असलम राइनी 'एडवोकेट' की अध्यापकों को गैर शैक्षणिक प्रयोजन के लिये अभिनियोजित नहीं किये जाने के सम्बन्ध में। साठवीं सूचना श्री हाकिम लाल बिन्द की जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के अन्तर्गत सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। इक्सठवीं सूचना डा0 हरगोविन्द भार्गव की जनपद सीतापुर के वन परिक्षेत्र की भूमि पर अवैध रूप से कृषि कराये जाने के सम्बन्ध में। बाषठवीं सूचना श्री असलम अली की अध्यापकों को गैर शैक्षणिक प्रयोजन के लिये अभिनियोजित नहीं किये जाने के सम्बन्ध में। तिरसठवीं सूचना श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी की जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर में कतिपय सड़कों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। चौसठवीं सूचना डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी की जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील इटवा, परगना बांसी पश्चिम तत्पाहीर के अधिकांश ग्रामों में चकबन्दी के सम्बन्ध में। पैसठवीं सूचना श्री राजीव कुमार सिंह उफ्र 'बब्बू भइया' की जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र दातागंज में पैकफेड द्वारा निर्माण कार्य समय से पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में। छियासठवीं सूचना श्री अजीत पाल सिंह की जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा में सेंगुर नदी को जाने वाले मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। सरसठवीं सूचना श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस' की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा में ग्राम भौना से ग्राम कुसक का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में। अड़सठवीं सूचना श्री चेतराम की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां में चीनी मिल की पेराई क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में। उन्हतरवीं सूचना डा0 जमुना प्रसाद सरोज की जनपद इलाहाबाद स्थित श्रृंगवेरपुर में धर्मशाला बनाये जाने के सम्बन्ध में। सत्तरवीं सूचना श्री हरिराम की जनपद सोनभद्र में सरकारी व गैर सरकारी फैक्ट्रियों में स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाये जाने के सम्बन्ध में। इक्हत्तरवीं सूचना श्री राहुल प्रकाश की अधीक्षण अभियन्ता बाणसागर नहर निर्माण मण्डल प्रथम मीरजापुर द्वारा टेण्डर में की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में। बहत्तरवीं सूचना डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा की जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद में छात्रावास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। तिहत्तरवीं सूचना श्रीमती सावित्री कठेरिया की जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। चौहत्तरवीं सूचना श्री संगम लाल गुप्ता की जनपद प्रतापगढ़ में कार्यरत प्रभारी जिलापूर्ति अधिकारी की जांच कराये जाने जाने के सम्बन्ध में। पचहतरवीं सूचना श्री श्याम धनी की जनपद आजमगढ़ के तहसील लालगंज कस्बा कटघर लालगंज वार्ड 2 हनुमानगढ़ी स्थित सार्वजनिक कुएं को अतिक्रमण से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में। छिहत्तरवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया में हवाई पट्टी बनाये जाने के सम्बन्ध में। सतहत्तरवीं सूचना श्री कुलदीप सिंह सेंगर की जनपद उन्नाव से जनपद हरदोई तक की सड़क को फोर लेन किये जाने के सम्बन्ध में। अठ्हरतरवीं सूचना श्री अभिजीत सिंह सांगा की जनपद हरदोई के गरीब व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में। उन्यासवीं सूचना श्री बम्बा लाल की जनपद उन्नाव की तहसील बांगरमऊ के ग्राम राजेपुर में कुष्ठरोगी और विधवाओं को प्रधानमंत्री आवास दिये जाने के सम्बन्ध में। अस्सीवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की जनपद आगरा के पुष्पांजली बिहार एक्सटेंशन सिकन्दरा बोदला रोड की सड़क व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। इक्यासवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के श्री दिनेश त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा सदन को झूठी सूचना व गुमराह किये जाने के सम्बन्ध में। बयासवीं सूचना

श्री ममतेश शाक्य की जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र पटियाली के कतिपय क्षेत्रों में नदी द्वारा कटान किये जाने के सम्बन्ध में। तिरासीवीं सूचना हाजी इरफान सोलंकी की जनपद गोरखपुर के नगर निगम एवं जलकल विभाग के कर्मचारियों को दैनिक काल की सेवा को जोड़ते हुये पेंशन का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में। चौरासीवीं सूचना श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव की श्रम विभाग की लापरवाही के कारण पेंशनर एसोसियेशन में प्राप्त शिकायतों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। पच्चासवीं सूचना श्री धनंजय कन्नौजिया की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में। छियासवीं सूचना डा0 आर0 के0 वर्मा की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में। सत्तासवीं सूचना श्री विजय कुमार कश्यप की जनपद मुजफ्फरनगर की विधान सभा क्षेत्र चरथावल के विकास खण्ड बघरा में सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में। अट्ठाइसवीं सूचना श्री कपिलदेव अग्रवाल की जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत नेशनल हाई-वे 58 को फोर लेन कराये जाने के सम्बन्ध में। नवासीवीं सूचना श्री राम नरेश रावत की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां से शिवगढ़ हेतु बाई पास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। नब्बेवां सूचना कुंवर अजय प्रताप सिंह की जनपद बलरामपुर में समाज कल्याण द्वारा संचालित प्राथमिक पाठशालाओं द्वारा शिक्षकों को ए0सी0पी0 का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में। इक्यावनवीं सूचना श्री जटाशंकर त्रिपाठी की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा के कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। बानवे सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में बस अड्डे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। तिरानवे सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह राणा की जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राराऊ में रेलवे ब्रिज के ऊपर ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। चौरानवे सूचना श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ ''गुड्डू भइया'' की जनपद महोबा में राजकीय गंगा सिंह इण्टर कालेज में रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में। पच्चानवें सूचना श्री राम प्रताप सिंह की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर में आलू प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में। छियानवें सूचना श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल की जनपद बलिया के ग्राम फुलवरिया में जल-जमाव के कारण हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में। सत्तानवें सूचना श्री प्रमोद उटवाल की जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम सरवट में शनिधाम मन्दिर से नाले तक नाला व सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। अन्ठानवे सूचना श्री सोहिल अख्तर अंसारी की जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़िहान सोन लिफ्ट कैनाल को पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में। निन्यानवे सूचना श्री विक्रम सिंह की जनपद लखनऊ के हरिहरनगर, इन्दिरानगर में जल निकासी का समुचित प्रबन्ध कराये जाने के सम्बन्ध में। सौवीं सूचना श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई' की प्रदेश में जलकल विभाग के कर्मचारियों को नगर निगम कर्मचारियों की भांति वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में। एक सौ एकवीं सूचना श्री उज्जवल रमण सिंह की जनपद इलाहाबाद के तहसील करछना में प्रस्तावित 1320 मेगावाट का पावर प्लांट स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में। एक सौ दोवीं सूचना श्री संजय गर्ग की स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर में शौचालय निर्माण में हुई धांधली के सम्बन्ध में। एक सौ तीनवीं सूचना श्री तेजेन्द्र निर्वाल की जनपद शामली के विधान सभा सदर क्षेत्र में अमृत पेयजल योजना की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में। एक सौ चारवीं सूचना श्री पंकज गुप्ता की जनपद मीरजापुर में दलितों पर हो रहे अत्याचार एवं शोषण को रोके जाने के सम्बन्ध में। एक सौ पांचवीं सूचना श्री मनीष असीजा की मोती लाल नेहरु मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में अध्ययनरत

विद्यार्थियों को सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में। एक सौ छःवीं सूचना श्री सुशील कुमार शाक्य की राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन डायमण्ड डेरी कालोनी के मकान संख्या ईडी 22 की क्षतिग्रस्त हालत की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में। एक सौ सातवीं सूचना श्री विनय कुमार शाक्य की कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड चतुर्थ, लेसा भवन से सेवानिवृत्त श्री दीक्षित के देयकों का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में। एक सौ आठवीं सूचना श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य की जनपद लखनऊ के इन्दिरानगर परिक्षेत्र में भैंस पालन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। एक सौ नौवीं सूचना की श्रीमती मनीषा अनुरागी की उत्तर प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के डेंटल हाईजिनिस्ट पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में। एक सौ दसवीं सूचना सुश्री अदिति सिंह की जनपद रायबरेली के सदर विधान सभा क्षेत्र में समुचित पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में। एक सौ ग्यारहवीं सूचना श्री बहोरन लाल मौर्य की जनपद सिद्धार्थनगर में ब्लाक उस्का बाजार में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में। एक सौ बारहवीं सूचना श्री राजेश गौतम की जनपद महराजगंज के ब्लाक एवं थाना फरेन्दा में सड़क पर राम बहाल के मार्ग तक अवैध कब्जे को अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में। एक सौ तेरहवीं सूचना श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह 'शैलू' की जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गोडसरा में कराये गये कार्यों में की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में। एक सौ चौदहवीं सूचना श्री अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'' की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र हर्रैया में अधूरे बंधे का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में।

जनपद बुलन्दशहर के आवास विकास कालोनी में लिंक मार्ग पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर श्रम एवं सेवायोजन मंत्री का वक्तव्य

श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, विधान सभा में दिनांक 15-02-18 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में विधान सभा क्षेत्र बुलन्दशहर नगर स्थित आवास विकास कालोनी .....

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्रीमती अनुपमा जायसवाल)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य श्रम मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[अवन्ति नगर योजना से ग्राम ढकौली-मालागढ़ लिंक मार्ग पर पूर्व में स्वीकृत पुल का निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं होना इंगित किया गया है। इस पुल के बन जाने से अगौता ब्लाक आने-जाने के लिये सभी ग्राम व शहर वासियों को आसानी रहेगी और जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी क्योंकि वहां आने व जाने के लिये धमेड़ा अड्डा होकर जाना पड़ता है, वहां अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। जनहित में उस पुल का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-मा0 सदस्य द्वारा दी गई सूचना में इंगित पुल के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत कार्य जनपद बुलन्दशहर में वित्तीय वर्ष 2005-06 में नियोजन विभाग के अन्तर्गत संचालित **आदर्श जनपद योजना में काजीपुर-धमेड़ा मार्ग पर काली नदी पर सेतु निर्माण** कार्य के नाम से शासनादेश सं0-684/35-4-2006, दिनांक 30 मार्च, 2005 द्वारा लागत रु0 218.85 लाख पर स्वीकृत हुआ था। तत्पश्चात् शासनादेश सं0-1967/35-4-2016, दिनांक 31 जुलाई, 2006 द्वारा उक्त कार्य की लागत रु0 339.15 लाख पर पुनरीक्षित की गई थी। इस कार्य में सेतु के लिये उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लिमिटेड तथा अन्य कार्यों के लिये लोक निर्माण विभाग कार्यदायी संस्था नामित थी।

3-उक्त विषय में लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार प्रश्नगत कार्य हेतु भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही पूर्ण न हो पाने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका था। प्रमुख सचिव, नियोजन, उ0प्र0 शासन, नियोजन अनुभाग-4 के पत्र सं0-834/35-4-2007, दिनांक 08 जून, 2007 के अनुसार आदर्श जनपद योजना में ऐसे कार्य जिन पर कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, को निरस्त मानते हुए उपलब्ध धनराशि को समर्पित कर दिया गया था।

काली नदी पर प्रश्न में वर्णित स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया गया। प्रश्नगत स्थल के अपस्ट्रीम में लगभग 5 कि0मी0 की दूरी पर 78 मी0 लम्बाई का सेतु निर्मित है तथा डाउन स्ट्रीम में लगभग 2 कि0मी0 की दूरी पर 90 मी0 की लम्बाई का सेतु निर्मित है, जिस पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त स्थल पर पुल बनाया जाना किसी योजना से आच्छादित नहीं है।]

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र बुलन्दशहर नगर स्थित आवास विकास कालोनी अवन्ति नगर योजना से ग्राम ढकौली-मालागढ़ लिंक मार्ग का पुल निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत हो गई थी, लेकिन विभाग से जो उत्तर आया है उसमें कहा जा रहा है कि यह किसी योजना में नहीं आता है। मान्यवर, इसमें जमीन एक्वायर हो गई है, पैसा स्वीकृत हो गया है फिर भी विभाग द्वारा कहा जा रहा है कि यह नहीं हो सकता है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय बहुत ही वरिष्ठ सदस्य माननीय सिरोही जी के प्रस्ताव पर पूर्व में स्वीकृति हुई थी लेकिन उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार ने जमीन की उपलब्धता न दिखाकर इसको निरस्त कर दिया था। चूंकि आप बहुत वरिष्ठ सदस्य है और आपका यह प्रस्ताव जनहित में आवश्यक है इसलिये इस प्रस्ताव को त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कराया जायेगा।

मान्यवर, आपके इस प्रस्ताव को यह त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत सुनिश्चित कराया जायेगा। चूंकि यह जनहित में आवश्यक है, इसलिए इसे कराया जायेगा।

जनपद आगरा में आर0बी0एस0 कालेज के सामने गली व नाली की जर्जर हालत की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगन प्रसाद गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, जनपद आगरा में आर0बी0एस0 कालेज के सामने गली व नाली .....

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[बैंक के बगल वाली काले ताल वाली व गली व नाली की हालत अत्यन्त जर्जर है जिससे इस गली से निकलना दुभर हो गया है। इसके निर्माण के लिए कई पत्र एवं दूरभाष द्वारा अवगत कराने के बाद भी जिला स्तर से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है जिससे लोगों का जीना एवं निकलना दूभर हो गया है। जनहित में इस गली एवं जल निकासी हेतु नाली का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए आर0बी0एस0 कालेज के सामने बैंक के बगल वाली को ताल वाली व गली व नाली का निर्माण कराये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूँ।

2-मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आगरा शहर स्थित आर0बी0एस0 कालेज के सामने बैंक के बगल वाली काले ताल वाली गली का निरीक्षण कराया गया। उक्त गली सीमेन्ट कंक्रीट की बनी हुई है और आवागमन हेतु सुगम है। कहीं-कहीं नाली क्षतिग्रस्त है, जिसकी मरम्मत करायी जा रही है।]

जनपद लखनऊ में पेयजल समस्या का समाधान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, जनपद लखनऊ में पेयजल समस्या का समाधान कराये जाने के सम्बन्ध में .....

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य नगर विकास मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[उ0प्र0 की राजधानी लखनऊ में गर्मी आते ही पेयजल की समस्या अत्यन्त गम्भीर हो गयी है। भू-गर्भ जल लगातार एक ओर गिरता जा रहा है दूसरी ओर 25 प्रतिशत पानी के लीकेज से पानी

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बह जाता है। 40 प्रतिशत पानी जमीन से अन्य साधनों से निकाला जा रहा है गोमती और शारदा सहायक के सहारे पर ऐशबाग और बालागंज को पानी मिलता है। शारदा नहर वर्ष दो बार एक-एक महीने के लिए बन्द कर दी जाती है। इस दौरान कठौता झील में जमा पानी से काम चलाया जाता है लेकिन एक महीने के अन्दर नहर से पानी नहीं मिलने पर पानी का संकट पैदा हो जाता है। वास्तविकता यह है कि लखनऊ शहर को 900 एम0एल0डी0 पानी की रोज जरुरत है, किन्तु 600 एम0एल0डी0 पानी की ही आपूर्ति हो रही है। आवश्यकता इस बात की है कि पानी की किल्लत को कम करने के लिए सरकार पानी के व्यवसायिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाये, समरसेबिल एवं ट्यूबवेल के जरिये टैंकरों से पानी बेचने वालों, समरसेबिल पम्प लगाकर पानी निकालकर उसकी बर्बादी करने वाले लोगों, गाड़ियों की धुलाई एवं सड़क की धुलाई करने पर कठोर कार्यवाही करें। यहां पर यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि रेन वाटर हारवेस्टिंग करने के लिए हर व्यक्ति को अनिवार्य किया जाना चाहिए तथा पाइप लाइन में डायरेक्ट टुल्लू लगाने पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए, जिससे जलादोहन न हो सके।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराया जाना है कि वर्तमान में लखनऊ नगर में 616 नलकूपों व 120 मिनी लनकूपों के माध्यम से 315 एम0एल0डी0 जल का उत्पादन हो रहा है तथा सतही जल (गोमती नदी व शारदा नहर) के माध्यम से प्रथम, जलकल ऐशबाग, द्वितीय जलकल बालागंज एवं तृतीय जलकल कठौता, गोमतीनगर द्वारा 390 एम0एल0डी0 जल का उत्पादन करते हुए कुल 705 एम0एल0डी0 पेयजल उपलब्ध है जो कि वर्तमान जनसंख्या लगभग 35.00 लाख के सापेक्ष पर्याप्त है।

ग्रीष्म ऋतु में नलकूपों का जल स्तर धीरे-धीरे नीचे जा रहा है। अतः सतही जल पर निर्भरता बढ़ाने तथा यथासम्भव इसका उपयोग करने के दृष्टिगत चतुर्थ जलकल घैला में पंचम जलकल सुनहरा के पास निर्मित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

वर्तमान में पेयजल की मात्रा में वृद्धि व सुधार के दृष्टिगत उ0प्र0 शासन द्वारा 34 नग रि-बोर योग्य नलकूपों की स्वीकृति के उपरान्त उ0प्र0 जल निगम द्वारा रि-बोरिंग का कार्य किया जा रहा है, जिससे लगभग 17 एम0एल0डी0 जल की वृद्धि होगी। समरसेबुल एवं नलकूपों के जरिये टैंकरों के माध्यम से पेयजल बेचने वाले या जल का दुरुपयोग करने वाले अवैध एजेन्सियों पर कार्यवाही नगर निगम, लखनऊ द्वारा की जा रही है। नगर क्षेत्र में पानी के लीकेज के सम्बन्ध में एन0आर0डब्लू0 योजना के अन्तर्गत सर्वेक्षण एजेन्सी द्वारा भी अमृत योजना के अन्तर्गत इसका सर्वेक्षण कराने एवं अन्य पेयजल क्षति को न्यूनतम किये जाने तथा वाटर आडिट/इनर्जी आडिट की कार्यवाही की प्रगति पर है। इससे लीकेज एवं जल का अपव्यय कम किया जा सकेगा।

रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सम्बन्ध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 यथासंशोधित (2011 व 2016) के नियम-3.1.2.3 (12) में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था की गयी है :--

सामूहिक रिचार्ज नेटवर्क न होने की दशा में 300 वर्गमीटर एवं अधिक क्षेत्रफल (ग्रुप हाउसिंग सहित) के समस्त उपयोगों के भू-खण्डों में (वाटर लागिंग की समस्या से ग्रस्त क्षेत्रों को छोड़कर) रूफ-टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली। रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण मानक तकनीकी के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा वर्षा जल को न्यूनतम आवश्यक गहराई तक ही

भूमि के अन्दर प्रवेश कराया जायेगा ताकि भू-जल स्रोतों के प्रदूषण की समस्या उत्पन्न न हो। वाटर लागिंग की समस्या वाले क्षेत्रों में भू-जल रिचार्जिंग प्रणाली न अपनाई जाय, परन्तु भवनों की छतों से प्राप्त होने वाले वर्षा जल के संग्रहण हेतु व्यवस्था करायी जा सकती है।

उक्त के साथ ही नगर निकायों के अन्तर्गत ऐसे भवन स्वामियों, जिनके द्वारा वर्षा जल संचयन की प्रणाली विकसित की जाती है, उन्हें हाउस टैक्स में 02 प्रतिशत की छूट प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है।]

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र हरचन्दपुर में लोन नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र हरचन्द्रपुर में लोन नदी का पुल बनवाये जाने के संबंध में ....

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[जनपद-रायबरेली के प्रश्नगत सेतु के डाउन स्ट्रीम में 3.00 किमी0 की दूरी पर ग्राम बेहटा एवं बरहा के मध्य लोन नदी पर 7×6.00 मी0 स्पान का आर0सी0सी0 लघु सेतु निर्मित है, अपस्ट्रीम में 3.00 कि0मी0 की दूरी पर सेमरी-सरेनी मार्ग के किमी0 3 में लघु सेतु पूर्व से निर्मित है। ग्राम देवपुर मजरे सकतपुर एवं कान्हामऊ पूर्व से ही पक्के मार्ग से जुडें है।

इस प्रकार स्थल के 10 किमी0 से कम दूरी पर अपस्ट्रीम व डाउन स्ट्रीम में सेतु निर्मित होने के कारण प्रश्नगत स्थान पर सेतु निर्मित करना लोक निर्माण विभाग की किसी प्रचलित योजना से आच्छादित नहीं है।]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ में लोक निर्माण विभाग की बांगरमऊ-बिल्हौर मार्ग से जगतनगर से दवौली मार्ग का सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में श्री कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, श्री कुलदीप सिंह सेंगर, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा....

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[जो की बहुत संकरा होने के कारण आवागमन में बहुत कठिनाइयां होती है। यह क्षेत्र तीन जनपदों से घिरा होने के कारण लाखों लोग प्रतिदिन इन मार्ग से गुजरते हैं।

अतः जनपद उन्नाव के 162 बांगरमऊ विधान सभा में लोक निर्माण विभाग की बांगरमऊ-बिल्हौर मार्ग से जगतनगर से दबौली मार्ग तक तीन मीटर से 7 मीटर सड़क का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने हेतु सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूँ।

वक्तव्य-

प्रश्नगत बांगरमऊ-बिल्हौर मार्ग से जगतनगर से दबौली तक मार्ग में निम्नलिखित ग्रामीण मार्ग सम्मिलित हैं :-

(1) जगतनगरपुर से उमरपुर मार्ग, लम्बाई 12.00 किमी0, चौड़ाई 3.00 मी0।

(2) उमरपुर से जाजामऊ मार्ग, लम्बाई 3.50 किमी0, चौड़ाई 3.00 मी0।

(3) जाजामऊ से विकास भवन मार्ग, लम्बाई 1.00 किमी0, चौड़ाई 3.00 मी0।

(4) विकास भवन से गंगेहरा मार्ग, लम्बाई 1.00 किमी0, चौड़ाई 3.00 मी0।

(5) 750 मी0 शून्य स्तर।

(6) गंगेहरा से मन्ना नगरी होते हुए भुलभुलिया खेड़ा मार्ग लम्बाई 2.450 किमी0, चौड़ाई 3.75 मी0।

(7) भुलभुलिया खेड़ा से तुर्ना होते हुए दबौली मार्ग, लम्बाई 1.00 किमी0, चौड़ाई 3.00 मी0।

उपरोक्तानुसार सभी मार्ग ग्रामीण श्रेणी के मार्ग है। यह मार्ग वर्तमान में निर्मित मार्ग, गड्ढामुक्त और सुगम यातायात के लिये सुलभ है। वर्तमान यातायात के दृष्टिगत मार्ग के चौड़ीकरण की आवश्यकता नहीं है।]

जनपद लखनऊ भाजपा कार्यालय के सामने धरना दे रहे बी0टी0सी0 अभ्यर्थियों पर पुलिस द्वारा बर्बतरापूर्वक लाठीचार्ज किये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्रीमती अनुपमा जायसवाल)-

मान्यवर, जनपद लखनऊ भाजपा कार्यालय के सामने धरना दे रहे.....

श्री दल बहादुर-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री शैलेन्द्र यादव-

मान्यवर, इसमें मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 06.02.2018 के अनुपालन में भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। तो यह प्रक्रिया कब से प्रारम्भ की जायेगी और कब तक पूरी कर ली जायेगी। बस इतना मैं जानना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

इनका काम जल्दी करा दीजिए, यह वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य द्वारा दी गई सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 06.02.2018 के अनुपालन में शीघ्र प्रारम्भ कराई जा रही है।

श्री शैलेन्द्र यादव-

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि कब से प्रारम्भ करेंगी और कब तक समापन हो जायेगा?

[वक्तव्य बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।]

[यह वह बी0टी0सी0 अभ्यर्थी थे जिन्हें दिसम्बर, 2016 में सहायक अध्यापक भर्ती में चयन किया गया था। इन 12460 अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक के लिये काउन्सिलिंग प्रक्रिया पूरी कर चयन किया गया था और इन्हें 31 मार्च, 2017 तक नियुक्ति-पत्र जारी होना था परन्तु प्रदेश में भाजपा सरकार के आने के बाद इनकी नियुक्ति पर रोक लग गयी। तब से यह अभ्यर्थी लगातार सरकार से नियुक्ति-पत्र जारी करने का अनुरोध करते आ रहे हैं परन्तु सरकार ने नहीं सुना, मजबूरन धरना-प्रदर्शन कर सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। शांतिपूर्ण ढंग से धरना-प्रदर्शन चल रहा था उम्मीद किये बैठे थे कि सरकार उनकी मांग अवश्य सुनेगी परन्तु सरकार ने मांग सुनने के बजाय बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज कराकर उन्हें खदेड़ने का कार्य किया। लाठी चार्ज में तमाम महिला और पुरुष अभ्यर्थी घायल हो गये। 30-40 महिला अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर पुलिस ले गयी। करीब 35 अभ्यर्थियों को हजरतगंज कोतवाली में निजी मुचलका भरवाकर छोड़ा गया। इस घटना से बी0टी0सी0 अभ्यर्थियों में बड़ा रोष है, सरकार के प्रति भयंकर आक्रोश है, जो कभी भी विस्फोटक रूप ले सकता है।

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं सुनिश्चित मामले को सदन के संज्ञान में लाते हुये सदन की आज की कार्रवाई रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ।

वक्तव्य

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 12460 सहायक अध्यापकों के भर्ती विशेष अपील संख्या-365/2017 कुलदीप सिंह व 05 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 08 अन्य के साथ सम्बद्ध 02 अन्य विशेष अपील (367/2017,556/2017) में पारित मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 6-2-2018 के अनुपालन में भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बस्ती के हर्रैया विधान सभा क्षेत्र के 12 वर्ष पूर्व बजाज ग्रुप द्वारा खरीदी गयी 125 एकड़ जमीन पर शुगर मिल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, जनपद बस्ती के हर्रैया विधान सभा में ग्राम सभा की लगभग.....

श्री दल बहादुर-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री अजय सिंह-

मान्यवर, इसमें मैं जानकारी चाहता हूँ कि 100 एकड़ जमीन इसलिए खरीदी कि हम मिल लगायेंगे और हर घर से 1, 2 या 3 लोगों को नौकरी देंगे। 12 साल हो गये पूरा गांव रेगिस्तान है। एक इंच जमीन खेती करने के लिए भी नहीं है और मिल अभी तक एक ईंटा भी नहीं लगा है या तो वहां पर मिल लगाये या तो किसानों को उनकी जमीन वापस की जाये किसानों को जो पैसा मिला था किसानों ने वह सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया। जब तक वहां पर मिल लगाई जाए तब तक उनको वहां पर खेती करने की सहूलियत दी जाए। किसानों के पास पैसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मैं मा0 गन्ना मंत्री जी से कहता हूँ कि वह आपके साथ बैठकर समस्या का समाधान करे। आप मा0 सदस्य के साथ बैठिए, पूरा अध्ययन कीजिये और समस्या का समाधान कीजिए।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[125 एकड़ जमीन चीनी मिल लगाने हेतु खरीद गयी थी और यह वादा किया गया था कि हर परिवार को नौकरी मिलेगी तथा क्षेत्र का विकास हो जायेगा। आज तक चीनी मिल के निर्माण के बजाय एक भी ईंट नहीं रखी गयी। पूरा गांव भुखमरी के कगार पर है। पूरे गांव की जमीन रेगिस्तान हो गयी है। मा0 विधायक द्वारा मांग की गयी है कि या तो ग्राम सभा सरैया अतिवल में चीनी मिल लगवाई जाये या गांव के लोगों को उनकी जमीन वापस की जाय।

2-उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मै0 बजाज चीनी मिल समूह द्वारा ग्राम सरैया अतिबल, तहसील-हरैया जिला बस्ती में दि प्रतापपुर शुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 के नाम से चीनी मिल की स्थापना हेतु वर्ष 2006 में किसानों से जमीन अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से खरीदी गई थी। मौके पर लगभग 100 एकड़ जमीन परती पड़ी है और इस स्थल तक जाने हेतु खड़न्जा मार्ग बना हुआ है। उक्त जमीन का भूमि पूजन 07 जून, 2006 को किया गया था। भूमि की रखवाली हेतु 02 सुरक्षागार्ड भी तैनात है। किन्तु लगभग 11 वर्षों से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी चीनी

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मिल की स्थापना नहीं हुई है। कृषकों से जमीन क्रय किये जाने एवं श्री शिवपूजन सिंह पुत्र श्री कल्पराज सिंह, श्री राम सुभग सिंह, श्री भोला सिंह, श्री विक्रम सिंह पुत्रगण श्री राम लखन सिंह से दि प्रतापपुर शुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 एलीगेन्स, तृतीय तल 31-गणेशचन्द्र एवेन्यू कोलकाता-7000/3 पश्चिम बंगाल द्वारा अधिकृत डा0 सरन कुमार तनेजा पुत्र श्री हरीचन्द्र तनेजा 23 सनसिटी रुड़की रोड, मेरठ के नाम से क्रय किया गया है।

इसके अतिरिक्त श्री प्रफुल्लित कुमार अरोड़ा पुत्र स्व0 हरिवंश लाल अरोड़ा पता-गोविन्दपुर शुगर मिल कालोनी वाल्टरगंज, जिला बस्ती व श्री प्रकाश राम पुत्र श्री जयराम पता-गोविन्दपुर शुगर मिल कालोनी वाल्टरगंज जिला बस्ती, श्री देविन्द्र कोरला पुत्र श्री बृजलाल कोरला पता-गोविन्दपुर शुगर मिल कालोनी वाल्टरगंज जिला बस्ती के नाम से क्रय की गई जमीन का दाखिल दर्ज है।

उक्त प्रसंग में उल्लेखनीय है कि यह निजी स्वामित्व में स्थापित होने वाली चीनी मिल थी, जिसकी स्थापना के सम्बन्ध में निर्णय निजी प्रबन्धन द्वारा ही लिया जा सकता है।]

जनपद मिर्जापुर में मैगमा फाइसेंस कम्पनी द्वारा किसानों एवं व्यापारियों को फर्जी तरीके से ऋण देने एवं मनमाना ब्याज वसूले जाने के सम्बन्ध में श्री रमाशंकर पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा दी गई सूचना में अवगत कराया गया है कि .....

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[मेरे जनपद मिर्जापुर के मैगमा फाइनेंस कम्पनी जो कि उ0प्र0 में कार्य कर रही है, जो गरीबों को ऋण देकर फर्जी तरीके से अधिक ब्याज लेकर किसानों एवं व्यापारियों का उत्पीड़न कर रही है। इनका ब्याज दर बहुत अधिक है और एक ही साथ तीन वर्ष का पूरा ब्याज लगाकर अपने गुण्डों द्वारा वसूली करवाते हैं। किसानों की जमीन एवं ट्रैक्टर एवं मशीनरी भी जबरदस्ती पुलिस को पैसा देकर अपने कब्जे में कर लेते हैं। सादे कागज पर हस्ताक्षर कराकर किसानों एवं व्यापारियों का दोहन करते हैं। इससे ऋणदाता आत्महत्या करने को मजबूर हैं। इस फाइनेन्स कम्पनी के विरुद्ध जांच कराकर कठोर कार्यवाही करते हुए शीघ्र बन्द करवाया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त मैगमा फाइनेन्स कम्पनी की जांच कराकर कठोर कार्यवाही करते हुए अविलम्ब बन्द कराये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूँ।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि महानिदेशक, संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय, उ0प्र0 एवं पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/आख्या के अनुसार स्थिति निम्नवत् है :-

गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं का नियमन एक केन्द्रीय विषय है एवं उक्त नियमन एवं पर्यवेक्षण कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। प्रदेश में कार्यरत किसी गैर बैंकिंग संस्था द्वारा यदि विधि विरुद्ध उत्पीड़न, वसूली अथवा कब्जे की कार्यवाही की जाती है तो यह कानून व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है, जो कि जिला प्रशासन/गृह विभाग से संबंधित है।

विधान सभा क्षेत्र, मड़िहान अन्तर्गत थानों में मैगमा फाइनेन्स कम्पनी द्वारा किसानों अथवा व्यापारियों को ऋण देकर फर्जी तरीके से अधिक ब्याज लेकर किसानों एवं व्यापारियों का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में स्थानीय स्तर पर अब तक कोई सूचना/शिकायत जनपद पुलिस को प्राप्त नहीं हुई है, न ही किसी थाने में इस सम्बन्ध में कोई अभियोग पंजीकृत है। प्रकरण में इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कराकर विधिक कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद इलाहाबाद के थाना करछना में दर्ज मु0अ0 संख्याः 17/18, दिनांक 08 जनवरी, 2018 के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उज्जवल रमण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, जनपद इलाहाबाद के थाना करछना में दर्ज मु0अ0सं0-17/18 दि0 08-01-2018

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री उज्जवल रमण सिंह-

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जनवरी की घटना है कि एक प्रधान के पति की निर्मम हत्या कर दी गई थी जो नामजद मुजरिम है आज तक गिरफ्तार नहीं हुये हैं और विवेचना प्रचलित है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह चाहती है कि क्रिमिनल के खिलाफ कार्यवाही हो। दिनदहाड़े हत्या होती है। जो मेन अभियुक्त है पुलिस दो लोगों को निकालने की साजिश करती है। यह किसी न किसी के संरक्षण में हो रहा है। मैं सिर्फ इतना ही चाहूंगा कि जो लोग उसमें नामजद थे तो उनका नाम न निकाला जाये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, अभियुक्तगण अजय कुमार तिवारी को दिनांक 14-01-2018 को, विनय कुमार तिवारी व राम शिरोमणि तिवारी को दिनांक 31-01-2018 को, कृष्णकान्त तिवारी व सुनील को दिनांक 18-02-2018 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। नम्बर एक, हत्या में 5 लोग जेल जा चुके हैं।

अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाये जाने पर दिनांक 02-03-2018 को आरोप-पत्र संख्या-51 मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया है। इसमें पांच लोग जेल भी जा चुके हैं और चार्जशीट दाखिल हो चुकी है।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, जो नामजद मुजरिम थे, उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई है। इसी में नीचे दिया गया है, मा0 मंत्री जी पढ़ लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आरोपी अनिल तिवारी व रमेश तिवारी की घटना में संलिप्तता के कोई तथ्यात्मक साक्ष्य न पाये जाने की दशा में इनकी नामजदगी गलत करते हुए विवेचना से इनका नाम पृथक किया गया। अभियुक्तगण सुरेश तिवारी व छोटू यादव के विरुद्ध विवेचना प्रचलित रखते हुए गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

मान्यवर, तीन महीने हो गये हैं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पायी है।

[के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 22 मार्च, 2018 को दी गयी सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद से आख्या प्राप्त की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद द्वारा आख्या में अवगत कराया गया है कि श्री संजय कुमार पति श्रीमती रेनू गौतम, ग्राम प्रधान, नेवादा, ब्लाक-करछना, जनपद-इलाहाबाद की दिनांक 08-01-2018 को हुई हत्या के सम्बन्ध में वादी श्री राजीव पुत्र लालता प्रसाद, निवासी नेवा, नरैना, थाना जनपद इलाहाबाद की लिखित सूचना के आधार पर थाना करछना पर मु0अ0सं0-17/18 अन्तर्गत धारा 147/148/149/307/302/504/506/34/201/2016 भा0दं0वि0 व 7 सी0एल0ए0 ऐक्ट बनाम सुरेश तिवारी, अनिल तिवारी, रमेश तिवारी, कृष्णकान्त तिवारी व अजय तिवारी पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक, श्री रामकुमार मलिक द्वारा सम्पादित की जा रही है।

विवेचना के दौरान अभियुक्तगण विनय कुमार तिवारी, राम शिरोमणि पाण्डेय, सुनील व छोटू यादव का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्तगण अजय तिवारी को दिनांक 14-01-2018 को, विनय कुमार तिवारी व राम शिरोमणि तिवारी को दिनांक 31-01-2018 को, कृष्णकान्त तिवारी व सुनील को दिनांक 18-02-2018 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाये जाने पर दिनांक 02-03-2018 को आरोप-पत्र संख्या-51 मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आरोपी अनिल तिवारी व रमेश तिवारी की घटना में संलिप्तता के कोई तथ्यात्मक साक्ष्य न पाये जाने की दशा में इनकी नामजदगी गलत करते हुए विवेचना से इनका नाम पृथक किया गया। अभियुक्तगण सुरेश तिवारी व छोटू यादव के विरुद्ध विवेचना प्रचलित रखते हुये गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। अभियुक्त सुरेश तिवारी के विरुद्ध गैर जमानती वारण्ट प्राप्त किया गया है। विवेचना प्रचलित है।]

जनपद प्रतापगढ़ के जिला पंचायत द्वारा सड़कों का निर्माण शासनादेशों का उल्लंघन करते हुये न बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री संगम लाल गुप्ता द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)

श्री अध्यक्ष-

यह मद स्थगित है।

जनपद शाहजहांपुर के थाना निगोही में श्री सचिन की भूमि पर किये गये कब्जे के सम्बन्ध में दोषियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर से प्राप्त आख्यानुसार ग्राम-मौजमपुर, परगना-मौजमपुर....

श्री दल बहादुर-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[तहसील-सदर, थाना-कोतवाली, जिला-शाहजहांपुर स्थित गाटा संख्या-510 की भूमि के सम्बन्ध में सचिन वर्मा व हरिशचन्द्र वर्मा तथा इनके विपक्षी अरविन्द मिश्रा पुत्र मूलचन्द्र मिश्रा निवासी मोहल्ला-हुण्डाखेल न्यू फ्रेन्ड्स कालोनी, थाना-कोतवाली, जनपद-शाहजहांपुर के मध्य मालिकाना हक को लेकर विवाद है। हरिश्चन्द्र वर्मा पक्ष द्वारा इस भूमि का क्रय विकास शर्मा व उनकी पत्नी सरोज शर्मा से किया जाना बताया गया है तो विपक्षी अरविन्द मिश्रा द्वारा उक्त भूमि दिनांक 23-10-2005 को मृतक गोकरन के वारिसान रामविलास पुत्र मूला एवं रामभजन पुत्र राजाराम से क्रय कर बैनामा कराने की बात कही गयी है। उक्त भूमि से सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट सदर, जनपद-शाहजहांपुर के न्यायालय में 145 सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन है तथा दाखिल खारिज के सम्बन्ध नायब तहसीलदार, शाहजहांपुर के न्यायालय में लम्बित है एवं मा0 न्यायालय सिविल जज, जूनियर डिवीजन में वाद संख्या-284/17, अरविन्द बनाम हरिश्चन्द्र आदि विचाराधीन है। प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में जनपद-शाहजहांपुर के विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन होने के फलस्वरूप, प्रकरण का विधिक निस्तारण मा0 न्यायालय के निर्णय के बाद ही सम्भव हो सकेगा। विवादित उक्त भूमि पर यथास्थिति बनी हुई है।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार के अन्तर्गत राप्ती नदी पर बैरियां सरयां बन्धे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनय शंकर तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री विनय शंकर तिवारी-

मान्यवर, इसमें मैं कुछ पूछना चाहता हूँ।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, यह केवल वक्तव्य है इसमें नहीं पूछ सकते हैं।

श्री विनय शंकर तिवारी-

यह हजारों किसानों से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जनपद गोरखपुर के विधान सभा चिल्लूपार के अन्तर्गत राप्ती नदी पर बैरिया सरयां बंधे....

श्री दल बहादुर-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[का निर्माण स्वीकृत हुआ था। बन्धे के निर्माण की धनराशि नाबार्ड द्वारा स्वीकृत की जानी है परन्तु सिंचाई विभाग द्वारा उचित कार्यवाही न किये जाने के कारण कागजी कार्यवाही में लेट लतीफी हो रही है और सिंचाई विभाग से इस लेट लतीफी का कारण पूछने पर गोल-मोल उत्तर दिया जा रहा है जिससे इस लोक महत्व की योजना में अविलम्ब हो रहा है और क्षेत्र के किसानों की हजारों एकड़ फसल बाढ़ के पानी में डूब जाती है और कई गांव जल मग्न हो जाते हैं। जनहित में बैरियां सरयां बन्धे का तात्कालिक रूप से निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन पर ध्यान आकृष्ट करते हुए जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार के अन्तर्गत राप्ती नदी पर बैरियां सरयां बंधे का निर्माण किये जाने हेतु सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूँ।

2-श्री विनय शंकर तिवारी, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी उक्त सूचना पर केवल वक्तव्य निम्नवत् है :-

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार के अन्तर्गत राप्ती नदी के दांये तट पर बैरियां सरयां तटबंध के निर्माण की परियोजना लागत रु0 7582.19 लाख उत्तर प्रदेश बाढ़ नियंत्रण

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

परिषद् की स्थायी संचालन समिति की 47वीं बैठक दिनांक 08-04-2015 में सशर्त अनुमोदित की गयी थी। केन्द्रीय जल आयोग के पत्र दिनांक 10-03-2016 द्वारा यह सूचित किया गया कि एडवाइजरी कमेटी की 128वीं बैठक दिनांक 29-02-2016 में यह परियोजना लागत रु0 7582.19 लाख अनुमोदित हुयी। तत्पश्चात् आर0आई0डी0एफ0-22 के अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के पत्र दिनांक 03-11-2016 द्वारा नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक-11, विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ) से अनुरोध किया गया, परन्तु वित्तीय वर्ष 2016-17 में नाबार्ड से वित्त पोषण हेतु स्वीकृत नहीं हुयी। वित्तीय वर्ष 2017-18 में नाबार्ड से वित्त पोषण कराये जाने के क्रम में यह परिलक्षित हुआ कि उक्त परियोजना में अधिक भूमि का अर्जन एवं मुआवजा निहित है। अतः इस परियोजना के स्थान पर वैकल्पिक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।]

जनपद मथुरा के अन्तर्गत गोवर्धन में श्राइन बोर्ड में मन्दिरों का अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम सुन्दर शर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर धर्मार्थ कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, श्री श्याम सुन्दर शर्मा, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत मा0 सदन में यह सूचना दी गयी कि जनपद मथुरा के अन्तर्गत गोवर्धन में स्थापित मन्दिरों को ....

श्री दल बहादुर-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[स्थानीय जनता को विश्वास में लिये बिना गिरिराज जी के प्रमुख मन्दिरों को श्राइन बोर्ड का गठन कर मन्दिरों का अधिग्रहण किया जाने का प्रयास किया जा रहा है जो कि पूर्णतः गलत है। मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर वक्तव्य की मांग की गयी है। मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल (एन0जी0टी0) के आदेश दिनांक 04 अगस्त, 2015 के बिन्दु सं0-17 में गोवर्धन में स्थित धार्मिक स्थलों के उचित प्रबन्धन किये जाने हेतु देश के अन्य धार्मिक स्थलों की भांति श्राइन बोर्ड गठित करने का आदेश पारित किया गया है। मा0 राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल के आदेशों के अनुपालन हेतु नियमानुसार समस्त पहलुओं पर विचार करते हुये उचित कार्यवाही की जायेगी।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद शाहजहांपुर के मो0 कटिया टोला, थाना सदर बाजार में दर्ज कराये गये मुकदमें की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अभिजीत सिंह सांगा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर से प्राप्त आख्यानुसार श्रीमती सुनीता पत्नी संजय कुमार, निवासी मोहल्ला-कटिया टोला, थाना-सदर बाजार....

श्री दल बहादुर-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[जनपद-शाहजहांपुर द्वारा श्री हंसराज पुत्र प्यारे लाल के विरुद्ध गलत ढंग से अभियोग पंजीकृत कराये जाने के तथ्य अंकित किये गये हैं जिनके सम्बन्ध में बिन्दुवार सूचना निम्नवत् है :-

(1) मु0अ0सं0-4272/17, धारा-354/506 भा0द0वि0 के स्थान पर थाना-सदर बाजार के अभिलेखों में वाहन अधिनियम के अन्तर्गत अपराध का पंजीकरण होना पाया गया है। दिनांक 17-07-2017 को श्रीमती सुनीता देवी पत्नी संजय कुमार, निवासी मोहल्ला-कटिया टोला के द्वारा मु0अ0सं0-4121/17, धारा-452/323/504/506 भा0द0वि0 के अन्तर्गत अभियुक्तगण श्री हंसराज पुत्र प्यारे लाल एवं उनकी पत्नी श्रीमती रजनी निवासी मोहल्ला-कटिया टोला के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया है। इस अपराध में विवेचना से धारा-323/504/506 भा0द0वि0 का अपराध पाया गया है। नामित अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 30-07-2017 को आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। यह अभियोग वर्तमान में मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) मु0अ0सं0-4072/17, धारा-354/506 भा0द0वि0 श्रीमती सुनीता देवी पत्नी संजय कुमार निवासी मोहल्ला-कटिया टोला, थाना-सदर बाजार, शाहजहांपुर द्वारा दिनांक 13-07-2017 को यह अभियोग अपने ही पड़ोसी अभियुक्त श्री हंसराज पुत्र प्यारे लाल एवं अभियुक्ता श्रीमती रजनी पत्नी हंसराज के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया है। इस अभियोग में विवेचना के उपरान्त दिनांक 30-08-2017 को आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। जहां तक श्रीमती सुनीता द्वारा हंसराज पुत्र श्री प्यारे लाल के विरुद्ध धारा-328/376 भा0द0वि0 पंजीकृत कराये जाने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 20-10-2016 को श्रीमती सुनीता देवी द्वारा मु0अ0सं0-2964/16, धारा-328/376 भा0द0वि0 पंजीकृत कराया गया था। इस अपराध में वादिनी मुकदमा द्वारा हंसराज पुत्र प्यारे लाल एवं उसकी पत्नी श्रीमती रजनी, निवासी मोहल्ला-कटिया टोला, थाना-सदर बाजार, जनपद-शाहजहांपुर के विरुद्ध

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दर्ज कराया गया है। इस अपराध में विवेचना के उपरान्त नामित अभियुक्तों के विरुद्ध धारा-323/504/506 भा0द0वि0 में दिनांक 29-01-2017 को आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है जो वर्तमान में मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। श्रीमती सुनीता एवं श्री हंसराज, दोनों ही पक्षों के मकान बराबर-बराबर में हैं और दोनों ही परिवार वर्तमान में अपने पते पर निवास कर रहे हैं।]

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार में अड्डा से कल्याणी तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के विकास खण्ड....

श्री दल बहादुर-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[ऊंचाहार में अड्डा (ग्राम पट्टी रहस कैथवल) से कल्याणी तक मार्ग की लम्बाई 1.850 कि0मी0 है, जिसमें वर्तमान में आंशिक रूप से पत्थर सोलिंग लगी है तथा आंशिक भाग कच्चा मार्ग है। यह मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है।

अड्डा ग्राम (ग्राम पट्टी रहस कैथवल) पट्टी रहस कैथवल सम्पर्क मार्ग से जुड़ा है जिसकी लम्बाई 4.00 कि0मी0 है एवं कल्याणी ग्राम पट्टी रहस कैथवल सम्पर्क मार्ग से जब्बारीपुर होते हुए कल्याणी सम्पर्क मार्ग, जिसकी लम्बाई 4.355 कि0मी0 है जो लेपित मार्ग से जुड़ा है। वर्तमान में उपरोक्त दोनों लेपित मार्ग गड्ढामुक्त है।

उपरोक्तानुसार अलग-अलग दोनों ग्राम लेपित मार्ग से जुड़े हैं तथा वर्तमान में ग्रामों को आपस में जोड़ने की कोई योजना संचालित नहीं हैं।]

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में कतिपय सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (स्थगित)

श्री अध्यक्ष-

यह स्थगित है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र खैराबाद में जंगली व आवारा कुत्तों की रोकथाम किये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश राठौर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, जनपद सीतापुर की विधान सभा के खैराबाद थाना क्षेत्र में ....

श्री दल बहादुर-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[जंगली व आवारा कुत्तों द्वारा विगत लगभग दो माह के अन्दर पांच छोटे बच्चों पर हमलाकर नोचकर मौत के घाट उतार दिया गया व रोज ही कहीं न कहीं बच्चों पर हमला किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है व बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। मैं उक्त प्रकरण पर सरकार से व्यक्तत्व की मांग करना चाहता हूँ कि कृपया सरकार बताये कि इन मासूमों की मौत की जानकारी यदि सरकार को है तो सरकार इसकी रोकथाम के लिये व मासूमों की मौत के मुआवजे के लिये क्या प्रयास कर रही है।''

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उ0प्र0 से प्राप्त आख्यानुसार अवगत कराना है कि जनपद सीतापुर में जंगली कुत्ते नहीं पाये जाते हैं तथा आवारा कुत्ते वन्य जीव की श्रेणी में नहीं आते है। आवारा कुत्तों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, सीतापुर द्वारा नगर पालिका, सीतापुर तथा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के माध्यम से निरोधात्मक कार्यवाही की जा रही है।

लखनऊ के पश्चिमी विधान सभा क्षेत्र के पारा क्षेत्र में पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग की लापरवाही से दिनांक 20 मार्च, 2018 को ट्रैक्टर ट्राली पलट जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, लखनऊ की पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के पारा क्षेत्र....

श्री दल बहादुर-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[में भुवर पुल पर 20 मार्च, 2018 को ट्रैक्टर ट्राली पलट जाने से 4 लोगों की मृत्यु हो गयी और लगभग 54 लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये। काफी दिनों से इस पुल के एक तरफ रेलिंग टूटी हुई है जिसके कारण इस हादसे के पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। इस पुल पर काफी यातायात चलता रहता है और यह पुल पी0डल्ल्यू0डी0 के द्वारा निर्मित है। कई वर्ष से इस पुलिया पर रेलिंग टूटी है किन्तु पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं देता और नित्य प्रतिदिन हादसे पर हादसे होते रहते हैं। इस टूटी रेलिंग को शीघ्र बनवाने की आवश्यकता है। इसी के साथ-साथ धनिया महरी पुल की भी उपेक्षा होने के कारण रेलिंग वर्षों से टूटी हुई है। पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग को इस पर ध्यान देकर अविलम्ब बनाया जाना चाहिए अन्यथा कभी भी कोई बड़ा हादसा हो जायेगा।

वक्तव्य :-

प्रश्नगत भुवर पुल लखनऊ-कानुपर मार्ग से हरदोई मार्ग (रिंग रोड) के किमी0 8.00 में स्थित रेलवे उपरिगामी सेतु है। आर0ओ0बी0 में रेलिंग लगी है, जो पूरी तरह ठीक है। पहुंच मार्ग पर रेलिंग नहीं है। दुर्घटना के स्थल पर मार्ग काफी चौड़ा और सीधा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होने से दुर्घटना हुई है। यातायात की सुरक्षा के दृष्टिगत एप्रोच रोड के किनारे कैश बैरियर के निर्माण के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

धनिया महरी पुल बुलाकी अड्डा-मोहान मार्ग के किमी0-2 में स्थित आर्च पुल, जो काफी पुराना है। इसके एक तरफ पुल के साथ निर्मित ईटों की रेलिंग पूर्व में क्षतिग्रस्त होने के पश्चात् स्टील की रेलिंग से मरम्त की गयी थी। यह रेलिंग पुनः क्षतिग्रस्त हो गयी है। इसकी मरम्मत कराने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।]

[06.03 बजे] सदन संचालन में सहयोग हेतु आभार प्रदर्शन

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। विशेषकर नेता विरोधी दल को, मा0 नेता बसपा को, मा0 नेता कांग्रेस को और इनके साथ सभी मा0 विपक्ष के सदस्यों को और तमाम सत्तापक्ष के सदस्यों को और सभी मा0 मंत्रियों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने वर्तमान सदन के संचालन में बहुत बड़ा सहयोग दिया। मान्यवर, समय कम है। मैं केवल इस बात को जरूर कहूंगा कि इस बार सदन आठ तारीख से शुरु हुआ और आज समाप्त हो रहा है। लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि अबकी बार चलने में मजा नहीं आया। तो अब जब आप बतायेंगे तो हम सदन बुला लेंगे और चला भी लेंगे। लेकिन जो सोलह कलाअवतारी बैठें हैं मा0 राम गोविन्द जी, इनको मैं आज बधाई भी दूंगा और धन्यवाद भी दूंगा। बहुत बढ़िया तरीके से यह अपनी बात को कहते हैं और कभी-कभी तो इस विधान सभा में किसी और की आवाज ही नहीं गूंजती। केवल इन्हीं की आवाज गूंजती है। और हम यह चाहेंगे कि भगवान करे कि इनका गला सलामत रहे और यह सलामत रहें। यह पूरी तरीके से स्वस्थ रहें हम इनके लिए ढेर सारी शुभकामनायें अर्पित करते हैं। मा0 लालजी वर्मा जी के प्रति भी शुभकामनायें देते हैं, राजभर जी के लिए भी, मा0 लल्लू जी के लिए भी और हमारे जितने भी मा0 मंत्री हैं हमारी शुभकामनायें हैं कि आगामी दिन, महीना और साल बहुत खुशनुमा हो बहुत खुशगवार हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मैं संसदीय कार्यमंत्री जी को बहुत-बहुत बधायी देना चाहता हूँ कि बड़ी चालाकी से अधिक समय में कम विधान सभा चलाया। योग्य आदमी हैं। संसदीय परम्पराओं के ज्ञाता हैं। हमारे मित्र भी हैं और सदन चलाने में इनका हम लोगों ने पूरा सहयोग दिया। मा0 अध्यक्ष जी, मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी का और आपका हम लोगों ने प्रतिष्ठा बढ़ाया है, विपक्ष के लोगों ने। इस बात को मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी भी छाती पर हाथ रखकर महसूस करते होंगे। मान्यवर, मैं सभी मा0 मंत्रीगण का भी आभारी हूँ। जिन्होंने अपने प्रश्नों का सही उत्तर दिया और जिन्होंने सही उत्तर नहीं दिया तथा हमारे सदस्यों ने जिसकी जानकारी चाही तो आगे उसको ठीक करने का आश्वासन भी दिया। जितने भी नये मा0 सदस्यगणों ने अपने विचार रखें हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छे विचार रखे। अच्छे सुझाव रखे। अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को उन्होंने सदन के पटल पर रखा। मैं पुनः संसदीय कार्यमंत्री जी का सभी मा0 मंत्रीगण का अपने सत्ता पक्ष के सभी मा0 सदस्यगण का, विपक्ष के सभी मा0 नेता, लालजी वर्मा जी का, लल्लू जी का तथा हम लोगों के जो वरिष्ठ नेता है श्री सुखदेव राजभर जी का और सभी पक्ष तथा विपक्ष के जितने भी सदस्य हैं मैं सबको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो एकमत होकर के सरकार से उत्तर दिलवाने के लिए उद्धृत रहे। कभी-कभी विधान सभा में कटुता भी आई, लेकिन यह पहली विधान सभा है जहां पहली बार विपक्ष का पक्ष सुनकर भी चुप रहे। केवल संसदीय कार्यमंत्री और आपकी प्रतिष्ठा को देखते हुए और उत्तर प्रदेश के सदन की गरिमा और परम्परा को देखते हुए। मान्यवर, मैं अधिक कुछ न कहकर के पुनः सदन बहुत दिन में कम समय चला इसके लिए मैं संसदीय कार्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। समय तो बहुत हो गया जो देखे तो लगे कि सदन कितने दिन चल गया? आज अंतिम दिन है सभी लोग यहां से ठीक से चलें कोई कटुता न हो और मैं पुनः आपके माध्यम से संसदीय कार्यमंत्री जी से यह जरूर आग्रह करना चाहूंगा कि सदन चले तो लगातार चले। उसमें सदस्यों को भी ठीक लगेगा। मा0 सदस्यगण को भी ठीक लगेगा। बैठने वालों को भी ठीक लगेगा और कितनी जल्दी आप सदन बुलायेंगे? यह तो आगे की बात है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हंसते-हंसते गुस्से में भी हैं फिर भी हंस रहे हैं। सदन में मा0 सदस्यों से खूब नाराज हैं और नहीं चाहते हैं कि वह हमारी आज्ञा के खिलाफ बोलें फिर भी आपने कोई कठोर कार्यवाही नहीं की। आपने उसको हंसते-हंसते टाल दिया। यह आपकी जो पीठ है उसकी गरिमा को आपने बहुत ही बढ़ाया है, इसलिए मैं पुनः आपका भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पुनः संसदीय कार्यमंत्री जी का, सभी मंत्रीगण का, सभी मा0 सदस्यों का, विपक्ष के सभी मा0 नेतागण का धन्यवाद देता हूँ। स्वागत करता हूँ। अगले सत्र में पुनः हम सब लोग एक साथ खुशी-खुशी जल्दी से मिलें। मान्यवर, जितने भी इस विधान सभा में अधिकारी, कर्मचारी है, प्रमुख सचिव हैं, इनके सचिवालय के लोग हैं, मार्शल साहब हैं, सुरक्षा गार्ड हैं और जो विधान सभा के कर्मचारी हैं, जो अनुसेवक हैं मैं सभी लोगों को, पत्रकार लोग जो सुबहः से शाम तक जब से विधान सभा चली तब तक बैठकर के इस सदन की रिपोर्टिंग करते रहे और अच्छी तरह करते रहे। पत्रकार बंधु दबाव के बावजूद भी अच्छी रिपोर्टिंग करते रहे (हंसी)। मेरे पास ऐसे कई पत्र आए हैं, जिसमें पत्रकारों को निदेशक के द्वारा हड़काया गया है लेकिन कठिन परिस्थितियों में भी पत्रकार बंधुओं ने इस विधान सभा की गरिमा के अनुरूप काम किया। चाहे वे चैनल के लोग हों, चाहे प्रिंट

मीडिया के लोग हों, सभी ने बहुत अच्छा काम किया। आपके माध्यम से मैं इन सभी लोगों को धन्यवाद व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूँ। पुनः पूरे विधान सभा परिवार को पूरे विपक्ष की तरफ से, नेता विरोधी दल की हैसियत से सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आज बजट सत्र का आखिरी दिन है। निश्चित रूप से माननीय नेता विरोधी दल एवं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो बातें कहीं उनसे अपने आपको संबद्ध करता हूँ। आपने कुशलतापूर्वक इस सदन को संचालित करने का काम किया, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको आभार व्यक्त करता हूं। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी का, सभी मंत्रिगण का, सभी सदस्यों का, माननीय नेता विरोधी दल का, विपक्ष के सभी सदस्यों का, जिन्होंने देर तक भी बैठकर सदन की कार्यवाही में भाग लेने का काम किया। अपने मुद्दों को विभिन्न नियमों के अन्तर्गत लाने का काम किया। उसके लिए भी उनका आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन निश्चित तौर पर जैसा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 8 फरवरी से 27 मार्च तक लंबा समय बीता लेकिन कार्य दिवस कम मिला और जब व्यवधान हो जाता है, तो जो हम मुद्दा भी उठाना चाहते हैं उसमें भी वह गति नहीं आ पाती। मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि इस बात को जरूर ध्यान रखें, जब दोबारा सदन संचालित हो कि जितना भी दिन चलाना हो, उसमें लगातार चले, बीच में 10-15 दिन का विराम हो जाता है, इससे व्यवधान पड़ जाता है। फिर भी बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से विभिन्न मुद्दों को हम सब लोगों ने रखने का काम किया। आपकी सहृदयता के कारण बहुत से विषय जो नियमों के अन्तर्गत नहीं आते थे, उसे भी आपने उठाने का काम किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जिद्द करते हुए भी बहुत सी बातों पर, निश्चित रूप से सत्तापक्ष की तरफ का रोल होना चाहिए, संसदीय कार्यमंत्री का रोल होना चाहिए, उसके लिए कार्य किया। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आज जरूर थोड़ा कजूंसी कुछ मुद्दों में कर गए।(हंसी)

श्री अध्यक्ष-

जो खाना दिया गया, उसमें तो कंजूसी नहीं किए।

श्री लालजी वर्मा-

खाने में कंजूसी नहीं किए, कहलवाने में कंजूसी किए। मैं सभी विधान सभा के कर्मचारियों का, जिन लोगों ने सवेरे एजेण्डा पहुंचाने से लेकर समय से साहित्य पहुंचाने का काम किया, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। पत्रकार बंधुओं एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने सदन की कार्यवाही को ठीक ढंग से प्रकाशित करने में योगदान किया। जनता तक पहुंचाने में योगदान किया, उसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ। पुनः आपका कि आपने व्यवस्थित ढंग से विपक्ष को भी और सत्तापक्ष को भी अपनी बात रखने में प्रमुखता से सहयोग दिया और विशेष कर विपक्ष को अपनी बात उठाने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हुए और पुनः सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, आज बजट सत्र का अन्तिम दिन है और पूरा बजट सत्र वास्तव में 08 फरवरी से लेकर आज 27 मार्च तक निर्धारित था, लेकिन बहुत अल्प समय के लिए चला। जिस विद्वता के साथ, जिस गरिमा के साथ आपके दिशा-निर्देशन में यह सदन चला, निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा सदन इस पूरे बजट सत्र के दौरान देखने को मिला। माननीय मंत्रि-मण्डल के लोगों ने जो विपक्ष की तरफ से तमाम विषय उठे, उस पर बहुत संजीदगी के साथ कोशिश किया कि हम उन विषयों का ठीक ढंग से जवाब दे सकें। थोड़ी कमी रही लेकिन काफी कुछ अच्छा रहा और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में काफी अच्छा होगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने अनुभव का पूरा परिचय दिया और अच्छी यह बात लगी कि जिस गंभीर मुद्दे को उन्होंने समझा और उस पर बहुत कड़ी कार्रवाई भी की और आदेश भी दिया और उसको संजीदगी से लेते हुए, आवश्यक निर्देश भी दिए। कुछ मामलों में सरकार के अधीन होने के नाते कहीं न कहीं थोड़ी कमी जरूर दिखायी दी लेकिन अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। आज माननीय पक्ष के सभी विधायकगण जिनके नए-नए सुझाव और जन-समस्याओं के प्रति उनकी रूचि रही और पहली बार ऐसा हुआ, मैं पहली बार इसलिए कह रहा हूँ कि सत्तापक्ष के विधायक लोगों ने भी सवाल उठाया और सरकार के जवाब से असंतुष्ट भी दिखायी दिए और अपनी बात को मजबूती से रखा, यह भी पहली बार हुआ। यह अच्छा संदेश रहा। लोकतंत्र में चर्चा और परिचर्चा का जो केन्द्र था, वह एक अच्छे रूप में देखने को मिला, बहुत कुछ पहली बार हुआ। मान्यवर, मैं आपका, सारे पक्ष के सदस्यों का, सारे मंत्रि-मण्डल के लोगों का, नेता प्रतिपक्ष का, नेता बसपा, श्री लालजी वर्मा का और अपने सभी दलों के लोगों का आभार व्यक्त करते हुए और सचिव विधान सभा का, सभी कर्मचारियों का, तमाम सुरक्षाकर्मियों का, मार्शल का और सभी लोगों का जिन कर्मचारियों ने निश्चित रूप से रात-दिन करके सूचना से लेकर हर चीज में इस विधान सभा की मदद की, उन सब का और खासकर इलेक्ट्रानिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी पत्रकारों का जिन्होंने पारदर्शी तरीके से इन तमाम विषयों को विशेष रूप से कवर करके और देश तथा प्रदेश में ले जाने का काम किया। अध्यक्ष जी, मैं पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ।

[06:18 बजे] सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित करने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका भी बहुत आभारी हूँ कि आपने बहुत सदाशयता से, बहुत विद्वता से इस हाउस को चलाया। प्रमुख सचिव सहित सभी अधिकारियों का, मार्शल सहित सभी हमारे जो सहयोगी हैं, उनका, पत्रकार मित्रों का तथा दर्शक-दीर्घा में बैठे हुए सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूँ कि जिन-जिन लोगों ने इस हाउस के संचालन में सहयोग दिया।

मान्यवर, अब मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाय।

मान्यवर, प्रस्ताव के बाद ही आप बोलते हैं। आप आशीर्वाद दे दें।

श्री लाल जी वर्मा-

पहली बार तो प्रस्ताव करके ही बोला जाता है।

श्री अध्यक्ष-

अध्यक्ष को सामान्यतः नहीं बोलना चाहिए लेकिन अभी जब आप सबके बीच में विचार-विमर्श हो रहा था तो बैठे-बैठे मैं काफी भावुक हो गया था, और कोई कह सकता है कि जो पढ़ते-लिखते हैं वो भावुक नहीं होते, यह एक दार्शनिक बहस का विशेष भी हो सकता है। मेरा अनुभव लगभग एक वर्ष हो रहा है और यह सत्र बहुत खूबसूरत रहा है। मुझे इस आदरणीय सदन के एक-एक विधायक का बहुत गहन आदर मिला है। एक आदर पद का होता है, प्रतिष्ठा का होता है लेकिन मुझे जिस तरह का आदर मिला है वह मैं कह नहीं सकता। बहुत अनिर्वचनीय और अव्याख्ये आदर मिला। कुछ कठिनाइयां भी आईं हैं और कठिनाइयां आम तौर पर अध्यक्ष को, पीठासीन अधिकारी को चेयर पर्सन को आती हैं जो खड़े होकर बोलते हैं संघर्ष करते हैं, झगड़ा करते हैं। मुझे खड़े होकर बोलने वालों से कठिनाई कभी नहीं हुई। मुझे हमेशा जो बैठकर बोलते हैं उनसे कठिनाई हुई और जब कभी मैं इतिहास लिखूंगा आप सब जानते हैं मेरी 27-28 पुस्तकें हैं, भिन्न-भिन्न विषयों पर तो बैठे हुए लोग क्या-क्या कह लेते हैं और मुझे आश्चर्य हुआ, नेता प्रतिपक्ष हमारे मित्र हैं सुयोग्य हैं विधान सभा में, बाहर उनकी प्रतिष्ठा है और उन्हें कठिनाई होती थी स्वाभाविक ही कि हम बोल रहे हैं कोई क्यों टोकें? लोग बैठे-बैठे टिप्पणी करते थे उनके मन में स्वाभाविक ही यह भाव आता होगा कि भाजपा के विधायक बैठे-बैठे टिप्पणी करते हैं मेरे बारे में यह ठीक नहीं है लेकिन आज आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे थे तब भी वह टिप्पणी कर रहे थे, बैठे-बैठे। मैं इधर-उधर में भेद नहीं कर सकता, मुझे केवल यह कहना है कि जो बैठे-बैठे बोलते हैं उनसे हमको बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि जो बोल रहे होते हैं उनकी तरफ ध्यान रहता है जिसको भी हमने पुकारा कि क्या कह रहे हैं आगे क्या बात हो जायेगी। मैं सबसे पहले जो बैठे-बैठे बोलते रहे हैं उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करता हूँ और उन्हें नमस्कार करता हूँ। सदन में अनेक वरिष्ठ नेता, संसदीय परिपाटी में माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बसपा, माननीय नेता कांग्रेस और अन्य सभी दलों के नेता, एवं सभी वरिष्ठ नेताओं के प्रति मैं आदर भाव व्यक्त करता हूँ कि मेरे कार्यालय में बुलाने पर अथवा यहां से बैठे-बैठे टोकने पर अथवा संकेत करने पर उन्होंने इस आदरणीय सदन की परम्परा और अध्यक्ष के आसन को हमेशा सम्मान दिया है मैं विशेष रूप में उनका नमन करता हूँ। इस सदन में बहुत ढेर सारे विधायक पहली बार आये हैं और उनके यहां पहली बार यहां आकर दृश्य देखने में मुझे पहले संकोच होता था कि वह यहां लड़ाई देखेंगे, कागज के गोले फेंकते देखेंगे, लड़ाई देखेंगे, चिल्लाते देखेंगे, शोर मचाते देखेंगे, तू-तू मैं-मैं देखेंगे तो पता नहीं बच्चों पर क्या असर पड़े? लेकिन यह अच्छा है कि धीरे-धीरे वह अभ्यस्थ हो गये हैं घर की लड़ाई देखते-देखते तो मैं उनके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ कि

जैसे वह पहले डरते रहे होंगे बच्चा पहले घर में डरता है न कोई अजीब चीज देखकर तो अब वह यहां के वातावरण के अभ्यस्थ हो गये होंगे कि ठीक है झोका आया है, उमस आई है, गर्मी आई है, आंधी नहीं आई, आंधी से बचत हुई है और आज जिस तरह का वातावरण यहां दिखाई पड़ा तो उसमें कह सकते हैं कि

''दीवाना मस्ताना हुआ दिल, जाने कहां होकर बहार आई''

प्रमुख सचिव ने हमको एक सूची दी थी, बहुत यहां कागज हैं तो वो कागज में खो गई होगी। नये सदस्यों द्वारा बजट में विचार व्यक्त किए गए तो वो संख्या इनके पास है। मेरे पास उपलब्ध थी पहले अब नहीं उपलब्ध है। ऐसे ही सत्ता पक्ष के मित्रों ने विपक्ष के मित्रों ने तो सदन में बहस की भागीदारी और बहस के गुणवत्ता की भागीदारी नये सदस्यों ने बहुत पढ़ लिखकर के यहां बहुत भाषण दिए हैं और विपक्ष के भी कई नए सदस्य ऐसे रहे हैं कि उन्होंने यहां पूरी योग्यता और प्रतिभा और तैयारी के साथ भाषण दिए हैं। हम लोग पुराने लोग हैं, क्योंकि हम लोगों की आदत हो गई है कि जहां पाए वहां बोल दिए, जहां पाए वहां गा दिए। कुछ नए सदस्य ऐसे हैं मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनको मैं बुलाकर अपने कक्ष में जरूर उनकी पीठ ठोकता रहा कि आप अच्छा बोले और अनेक नये सदस्य बहुत प्रतिभाशाली है। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम उनके सामने अपना अच्छा आचरण रख सकते हैं। प्रथम सत्र के वित्तीय वर्ष के 2018-19 में बजट चर्चा में जिन सदस्यों ने भाग लिया कुल 72 अब ये संख्या बड़ी है यद्यपि बीच में सदन की कार्यवाही नहीं चली बंद रही, छुट्टी रही। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भाग लिया 45 भाग दो लेने वाले विपक्ष के सदस्यों की संख्या 27 दूबे जी, ने अच्छा किया है कि चर्चा में भाग लेने वाले नये सदस्यों की कुल संख्या 54 चर्चा में भाग लेने वाले सत्ता पक्ष के नए सदस्यों की संख्या 41 चर्चा में भाग लेने वाले विपक्ष के नये सदस्यों की संख्या 13 इसी प्रकार राज्यपाल के अभिभाषण पर कुल 37 सदस्यों ने हिस्सा लिया। जिसमें सत्ता पक्ष के 22 विपक्ष के 15 और नये सदस्यों की संख्या 24 ये तो गिनती हो गई, लेकिन क्वालिटी पर ध्यान दें तो माननीय राम गोविन्द चौधरी जी और माननीय वर्मा जी हमारे माननीय प्रतिपक्ष की कतार है तो इन्हें हृदय से बधाई इसलिए मैं और भी देता हूँ कि उन्होंने यहां पर अपना लगभग पूरे नये सदन में बैठकर काम करते हुए अपना सुनते हुए अपना, लेकिन ये नये सदस्यों के लिए बड़ा उपयोगी होगा कि पुराने सदस्य बैठे रहे जमकर और बीच-बीच में चले गए बाहर घुमने ऐसा वातावरण नहीं रहा। मैं आप सबको जाना भी होगा और वही सरकारी बैठकें लगी हुई हैं। मैं जो यहां बहुत अच्छा बोले उनके भी प्रति, धीमे बोले उनके भी प्रति, जो बैठे-बैठे बोले उनके प्रति, जो अनुमति से बोले उनके प्रति, जो बिना अनुमति के बोले उनके भी प्रति, जो नारेबाजी करते रहे उनके प्रति सबके प्रति हृदय से बिल्कुल, जो बैठकर भी रोका-टाकी करते रहे उनके प्रति सबके प्रति हृदय से आदर भाव व्यक्त करता हूँ कि मैं और यहां का पूरा परिवेश यही मिलाकर उत्तर प्रदेश के आदरणीय विधान सभा है और उत्तर प्रदेश का सारी दुनिया में यहां के सदन के कारण, यहां के लोकतंत्र के कारण यहां की विधायी क्षमता के कारण और यहां की

संख्या के कारण यहां की क्वालिटी गुणवत्ता के कारण सभी दुनिया के अधिकांश देशों में हमारे मान्य हैं सदन के भीतर प्रकृति का पूरा का पूरा एक नया रूपक दिखाई पड़ता है, प्रकृति में रात और दिन है, धूंप और छांव है, ठण्डक और गर्मी है जहां पर प्रकृति में द्ववैत होता है शीत और ऊष्मा मिलती है जहां पर, जहां पर रात और दिन मिलते हैं उसे संध्या कहते हैं। यहां पर पक्ष और विपक्ष मिलते हैं, विपरीत विचार के लोग मिलते हैं, कभी कोई जोर बोलने वाला तो कोई धीमे बोलने वाला ऐसे एक अद्भुत समन्वय की जगह हैं जहां पर भिन्न-भिन्न विचार आकर एक रस, एक छंद, एक रूप, एक प्रीत, एक नीति, एक रीति, एक आचरण में घुलते-मिलते हैं और आप सबके कारण यह स्थान बहुत सुशोभित रहा है मुझे यह कहना चाहिए, मैं समाप्त कर रहा हूं कि अंतिम वाक्य है हमारा पूर्वजों ने बार-बार साथ-साथ चलने की बात कही थी और मैं व्यक्तिगत रूप से अध्ययन के आधार पर मानता हूँ कि दुनिया का प्राचीनतम शब्द, साक्ष्य ऋग्वेद है और ऋग्वेद का अंतिम सूक्त जहां पर खत्म होता है वो एक सुन्दर शब्द के साथ खत्म होता है।

ऋगवेद का ऋषि कहता है कि सं गच्छध्वं, सं वदध्वं, सं मनांसि जानताम् है कि हम साथ-साथ चलें, साथ-साथ बोलें, प्रीतिपूर्वक रहें, हमारे मन आपके मन, हमारा हृदय आपका हृदय, हमारी चितवन आपकी चितवन, हमारी वाणी आपकी वाणी, हमारा रस आपका रस, समरस, हमारी प्रीत आपकी रीत, हमारा अन्तस आपका छन्दस यह सब एक रहे। ऋगवेद का ऋषि आगे कहता है कि देवा भागं यथापूर्वे सज्जनाना उपासते, हमारे पूर्वजों ने भी इसी प्रकार विपरीत विचार के बावजूद साथ-साथ मिलकर, विपरीत विचार के बावजूद साथ-साथ गुनगुनाकर, विपरीत विचार के बावजूद साथ-साथ प्रवाहमान होकर इस भारत की संस्कृति की रक्षा की है। आप सब माननीय सदस्य जो यहां विराजमान हैं, आप सबके अन्तस में उसी भारतीय संस्कृति के विराट तत्व का पूरा दर्शन करते हुए मैं सबको प्रणाम करता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा बहुत सहयोग किया। मेरी कोई क्षमता यहां की नहीं थी, यह तो एक आसन ऐसा है कि यहां जो भी बैठ जाता है बढ़िया-बढ़िया बातें करने लगता है। बहुत धन्यवाद।

श्री पूरन प्रकाश-

बोलो गिरिराज महाराज की जय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि इस सदन को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित करने सम्बन्धी जो प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा है, उससे यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अब हम राष्ट्र गान का गायन करेंगे।

राष्ट्र-गान

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।
भारत भाग्य विधाता।।
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

(कई सदस्यों द्वारा भारत माता की जय के नारे लगाए गए)

श्री अध्यक्ष-

अब हम अनिश्चित काल के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 06 बजकर 32 मिनट पर अनिश्चितकाल तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 27 मार्च, 2018

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 631 विधान सभा (00)-27-03-2018-813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।